



ANNUAL REPORT

2024-25

Government of India
Ministry of Women and Child Development

Contents

Chapter	Title	Page No.
Chapter 1.	Introduction	3-4
Chapter 2.	Women Empowerment and Protection	7-34
Chapter 3.	Child Development	37-51
Chapter 4.	Child Protection and Welfare	55-64
Chapter 5.	Gender Budgeting	67-74
Chapter 6.	Statistics and Research	77-81
Chapter 7.	National Institute of Public Cooperation and Child Development	85-99
Chapter 8.	National Commission for Women	103-113
Chapter 9.	National Commission for Protection of Child Rights	117-134
Chapter 10.	Central Adoption Resource Authority	137-146
Chapter 11.	Other Programmes and Activities	149-163
Annexures	Annexure – I to XXVII	167-220



Introduction

Introduction

1.1 Women and children together comprise approximately 67.7 % of India's total population, as per the 2011 Census, making their empowerment, protection, and holistic development central to the nation's progress. Ensuring their well-being is not only a matter of social justice but also a fundamental prerequisite for sustainable and equitable development. Recognizing this imperative, the Government of India established the Ministry of Women and Child Development (MWCD) as the nodal ministry responsible for the formulation and implementation of policies, regulations, and programs aimed at advancing the welfare of women and children. Initially functioning as the Department of Women and Child Development under the Ministry of Human Resource Development since 1985, it evolved into an independent ministry on 30th December, 2006, to address critical gaps in state action and foster a more coordinated and strategic approach. The MWCD plays a pivotal role in driving inter-ministerial and inter-sectoral convergence to create gender-equitable and child-centric policies, ensuring that the rights, safety, and development needs of women and children are effectively integrated into the broader national agenda.

I. Vision

1.2 Empowered women living with dignity and contributing as equal partners in development in an environment free

from violence and discrimination, and well-nurtured children with full opportunities for growth and development in a safe and protective environment.

II. Mission – Empowerment of Women

1.3 Promoting socio-economic empowerment of women through cross-cutting policies and programmes, mainstreaming gender, creating awareness about their rights, and facilitating institutional and legislative support for enabling them to realize their human rights and develop to their full potential.

III. Mission–Safe and Secure Childhood

1.4 Ensuring development, care, and protection of children through cross-cutting policies and programmes, spreading awareness about child rights and facilitating access to learning, nutrition, institutional and legislative support for enabling the children to grow and develop to their full potential.

IV. Constitutional and Legal Provisions

1.5 The Constitution provisions provide for equality of women, on one side and for assuring the rights of children, promoting their well-being, and ensuring a better future for them on the other. These provisions are listed at **Annexure-I**. For furthering the interests of the women and the children of the country, the Government has also enacted a number of laws which are listed at **Annexure-II**.

V. Subjects Allocated to the Ministry of Women and Child Development

1.6 To achieve its mandate, the Ministry has evolved policies, plans of action, legislations, programmes and schemes for advancement of women and children and has been implementing them in collaboration with State Governments/UTs, Government and Non-Government Organisations. The subjects allocated to the Ministry are listed at **Annexure-III**.

1.7 Sustainable Development Goals (SDGs) have taken the center stage in defining the developmental priorities and SDG 5 (achieve gender equality and empower all women and girls) is dedicated to achieving gender equality and women empowerment is widely recognised as the precondition for achieving the several targets of the SDGs like poverty eradication, inequality, good health, decent work, and economic growth. Wellbeing of women and children is essential for realization of demographic dividend of the country. The Schemes and initiatives of the Ministry of Women and Child Development are aligned with the Targets of SDGs and are directly linked to the social safety net for development and welfare of women and children in the country.

VI. Organizational Structure of the Ministry

1.8 After the formation of 18th Lok Sabha, the Ministry of Women and Child Development is headed by Union Minister, Smt. Annpurna Devi and Minister of State, Smt. Savitri Thakur. Shri Anil Malik took the charge of Secretary of the Ministry on 01st March, 2024. The organizational structure of the Ministry consists of Secretary, WCD, two Additional Secretaries, one Additional Secretary and

Financial Adviser, four Joint Secretaries and one Statistical Adviser. The Organizational chart of the Ministry is at **Annexure-IV**.

VII. Organizations under the aegis of the Ministry

1.9 The Ministry has Autonomous Organisation viz. National Institute of Public Co-operation and Child Development (NIPCCD) working under its aegis, besides three Statutory Bodies - National Commission for Women (NCW), National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and Central Adoption Resource Authority (CARA). NIPCCD is a society registered under the Societies Registration Act, 1860. These organisations are funded by the Government of India, and they assist the Ministry in its functions including implementation of programmes/schemes.

1.10 The National Commission for Women (NCW) is a national apex statutory body set up in 1992 for protecting and safeguarding the rights of women. National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) was set up on 05th March, 2007 as envisaged in the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005. CARA is the Central Authority that functions as a nodal body for promoting and regulating adoption of Indian children at the National level, as per the provisions under Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

VIII. Achievements of the Ministry during 2024-25

1.11 During the year 2024-25, Ministry has undertaken various policy initiatives and plan interventions for the development, welfare and protection of women and children. These interventions and Ministry's major achievements during the period are discussed in the succeeding chapters.



Women Empowerment and Protection

Women Empowerment and Protection

I. INTRODUCTION

2.1 The principle of gender equality is deeply embedded in the Indian Constitution, which not only guarantees equal rights for women but also mandates the State to take proactive measures to address historical socio-economic and political discrimination. Beyond ensuring equality before the law, the Constitution empowers women by enabling affirmative actions that promote equity and justice. Fundamental rights safeguard women against discrimination on the grounds of sex and gender, ensuring equal protection under the law, while fundamental duties obligate every citizen to renounce practices that undermine the dignity of women.

2.2 Women's empowerment is a transformative process that enables them to claim their rights, access equal opportunities, and realize their full potential across economic, social, cultural, and political domains. True empowerment extends beyond access to resources - it requires the ability to make independent decisions within and beyond the household and to actively influence societal change. Ensuring women's safety, dignity, and participation in all spheres of life is integral to building an inclusive and progressive society.

2.3 Recognizing these imperatives, the Ministry of Women and Child Development

(MWCD) has undertaken a range of initiatives aimed at promoting gender equality, strengthening women's rights, and enhancing their safety and well-being. These initiatives, detailed below, are designed to create an enabling environment where women can thrive as equal partners in the nation's development.

II. Legislative Framework for Women

2.4 Government gives highest priority to ensuring safety and security of women. On the legal front, Ministry has been active in ensuring the protection of law to the most vulnerable women. Work is being carried out to ensure optimum implementation of laws for women.

A. Sexual Harassment at Workplace

2.5 The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 was enacted to ensure safe working spaces for women and to build an enabling environment that respects women's right of equality of status and opportunity. The Act covers all women, irrespective of their age or employment status and protects them against sexual harassment at all workplaces whether organised or unorganised. Students, apprentices, labourers, domestic workers and even women visiting an office or a workplace are included in the Act.

2.6 In order to ensure effective implementation of the Act, Union Minister of Women and Child Development launched a revamped version of Sexual Harassment electronic Box (SHe-Box) [<https://shebox.wcd.gov.in/>] on 29th August, 2024 to facilitate the registration of complaint related to sexual harassment at workplace. SHe-Box v2.0 is an upgraded grievance redressal system where the entire complaint process is conducted online with transparency, adhering strictly to the timelines set by the Act. The platform ensures a speedier remedy for women facing workplace harassment and has undergone multiple enhancements to improve grievance redressal mechanisms. The new portal is a unique initiative of the Ministry of Women and Child Development to provide a publicly available centralized repository of information related to Internal Committees (ICs) and Local Committees (LCs) formed across the country, whether in government or private sector. This portal also provides a common platform to file complaints and track the status of such complaints. Any complaints registered on the portal are directly forwarded to the IC/ LC of the concerned workplaces within the Central Ministries/ Departments, States/ UTs and in Private sector. The portal provides for designating a nodal officer by every workplace who is required to ensure updating of data/ information on a regular basis for real time monitoring of complaints.

2.7 The Ministry of Women and Child Development has issued a Handbook on the Act. The Handbook provides information about the Act in an easy-to-use practical manner. The soft copy of the Handbook has been uploaded on the Ministry's website also for the purposes of mass dissemination. The

Ministry has prepared a training module in collaboration with Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) for training and Gender Sensitization programmes of manpower.

B. Child Marriage

2.8 The Ministry has been taking proactive measures to eliminate the social evil of child marriage. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 has been enacted to punish those who promote, perform and abet child marriages. The States/ UTs from time to time are being requested to oversee the effective implementation of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006. Prevention of child marriage and protection of girl child are prominent parts of the National Plan of Action for Children, 2016.

2.9 In order to ensure effective implementation of the Act, Hon'ble Minister, Women and Child Development, Smt. Annpurna Devi, launched a national campaign "Bal Vivah Mukt Bharat" on 27th November, 2024. The campaign commenced with a national call to take a pledge against child marriage. It is a collaborative effort between the Ministry of Women and Child Development and various other Ministries/ Departments. To ensure a wide reach on spreading the call to action against child marriage, Child marriage Prohibition Officer from each district had attended the event. The event also witnessed the unveiling of the 'Child Marriage Free Bharat' portal, a dedicated online platform to support the campaign's mission of raising awareness against child marriage. The Portal provides for effective reporting mechanism for incidences of child marriage cases and a public repository of Child Marriage Prohibition Officers.



Hon'ble Minister (MWCD), Minister of State (MWCD) and Secretary (MWCD) taking pledge against child marriage during the launch of national campaign "Bal Vivah Mukht Bharat" on 27.11.2024.

2.10 Some of the sincere efforts of Ministry towards prevention of child marriage include communications with the State Governments requesting them to take special initiative to delay marriage by coordinated efforts on special festivals such as Akshya Tritiya/Akha Teej— the traditional day for such marriages. Platforms such as the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP), International Women's Day and the National Girl Child Day are used to create awareness and bring focus on issues related to women such as child marriage to the centre-stage.

C. Domestic Violence

2.11 The Ministry is working to ensure protection of women rights both within and outside the domestic sphere of home. With regard to violence occurring within the private space of home, the key legislation is the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005. The objective of the law is to prevent violence and provide immediate and emergency relief in case of such situations irrespective of the status of woman's relationship with the respondent. The Act recognizes women's right to live free from violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto.



Union Ministers Smt. Annpurna Devi, Shri Shivraj Singh Chouhan, Shri Kamlesh Paswan, and Dr. Chandra Shekhar Pemmasani on the launch of national campaign "#AbKoiBahanaNahi" in New Delhi on 25.11.2024

2.12 The national campaign "#AbKoiBahanaNahi" was launched in New Delhi on 25th November, 2024, a joint initiative by the Ministries of Women and Child Development and Rural Development. Union Ministers Smt. Annpurna Devi, Shri Shivraj Singh Chouhan, Shri Kamlesh Paswan, and Dr. Chandra Shekhar Pemmasani attended the event. Minister Smt. Annpurna Devi highlighted that the campaign aims to advance the rights of women and marginalized genders, encouraging them to overcome fear and societal barriers, report atrocities, and reclaim their dignity. Further, Ministry has requested all State Governments/ UTs to appoint sufficient number of Protection Officers, providing support to survivors, training and capacity building of Police, Judiciary, Medical Officers, service providers and to create mass awareness around the Act. In addition, the State Governments have

also been requested to provide Form IV under PWDV Rules in local languages that provide information on the rights of aggrieved persons in a simplified manner.

D. Dowry Prohibition

2.13 Recognising the need to address the social evil of dowry, the Dowry Prohibition Act was enacted in 1961. By encouraging effective implementation of this Act, Ministry is working hard to bring an end to the practice of dowry. The Act defines dowry and penalises the giving, taking or abetting the giving and taking of dowry. It also lays down a built-in implementation mechanism in the form of Dowry Prohibition Officers to ensure effective enforcement of the law. Multi-sectoral advocacy has been carried out to positively influence the mindsets of people and discourage them from giving and taking dowry.

E. Indecent Representation of Women

2.14 The Indecent Representation of Women Act, 1986 was enacted with the specific objective of prohibiting the indecent representation of women through advertisements, publications, writings, paintings, figures or in any other manner. As per the Act, “indecent representation of women” means the depiction in any manner of the figure of a woman; her form or body or any part thereof in such way as to have the effect of being indecent, or derogatory to, or denigrating women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals. It also prohibits selling, distribution, circulation of any books, pamphlets, and such other material containing indecent representation of women.

F. Prevention of commission of Sati

2.15 **The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987** was enacted on 3rd January, 1988. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 provides for the prevention of the commission of Sati and its glorification. Under this Act, attempt to commit Sati, abatement of commission of Sati and glorification of Sati are punishable offences.

G. Immoral Traffic prevention

2.16 **The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (ITPA)** is the Central legislation dealing with the issue of prostitution in India. The Act defines prostitution as commercial sexual exploitation and penalizes those who facilitate and abet commercial sexual exploitation, including clients and those who live off the earnings of prostitutes. It also provides for

welfare measures towards rehabilitation of victims in the form of protective homes to be set up and managed by state governments.

III. SCHEMES FOR WOMEN

2.17 The Ministry has formulated ‘Mission Shakti’, an Integrated Women Empowerment Programme, as Umbrella Scheme for the Safety, Security and Empowerment of Women for implementation during the 15th Finance Commission period from 2021-22 to 2025-26. It aims at strengthening interventions for safety, security and empowerment of women in a mission mode through institutional and convergence mechanism. Mission Shakti seeks to realise the Government’s vision for ‘women-led development’ by addressing issues affecting women across the life-cycle continuum, while making them equal partners in nation-building through convergence across Ministries/ Departments and different levels of governance, greater participation and support of Panchayati Raj Institutions and other local selfgovernance bodies and Jan Sahabhagita, while also strengthening digital infrastructure for last mile tracking of service delivery.

2.18 The components of Mission Shakti have been designed in such a way that it takes care of the women’s need on a continuous basis throughout her life. Mission Shakti has two sub-schemes ‘Sambal’ and ‘Samarthya’. While the sub-scheme “Sambal” is for safety and security of women, the sub-scheme “Samarthya” is for empowerment of women. The component-wise details are as under:

A. Sambal – for safety and security of women

- i. **One Stop Centres (OSCs)**, provide integrated services like legal counselling and help, psycho-social counselling and support, providing information about help and facilities available for women etc., under one roof.
- ii. **Women Helpline (181-WHL)**, an emergency/non-emergency response system on a toll-free telephonic short code 181 that is being integrated with ERSS (112) and other existing helplines/institutions
- iii. **Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)**, is the main initiative for behavioural and mindset change. It has been expanded to cover all districts of the nation.
- iv. **Nari Adalat**, a sub-component for providing women with an alternate grievance redressal mechanism for resolving cases of petty nature such as harassment, subversion, curtailment of rights or entitlements etc.

B. Samarthya – for empowerment of women

- i. **Shakti Sadans**, are integrated relief and rehabilitation homes for women victims of trafficking and destitute women.
- ii. **Sakhi Niwas**, provide safe and secure place for stay for working

women in the cities and the areas having job potential.

- iii. **Palna– Creche** - provide safe and secure place for children of working women so as to act as a catalyst for enhancing female labour force participation.
- iv. **Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)**, compensates for loss of wages due to pregnancy and childbirth and promotes health seeking behaviour. Earlier scheme used to cover only one child, now benefit will be given for second child also if it is a girl child.

2.19 The SANKALP (Supportive Action for Nurturing and Knowledge-Based Advancement, Last-Mile Delivery and Potential Realization of Women): HEW (Hub for Empowerment of Women), under the Samarthya sub-scheme of Mission Shakti, functions as a single window inter-sectoral convergence mechanism provided for all women to avail the benefits of Central and State Government schemes and policies and will function as the Project Management Unit (PMU) for implementation of all schemes of Mission Shakti. The goal of SANKALP: HEW is to enable women to reach their full potential through assisting, directing, and connecting them to a variety of resources for empowerment and development. All women beneficiaries of the SANKALP:HEW are providing awareness on key topics related to safety and security, financial inclusion, legal awareness on women-centric laws and legislations, entrepreneurship, quality health care and education as well as digital literacy.

2.20 The SANKALP: HEW operates in 3 tiers in coordination with one another: **National, State and District level**, comprising a team of specialists which include Mission Coordinator, gender specialist, research and training specialist, financial inclusion specialist, IT specialists, besides administrative staff. There

is provision to recruit up to 8 staff members each, at the State and District SANKALP centres. The staff are provided with capacity building training at regular intervals to ensure that they are capacitated to discharge their duties effectively.



Visit of Hon'ble Minister (MWCD) along with Hon'ble MoS (MWCD) visit to SANKALP Hub for Empowerment of Women in Delhi on 13.06.2024.

2.21 Hon'ble Minister Smt. Annpurna Devi along with Hon'ble MoS Smt. Savitri Thakur visited One Stop Centre, SANKALP Hub for Empowerment of Women, Children Welfare Home for Girls and other such institutions for welfare of women and children in Delhi on 13th June, 2024. During her visit, she inspected these institutions and encouraged them to work harder for betterment of Women & Children. The SANKALP centres also engage in

widespread outreach and awareness through organising awareness activities, camps, and campaigns, in convergence with Beti Bachao Beti Padhao (BBBP). These centres have been provided with facility of vehicle as well as additional financial allocation for conducting awareness campaigns on women-centric issues to ensure wider outreach of women-centric activities. SANKALP: HEW is functional in 742 districts across 35 State/UTs.



Hon'ble MoS (MWCD) during National Workshop on SANKALP: Hub for Empowerment of Women for the launch of 100-Day Special Awareness Campaign on 21.06.2024.

Sambal – for safety and security of women

i. One Stop Center

2.22 The One Stop Center (OSC) Scheme is being implemented across the country since 1 April, 2015 to facilitate access to an integrated range of services including police, medical, legal, psychological support and temporary shelter, for women affected by violence. The scheme is funded through Nirbhaya Fund.

2.23 A total of 888 OSCs have been approved in 785 districts across the country. 802 OSCs are operational in 36 States and UTs. These centres have assisted over 1.71 lakh women in the FY 2024-25. OSCs are also being integrated with women helpline 181 and other existing services to provide best possible access and support to women.

ii. Women Helpline (WHL)

2.24 The scheme of Women Helpline (WHL)

is being implemented since 1 April, 2015 and is intended to provide 24 hours emergency and non-emergency response to women affected by violence through referral services (linking with appropriate authorities such as police, One Stop Centres, hospitals, etc.) and by providing information about women welfare schemes/ programmes across the country through a single uniform telephone number (181). Women Helplines have been operationalized in 35 States/UTs. They have received 57,29,106 calls in the FY 2024-25. The scheme is funded through Nirbhaya Fund. The Ministry is committed for integration of WHLs with other helplines such as Emergency Response Support System (ERSS-112) etc. The Ministry launched a Standard Operating Procedure booklet on 6th September, 2023 outlining the modalities of Women Helpline enabling the field functionaries to discharge their duties impactfully.

iii. **Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)**

2.25 BBBP is a mindset change program helping in generating awareness for valuing the girl child through multi-sectoral interventions and encouraging greater spend on activities that have on-ground impact. The scheme, which was earlier operational in 405 districts, has now been expanded to cover all the districts of the country through multi-sectoral interventions.

2.26 BBBP scheme has been approved as a component under Sambal sub scheme of Mission Shakti for continuation in the 15th Finance commission period. Now, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Minority Affairs have also been added as partners with a view to promoting skilling among girls through awareness programme.

2.27 Keeping in mind the differential Sex Ratio at Birth (SRB) status of districts as in 2020-21 (as per Health Management Information System (HMIS) data of Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), three brackets for release of funds under BBBP component have been prescribed. The districts with SRB less than or equal to 918 are being provided assistance of Rs. 40 Lakh per year, districts having SRB from 919 to 952 are being provided assistance of Rs. 30 lakh per year and districts having SRB more than 952 are being provided assistance of Rs. 20 lakh per year.

2.28 The scheme is 100% funded by the Central Government and the funds are routed through States to Districts for multi-sectoral interventions. In this regard, an operational manual has been developed for ease of implementation of the scheme at the District level.

The operational manual of BBBP is available on the website of the Ministry (<https://wcd.nic.in/sites/default/files/Beti%20Bachao-Beti%20Padao-English.pdf>). A detailed and well-rounded suggested activity calendar for the districts has been developed to ensure year round engagement of girls, their families and communities.

- a) **Objectives** - The objectives of the Scheme are to prevent gender-biased sex selective elimination; to ensure survival, protection, education and development of the girl child.
- b) **Target Groups** - BBBP focus on the following groups:

Primary	• Young and newly married couples and expecting parents • Adolescents(girls and boys) and youth • Households and communities
Secondary	• Schools and AWCs • Medical doctors/ practitioners, private hospitals, nursing homes, diagnostic centres etc. • Officials, Panchayati Raj Institutions (PRIs) / Urban Local Bodies (ULBs), frontline workers • Women Collectives and Self-Help Groups (SHGs), civil society organizations, media, industry, religious leaders etc.

- c) **Scheme Components – Multi-Sectoral intervention in all districts of the country:** The component encourages greater spend on activities that have on ground impact, e.g., promoting

sports among girls, self-defense camps, construction of girls toilets, making available sanitary napkin vending machines and sanitary pads especially in educational institutions, awareness about PC-PNDT Act etc. Funds are routed through State Government for implementation of Multi Sectoral Intervention at district level.

- d) Coverage of Scheme** - In the 15th Finance Commission Period, BBBP has been expanded to cover all the districts of the country through Multi Sectoral Interventions. Earlier, BBBP scheme was launched in phased manner. The phases of expansion of BBBP Scheme are as under:

2014-15	2015-16	2018-19	2018-19 to 2021-22
BBBP launched on 22 nd .01.2015 in 100 districts covering all States/UTs in Phase-I	Expanded to 61 districts from 11 States in Phase- II	All India expansion Multi sectoral intervention 244 Media, Advocacy and Outreach- 640	640 districts (as per Census 2011)

- e) Monitoring Mechanism** - BBBP being a component of Mission Shakti, is being monitored at all levels of implementation i.e. at National, State and District levels.

- f) Fund Status** - Details of Funds under BBBP Scheme since inception

(Rs. In Crore)

S. No.	Financial Year	Revised Estimates (R.E)	Total Expenditure by Ministry
1	2014-15	50	34.84
2	2015-16	75	59.37
3	2016-17	43	28.66
4	2017-18	200	169.10
5	2018-19	280	244.73
6	2019-20	200	85.78
7	2020-21	100	60.57
8	2021-22	100	58.80
9	2022-23	108	91.98
10	2023-24	90.5	88.63
11	2024-25*	222	29.38

*As on 31.12.2024

- g) Achievements** - Scheme has stirred up collective consciousness towards changing the mindset of the public to acknowledge the rights of the girl child. The scheme has resulted in increased awareness and sensitization of the masses. It has raised concerns around the issue of declining CSR in India. As a result of collective consciousness of the people supporting the campaign BBBP has found its place in public discourse. The improvement on various indicators has been as follows:
- Sex Ratio at Birth at National level increased from 918 (2014-15)

to 930 (2023- 24). (Source: HMIS data, Ministry of Health & Family Welfare (2014-15 & 2023-24).

- ii. Gross Enrolment Ratio (GER): Enrollment of Girls in secondary education increased from 75.51% in 2014-15 to 78% in 2023-24. (Source: U-DISE plus, Ministry of Education).

h) Programmes Organized

i) Celebration of National Girl Child Day (NGCD)

The Ministry of Women and Child Development,

Government of India, celebrated National Girl Child Day on 24th January, 2024 at the National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD). The event commenced with painting competition on the theme “Mere Viksit Bharat Ka Sapna” involving children from Child Care Institutions (CCIs) in Delhi. The celebration also included a tree plantation campaign. To enhance the vibrancy of the event, children from CCIs showcased their talents in a cultural program. Notably, children from Shishu Mandir, Bangalore, presented a remarkable unicycle performance, which was recognized both nationally and internationally.



National Girl Child Day, 2024 Celebration at New Delhi

a) Besides the National event, the National Girl Child Day was also celebrated across the country with a 5 days' special campaign involving activities denoting the importance of girl child. The campaign incorporates novel ideas such as affixing "Beti Bachao Beti Padhao" stickers with messages on every visited house/ public building/ Panchayat office during door-to-door programs. Community sensitization programs such as workshops on menstrual hygiene were held with the distribution of hygiene kits. Plantation drives were mandatory activity in the name of girl child. Acknowledging and celebrating local champions at the district in the fields of education, sports, social welfare, and community mobilization were also made part of this campaign.

ii) **Nationwide celebration of International Literacy Day 2024**

Ministry of Women and Child Development, commemorated International Literacy Day on 08th September, 2024. The theme for this year was "Promoting Multilingual Education: Literacy for Mutual Understanding and Peace."

A two-day program focused on promoting the education of the Girl Child was organized nationwide. The event highlighted the vital importance of educating the Girl Child as a key factor in fostering a literate, peaceful, and inclusive society. Various States and UTs successfully conducted programs aimed

at raising awareness about the significance of girls' education, engaging communities, and encouraging collective efforts toward achieving gender equality in education.

iii) **Nationwide celebration of International Day for Girl Child**

Ministry of Women and Child Development, Government of India, celebrated International Day for girl Child by organising a 10 Day special program from **2nd October to 11th October, 2024** at different level under the banner of Beti Bachao Beti Padhao.

To celebrate this important day, various events, workshops, and awareness campaigns were organised. Communities and all other stakeholders are being engaged in discussions about girls' rights, enhancing understanding of the challenges they face, and promoting initiatives that support their education and empowerment.

Throughout the country, International Day of the Girl Child is celebrated at various levels. In this special program States/UTs have organised various activities that includes:

- **Plantation Drives** dedicated to the girl child.
- **Felicitation of meritorious school-going girls.**
- **Selfies with daughters** to celebrate our pride in them.
- **Kanya Pujan** to honour girls.
- **Health camps** to address their well-being.

- **Seminars and awareness rallies** to spread knowledge about girls' rights.
- **Rangoli competitions** showcasing creativity and culture.
- **Sports Events** to encourage their active participation in all spheres of life.



Plantation Drive at Anganwadi Centres in Bihar and Kanya puja in Madhya Pradesh

In addition, during **Navratri**, for Garba in few district Dandiya is painted with the **Beti Bachao Beti Padhao** logo to reinforce the message.

In Chhattisgarh, a **Maa Durga Pandal** has been beautifully created with the theme of **Beti Bachao Beti Padhao**, symbolizing nation's commitment to empowering the girl child. In the state of Uttar Pradesh, District Administration has appointed **girls as collectors and Superintendents of Police** for one day in various districts, showcasing their capabilities and leadership.

iv) **10th year celebration of Beti Bachao Beti Padhao on 22nd January, 2025**

The Ministry of Women and Child Development is celebrating the 10th anniversary of the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme, marking a decade of dedicated efforts to protect, educate, and empower the girl child in India. The 10th-anniversary celebrations will span at National, State and District level from 22nd January, 2025 to 08th March, 2025, culminating on International Women's Day.

There will be two national events. All States/ Districts to participate in all the national events and organise similar events at State/ UT and District level. A weekly celebration programme has been planned at the district level.



10th year celebration of Beti Bachao Beti Padhao was held on 22.01.2025, New Delhi.

2.29 The Districts, throughout the year laid emphasis on awareness and launched focused campaigns for changing mindsets. The districts have introduced interventions mainly towards engaging communities, improvement in sex ratio at birth, birth registration, encouraging celebration of girl child, challenging son centric rituals and

reversing the social norms, re-enrollment drives for getting girls back to schools and other initiatives for valuing of girl child. The good initiatives of the districts have been documented by the Ministry on various occasions. The documents published by Ministry are available on Ministry's Website: www.wcd.nic.in.



10th year celebration of Beti Bachao Beti Padhao was held on 22.01.2025, New Delhi.

2.31 Nari Adalat initiative is being run in 50 Gram Panchayats each in the State of Assam and UT of Jammu & Kashmir. It is also being piloted in 10 Gram Panchayats each in the state of Bihar and Karnataka.

2.32 Its main functions include raising awareness about the legal rights and entitlements of women and resolving cases falling within its jurisdiction. The services provided by Nari Adalat include alternate dispute resolution and grievance redressal, counseling, evidence-based decision-making, pressure group tactics, negotiation, mediation, and reconciliation with mutual consent for accessible and affordable justice. Nari Adalat will not only address individual cases but also raise awareness about social schemes under the Ministry of Women and Child Development (MWCD) while collecting valuable feedback to enhance the effectiveness of these initiatives.

2.33 The anticipated outcomes of Nari Adalat include increased awareness about rights and government schemes, reduction in domestic violence cases, the empowerment of women as pressure groups, countering the patriarchal system, increased reporting of Gender-Based Violence (GBV), qualitative results such as enhanced self-confidence and self-esteem, reduced burden on the police and formal judiciary system, and improved access to resources such as maintenance and property rights for women.

2.34 Under the scheme, Nari Adalat caters to all women and girls who require assistance or have grievances within the local community.

2.35 In accordance with the cost norms and the proposals received from the selected States/UTs, a total of Rs. 42.40 lakh has been released for FY 2023-24: Rs. 21.60 lakh for J&K and Rs. 20.80 lakh for Assam. For FY 2024-2025 till 31st December, 2024, a budget of Rs. 2 crores have been allocated. The Ministry has released a total of Rs. 9 lakhs to the States/UTs for FY 2024-2025.

Progress:

- Till 31st December, 2024, in both the state of Assam and UT of Jammu & Kashmir the pilot State/UT a total of 780 Nyaya Sakhis has been identified, 1062 meetings have been held, and 497 cases have been registered, of which 414 have been successfully resolved.
- A letter has been issued calling for proposals of 10 Gram Panchayats (GPs) from remaining States and 5 GPs from Union Territories for implementation of Nari Adalat scheme.

Samarthya – for empowerment of women

i. Shakti Sadan

2.36 Under the overarching Mission Shakti, Swadhar Greh for Women in difficult circumstances and Ujjawala for Prevention of Trafficking have been merged and known as Shakti Sadan which is an Integrated Relief and Rehabilitation Home for women in distress situations including trafficked women. The Scheme is a demand driven centrally sponsored scheme, under which funds are released directly to the States/UTs

for implementation of the scheme. It aims at creating a safe and enabling environment for the women in distress situations, to enable them to overcome the difficult circumstances. Under the Scheme, financial assistance is provided for running of Shakti Sadan in rented premises.

Salient features of Shakti Sadan Scheme:

- a) The resident of Shakti Sadan are provided with shelter, food, clothing, counselling, primary health facilities and other daily requirements. The residents also to be provided vocational training, facility for opening of bank accounts, social security benefits etc. in convergence with the relevant departments.
- b) The cost for running the homes namely administrative cost @ Rs.15,000/- per month, management cost @ Rs.12,84,000/- per annum, rent as per city category A, B & C is provided. There is a provision for repatriation, reintegration reward @ Rs.2,50,000/- per annum. Besides @ Rs.500/- per month per beneficiary in Jan Dhan Account is given which cannot be withdrawn by the account holders during their stay in the Home.
- c) The facilities of these Homes can also be availed by the children accompanying women, Unmarried girls up to any age and boys up to 12 years of age can stay in Shakti Sadans with their mothers, (Boys of more than 12 years of age need to be shifted to

the Children Homes run under The Juvenile Justice (care and protection of children) Act/ Mission Vatsalya).

- d) The Shakti Sadan to be linked with nearby Police stations so as to ensure safety, security and well-being of women. Annual Police verification should be done for the staff of these Homes.
- e) Homes could be set up for mentally challenged/DIVYANG women also in convergence with schemes of Department of Social and Justice and Department of Empowerment of Person with Disability.
- f) This is a centrally Sponsored Scheme with funding ratio of 60:40 between the Central and the State Governments and UTs with legislature except North East & Special Category States where funding ratio is 90:10. For UTs without legislature, 100 o/o funding to be provided by the central government.

2.37 As on 31st December, 2024, total 404 Shakti Sadan are functional across States/UTs in the country. State/UT wise details of functional Shakti Sadans and total capacity are at **Annexure-V**. During the Financial Year 2024-25 (up to 31st December, 2024), Rs.29.05 crore released to the States/UTs for the implementation of Shakti Sadan.

Home for Widows

2.38 The home for widows has been established in Vrindavan which is fully funded home by Government of India,

Ministry of Women and Child Development. It has capacity to accommodate 1000 widows which provides safe and secure place of stay, health services, nutritious food, legal and counselling services. The design of the Home is also old age friendly. The Home equipped with amenities for meeting requirements of senior citizens and persons with special challenges. This Home is the largest shelter home for widows in the country and was inaugurated on 31st August, 2018.

ii. **Sakhi Niwas (Working Women Hostel) Scheme**

2.39 The Sakhi Niwas Scheme (Working Women Hostel) under the overarching Mission Shakti, is a demand driven centrally sponsored scheme, under which funds are released directly to the States/UTs for implementation of the scheme. The scheme aims to promote availability of safe and conveniently located accommodation for working women in urban, semi-urban and even rural areas where employment opportunity for women exist.

2.40 Under the Scheme, financial assistance is provided for running of Sakhi Niwas in rented premises for working women who may be single, widow, divorced, separated, married but whose husband or immediate family does not reside in the same area and for those women who are under training for job. Provision of Day Care Centre for children of the residents of the Sakhi Niwas is an important aspect of the scheme. Working Women are entitled to hostel facilities

provided their gross income does not exceed ₹50,000/- per month in metropolitan cities, or ₹35,000/- per month in other places.

2.41 The Scheme is implemented with a funding ratio of 60:40 between the Centre and the State Governments and UTs with legislature except North East & Special Category States where ratio is 90:10. For UTs without Legislature, 100% funding is provided by the central government.

2.42 As on 31st December, 2024, 523 Sakhi Niwas are functional across States/UTs in the country. State/UTs wise details of functional Sakhi Niwas and total capacity are at **Annexure-VI**. During the Financial Year 2024-25 (up to 31st December, 2024), Rs.4.61 Cr. released to the States/UTs. Ministry of Finance (MoF), Department of Expenditure (DoE) in the month of August, 2024 under Part-X of **“Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI)”** Scheme 2024-25 allocated Rs.5,000 crore to the States (UTs not included) for construction of working women hostel. The objective of this Part of the said Scheme is to provide improved ecosystem for enhancing Female Labour Force Participation Rate (LFPR), and promote ease of living for women. As on 28th February, 2025, Ministry of Women and Child Development (MWCD) has received Detailed Project Reports (DPRs) of 28 States from DoE for comments/inputs. MWCD has sent comments/inputs for 22 States to DoE. Out of these 22 States, DoE has issued approval for 15 States and proposal of 7 States is under consideration of DoE. The DPR of remaining five States is under examination in MWCD in consultation with concerned States.

iii. Palna

2.43 The Government's sustained initiative on education and employment of women has resulted in increased opportunities for their employment, and more and more women are now in gainful employment, working within or outside their homes. The growing industrialization and urban development have led to increased migration into the cities. The past few decades have shown a rapid increase in nuclear families. Thus, the children of such working women, who were earlier getting support from families while they were at work, are now in need of day care services which provide quality care and protection for the children. Lack of proper day-care services is, often, a deterrent for women to go out and work. Hence, there is an urgent need for improved quality and reach of day care services/crèches for working women amongst all socioeconomic groups both in the organized and unorganized sectors.

2.44 Considering the difficulties faced by the working mothers in giving due child care and protection to their children, it has been decided to provide the day-care crèche facilities through the component of Palna. Crèche services formalise the child care facilities hitherto considered as part of domestic work. Formalization of care work supports "decent work campaign" to achieve the Sustainable Development Goal 8 – Decent work and economic growth. Government of India has decided to establish 17000 Anganwadi cum Crèches by 15th Finance Commission that is, up to FY 2025-26.

2.45 Anganwadi Centres are the world's largest childcare institutions dedicated to providing essential care and support to children ensuring delivery of care facilities till the last mile. In a first of its kind approach, Ministry has extended the services of childcare through Anganwadi cum Crèche. This will ensure whole day childcare support ensuring their well-being in a safe and secure environment. Anganwadi cum Crèche initiative aims to increase the women work force participation in the economy. The objective of *Palna* component is to provide quality crèche facility in safe and secure environment for children (from ages 6 months – 6 years), nutritional support, health and cognitive development of children, growth monitoring, immunization, education etc. Crèche facilities under *Palna* are to be provided to all mothers irrespective of their employment status.

2.46 *Palna* is a Centrally Sponsored Scheme ensuring the participation of State/ UT government to ensure better day-to-day monitoring and proper implementation of scheme, and is implemented with a funding ratio of 60:40 between Centre and State Governments and UTs with legislature except North East & Special Category States where ratio is 90:10. For UTs without legislature, 100% funding is provided by the central government.

2.47 The objectives of *Palna* are:

- a) Providing a safe & secure environment for nutritional, health and cognitive development of the children.

- b) Enabling more mothers to take up gainful employment.
- c) Monitoring compliance of the stipulations laid down in Section 11A of the Maternity Benefit Act regarding setting up of crèche facilities by the establishments.

2.48 Implementing Agencies: Implementation shall be carried out through the respective State/UT Governments. The State Government will run the crèches as per the operational guidelines issued by the Ministry. All the administrative, Vocational activities, training, media advocacy etc. expenses will be charged in HUB.

2.49 Target Groups and Beneficiaries: Crèche facility to be provided to all mothers, irrespective of their employment status. The scheme focuses on children of 6 months to 6 years.

2.50 Service Delivery Framework: The Anganwadi cum crèche (AWCC) scheme shall be implemented with the intra-ministerial convergence especially with ICDS and POSHAN. It complies with legislations under Labour Laws as well as Maternity Benefits Act.

2.51 Major initiatives/ activities under Palna during the year 2024-25 are as under:

- i. During the current financial year, Project Approval Board (PAB) considered the proposals received from various States/UTs for setting-up of AWCCs and approved the proposals for setting-up of 4978 and 786AWCCs.

As on date, a total of 11,395 AWCCs have been approved.

- ii. A meeting was convened on 05th June, 2024 under the chairpersonship of Secretary, Ministry of Women and Child Development (MWCD) with the line Ministries to increase women participation in work force.
- iii. A meeting with representatives from various UN bodies, industry associations, subject matter expert organizations, states and UTs was held on 06th June, 2024 under the Chairpersonship of Shri Anil Malik, Secretary, MWCD to discuss way forward for increasing participation of women in labour force with key focus on crèches.
- iv. A meeting was held under the chairpersonship of Shri Anil Malik, Secretary, MWCD on 04th November, 2024 regarding strategy to enhance the female labour force participation rate in the country with multilateral and international agencies and industry associations.

iv. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

2.52 Government of India has approved Pan-India implementation of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) effective from 01st January, 2017 and before PMMVY, there was no pan-India maternity benefit scheme of the Government. In the XVth Financial cycle, PMMVY was made a component of the Samarthya sub-scheme of Mission Shakti. The objectives of PMMVY are:

- a) Providing **partial compensation for the wage loss** in terms of cash incentives so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the child.
- b) The cash incentive provided would lead to **improved health seeking behavior** amongst the Pregnant Women and Lactating Mothers (PW&LM).
- c) To promote **positive behavioral change towards girl child** by providing additional cash incentive for the second child, if that is a girl child.

2.53 The Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) is a Centrally Sponsored Maternity Benefit Scheme under which cash incentives of ₹5,000/- in two installments is provided directly to the Aadhaar seeded

Bank/Post Office account of the beneficiary in Direct Benefit Transfer (DBT) mode for first child. A Cash incentive of ₹6,000/- in a single installment is also provided under PMMVY to eligible beneficiaries for second child, subject to the second child being a girl. However, for availing benefits for second child, registration during the pregnancy is mandatory. This would contribute to improve the Sex Ratio at Birth and to prevent female foeticide.

2.54 Benefits can be availed only on the basis of the Aadhaar Number of Beneficiary so as to avoid any duplication or malpractices. Cash incentives, in DBT mode, are provided in two instalments for first child and in one instalment for second girl child as per the schedule provided in table below:

Conditionality and Instalments		
First Child		
Instalment(s)	Conditions	Amount
First Instalment	On registration of pregnancy and at least one Ante-natal check-up within 6 months from Last Menstrual Period (LMP) date at the Anganwadi Centre (AWC)/ approved Health facilities may be identified by the respective administering State /UT	₹ 3,000/-
Second Instalment	Childbirth is registered Child has received all due vaccines till the age of fourteen weeks as admissible under the Universal Immunization Programme of Ministry of Health and Family Welfare.	₹ 2,000/-

Second Child (if it's a girl child)		
Single Instalment	On registration of pregnancy and at least one Ante-natal check-up within 6 months from LMP date at the Anganwadi Centre (AWC)/ approved Health facilities may be identified by the respective administering State /UT. The girl childbirth shall be registered under this scheme. The girl child has received all due vaccines till the age of fourteen weeks as admissible under the Universal Immunization Programme of Ministry of Health and Family Welfare.	₹ 6,000/-

2.55 The criteria for determining eligibility are as under:

- i. Women belonging to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs)
- ii. Women who are partially (40%) or fully disabled (Divjangjan)
- iii. Women holder of BPL ration Card
- iv. Women Beneficiaries under Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY) under Ayushman Bharat
- v. Women holding E-shram card
- vi. Women farmers who are beneficiaries under Kishan Samman Nidhi
- vii. Women holding MGNREGA Job Card
- viii. Women whose net family income is less than Rs. 8 Lakh per annum
- ix. Pregnant and Lactating AWWs/ AWHs/ ASHAs
- x. Women holding ration card under the National Food Security Act, 2013 (NFSA)

Further, any other category as may be prescribed by the Central Government will also be eligible.

2.56 All pregnant women and lactating mothers in regular employment with the central Government or State Government or public Sector Undertaking or those who are in receipt of similar benefits under any law for the time being in force shall not be entitled to benefits under PMMVY. The age of the eligible beneficiary under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) should be 18 years 7 months and up to 55 years of age.

2.57 An eligible beneficiary can apply, at any point of time but not later than 270 days of childbirth. Last Menstrual Period (LMP) registered in the Mother and Child Protection (MCP) card will be the date of pregnancy to be considered in this respect. In case of miscarriage/still birth, the beneficiary would be treated as fresh beneficiary in event of any future pregnancy.

2.58 The online registration would be done by the Anganwadi Worker/ASHA for the beneficiaries. In order to incentivise their efforts for online registration of PMMVY beneficiaries and with a view to ensuring uniform rates of honorarium across the country amongst the ASHA/Anganwadi Workers, the following rates of honorarium to AWW/ASHA has been decided upon:

Instalment No.	Class of workers entitled for honorarium for online application	Honorarium within 30 days of application due	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
First Child			
First	ASHA/AWW	₹ 150/-	After release of payment of concerned installment to the beneficiary.
Second	ASHA/AWW	₹ 100/-	
	Total	₹ 250/-	
Second Child (Girl)			
	ASHA/AWW	₹ 250/-	After the release of payment to the beneficiary.

In case of self-registration of beneficiaries, Rs. 150/- will be given to AWW/ASHA for field level verification of the beneficiary and final submission of the online forms. The payment of honorarium to AWW/ASHAs in such cases will be paid after release of both instalments in case of first child and in one instalment in case of second girl child to the beneficiary.

2.59 Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) has been designed as a Centrally Sponsored Scheme under which the grant-in-aid is being released to States/UTs on cost sharing ratio basis. The ratio between the Centre and the States & UTs with Legislature is 60:40, for North-Eastern States & Himalayan States and Himalayan UTs it is 90:10, and for Union Territories without Legislature, it is 100%. To ensure dedicated and timely availability of funds to the beneficiaries, without parking of funds at the State/UT level, the Scheme provides that States/UTs shall maintain a State/UT level Single Nodal Agency (SNA) Account for the Scheme. The Government of India and

State/UT transfer their corresponding share of fund to this account for further transfer to the beneficiary's account. During 2024-25, the budget allocation is ₹ 2067.87 Crore. State/UT-wise details of funds released under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) as on 31st December, 2024 are given in **Annexure -VII**.

2.60 The Common Application Software (PMMVY-CAS), Implementation Guidelines and its User Manual were launched by the Ministry on 01 September, 2017, to ensure transparent implementation and monitoring of the Scheme. In line with the Prime Minister's vision to promote 'Digital India,' a new PMMVY Portal (PMMVYsoft MIS) was launched in March 2023. The application process has been digitized with the introduction of a mobile app and a dedicated portal (PMMVYsoft MIS) making the process of application paperless. The URL is <https://pmmvy.wcd.gov.in>.

2.61 Online forms are simple and easy to understand, ensuring a consistent and straightforward process. The portal enables

first-time self-registration for citizens, facilitated by field functionaries like Anganwadi Workers and ASHA workers who can submit online applications for beneficiaries in their jurisdiction. The portal enables first-time self-registration for citizens, facilitated by field functionaries like Anganwadi Workers and ASHA workers who can submit online applications for beneficiaries in their jurisdiction. Mandatory provisions such as Aadhaar verification and Aadhaar-based payments are ensured for a smooth process. Beneficiary verification is conducted through the Aadhar Enabled Payment System (AEPS), and funds are directly transferred to their DBT-enabled accounts. Payments are credited transparently to Aadhaar-seeded bank or post office accounts, integrating with PFMS for efficiency. The inclusion of a mandatory mobile number allows for real-time updates on application status and fund disbursement. Pregnant beneficiaries can seamlessly migrate and continue receiving benefits at their new location through the portal. The system offers multiple support channels, including a complaint form, Helpline-14408, and SMS communication, are available.

2.62 The Ministry has been conducting regular video conferences and monitoring visits to States/UTs to review the status of implementation of the scheme. Various regional level workshops / training / orientation programmes were organized by the Ministry for stake holders/functionaries of PMMVY in FY 2024-25. Further, need-based capacity-building exercises were organized for

Supervisors, CDPOs, Sanctioning Officers and State Nodal Officers, etc. The trainings were imparted mostly through video conference as well as State visits.

2.63 **Capacity building exercises under PMMVY**

- **Resolving Technical Challenges/ Queries via Physical and Virtual Meeting:**
 - a. More than 100 virtual meetings with the states were undertaken and more than 20 physical meetings to States/UTs with the NIC team.
 - b. Discussing and addressing issues related to the PMMVYsoft MIS, such as mapping challenges, capacity building for field functionaries, clearing pending cases, and ensuring timely payment disbursement to eligible beneficiaries.
 - c. State-specific concerns were tackled, such as API integration in Tamil Nadu and changes in hierarchy mapping in Uttar Pradesh. The Face Authentication module was also discussed in collaboration with NIC.
- **Introducing New Features and Modules:**
 - a. Presenting the latest updates and features of the PMMVYsoft MIS to stakeholders, ensuring

they were well-informed about the new functionalities.

- **Addressing PFMS-Related Issues:**

- a. Engaging in discussions around issues concerning the Public Financial Management System (PFMS), focusing on topics like SNA-related processes, DBT-related challenges, and payment-related processes for beneficiary batches

- **Aadhaar Seeding for Beneficiaries:**

- a. Collaborating with India Post Payments Bank (IPPB) officials to ensure proper Aadhaar seeding of beneficiaries for accurate identification and the efficient delivery of benefits.

- **Support for Union Territories (UTs) without Legislature:**

- a. Providing guidance to Union Territories regarding the transition from Escrow accounts to State Nodal Agency (SNA) accounts, addressing their specific requirements.

- **Training for Uttar Pradesh (UP) Departments:**

- a. Conducting briefings and training sessions with departments such as the Department of Women and Child Development (WCD)

in Uttar Pradesh, following the transfer of responsibilities from the Department of Health and Family Welfare. This included organizing approximately 5 physical training sessions in UP.

- **PMMVY Scheme Performance Review:**

- a. Reviewing the overall performance of the PMMVY scheme, discussing the effectiveness of registration drives, and ensuring continuous improvement.

- **Introduction of New Functionalities:**

- a. Presenting new developments in the PMMVYsoft MIS, including Master Data Management and API integration, to stakeholders for better system utilization.

Details of capacity building exercises done under PMMVY are placed at **Annexure - VIII**.

2.64 Since the inception of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana till 31st December, 2024 more than 4.21 Cr. beneficiaries have been enrolled out of which more than 3.69 Cr. beneficiaries have been given the benefit (at least one instalment) with a total disbursement of more than ₹ 16,418.12/- Cr. Scheme is being implemented across the country through PMMVY soft MIS software and changes as per PMMVY 2.0 are incorporated in it.

IV. Nirbhaya Fund

2.65 The Government of India had set up a dedicated fund called Nirbhaya Fund for implementation of initiatives aimed at enhancing the safety and security for women in the country. It is a non-lapsable corpus fund, which lies with the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. An amount of Rs. 7712.85 Cr. has been provided under the Nirbhaya Fund up to FY 2024-25. Details of year-wise fund allocation provided by D/o Economic Affairs under the Nirbhaya Fund are as under:

FY	Allocation (Rs. in crore)
2013-14	1000.00
2014-15	1000.00
2015-16	-
2016-17	707.62
2017-18	550.00
2018-19	550.00
2019-20	550.00
2020-21	1355.23
2021-22	500.00
2022-23	500.00
2023-24	500.00
2024-25*	500.00
Total	7712.85

*till 31.12.2024

2.66 As per the guidelines issued by Ministry of Finance dated 25th March, 2015, Ministry of Women and Child Development is the nodal Ministry to appraise schemes under Nirbhaya Fund and also to review and monitor the progress of sanctioned schemes in conjunction with the line Ministries/ Departments. The financial approval and expenditure is then taken up directly by the concerned Ministries. An Empowered Committee of Officers has been constituted under the Chairpersonship of Secretary, WCD for appraising and approving various proposals to be funded from the Nirbhaya Fund and its reviewing and monitoring.

2.67 The composition of the Empowered Committee of Officers is as follows:

- i. Secretary, MWCD - Chairperson.
- ii. Secretaries of MHA, MoRTH, MeITY – Members.
- iii. Chairman, Railway Board – Member.
- iv. Joint Secretary, DEA – Member.
- v. Secretary of Project Sponsoring Department – Member.
- vi. Secretary of concerned State Government Department – Member.
- vii. Secretary, State Dept. of WCD – Member.
- viii. JS (Nirbhaya), MWCD – Convener.

2.68 A Framework of Nirbhaya Fund has also been put in place replacing the existing guidelines in January, 2017 to aid this process.

2.69 Formulation of proposals under Nirbhaya Fund and the stages of approval are as below:

- a) **Central Government Ministries/ Departments** may formulate project proposals concerning women's safety.
- b) **State Government** may formulate project proposals concerning women's safety with regard to their specific sector (for example - road transport, police, power etc.) and submit the same to the concerned central Government Ministry/Department with a copy to the Chairperson, Empowered Committee.
- c) **UT Administrations** may formulate project proposals and submit the same to the Ministry of Home Affairs with a copy to the Chairperson, Empowered Committee.
- d) After appraisal by the Empowered Committee, the concerned Ministries take up the allocation of funds with the Ministry of Finance.

2.70 The Ministry itself implements the schemes of One Stop Centre and Women Helpline under Nirbhaya Fund. Other Ministries and States/UTs also implements schemes under this fund.

V. International Cooperation

2.71 **Submission of India's Periodic Report on Beijing Declaration and Platform for Action:**

India submitted its report on the Implementation of Beijing Declaration and Platform for Action in context of the Thirtieth Anniversary of the Fourth World Conference on Women and the Adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action prepared by the Ministry, after extensive consultation with all relevant stakeholders and exhaustive research. The report captures over 200 initiatives of the Government of India relating to 12 critical areas of concern in the Platform for Action, covering 37 legislations, and over 170 schematic and policy interventions. The report is publicly available at the website of United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) and on the website of the Ministry.

2.72 **Asia Pacific Ministerial Conference on the Beijing+30 review:**

The Ministry participated in the Asia Pacific Ministerial Conference on the Beijing+30 review Conference from 19th November to 21st November, 2024 in Bangkok, Thailand, and organized a side event, titled "Advancing Women-Led Development" in collaboration with the Ministry of Rural Development and Ministry of Panchayati Raj with support from UN Women.

2.73 A delegation led by Secretary, WCD, participated in the **62nd Session of Commission**

for Social Development (CSocD), from 5th - 7th February, 2024 in New York, where India was the Chair.

2.74 The Ministry of Women and Child Development is the nodal Ministry for women empowerment and gender equality agenda within the G20. The Ministry participated in meetings of G20 Women Empowerment Working Group, which was created under India's G20 Presidency, and had its first technical meetings and Ministerial meeting under the Brazilian Presidency in 2024. The Ministry shared India's experiences and best practices on the priority areas set by the Brazilian Presidency – (a) Equality, autonomy and care policies, (b) Confronting misogyny and violence, and (c) climate justice. The delegation from the Ministry ensured that India's priorities get reflected in the outcome documents under the Brazilian Presidency.

2.75 A Ministerial Level delegation participated in the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland from 15th to 19th January, 2024.

2.76 The Ministry participated in the Asia Pacific Regional Consultation, prior to the 68th Session of Commission on the Status of Women (CSW) in Bangkok from 6th to 7th February, 2024.

2.77 Union Minister for WCD, Smt. Annpurna Devi met Ambassador of Norway,

H.E. May-Elin Stener, on 11th July, 2024 and discussed collaborative initiatives between the two countries for development of Women & Children.

2.78 The Ministry participated in the delegation of India led by the Ld. Attorney General of India to the 4th Periodic Review of India's National Report under International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), during the 141st Session of the Human Rights Committee from 13th to 16th July, 2024 in Geneva, Switzerland.

2.79 A German delegation led by Hon'ble Member of German Parliament, Ms Beate Walter-Rosenheimer called on Union Minister of State for WCD, Smt. Savitri Thakur on 04th September, 2024 to learn about India's policies for women and children and priorities of the current Government and potential for bilateral cooperation.

2.80 Hon'ble Minister of Women and Child Development, Smt. Annpurna Devi virtually addressed the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Forum on Women held from 10th to 12th September, 2024 in Qingdao, China.

2.81 The Ministry participated in the BRICS Ministerial Meeting on Women's Affairs on 20th September, 2024 in Saint Petersburg, Russia on the margins of the 4th Eurasian Women's Forum of Labour and Social Protection of the

Russian Federation, and shared India's views on the theme of "Women and Governance and Leadership."

2.82 The Ministry participated in the 44th Session of "Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses", held in Dresden, Germany from 2nd to 6th October, 2024.

2.83 The Ministry participated in the 8th Session of the Committee of Social Development from 8th to 10th October, 2024 at UNESCAP in Bangkok, Thailand.

2.84 A meeting between German MP Ms. Renata Alt and Hon'ble MoS, WCD was held on for 13 December, 2024.



Child Development

3

Child Development

3.1 Children are the future of our country. Well-being of children is essential for country's development as they constitute the future human resource of the country. A major part of India's population, around 16.45 crore, comprises children in the age of 0-6 years (2011 Census). The Ministry of Women and Child Development administers various schemes for the development, protection, and welfare of children. The details of the schemes and programmes undertaken for children are discussed in the succeeding paragraphs.

3.2 **Mission Poshan 2.0 (Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0)** was announced in the Budget 2021-2022 as an integrated nutrition support programme, to strengthen nutritional content, delivery, outreach and outcomes with focus on developing and promoting practices that nurture health, wellness and immunity. The Anganwadi Services, Scheme for Adolescent Girls and Poshan Abhiyaan have been reorganized under Mission Poshan 2.0 for maximizing nutritional outcomes. Mission Poshan 2.0 focuses on Maternal Nutrition, Infant and Young Child Feeding Norms, Treatment of MAM/SAM and Wellness through AYUSH practices to reduce wasting and under-weight prevalence besides stunting and anemia.

3.3 The programme makes interventions with the use of technology, behavioral change through convergence, converting the agenda of improving nutrition into a Jan Andolan, ensuring wide public participation and lays down specific targets to be achieved across different monitoring parameters.

3.4 The objectives of Mission Poshan 2.0 are as under:

- a) To contribute to human capital development of the country;
- b) Address challenges of malnutrition;
- c) Promote nutrition awareness and good eating habits for sustainable health and wellbeing; and
- d) Address nutrition related deficiencies through key strategies.

3.5 To address the various gaps and shortcomings in the on-going nutrition programme and to improve implementation as well as to accelerate improvement in nutrition and child development outcomes, the existing scheme components have been re-organized under Poshan 2.0. The primary verticals of Scheme are as under:

- a) Nutrition Support for Poshan through Supplementary Nutrition Programme (SNP) for children of the age group of

- 6 months to 6 years, Pregnant women and lactating mothers (PW&LM); and Adolescent Girls in the age group of 14 to 18 years in Aspirational Districts and North Eastern Region (NER);
- b) Early Childhood Care and Education [3-6 years] and early stimulation for (0-3) years;
- c) Anganwadi Infrastructure including modern, upgraded Saksham Anganwadis; and
- d) Poshan Abhiyaan.

I. ANGANWADI SERVICES

3.6 The Anganwadi Services is one of the flagship programmes of Government of India and represents one of the world's largest and unique programmes for early childhood care and development. It is the foremost symbol of country's commitment to its children and nursing mothers, as a response to the challenge of providing pre-school non-formal education on one hand and breaking the vicious cycle of malnutrition, morbidity, reduced learning capacity and mortality on the other. The beneficiaries under this scheme are children in the age of 6 months to 6 years, Pregnant Women and Lactating Mothers and Adolescent Girls in the age group of 14 to 18 years in Aspirational Districts of States and North Eastern Region.

A. Package of Service:

3.7 The package of following six services is provided under the Mission Poshan 2.0 scheme:

- i. Supplementary Nutrition (SNP),
- ii. Pre-school Non-formal Education,

- iii. Nutrition & Health Education,
- iv. Immunization,
- v. Health Check-up,
- vi. Referral Services.

Three of the six services, viz., Immunization, Health Check-up and Referral Services are related to health and are provided through NHM & Public Health Infrastructure.

B. Cost Sharing Ratio between Centre and States/UTs

3.8 For the Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 Scheme, Government of India releases grants-in-aid to the States/UTs presently on the following cost sharing ratio between Centre and States/ UTs:

	Anganwadi Services (General)	Salary	SNP
States/UTs with Legislature	60:40	NA*	50:50
NE/Himalayan States/UT of J&K	90:10	90:10	90:10
UT Without Legislature	100:0	NA	100:0

**The 'Salary Component' for States (Excepting NER and Himalayan States) has been discontinued from the Financial Year 2023-24.*

C. Coverage and expansion of the Anganwadi Services Scheme

3.9 The Scheme of Anganwadi Services was launched in 1975 with 33 Projects and 4891 Anganwadi Centres (AWCs) and was gradually expanded to 5652 Projects and 6 lakhs sanctioned AWCs in the country, by the end of IX Plan. The coverage of Anganwadi Services Scheme, till IX Plan, was not universal

as it covered only about 42% of the 14 lakh habitations. Presently, Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 operates through a network of 7075 fully operational Projects and 13.99 lakhs operational AWCs. The number of beneficiaries of Supplementary Nutrition Programme is 10.12 crores including children up to 6 years, pregnant women, lactating mothers and adolescent girls as on 31st December, 2024.

D. Revision of Cost norms for Supplementary nutrition

3.10 Supplementary Nutrition, one of the six components under Anganwadi Services, is provided to the beneficiaries of Anganwadi Services through the network of Anganwadi Centres located across the country to bridge the gap between the Recommended Dietary Allowance (RDA) and the Average Daily Intake (ADI). The Government has approved the revision of the cost norms for supplementary nutrition in October 2017 under the Anganwadi

Services as per the details given below:

S. No.	Categories	Existing rates (*)
1.	Children (6-72 months)	8.00
2.	Pregnant Women & Lactating Mothers	9.50
3.	Severely Malnourished Children (6-72 months)	12.00

*(in Rupees per day per beneficiary)

E. Coverage under ICDS (now subsumed as Saksham Anganwadi and Poshan 2.0) - trend since March 2017

3.11 There has been significant progress in the implementation of Anganwadi Services under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 in terms of increase in number of operational projects and Anganwadi Centres (AWCs). The year-wise trend in coverage of beneficiaries is indicated below:

Year ending	No. of operational		Number of Beneficiaries (In lakh)	
	Projects	AWCs	Supplementary nutrition program	Pre-School education
31.03.2017	7074	13,54,792	983.42	340.52
31.03.2018	7075	13,63,021	892.77	325.91
31.03.2019	7075	13,72,872	875.61	301.92
31.03.2020	7075	13,81,376	855.05	245.04
31.03.2021	7075	13,87,432	831.83	230.38
31.03.2022	7075	13,91,004	949.94	285.82
31.03.2023*	7075	13,97,143	977.50	430.74
31.03.2024*	7075	13,95,032	981.20	449.33
31.12.2024*	7075	13,99,890	1006.49	412.86

*Data as per Poshan Tracker

State-wise number of sanctioned/operational projects and AWCs and number of beneficiaries under both supplementary nutrition and pre-school education components is given at **Annexure-IX & Annexure-X**.

F. Supplementary Nutrition

3.12 Supplementary Nutrition provided to the Anganwadi Services beneficiaries at Anganwadi Centres varies from place to place depending upon the locally available foods and food preference/habits of the local population. Therefore, the selection of recipes for Supplementary Nutrition rests with the States/ UTs. Under SNP, food items like Khichdi/ Pongal/ Rajma Rice (Rice based) and Egg/ Chapathi/ Green gram whole, seasonal fruits, jaggery, panjiri and high protein biscuits are supplied to beneficiaries. The food is prepared in AWCs by the Anganwadi Helpers, in the centre itself. The details of funds released under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme for supplementary nutrition, SAG, Poshan, insurance, training, drinking water and toilet facilities, construction etc. is given at **Annexure-XI**.

3.13 **Budgetary Allocation:** The details of Budget Allocation and Expenditure for the year 2017-18 to 2024-25 in respect of Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 are as under:

Budget allocation and expenditure for the FY-2024-25 includes Anganwadi Services, Poshan and SAG.

G. Activities

3.14 Construction of AWC buildings are being provided in convergence with Ministry of Rural Development, Panchayati Raj and Women & Child Development under revised guidelines dated 17th February, 2016. In view of the shortage of AWC buildings, the scope of the joint guidelines was revised under MGNREGA in convergence with ICDS Scheme by the Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj and Ministry of WCD on 17th February, 2016 for construction of 4 lakh AWC buildings across the country.

3.15 In order to resolve the issue and speed up the pace of construction of AWCs, the cost sharing ratio has been restored to its original norm prevailing prior to November 2017 i.e., Gol contribution of Rs. 2 lakh per AWC on the extant cost sharing ratio (60:40 for States/ UT with Legislature; 90:10 for NE & Himalayan States; and 100:0 for UTs without Legislature). The Gol contribution would also be released upfront, instead of on reimbursement basis. As per the revised Scheme - "Saksham

(Rupees in Crores)

S. No.	Year	Budget Estimates	Revised Estimates	Expenditure	Percentage w.r.t. RE
1.	2017-18	15,245.19	15,245.19	15,155.34	99.41%
2.	2018-19	16,334.88	17,879.17	16,811.71	94.03%
3.	2019-20	19,834.37	17,704.50	16,891.99	95.41%
4.	2020-21	20,532.38	17,252.31	15,784.39	91.49%
5.	2021-22	20,105.00	19,999.55	18,208.85	90.56%
6.	2022-23	20,263.07	20,263.07	18,812.36	92.84%
7.	2023-24	20,554.31	22,023.08	21,809.63	99.03%
8.	2024-25*	21200.00	20070.90	15021.57	70.86%

*As on 31.12.2024

Anganwadi & Poshan 2.0”, Government intends to construct 50,000 AWCs buildings @ 10,000 AWCs per year in convergence with MGNREGS under Mission Poshan 2.0 during financial year 2022 to 2026. The cost of construction of AWCs under convergence with MGNREGS has also been revised to Rs, 12.00 lakh per AWC out of which Rs 8.00 lakh would be provided under MGNREGS, Rs. 2.00 lakh under 15th FC funds (any other untied funds) and Rs. 2.00 lakh by MWCD per AWC to be shared between Centre and States/UTs in the prescribed cost sharing ratio.

3.16 Further, Ministry has revised cost of construction of toilets under Swachhta Action Plan (SAP) to a cost of Rs. 36,000/- per AWC from the existing Rs 12,000/- per AWC. The cost of provision of drinking water facilities at AWCs has also been revised to Rs 17000/- from the existing Rs 10000/-

3.17 Ministry has issued direction to all States/UTs to examine the status of AWCs vis-a-vis the infrastructure available in the primary schools and take all necessary steps to relocate the AWCs accordingly. It should be ensured that the schools, in which AWCs are to be co-located, should be present in the same habitation where the AWC was previously present.

3.18 Under Saksham Anganwadi, across the country 2 lakh AWCs @ 40,000 AWCs per year would be strengthened and upgraded for improved nutrition and ECCE delivery. The important features of a Saksham Anganwadi Centre will comprise LED screen, water purifier/installation of RO machine, smart learning aids, audio-visual aids, child-friendly

learning equipments and art work, Rainwater Harvesting Structure and PoshanVatika.

H. Insurance cover under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP)

3.19. In view of the special circumstances prevailing in the country due to COVID-19 pandemic, Anganwadi Workers/ Helpers have been covered under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) Insurance Scheme for Health Care Workers fighting COVID-19 subject to the following conditions:

- a) They should have been deputed by the States/ Central hospitals/ autonomous hospitals of Central/ States/ UTs, AIIMS & INIs/ hospitals of Central Ministries for COVID-19 related responsibilities.
- b) They should have been working as frontline health workers, who may have to be in direct contact and care of COVID-19 patients and who may be at risk of being impacted by this.
- c) The loss of life is due to COVID-19 or death due to accident on account of COVID-19 related duty.

I. Honorarium of AWWs/AWHs

3.20 The AWWs and AWHs are paid fixed honorarium per month as decided by the Government from time to time. The Government has enhanced honorarium to AWWs from Rs.3,000/- to Rs.4,500/- per month, at mini-AWCs from Rs.2,250/- to Rs.3,500/- per month, to AWHs from Rs.1,500/- to Rs.2,250/- per month, effective from 1 October, 2018.

In addition to the honorarium to AWWs/ AWHs, Anganwadi Workers are also eligible for an incentive of Rs.500/- per month for feeding of beneficiary data, home visits and weighing and measuring on the Portal and Anganwadi Helpers (AWHs) would also be eligible for performance linked incentive of Rs.250/- per month for facilitating proper cleanliness and functioning of Anganwadi Centres.

Further, respective States/UTs are also giving monetary incentives to these workers out of their own resources for any additional duties assigned to them.

J. Construction of AWCs under Multi Sectoral Development Programme

3.21 States/UTs shall continue to tap funds for construction of AWC buildings from various schemes such as MPLADs, MLALADS, BRGF (Backward Regions Grant Fund), RIDF (Rural Infrastructure Development Fund), Finance Commission Grants to Panchayati Raj Institutions, National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), Multi-Sectoral Development Programme (MSDP) of Ministry of Minority Affairs, etc. States, at their level, in their own discretion, shall involve individuals, Companies, Business Houses and Institutions of repute, CSR funds for construction of AWCs purely on pro bono basis without any obligation. Similarly, the DMs shall encourage/ mobilize resources for this purely on pro bono basis and without any obligation.

K. Status of Infrastructure in AWCs (as per APIP proposals 2024-25)

Status of Infrastructure	Numbers in Lakh
AWCs in Pucca Buildings	13.92
AWCs with Drinking Water Supply	12.31
AWCs with Sanitation Facilities	11.58
Growth Monitoring Devices	13.85
Smartphones with States/UTs	12.56

L. Upgradation of Mini AWCs to Main AWCs

3.22 Earlier, there was a provision of setting up Mini Anganwadi Centre for which population norms were as follows:

Project	Population	No. of AWC
Rural/Urban Projects	400-800	1
	800-1600	2
	1600-2400	3
	Thereafter in multiples of 800	1
Tribal/Riverine/ Desert/Hilly and other difficult areas/Projects for PM-JANMAN	300-800	1
	Approx. 100	1

The Government has taken a decision to upgrade all Mini AWCs to full-fledged Anganwadi Centres with one worker and one helper to help in carrying out the various responsibilities under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 including responsibilities related to Early Childhood Care & Education.

Out of 1,16,852 sanctioned Mini-AWCs for 23 States/UTs, sanction for upgradation of 86,387 Mini-AWCs has been issued as on 31st December, 2024.

M. Upgradation of AWCs to Saksham Anganwadi

3.23 Under Saksham Anganwadi, across the country 2 lakh AWCs @ 40,000 AWCs per year would be strengthened and upgraded for improved nutrition and ECCE delivery. The important features of a Saksham Anganwadi Centre will comprise LED screen, water purifier/installation of RO machine, smart learning aids, audio-visual aids, child-friendly learning equipments and art work, Rainwater Harvesting Structure, and PoshanVatika. Selected AWCs would be strengthened and upgraded for improved nutrition delivery for stimulating the creative, social, emotional, cognitive and intellectual development of children under 6 years of age. As on 31st December, 2024, a total of 1,70,337 AWCs (41,192 for FY 2022-23, 50,916 for FY 2023-24 and 78,229 for FY 2024-25) have been sanctioned for upgradation to Saksham AWCs.

N. PM JANMAN

3.24 Hon'ble PM has launched PM- JANMAN (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan) on 15th November, 2023 through Ministry of Tribal Affairs. The Mission is aimed at targeted development of 75 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) residing in 18 States and a UT. This Mission focuses on 11 critical interventions related to 9 key Ministries including Ministry of Women and Child Development. As per Cabinet approval, a

total of 2500 Anganwadi Centres are proposed to be sanctioned and constructed at Rs 12 lakh per AWC in the three Financial Years i.e FY 2023-24, 2024-25 and 2025-26. Ministry has sanctioned 2139 AWCs for construction in PVTG habitations up to 31st December, 2024 and allocated funds to the tune of Rs. 254.28 crore for construction of those AWCs.

II. SCHEME FOR ADOLESCENT GIRLS

3.25 The Scheme for Adolescent Girls (SAG) has been revised and subsumed under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 w.e.f. 1st April, 2022. The targeted beneficiaries under this scheme are girls in the age group of 14 – 18 years in the Aspirational Districts and all North Eastern States. This scheme consists of two components, viz., nutrition and non-nutrition. Under nutrition component, supplementary nutrition containing 600 calories, 18–20 gms of protein and micronutrients is provided in the form of Take Home Ration (THR) for maximum of 300 days in a year. The non-nutrition component is based on convergence with different ministries wherein IFA supplementation, health checkup and referral services, nutrition & health education, skill training etc. is provided.

- **Cost for Nutrition:** The financial norm for nutrition component is Rs.9.50/- per beneficiary for 300 days in a year. This includes the cost of micronutrient fortification.
- **Funding pattern:** Government of India and States/UTs with legislature share the cost of supplementary nutrition in the ratio of 50:50. For North Eastern

States, Himachal Pradesh, Uttarakhand Jammu & Kashmir, the share of Centre and State is in the ratio of 90:10 and Union Territories (without Legislature) is funded 100 % from Central funds.

State-wise beneficiaries reported on Poshan Tracker under the Scheme for Adolescent Girls (SAG) upto 31st December, 2024 is placed at **Annexure XII**. State-wise allocation of food grains under SAG during 2024-25 till 31st December, 2024 is placed at **Annexure XIII**.

III Poshan Abhiyaan

3.26 Poshan Abhiyaan was launched by Hon'ble Prime Minister in 2018 to attain the goal of *Suposhit Bharat*. Major components of Poshan Abhiyaan and its achievements are as under:

A. Jan Andolans

3.27 Jan Andolan is one of the key components under Poshan Abhiyaan since its launch. Poshan Maah and Poshan Pakhwada are nation's one of the biggest nutrition-centric Jan Andolans are conducted annually in the month of September and designated weeks of March-April respectively to reach out to the masses to promote practices that nurture health, wellness and immunity. Over the years, various themes around overall nutrition, hygiene, water and sanitation, anemia prevention, importance of breast-feeding, growth monitoring, role of Poshan Panchayats, Ayush for Well-being, 'Yoga for Health', importance of Poshan Vatikas, *Poshan ke Paanch Sutra* etc. have been included in

the Jan Andolans. With the celebration of 7th Poshan Maah in September 2024, total 13 Jan Andolans have been celebrated so far, in which more than 100 crore sensitization activities have been collectively reported.

B. Poshan Pakhwada (March 2024)

3.28 The 6th Poshan Pakhwada was celebrated from 09th to 23rd March, 2024. The focus was around themes namely Poshan Bhi Padhai Bhi (PBPB), Tribal, Traditional, Regional & Local dietary practices, and Health of Pregnant Women & Infant and Young Child Feeding (IYCF) practices. More than 17 crore sensitization activities were reported by States/ UTs.

C. Poshan Maah (September 2024)

3.29 The 7th Rashtriya Poshan Maah was celebrated from 1st to 30th September, 2024. It was launched from Gujarat on 31 August, 2024 by Smt. Annpurna Devi, Cabinet Minister of WCD and Chief Minister of Gujarat. It focused on Anaemia, Growth Monitoring, Complementary Feeding, and Poshan Bhi Padhai Bhi, along with use Technology for better governance. The month-long campaign also emphasised on 'Environmental Sustainability' through the Ek Ped Maa Ke Naam initiative in which plantation was encouraged across all Anganwadi centres. More than 13 crore activities were reported by States/UTs. Poshan Maah was concluded with the Closing Ceremony held on 30th September, 2024 at Ranchi, Jharkhand in presence of Governor of Jharkhand and Hon'ble Minister (MWCD).



Poshan Maah Opening Ceremony in presence of Chief Minister of Gujarat and Hon'ble Minister (MWCD) on 31.08.2024 in Gujarat.

D. Launch of Special Initiatives

3.30 Collaboration with Ministry of Ayush:

Ministry of Women and Child Development and Ministry of Ayush entered into an MoU on 26th February, 2024 to implement a pilot project to control anemia among adolescent girls through evidence based Ayurvedic interventions involving Drakshavaleha and Punarnava Mandoor, in the five Aspirational districts under 'Mission Utkarsh'. Over 80,000 adolescent girls are expected to be benefitted through this initiative.

E. Poshan Utsav: Celebrating Nutrition

3.31 The Ministry of Women and Child Development organized the Poshan Utsav in New Delhi on 29th February, 2024 which was graced by the Union Minister for Women and Child Development and Mr. Bill Gates of Gates Foundation.

3.32 It aimed to promote good nutrition behavior and a healthy future for all women and children. It highlighted India's ongoing efforts to combat malnutrition. It featured the release of 'Poshan Utsav Book' curated by the Deendayal Research Institute (DRI). This book seeks to revive ancient nutrition traditions, facilitating knowledge exchange and intergenerational learning. It also aims to serve as a comprehensive repository for appreciation of the rich culinary heritage and nutritional diversity of the country. To promote this knowledge, the book was distributed to Chief Ministers, WCD Ministers of States/UTs, partner ministries, libraries of leading universities, colleges, Kendriya Vidyalays across country and to Ministry of External Affairs for distribution to overseas embassies.

F. Poshan Tracker

3.33 The 'Poshan Tracker' application was rolled out on 1st March, 2021 as an important IT governance tool, which facilitates monitoring and tracking of infrastructure and service delivery at Anganwadi Centres (AWCs) and beneficiaries on defined indicators. Monthly dashboards (<https://www.poshantracker.in/>) and factsheets are provided at various levels, from Central level to Project level for timely course corrections and focused interventions.

3.34 Poshan Tracker is available in 24 languages including Hindi and English. Anganwadi workers are mandated to measure height and weight of all children (0-6 years) once a month. On the basis of height and weight data entered by Anganwadi workers, the Poshan Tracker is being leveraged for regular identification of stunting, wasting, under-weight prevalence among children as per WHO standards.

3.35 Mission Poshan 2.0 has provided smartphones to Anganwadi workers, Supervisors and Block Coordinators to be

procured by States/UTs. In the guidelines issued on 28th March, 2023, States/ UTs have been advised to procure 'high-quality devices/ smartphones' with 4G/5G support. The AWWs, Supervisors and Block Coordinators are also provided Rs. 2000 per annum for internet connectivity.

3.36 Poshan Tracker Application is being used to report data on various nutrition indicators such as registration of beneficiaries, delivery of Take Home Ration and Hot Cooked Meal, updating growth (height and weight) of children, and monitoring nutritional indicators (such as stunting, wasting and underweight) of children.

G. Achievement and key updates in Poshan Tracker

3.37 The Ministry of Women and Child Development won the National Award for e-Governance (Gold) for its Poshan Tracker initiative on 03rd September, 2024 in Mumbai in the 27th National Conference on e-Governance.



National Award for e-Governance (Gold) during 27th National Conference on e-Governance in Mumbai on 03.09.2024.

H. Aadhaar Verified Beneficiaries

3.38 Beneficiaries are being Aadhaar seeded to ensure last mile tracking and delivery of services. As of 31st December, 2024, 98.77% of beneficiaries registered on the Poshan Tracker have been successfully Aadhaar seeded.

I. Migration facility for Beneficiary

3.39 Migration facility for pregnant women and lactating mothers from one AWC to another within and outside a State has been facilitated under the Poshan Tracker. Total 5,22,343 beneficiaries including Pregnant Women, Lactating Mother and Children up to 6 years of age have availed of this facility from the period January 2024 till December 2024.

J. Beneficiary Redressal Mechanism

3.40 Beneficiary Redressal Mechanism is an integral part of Poshan 2.0. Poshan Tracker has a web based facility to raise a concern. Poshan Helpline (14408) operationalised in November 2022 has been made available for registering concerns. Through the help line a beneficiary can raise a concern about the services offered under Mission Poshan 2.0. The helpline is available in 20 languages. The existing Poshan helpline is being strengthened. Further, a Web and App based 'Grievance Redressal Cell' has been established for effective service delivery and beneficiary feedback.

K. Launch of Face authentication module

3.41 To ensure last mile tracking, two-

factor authentication mechanism has been developed for distribution of Take-Home ration in the Tracker. The Two-factor authentication system using face authentication and OTP involves photo capturing of the beneficiaries during registration and subsequently capturing and matching of photos during THR distribution. Also, receipt of unique OTP by beneficiaries on their registered mobile numbers to be provided to Anganwadi workers to complete the transaction.

I. CMAM Module

3.42 The CMAM module (Community-based Management of Acute Malnutrition) has been incorporated in the Application for identification and management of severely acute malnourished (SAM) or severely underweight (SUW) children (aged 6 months to 6 years). It includes screening process, appetite test and referral to Nutrition Rehabilitation Centers (NRC) or nearest hospital facilities for further care.

L. ECCE Learning Module

3.43 Aadharshila "ECCE-Learning" module has been incorporated in Poshan Tracker Application. It provides daily learning prompts in the form of videos and voice notes for all Anganwadi Workers (AWWs). The module covers a 44-week period, as per the Aadharshila curriculum to include 36 weeks of active learning and 8 weeks of recap and reinforcement.

M. Beneficiary registration module

3.44 Interface for self- registration by

beneficiary has been introduced in the Application which has a feature for Self / Beneficiary registration by selecting the Anganwadi centre. Moreover, existing beneficiaries can also view the nutritional status and delivery of THR etc. of all beneficiaries registered on their mobile number.

N. Launch of Suposhit Gram Panchayat Abhiyaan

3.45 The Suposhit Gram Panchayat Abhiyaan was launched on 26th December, 2024 by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi at Bharat Mandapam, New Delhi. It aims

at improving the nutritional outcomes and well-being of targeted population across the country. This Abhiyaan focuses on improving nutrition by strengthening implementation of nutrition related services, in convergence with multiple stakeholders at the local level and ensuring active community participation. The top 1000 Gram Panchayats will be awarded an incentive of Rs 1 lakh. These incentives will be utilized to motivate the Anganwadi workers & helpers to help improve service delivery, to improve community mobilization, infrastructure & increase enrollment at Anganwadi centers.



Launch of Suposhit Gram Panchayat Abhiyaan on 26.12.2024 by Hon'ble Prime Minister

O. Category wise beneficiaries registered under Poshan tracker as on 31st December, 2024

Total Beneficiaries	Lactating Mothers	Pregnant Women	Children 0-6M	Children 6M-3Y	Children 3-6Y	Adolescent girls
10,12,82,551	56,42,336	49,84,399	46,61,479	3,84,75,607	4,51,10,656	24,08,074

P. Financials

Details of funds released to States/UTs under Poshan Abhiyaan during FY 2024-25 (till 31st December, 2024) are as under:

Rs. In Lakhs

Serial No.	State/UT	Funds released as on 31.12.2024
1	BIHAR	7665.76
2	CHANDIGARH	126.67
3	CHHATTISGARH	1524.35
4	JAMMU & KASHMIR	4142.13
5	KARNATAKA	5485.62
6	KERALA	4564.99
7	LADAKH	134.54
8	MADHYA PRADESH	2532.05
9	NAGALAND	195.46
10	ODISHA	7954.20
11	RAJASTHAN	5190.22
12	TAMIL NADU	2942.84
13	TRIPURA	437.76
	Total	42896.59

IV. Early Childhood Care and Education

3.46 As per Scheme guidelines of Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, Early Childhood Care and Education will cover provision for pre-school learning material for cognitive, emotional, social and intellectual development of the child; development

of muscular coordination and basic motor skills; aesthetic appreciation, independence and creativity; good healthy habits; Training and Skilling needs to make all pre-schoolers school ready and for seamless integration of children in the age group of 5-6 years in Grade-I. States shall make concerted efforts to enroll children aged 3-6 years at AWCs for the benefit of the ECCE programme.

3.47 Further, Ministry has launched 'Poshan Bhi, Padhai Bhi' (PBPB) initiatives on 10th May, 2023 for creation of State Level Master Trainers (Child Development Project Officers/ CDPOs, District Programme Offices/DPOs and Supervisors) who in turn would train & enhance the up skilling of Anganwadi Workers (AWs) in building their capacity to provide quality Early Childhood Care and Education with nutrition to the targeted beneficiaries. PBPB aligns with the recommendations of the National Education Policy (NEP) 2020 and the ECCE Task force established by the Ministry of WCD. Addressing the audience on its launch, Hon'ble Minister discussed the testing of Early Childhood Care and Education (ECCE) material and audio-visual resources, involving 1.5 million parents in over 10,000 communities via 1 lakh activities. She emphasized the importance of inclusive teaching and learning materials for differently abled children and utilizing locally available materials for creating environmental friendly indigenous toys.

3.48 Training under PBPB is being implemented through a two-tier model, whereby the National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) is training State Level Master Trainers (SLMTs)

(Supervisors, Child Development Project Officers (CDPOs) & District Programme Officers (DPOs) who are in turn training the Anganwadi Workers. Training is being organized in two phases during 2023-2026 in the entire country. The training, conducted by the NIPCCD, follows a Two-Tier Training Model, where State-Level Master Trainers (SLMTs) receive a two-day training (Tier 1), and AWWs undergo a three-day training (Tier 2). As on 30th January, 2025, a total of 31,114 State-Level Master Trainers has been trained across 35 states and 770 districts, while 1,42,869 Anganwadi Workers have been trained across 22 states and 306 districts.

3.49 PBPB is guided by: **Navchetana** – National Framework for Early Childhood Stimulation for children from birth to three and Aadharshila, the National Curriculum for Early Childhood Care and Education for children aged three to six years launched by MoWCD in 2024 which aligns with National Curriculum Framework for the Foundational Stage (NCF-FS), NIPUN Bharat, and Unmukh ensuring no redundancy in training efforts. This specialized training is based on play-based, joyful learning pedagogy, including special support for Divyang children equips AWWs with the necessary skills and knowledge to provide quality early childhood education, focusing on developmental milestones and holistic learning for young children.

3.50 Guidelines for organization of fixed monthly ECCE days and provisions for PSE kits and guidelines on ‘Do It Yourself (DIY)’ Kits for Toys – National Action Plan for Toys (NAPT) have been drafted and shared with the all States/UTs. As part of the important

component of Early Childhood Care and Education, MWCD has placed great deal of importance on development and use of indigenous toys for learning at AWCs. All 36 States/ UTs have been paired to facilitate exchange of indigenous toys/folklores as part of the vision for Ek Bharat Sreshth Bharat. Detailed guidelines have been drafted and shared with all States on creation of Do-It-Yourself (DIY) toy kits as part of Teaching Learning Material creation workshops.

3.51 Further, NIPCCD has collated and digitized a great deal of toy focused content, including a coffee table book on north eastern and Tribal toys through the Guwahati centre. Also Best Practices/Innovation in Poshan were collated and shared with all States/UTs during the National Conference on 30th to 31 August, 2021. Examples include “Suposhan Panchayat” and Model Organic Terrace Gardens in AWCs in Bihar; Integrated Management of Acute Malnutrition in Madhya Pradesh; Nutri-Gardens at AWCs and in backyards of households in Gujarat; Mobile Nutri-Gardens in Urban areas and distribution of mahualaddoos to PWLM in tribal areas in Telangana, mobile NRCs and Poshan Mulyankan Cards for MAM/SAM children in Chandigarh etc.

3.52 So far, NIPCCD had conducted eight regional workshops/consultations to develop and popularize indigenous toys and materials, involving ECCE experts and state officials for validation. Under the PBPB initiative, the Ministry increased the budget allocation for Preschool Education Kits (PSE) from ₹1,000 to ₹3,000 per AWC annually, effective from 29th November, 2023 to ensure the availability of

adequate Teaching-Learning Materials (TLM), which include both procured indigenous toys and DIY toys made from low-cost or no-cost materials. Also, the guidelines for the procurement of PSE Kits/TLM were shared with all States/UTs.

V. **Wheat Based Nutrition Programme (WBNP)**

3.53 Under the Wheat Based Nutrition Programme (WBNP), food grains, viz., wheat, rice and other coarse grains are allocated at subsidized rates under NFSA to the States/UTs through the Department of Food & Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution), for preparation of supplementary food under Anganwadi Services. The Ministry is responsible for processing and approval of the proposals from the States/UTs for allocation of food grains in coordination with the D/o F&PD.

3.54 As envisaged in the Hon'ble Prime Minister's Address on 75th Independence Day, fortified Rice has to be provided through every Government Scheme by the year 2024. Accordingly, this Ministry is allocating Fortified Rice to States/UTs across the country from the second quarter of current FY 2022-23 onwards. As on 13th January, 2025, Ministry of Women & Child Development has allocated 1083435.37 MTs of wheat, 1287297.95 MTs of fortified rice, 9512.39 MTs of Bajra and 5078.01 of Jowar to States/UTs under Wheat Based Nutrition Programme (WBNP) to 36 States UTs during F.Y. 2024-25.

3.55 Statement of food grains allocated under SAG and WBNP for the Year 2024-25 till 31st December, 2024 is placed at **Annexure-XIII** and **Annexure-XIV**.



Child Protection and Welfare

Child Protection and Welfare

4.1 The Constitution of India accords highest priority to safety and well-being of children. Children constitute about 39% of the total population of India as per Census, 2011. It has been widely accepted by policy makers of our country that investments made for the survival, education, protection and overall well-being of children helps in breaking the inter-generational cycle of poverty and ensuring inclusive growth of the country. In a vast country like India, children face multiple vulnerabilities in terms of accessing quality nutrition, healthcare, education and other services. Moreover, new challenges are emerging every day, such as online exploitation of children, climate change, natural and man-made disasters which add to vulnerability of children. The Ministry of Women and Child Development has taken some major initiatives to ensure safety and well-being of children.

I. Laws, Policies and Programmes for care and protection of children

A. National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)

4.2 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), a statutory body, was set up in March 2007 under the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005, an Act of Parliament (December, 2005). The Commission's mandate is to ensure

that all Laws, Policies, Programmes and Administrative Mechanisms are in consonance with the Child Rights perspective as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child (for more details on the NCPCR, please refer to Chapter-9 of the Report).

B. United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)

4.3 India acceded to the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in 1992. As a signatory to the Convention, India is required to submit periodic reports on the measures taken by the Government to give effect to its undertakings under the Convention, in accordance with Article 44 of the Convention. The reports are prepared in accordance with the Guidelines adopted by the UN Committee on the Rights of the Child. The Country Report is prepared by involving all sectoral Ministries, national level institutes and other civil society, as well as the community and children. Ministry also holds consultations with central ministries, national level institutions and other civil society-governmental and nongovernmental organisations for preparation of the report.

C. The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012

4.4 To deal with child abuse cases, the Parliament had passed a special law i.e. 'The

Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012'. The Act came into force on 14th November, 2012 along with the rules framed there under. The Act defines a child as any person below the age of 18 years. The act is gender neutral and provides protection to all the children from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography. Under its provisions, an offence is treated as 'aggravated' when committed by a person in a position of trust or authority over the child such as a member of security forces, public officer, public servant, etc. The Act mandates establishment of Special Courts for trial of offences under the Act, keeping the best interest of the child as of paramount importance at every stage of the judicial process. The Act incorporates child friendly procedures for reporting recording of evidence, investigation and trial of offences.

4.5 To facilitate reporting of offences/complaint, the POCSO e-Box was launched by the Hon'ble Minister for Women and Child Development, in New Delhi, on 26th August, 2016. POCSO e-Box is an online complaint management system for easy and direct reporting of sexual offences against children and timely action against the offenders under the POCSO Act, 2012.

4.6 Considering the growing rate of Crime against children, and incidences of new kind of sexual crimes against children, it became imperative to review and amend the provisions of the POCSO Act, 2012. Accordingly, the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019 was notified by this Ministry to be made effective from 16th August, 2019.

4.7 Under amended provisions in the Act, death penalty has been introduced as a

possible punishment in cases of aggravated penetrative sexual assault. Definition of child pornography and commensurate punishment has also been introduced. Provisions to protect the interest of vulnerable children in times of natural disasters and punishment for giving chemical substance for early sexual maturity of children for sexual crime against them have also been included.

D. POCSO Rules, 2020

4.8 The POCSO Rules were reviewed after the amendments in the POCSO Act, 2012. After careful consideration of all aspects and detailed deliberations, the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Rules, 2020 were approved and notified, replacing the POCSO Rules, 2012.

4.9 The Ministry has been coordinating with different Ministries and State Governments/UT Administrations for suitable action, which also aims at greater awareness, speedy justice and better services for child victims under POCSO. Letters were written to Chief Ministers, MPs and Chairpersons of local bodies at the level of the Minister and to Chief Secretaries of all States/UTs by Secretary, WCD for awareness generation on the POCSO Act and other compliances, as required.

4.10 The Ministry had also requested the Principal Secretaries/Secretaries of all States/UTs for appointment of support persons. As per POCSO Act, recruitment of support persons is the responsibility of the State. Further, the Ministry also requested the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education and Principal Secretaries of Department of School Education of all States/UTs to take necessary action for awareness and sensitisation in schools on issue of child

safety and prevention of child sexual abuse followed by subsequent reminders.

4.11 On the request of the Ministry of Women and Child Development, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, started showing 'Komal', a short film on child safety in every school. Under Samagra Shiksha, schools have initiated a safety pledge. Letters have been sent to all the schools to display the Childline Helpline number. NISHTHA, a teacher training programme that aims to train 42 lakhs teachers, Principals, Heads of elementary level Government Schools, faculty members of District Institute of Education and Training (DIET), State Council of Educational Research and Training (SCERTs), Block Resource Coordinators (BRCs) and Cluster Resource Coordinators (CRCs) by the next financial year, is in process. NCERT has published the Childline number 1098 and reference to POCSO e-box in every textbook. The Ministry of Education has also directed all the Kendriya Vidyalayas across the country to display awareness content on POCSO on their notice boards or any other prominent place in the schools. School Safety Pledges are also being taken in schools with appropriate messages on Child Safety and Prevention of Child Sexual Abuse.

4.12 Efforts have been made by the Ministry to impress upon Ministry of Home Affairs for expediting investigations and for greater sensitization of personnel. The Ministry of Home Affairs has developed 'Investigation Tracking System for Sexual Offences' portal for timely completion of investigations in cases pertains to Section 4 and 6 of the POCSO Act. Bureau of Police Research and Development (BPR&D) is conducting various courses for sensitisation of personnel. States and UTs

have been advised by the Ministry of Home Affairs to send officers for these courses and for timely completion of Investigations of POCSO cases.

4.13 As per the POCSO Act, for the purpose of providing a speedy trial, the State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Court, by Notification in the Official Gazette, designate for district, a Court of Session to be a Special Court to try the offences under the Act. Further, in compliance to the Hon'ble Supreme Court's direction, and with support from Nirbhaya fund Department of Justice as formulated Fast Track Special Courts (FTSCs) Scheme under which, a total of 1023 courts are to be set up. Out of these courts, exclusive POCSO Courts in 389 districts will be set up, where number of pending cases under POCSO exceeds 100. Further, it has also been decided to set up remaining 634 FTSCs, as per need and pendency for rape, as well as POCSO Act cases.

E. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015:

4.14 Government of India amended the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act in 2021 which is the primary legislation for ensuring the safety, security, dignity and well-being of children. The Act provides for protection of children in need of care and protection and those in conflict with law by catering to their basic needs through care, protection, development, treatment and social re-integration. It defines standards of care and protection to secure the best interest of child.

4.15 The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules and Adoption Regulations have also been promulgated

under the Act. The Ministry has notified the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021), which has come into effect from 1 September, 2022.

4.16 The Ministry has also notified the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Rules, 2022 on 1st September, 2022 and Adoption Regulations, 2022 on 23rd September, 2022. Among others, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 empowers the District Magistrate as the focal point for implementation of JJ Act, 2015 and adoption related matters. The amendment also introduces eligibility conditions for appointment of the members of the Child Welfare Committee. The primary responsibility of execution of the Act, as such, lies with the States/UTs.

II. Mission Vatsalya

4.17 Ministry of Women and Child Development launched **Mission Vatsalya** scheme for addressing various aspects of child development while subsuming the erstwhile Child Protection Services (CPS) Scheme for ensuring welfare, protection and constructive growth of the children.

4.18 Mission Vatsalya aims to foster a sensitive, supportive, and synchronized ecosystem for children as they transit different ages and stages of their development. This is envisaged to be done by strengthening the institutional framework of child welfare and protection committees and the Statutory and Service delivery structures in all districts of the country. While children in difficult circumstances are to be addressed by the Statutory and Service Delivery Structures, equal emphasis is to be given to issues around

child welfare and protection at the community level integrated with the local development plans and corresponding budgets. Thus, it is envisaged that the committees under the institutional framework will complement the Statutory and Service Delivery Structures in terms of advocacy, awareness generation, capacity building, and preventive measures to build a robust child friendly ecosystem in the community.

4.19 Mission Vatsalya provides preventive, statutory care and rehabilitation services to children who are in need of care and protection and those in conflict with law as defined under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. It is a centrally sponsored scheme, providing financial support to state Government/UT Administrations, for delivering services as mandated under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 thereunder for children. The scheme acknowledges the necessity for strengthening preventive action to secure welfare of children. It aims to provide ground level support to children and their care givers, while raising awareness and building capacities under the scheme.

4.20 The major Components/services under the Mission Vatsalya are:

- i. **Statutory bodies:** Child Welfare Committees (CWC), Juvenile Justice Boards (JJB) and Special Juvenile Police Units (SJPU).
- ii. **Service delivery Structures:** State Child Protection Society (SCPS), State Adoption Resource Agency (SARA), and District Child Protection Unit (DCPU).

iii. **Institutional Services:** Children Homes Specialized Adoption Agencies, Open Shelters, Observation Homes, Special Homes, Place of Safety. In the Children Home, a unit for providing specialized services to children with special needs (disabled children, children affected by HIV/AIDS, children affected by substance abuse etc.) has also been created under the scheme. Separate Children Homes based on age, gender or special needs of children could be established/ supported by the State/ District and shall have similar facilities in terms of infrastructure and services. The CCIs could be either for fifty (50) children or twenty-five (25) children, depending upon the need of children in a particular area.

iv. **Family based non institutional care:** Mission Vatsalya promotes family based non-institutional care of children in difficult circumstances based on the principle of institutionalization of children as a measure of last resort. The Mission supports children through following modes of Non-Institutional Care. During the current FY 2024-25, a total of 1,70,895 children have been approved under Non-Institutional Care.

- **Sponsorship:** Financial support is extended to vulnerable children living with extended families/biological relatives for supporting their education, nutrition and health needs.
- **Foster Care:** The responsibility of the child is undertaken by an unrelated family for care

protection and rehabilitation of the child. Financial support is provided to biologically unrelated Foster Parents for nurturing the child.

- **Adoption:** Finding families for the children found legally free for adoption. Specialized Adoption Agencies (SAA) facilitates the adoption programme.
- **After Care:** The children who are leaving a Child Care Institution on completion of 18 years of age are provided with financial support to facilitate the child's re-integration into mainstream of society. Such support is given from the age of 18 years up to 21 years, extendable up to 23 years of age to help her/him become self-dependent.

A monthly grant of Rs.4,000/- per child is provided for Sponsorship or Foster Care or After Care to the State Government.

v. **Vatsalya Sadan:** Vatsalya Sadan is an Integrated Home Complex of CCIs (Children Home, Observation Home, Special Home, Place of Safety) along with JJB and CWC located within single premises for implementation of the Juvenile Justice Act. Vatsalya Sadan (Integrated Home Complex) may be set up for unit of 50 and 25 children in each Home. The benefits of having "Vatsalya Sadan" would help to avoid/ minimize disruption, travelling time for case needs and ensure security provision.

vi. **Emergency outreach phone services for children in crisis/ difficult circumstances**, through a 24 hours toll free Child Helpline number 1098.

vii. **Training, capacity building** – for all stakeholders working in the area of child protection. During the year 2024-25 (as on 31st December, 2024), the Ministry had assisted 1799 Homes, 424 Specialized Adoption Agencies (SAAs) and 227 Open Shelters throughout India benefiting 62,592 beneficiaries. Apart from the institutional services, so far 781 Child Welfare Committees and 774 Juvenile Justice Boards have been constituted under the scheme as reported by the States and UTs.

The status of funding support to States/UTs for implementation of Mission Vatsalya Scheme for FY 2023-24 and 2024-25 is as follows:

Year	No. of States that have signed MOUs	Budget Estimate (BE) (Rs. in Crores)	Revised Estimate (RE) (Rs. in Crores)	Actual Release (Rs. in Crores)
2023-24	36	1472.17	1272.17	1390.80*
2024-25	36	1472.17	-	789.74*

*Details of fund disbursement during FY 2023-24 and 2024-25 (till 31.12.2024) (**Annexure XVI**).

viii. **Track Child and Khoya-Paya** portal functional since 2012 has been integrated with the Mission Vatsalya portal and facilitates the matching of 'missing' children being reported at Police stations with those 'found' children who are residing in the Child Care Institutions (CCIs). As

on September, 2024, total 13,334 Police Stations are making entries of missing/ recovered children in the Track Child Portal and 5,321 number of Child Care Institutions are entering details of children.

ix. **Mission Vatsalya Portal:** Ministry of Women and Child Development in consultation with States/UTs has developed 'Mission Vatsalya' Portal. It is a unified Digital Platform for various activities to be carried out by the field functionaries of Mission Vatsalya in respect of children in difficult circumstances which include missing, orphaned, abandoned, and surrendered children. The portal is accessible to all the stakeholders like SCPS, DCPU, CWC, JJB, CCIs, SJPU for accessing all MIS reports related to Children in Need of Care and Protection (CNCP) and Children in Conflict with Law (CCL).

x. **Child Helpline Service:** Under Mission Vatsalya Scheme, Child Helpline is running in coordination with State and district functionaries and integrated with the Emergency Response Support System 112 (ERSS-112) Helpline of MHA. Standard Operating Procedures (SoPs) of Child Helpline has been issued by the Ministry.

Child Helpline envisages a 24×7 dedicated WCD Control Room (WCD-CR) in each State/ UT and is integrated with ERSS-112. Further, at the district level, Child Helpline (CHL) Unit at District Child Protection Unit (DCPU) is made available round the clock and is equipped with necessary facilities, manpower and software applications and dedicated connectivity to

provide outreach service for children in crisis linking them to emergency and long-term care and rehabilitation services. Child Helpline is 100% funded by the GoI.

Child Helpline services are functional in all 36 States/UTs with services automated in 670 districts as of 31st December, 2024. The total number of calls attended through the CHL across 36 States/UTs WCD Control Rooms during the FY 2024-25 (1st January to 31st December, 2024) totals to 21,93,024.

III. Collaboration with NIMHANS

4.21 Ministry has collaborated with NIMHANS which has established a National Initiative & Integrated Resource Centre for Child Protection, Mental Health, and Psychosocial Care named “SAMVAD” (Support Advocacy & Mental Health Interventions for Children in Vulnerable Circumstances And Distress) in NIMHANS, at Bangalore. SAMVAD is working in 4 key thematic areas, namely Mental Health, Care & Protection, Education and Policy & Law. In the FY 2024-25 (1st January to 31st December, 2024), SAMVAD has reached out to a total of 27,631 stakeholders in 34 States/UTs through various training and capacity building programs.

IV. Collaboration with LBSNAA for capacity building:

4.22 The Ministry of Women and Child Development partnered with Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) to develop an online training module for capacity building of multiple stakeholders for strengthening implementation of child rights with a special focus on the Juvenile Justice Act in India. The following online four Training Modules

namely:

- i. Introduction to Child Rights & Juvenile Justice System.
- ii. Child in Need for Care and Protection.
- iii. Child In Conflict With Law.
- iv. Institutional & Non-Institutional Care.

They are available on the KARMAYOGI IGOT platform for duty holders and other stakeholders. As on 7th January, 2025, a total of 27,385 stakeholders have enrolled for the course and 17226 have successfully completed it.

V. Social Audit of CCIs by NCPDR:

4.23 National Commission for Protection of Child Rights (NCPDR) conducted social audit of 7,163 Child Care Institutions across the country (except for the State of Jammu and Kashmir where the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (JJ Act, 2015) was not applicable and the UTs of Lakshadweep, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, where no CCIs existed) in compliance to the Hon’ble Supreme Court’s order dated 5th May, 2017 in the matter of W. P. (Crl.) 102 of 2007 in Re. Exploitation of children in orphanages in State of Tamil Nadu Vs. Union of India. A National Report as well as State Reports of social audit was submitted to the Hon’ble Supreme Court on 6th March, 2020. Secretary, WCD has asked all the States/UTs vide DO No. 30/67/2019-CW-II dated 31st August, 2020 for registration of CCIs in accordance with Section 41 of the JJ Act, 2015. Hon’ble Minister has also written a D.O letter to all MPs and MLAs to take necessary action for registration of CCIs under JJ Act and also against those institutions which are not complying with the requirement. The States have been asked

to regularly monitor the status and furnish information on 15th January and 15th July every year. The Ministry had categorically asked the States/UTs time and again to close down the unregistered Institutions and make suitable alternative arrangements for the inhabitants. 5,534 CCIs have been registered under JJ Act. The States/UTs have been requested to ensure inspection of CCIs under the supervision of the District Magistrates/Deputy Collectors and background verification of all agencies engaged in running CCIs and police verification of the staff engaged with the CCIs.

VI. Model Foster Care Guidelines, 2024

4.24 The Ministry issued the Model Foster Care Guidelines, 2024 on 26th April, 2024 to provide clear procedure, eligibility and steps for Foster Care and Foster care leading to Adoption by the same foster family who have

kept the child in their foster care for a period of two years.

VII. Persons with Disability

4.25 Through the CCIs functioning in the states and UTs, 4364 Special Need Children in 199 Children Homes have been supported under Mission Vatsalya Scheme, in the FY 2024-25 (till 31st December, 2024). The number of CCIs supported for children with special need run by the along with the number of beneficiaries as reported by States/UTs under Mission Vatsalya as on 31st December, 2024 is given at **Annexure – XVI**.

VIII. Veer Baal Diwas

4.26 The Ministry of Women & Child Development successfully organized "Veer Baal Diwas" on 26th December, 2024 at Bharat



Hon'ble Prime Minister with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar (PMRBP) awardees on the occasion of "Veer Baal Diwas" on 26.12.2024 at Bharat Mandapam, New Delhi.

Mandapam, New Delhi, with the participation of around 3,000 children. The event was graced by the Hon'ble Prime Minister and other dignitaries and was attended by the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar (PMRBP) awardees. The program featured cultural performances and a March Past by children and teenage artists, honoring the valor and sacrifice of the Sahibzades. On this occasion, the Hon'ble Prime Minister also inaugurated the Suposhit Gram Panchayat program and interacted with the PMRBP awardees.

IX. Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar (PMRBP)

4.27 The Government of India acknowledges children as one of the most important partners in nation-building. Their hopes and aspirations are to be acknowledged, and their achievements are to be rewarded. The

Ministry has been giving awards to meritorious children and individuals/institutions for the last several decades.

4.28 Under the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar (PMRBP), awards are given as recognition to children residing in India above the age of five years and not exceeding 18 years, with exceptional abilities and outstanding achievements in fields of Bravery, Sports, Social Service, Science & Technology, Environment, Arts & Culture, and Innovation, which deserve recognition. The awardees are felicitated and conferred with a medal and a certificate. For consideration of the awards, the achievement of the child should not be one-off but carried out over a period of time. The achievements should be indicative of the child's passion in the respective field and suggestive of a bright future in that particular field.



Hon'ble President of India, Hon'ble Minister (WCD), Hon'ble Minister of State (WCD) and Secretary (WCD) with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar (PMRBP) awardees on 26.12.2024 .

4.29 From the year 2023 onwards, the Ministry has started inviting applications for the awards online on the new unified portal www.awards.gov.in, launched by the Ministry of Home Affairs, meant for all the awards given by Central Government Ministries/ Departments.

4.30 The latest edition of PMRBP was successfully organized by the Ministry of

Women & Child Development on 26th December, 2024 at Rashtrapati Bhavan. A total of 17 children were conferred with the prestigious award for their exceptional achievements in innovation, social service, scholastics, sports, art & culture, and bravery. The event was graced by the Hon'ble President of India, who presented the awards to the recipients.



Gender Budgeting

Gender Budgeting

I. Introduction

5.1 Gender Budgeting is an approach to budgeting that integrates a gender perspective in all stages of the public financial management cycle. It is concerned with gender responsive formulation of legislation, policies, plans, programmes, and schemes; resource allocation; implementation; tracking of expenditure, audit, and impact assessment. It is an important strategy towards achieving gender equality and women's empowerment by ensuring that government revenue and public expenditure meet differential gender needs.

5.2 The Government of India has been implementing Gender Budgeting (GB) since the early 2000s. Over the years, the Government has put in place various fiscal, regulatory, and structural policies and mechanisms for undertaking gender budgeting and gender mainstreaming. The Ministry of Women and Child Development (MWCD), as the nodal Ministry for GB, has emphasised that GB is not merely the earmarking of funds for women and girls but creating a positive impact in their lives and bridging gender gaps.

5.3 As part of Mission Shakti for empowerment of women, MWCD aims to achieve 100% coverage of GB in central Ministries/Depart-

ments and States/Union Territories. The Ministry's strategic focus is on-

- i. Strengthening institutional mechanisms and processes to undertake gender budgeting at the central and States/UTs level; and
- ii. Developing internal and external capacities and building expertise across sectors to integrate the gender perspective in planning, budgeting and auditing.

5.4 The activities undertaken by the Ministry and the achievements thereon during the year 2024-25 are given below.

II. Institutional Mechanisms and Processes for Gender Budgeting

A. Gender Budget Cells

5.5 In 2004-05, Ministry of Finance, Government of India created an institutional mechanism for mainstreaming gender by mandating the setting up of Gender Budget Cells (GBCs) in all Ministries/Departments. These Gender Budget Cells are envisaged as focal points for mainstreaming gender through the tool of Gender Budgeting. On 8th March, 2007, the Ministry of Finance issued a Charter mandating the formation of Gender Budget Cells and laid down

guidelines for composition and functions of GBCs. As an institutional mechanism for gender mainstreaming, GBCs function with the objective of influencing and initiating a change in the Ministry/Department's policies and programmes in a way to promote gender equality and ensure that public resources through the Ministry budget are allocated and managed accordingly. As mandated, the GBCs should comprise of senior and middle level officers from the Plan, Policy, Coordination, Budget and Accounts Division of the Ministry /Department and headed by an officer not below the rank of Joint Secretary. The MWCD has been actively pursuing with the Ministries/Departments for setting up Budget Cells in Central Ministries. In October 2021, MWCD sent D.O. Letters to all Ministries/Departments to strengthen and reconstitute GBCs, nominate nodal officials and strengthen reporting in the Gender Budget Statement. An advisory with roles and responsibilities for the nodal official for Gender Budgeting in each Ministry/Department was also issued for guidance. Currently, a total of 62 Ministries/Departments have set up the Gender Budget Cells.

B. Budget Circular:

5.6 The Budget Circular issued by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance every year provides an important mechanism to ensure that Ministries/Departments adequately plan and budget for schemes and programmes with a gender lens. The Budget Circular mandates all Ministries/Departments to prepare and submit a Gender Budget Statement viz. Statement 13 in

Expenditure Profile in the prescribed format to accompany the budget submissions for the financial year. Para 13.6 of the Budget Circular for FY 2024-25 dated 17th September, 2024, included the following instructions for the Ministries/Departments:

"13.6 Statement No. 13 "Gender Budgeting" in Expenditure Profile. Gender Budgeting is a process of identifying and addressing gender specific barriers across all sectors of development. The process of budget planning and preparation provides a critical opportunity to identify, prioritize and address gender concerns in all Ministries/Departments. It may be noted here that each and every sector has an impact on the lives of women and girls, and therefore, it is felt that all programmes/schemes should have a gender component. Addressing gender issues may be possible through making existing programmes/schemes more gender sensitive or alternatively, this may require the formulation of a programme/scheme specifically for women and girls. Therefore, to accompany the budget submissions for the Financial Year 2025-26, all Ministries/Departments are required to prepare and submit a Gender Budget Statement (Statement 13 in Expenditure Profile) in the prescribed format (Appendix- XXI). This Gender Budget Statement is to be prepared in three parts - Part A: reflecting schemes with 100% provision for women and girls, Part B: reflecting programmes/schemes in which 30 to 99% of budgetary allocation benefit towards women and girls and Part C: reflects schemes with allocation for women and girls up to 30% of the provision."

APPENDIX XXI
(See Paragraph 13.6)

'GENDER BUDGETING- Estimated Expenditure/Utilization for the Benefit of Women and Girls

Part A : 100% Provision towards Women

Demand No :

Name of the Ministry/Department: (₹ in crore)

Details of Scheme	Actuals 23-24	BE 24-25	RE 24-25	BE 25-26

Part B: Pro-Women (at least 30% of provision)

Demand No :

Name of the Ministry/Department: (₹ in crore)

Details of Scheme	Actuals 23-24	BE 24-25	RE 24-25	BE 25-26

Part C: Pro-Women (below 30% of provision)

Demand No :

Name of the Ministry/Department: (₹ in crore)

Details of Scheme	Actuals 23-24	BE 24-25	RE 24-25	BE 25-26

Note: Three separate statements in the format prescribed above may be furnished

C. Gender Budget Statement – Tracking allocations for women and girls

5.7 The Gender Budget Statement (GBS) is published annually along with the Union Budget since 2005-06. It is a reporting mechanism for the Ministries/Departments to review their programmes from a gender perspective and present information on allocations for women and girls. The GBS format was revised by the Ministry of Finance in FY 2024-25 with the introduction of Part C for the schemes having allocation of less than 30% for women and girls, and a brief

preface on the purpose of the Statement 13. Since inception, the GBS format had two parts viz. Part A for those schemes which are 100% targeted towards women and girls and Part B reflecting the schemes in which 30 to 99% of budgetary allocation benefit towards women and girls.

5.8 In the budget for FY 2024-25, a total of 38 central Ministries/Departments and 5 UTs have reported an amount of Rs. 3.27 lakh crore in the GBS of the Expenditure Profile as compared to Rs. 2.38 lakh crore by the same number of Ministries/Departments and UTs

during FY 2023-24. A total of 22 Ministries/ Departments and 5 UTs reported in Part A (100% women specific schemes), 31 Ministries/ Departments and 4 UTs reported in Part B (30-99% budgetary allocation for women) and 1 Department reported in Part C (less than 30% budgetary allocation for women). Ministry of Power and Ministry of Civil Aviation reported for the first time in the GBS 2024-25. The quantum of budget estimate as reported in GBS 2024-25 is an increase of 37.33% over the budget estimate of GBS for FY 2023-24. The share of Gender Budget in the total Union Budget increased to 6.8% in 2024-25 from 5% in 2023-24.

5.9 The MWCD owing to its mandate of advancing women's empowerment and gender equality has a substantial allocation in the gender budget. The Ministry reported an allocation of Rs. 20,513.28 crore for women and girls in GBS 2024-25, which is approximately 78.62% of its total budget estimate of Rs. 26,092.19 crore. This, *inter-alia*, included gender budget allocation of (a) Rs. 16,350.98 crore under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0; (b) Rs. 3,145.97 crore for Sambal and Samarthya components of the Mission Shakti to provide a unified citizen-centric lifecycle support for women through integrated care, safety, protection, rehabilitation and empowerment; and (c) Rs. 883.30 crore under Mission Vatsalya for protection and institutional care of girl children.

D. Gender Aware Policy Appraisal through EFC/PIB Memorandum

5.10 In April 2014, the Expenditure Finance Committee (EFC) document included a gender perspective at the planning stage for all new

programmes, projects and schemes. Section 3 of the EFC format specifically mentions that '*If the scheme has any gender balance aspects or components specifically directed at welfare of women please bring them out clearly*'.

E. Gender-sensitive Checklists/ Guidelines for Gender Budgeting

5.11 The Ministry has developed tools for implementing GB. These include specific guidelines in the form of Checklists I (beneficiary-oriented programmes that target women) and Checklist II (mainstream sectors and programmes), gender appraisal of schemes and policies based on Five Step Framework, and spatial mapping. These guidelines help in reviewing public expenditure from a gender perspective to enable gap identification and measures to enhance gender responsiveness of schemes and budgets.

III. Capacity Building on Gender Budgeting

5.12 As mentioned earlier, the key focus area of the Ministry is to continue strengthening capacities and building expertise on GB of key officials at the National, State and District Levels. Following efforts were made during the year:

i. Implementation of the Gender Budgeting Scheme:

5.13 The Ministry has been implementing a Gender Budgeting Scheme since 2007-08 with an objective of building capacity of the government officers at the central, state and district level to undertake gender budgeting. Under the scheme, grant-in-aid in the form of 100% financial assistance is given to the

government departments, national and state training institutes to conduct training and workshops on gender budgeting. Gender Budgeting Scheme along with Research, Publication & Monitoring Scheme has been included under the Samarthya component of Mission Shakti. Guidelines for the Gender Budgeting Scheme was revised and published in May 2024. During 2024-25, a total of 17 implementing agencies including 3 Central Govt. funded National/Regional level Training Institutes, 9 Department of WCD/Social Welfare, State Governments, and 5 State Govt. Training Institutes were given approval for conducting training/workshops on gender budgeting for a total amount of Rs. 1.27 crore.

ii. National-level training on Gender Budgeting for the Officers of the Central Ministries/Departments

5.14 Two national-level training programmes on Gender Budgeting for the Officers of a total of 33 Ministries/Departments were conducted in collaboration with UN Women in two batches during 5th to 6th November, 2024 and 19th to 20th November, 2024 at New Delhi under the project titled 'Strengthening Gender Responsive Planning and Budgeting'. A total of 62 officers participated in the two training programmes. The objective of the training programme was to enhance the understanding of central government officials on gender budgeting and encourage the officers to take forward the learnings on GB.



Group photo- Joint Secretary/ Director level Officers Central Ministries/Departments and States who attended the 'Capacity Building Programme on Gender Budgeting for Senior Officers of Government of India and States/UTs' at the IIMA Campus.

iii. Capacity Building Programme on Gender Budgeting for Senior Officers of Government of India and States/UTs by the Indian Institute of Management (IIMA), Ahmedabad

5.15 As part of the Ministry's ongoing efforts to strengthen Gender Budgeting processes at the national/state levels, a 3-day Capacity Building Programme on Gender Budgeting for Senior Officers of Government of India and States/UTs was organized by the Indian Institute of Management (IIMA), Ahmedabad on 21st to 23rd October, 2024 at the IIMA Campus, sponsored by the Ministry. A total of 37 Officers at the level of Joint Secretary/Director from 20 Central Ministries/Departments and two States attended the programme.

IV. Activities to strengthen the Gender Budgeting Process at the central Level

a. Efforts and Initiatives to enhance reporting of allocations in the Gender Budget Statement by central Ministries/Departments.

5.16 Drawing attention to the Hon'ble Prime Minister's call to transition from focusing on women development to women-led development, Shri Anil Malik, Secretary, MWCD vide his D.O. letter dated 23th August, 2024 wrote to all Secretaries in the Government of India emphasising that each sector must ensure equal opportunities for women to lead and participate in the nation's economic growth. Given that Gender Budgeting is a strategic fiscal tool to promote gender equality and women's empowerment, he requested the Ministries/Departments to review the schemes from a gender lens and report allocations in the Gender Budget Statement for both beneficiary as well as non-beneficiary oriented schemes and their components that impact

women. It was conveyed that the MWCD was ready to provide support to the Ministries/Departments, if required, while undertaking gender based review of the schemes.

5.17 The Ministry convened a meeting with select 15 Central Ministries/Departments on 23rd September, 2024 under the Chairpersonship of Shri Anil Malik, Secretary, MWCD to review and discuss the steps to strengthen reporting in the Gender Budget Statement in FY 2025-26. During the meeting, Secretary (WCD) stated that given the Government of India's highest priority on women-led development, Gender Budgeting is an important tool to highlight the outlays under various schemes which have direct or indirect impact on women. He emphasised that even if allocations for women are not earmarked in a specific scheme, an estimate of women beneficiaries either based on gender data or using some other mechanism e.g. population census data, can be made, and accordingly allocations can be apportioned to report in the GBS for FY 2025-26. This will reflect Govt. of India's overall allocations for the welfare of women, which seem to be still underreported.

5.18 During October-December 2024, the Gender Budgeting Division with support of UN Women undertook gender budget analysis of various schemes of select 22 Ministries/Departments that have not reported any allocation in the GBS 2024-25, but have potential to report gender budget allocation in FY 2025-26. It was observed that many of the schemes under these Ministries/Departments have direct impact on women's lives and many of these schemes are also promoting women-led development. In December 2024, analysis was shared with the respective central Ministries/Departments.

5.19 Shri Anil Malik, Secretary, MWCD vide his D.O. letter 9th December, 2024 wrote to the Secretaries of identified Ministries/ Departments, specifically requesting them to undertake requisite steps for preparing Gender Budget Statement as part of budget preparation for the financial year 2025-26. The Gender Budget Division of the Ministry followed up with Ministries/Departments and provided requisite support/clarification on preparation of the gender budget statement for financial year 2025-26.

V. State/UT Initiatives on Gender Budgeting

5.20 The Ministry has been making efforts to support the States/UTs to institutionalize and strengthen the GB process through capacity building of the officers under the Gender Budgeting Scheme of the Ministry. Also, under the project '*Strengthening Gender-Responsive Planning and Budgeting*' in collaboration with UN Women India, six States viz Assam, Chhattisgarh, Haryana, Goa, Maharashtra and Uttarakhand have been provided technical support to strengthen the GB processes including development of the State GB Action Plans. During the financial year 2024-25, a total of 21 States and 6 UTs have published Gender Budget Statements as per the available information. Goa published their 1st gender budget statement in 2024-25.

VI. Technical Assistance to Strengthen Gender Budgeting at the Central and State Levels

i. Project titled '*Strengthening Gender-Responsive Planning and Budgeting*' in collaboration with UN Women India

5.21 A project titled '*Strengthening Gender-Responsive Planning and Budgeting*' was

initiated in collaboration with UN Women India during FY 2023-24. The project became effective in April 2023 and was initially extended up to 30th April, 2024 which has been further extended to December 2025. The project had two key outputs in the 1st year of implementation viz. *Output 1: Actions plans for Gender Budgeting and/or strengthening Gender Budget Statement for identified 30 central Ministries/Departments and 6 select States viz. Assam, Chhattisgarh, Haryana, Goa, Maharashtra and Uttarakhand* and *Output 2: Build capacity of institutional setups on monitoring and evaluating the investments in Gender*. During the extended period, UN Women will be providing technical support both at the central level and in the five original States viz. Assam, Haryana, Goa, Maharashtra, Uttarakhand and in two new States of Bihar and Tamil Nadu with the overall objective of strengthening institutional mechanism for Gender Budgeting through enhanced capacities of government officials to undertake gender budgeting initiatives.

ii. Technical Assistance Project '*Advancing Gender Budgeting in Select States in India*' with the Asian Development Bank (ADB)

5.22 The Asian Development Bank (ADB) and Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia & Pacific (JFPR) supported the MWCD with US\$ 2 million Technical Assistance project titled '*Advancing Gender Budgeting in Select States in India*' (Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Manipur). On the request of the ADB, a Consultation Meeting with the Ministry was held on 2nd August, 2024 which was chaired by Shri Anil Malik, Secretary (WCD). The ADB team was led by the ADB Country Director, Ms. Mio

Oka. Key objectives of the meeting were to: (i) share the key achievements of the ADB administered JFPR Technical Assistance on Gender Budgeting in Select States; (ii) discuss the status and timelines of the phase 2 of the gender budgeting support requested by the MWCD, and (iii) explore opportunities for potential collaboration between ADB and MWCD on broader gender equality strategies for reducing the gender gaps and promoting women's empowerment.

iii. Development of e-Content on Gender Budgeting by Department of Personnel & Training (DoP&T) under ADB sponsored Technical Assistance

5.23 On the request of the Institute of Secretariat Training & Management (ISTM), Department of Personnel & Training (DoP&T), Government of India, the Ministry has coordinated with the technical team from Karmayogi Digital Learning Lab (KDLL), ISTM to develop eLearning Modules (Basic & Advance) on Gender Budgeting. ISTM has established the KDLL for developing e-content for the iGOT platform with the Technical Assistance Grant of the Asian Development Bank (ADB).

Gender Budgeting was identified as one of the topics of national importance by ISTM in consultation with Karmayogi Bharat SPV. The eLearning modules on Gender Budgeting meant for the iGOT platform is a significant step towards disseminating key contours of the gender budgeting processes and building capacities of the Government Officers across the Ministries/Departments both the central and State/UT levels.

VII. Participation in National and International Programmes on Gender Budgeting

5.24 Ministry participated in the Webinar on '*Experiences in Gender Budgeting: A Cross Country Perspective*' jointly organized by IMF South Asia Regional Training and Technical Assistance Centre (SARTTAC), New Delhi and its Africa Training Institute (ATI) and Middle East Technical Assistance Centre (METAC) on 6th December, 2024 and presented India's experience on gender budgeting. The participants in the webinar were the Government Officers from various countries in Sub-Saharan Africa and the Middle East.



Statistics and Research

Statistics and Research

6.1 The Ministry is committed to the holistic development and well-being of women and children through the formulation and implementation of various schemes and programs. These initiatives aim to bring about positive social, cultural, and economic transformations, ensuring equitable opportunities and improved quality of life. To enhance the effectiveness of these programs, the Ministry emphasizes robust monitoring and evaluation mechanisms, enabling periodic assessments to identify areas for improvement. A well-structured statistical system is essential to support this process, ensuring the availability of credible data and quality information for informed decision-making, policy formulation, and program implementation.

6.2 To achieve its mandate, the Ministry undertakes rigorous situational analysis and research through its 'Research, Publication, and Monitoring Scheme.' This initiative provides valuable feedback on ongoing programs, allowing for necessary corrective measures to enhance their impact. Additionally, given the complexity of program implementation at both central and state levels, addressing public grievances remains a critical aspect of governance. Recognizing this, the Ministry has established a grievance

redressal mechanism to streamline the resolution of implementation-related concerns, ensuring more efficient service delivery at the grassroots level.

6.3 The Statistics Bureau within the Ministry plays a pivotal role in data collection, analysis, and research related to the welfare and development of women and children. It is also responsible for overseeing the Ministry's grievance redressal mechanism, further strengthening accountability. Moreover, the Bureau collaborates with stakeholders to monitor India's progress on key Sustainable Development Goals (SDGs) and assesses performance on global indices such as the Global Gender Gap Index (GGGI), Gender Inequality Index (GII), and Global Hunger Index (GHI). To advance data-driven governance, the Ministry has a Data Strategy Unit (DSU) working towards achieving excellence in data management through the implementation of the Data Governance Quality Index (DGQI) Action Plan.

6.4 By integrating research, data-driven policy interventions, and a structured grievance redressal framework, the Ministry strives to enhance the effectiveness of its initiatives, ultimately fostering a more inclusive and equitable society for women and children.

I. Grant-in-Aid for Research, Publication and Monitoring Scheme

6.5 The Grant-in-Aid for Research, Publication and Monitoring Scheme is a scheme of the Ministry through which it sponsors projects on issues concerning women and children, their welfare and development including food and nutrition aspects. Priority within these broad areas is given to research projects of applied nature keeping in consideration the plans, policies and programmes, and social problems requiring urgent public intervention for bridging information gaps. Research on various issues of women and children is essential to understand the multifaceted factors responsible for success of an initiative or the challenges faced by the Ministry at the ground level.

6.6 Under this Scheme, research grants are given to an institution or a group of institutions for carrying out a specific research project with one or more scholars closely associated therewith. The institutions, viz, universities, research institutes, professional associations in the field of women and child development and similar organizations/agencies that have the capacity to do research thereon, may be entrusted to undertake the same. Institutions set up and fully funded by Central Government/State Governments/ Public Sector Undertakings are also eligible for the same. Proposal for grants is submitted in adherence to the research guidelines laid down by the Ministry.

II. Global Indices

6.7 Statistics Bureau has been entrusted

with the responsibility of monitoring and improving India's performance on three Global Indices namely, Global Gender Gap Index (GGGI), Gender Inequality Index (GII) and Global Hunger Index (GHI). To implement Government's initiative to leverage Global Indices as tools for reforms and growths, this Ministry being nodal for tracking and improving India's performance in GGGI, GII & GHI, has undertaken formulation of indigenized indices, identifying existing data gaps for parameters of these indices, identifying reform areas and reform actions, preparing action plan, coordinating with line Ministries/Departments of Central and States/ UTs, engaging with the publishing agencies for technical support and assistance.

6.8 To improve India's status in these indices, the Ministry has adopted two-pronged strategy. Firstly, monitoring India's global position, i.e., ranking across the above-mentioned indices with engagement of Publishing Agency of Global Indices, and data source agencies of constituent parameters to ensure factually correct and updated Indian data value is used in computation of index score. And the second is the identification of suitable reforms in consultation with stakeholders to improve the status of the respective parameters. The Ministry of Women & Child Development has constituted Gender Index Coordination Committee (GICC) to coordinate with Ministries/Departments of Centre and States/UTs to identify and implement reforms to improve achievements on various indicators of the Global Indices.

III. Internship Programme

6.9 Statistics Bureau is conducting an

Internship Programme for women students, scholars, social activists and teachers in the age group of 21 to 40 years from non-tier-I cities and rural parts of India with an objective to involve them in research and related activities for various schemes of the Ministry. The internship programme is offered in four distinct terms throughout the financial year: May-June, August-September, November-December, and February-March for the duration of two months throughout the year and prospective interns can apply through the internship portal at <https://wcd.intern.nic.in/>.

6.10 The guidelines of Internship Programme were revised in September 2024. Interns gain exposure to the policies and programmes of the Ministry through short-term associations, including the possibility of undertaking pilot projects or micro-studies focused on the Ministry's ongoing activities. The goal is to equip interns with a comprehensive understanding of the Ministry's mandate, specific programmes, and policy analysis, empowering them to advocate for women and children's issues on various platforms.

6.11 Each intern is provided a lump sum stipend of Rs. 20,000/- per month, reimbursement of travel cost for joining of the Programme in the Ministry and return back to home at the end of the Programme and triple sharing hostel facility.

IV. Sustainable Development Goals

6.12 The issue of gender equality has taken a center stage in the agenda for the

development of our country. This is reflected through the set of goals and targets of Sustainable Development Goals, officially known as 'Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development' which came into effect from 1st January, 2016. It consists of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 associated targets which are spread over the areas of social, economic and environmental dimensions of development. The Ministry of Women and Child Development is concerned with the SDGs in respect of empowerment of women and development of children.

6.13 The NITI Aayog has been entrusted with the responsibility of national targets and assigning them to Ministries/Departments concerned for implementation. To monitor the SDG and its associated targets, a National Indicator Framework (NIF) comprising 306 indicators has been developed by Ministry of Statistics and Programme Implementation in consultation with other Central Ministry/ Departments, States and other stakeholders such as UN Agencies and Civil Society. In this regard, the Ministry of Women and Child Development is associated with the National Indicators on SDG-1 'End Poverty in all its form everywhere', SDG-2 'to end hunger and all forms of malnutrition, and double agricultural productivity in the next 15 years' and SDG-5 'Achieve Gender equality and empower all women and girls'.

6.14 The Ministry of Women and Child Development is the data source Ministry for the following indicators of the National Indicator Framework:

Target	Indicator
Goal 1: End poverty in all its forms everywhere	
1.3: Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable.	1.3.2: Number of Beneficiaries under Integrated Child Development Scheme (ICDS). 1.3.5: Proportion of the population (out of total eligible population) receiving social protection benefits under Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (PMMVY).
1.b : Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions.	1.b.1: Proportion of budget earmarked under gender budget.
Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls	
5.1: End all forms of discrimination against all women and girls everywhere	5.1.1: Whether or not legal framework are in place to promote, enforce and monitor equality and non-discrimination on the basis of sex (in percentage).
5.c: Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels	5.c.1: Number of Central Ministries and States having Gender Budget Cells (GBCs).

V. Public Grievances

6.15 Along with the formulation of core policies and schemes for welfare and advancement of women and children, programme implementation is a crucial aspect that requires a huge and multi-layered bureaucratic setup at Centre and State levels. Hence, possibilities of public grievances related to implementation of schemes at the ground level cannot be ignored. The Ministry has taken these possibilities into its consideration and has set-up grievance redressal mechanism for speeding up of the developmental process at the grassroots. Proper knowledge of the grievances can be helpful to take some corrective measures to fine-tune the implementation of the schemes/programmes.

6.16 To make the Ministry responsive and friendly to people, an effective grievance redressal mechanism has been established in the Ministry. For an effective grievance redressal mechanism in the Ministry, all Bureau Heads in the Ministry have been designated as Sub-Appellee Authority for disposal of the PG appeals and Officers at the level of Director/Deputy Secretary in each of the Divisions/Sections and in the attached/subordinate Organizations have been nominated as Grievance Redressal Officer (GRO) for disposal of the public grievances in respect to their Divisions/Offices. The status of disposal of public grievances is monitored on weekly basis by Secretary (WCD) in the Senior Officers' Meeting.

Status of Disposal of PGs and PG Appeals during 1st January to 31st December, 2024

6.17 The Ministry has been efficiently disposing of the grievances and the PG appeals. The overall percentage of disposal of PGs as per CPGRAMS Monitoring Desk was about 95.91% for the period from 1st January to 31st December, 2024. The Department of

Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) had acknowledged the Ministry's efforts for redressing the public grievances in an efficient manner.

6.18 The progress report of the public grievances received from various sources during 1st January to 31st December, 2024 is given in the following table:

Grievance received from (Source)	Brought forward	Receipt during the period	Total receipts	Total cases dispose of during the period	% of disposal
Directly from the public	212	6409	6621	6393	96.56%
PMO	131	1325	1456	1349	92.65%
DAPRG	3	88	91	90	98.90%
President's Secretariat	21	241	262	255	97.33%
Pension	0	46	46	42	91.30%
TOTAL	367	8109	8476	8129	95.91%

6.19 The progress report of PG Appeals received and disposed of during 1st January to 31st December, 2024 is given in the following table:

Brought forward	Receipt during the period	Total receipts	Total cases dispose of during the period	% of disposal
80	1734	1814	1716	94.604%



Training

**National Institute of Public
Cooperation and Child
Development**

National Institute of Public Cooperation and Child Development

7.1 The National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) is a premier organization devoted to promotion of voluntary action, research, training and documentation in the overall domain of women and child development. NIPCCD was established in the year 1966, in New Delhi, as an autonomous Institution under the Societies Registration Act of 1860, and functions under the aegis of the Ministry of Women and Child Development, Government of India. It has its Headquarters in New Delhi and five Regional Centres at Guwahati (1978), Bengaluru (1980), Lucknow (1982), Indore (2001), and Mohali (2019) to cater to region-specific requirements.

7.2 The Institute focuses on essential and need-based programmes for holistic development of children and their protection, and for creating awareness regarding women's empowerment and gender issues, especially women's rights — political, social and economic. The current thrust areas of the Institute relating to child development are maternal and child health and nutrition, early childhood care and education, childhood disabilities, positive mental health in children and child care support services. The activities of the Institute in the area of women development are geared to support national policies and programmes for women's

empowerment through training, research and documentation.

7.3 The objectives of the Institute are to:

- a) Develop and promote voluntary action in social development;
- b) Take a comprehensive view of child development and to develop and promote programmes in pursuance of the National Policy for Children;
- c) Develop measures for coordination of governmental action as well as voluntary action in social development; and
- d) Evolve a framework and perspective for organizing children's programmes through governmental and voluntary efforts.

7.4 The vision of NIPCCD is to be seen as an Institute of global repute in child rights, child protection, and child development. It has played a strategic role in advancing women and child development over the last 50 years and supports the Ministry with Programmatic Research, Capacity Building and Advisory for the following schemes vis-à-vis, Saksham Anganwadi/Mission Poshan 2.0, Mission Vatsalya (Child Protection Services & Child Welfare Services), and Mission Shakti (Mission for Protection and Empowerment of Women). Mental Health & Counselling is a key component in NIPCCD Training Programmes

and Research. The Institute is also engaged in Field Demonstration, Extension and Counselling Services (Child Guidance Centres, Child Care Centre and Adolescent Guidance & Service Centre). NIPCCD is spearheading a One-Year Course on Advanced Diploma in Child Guidance and Counselling (ADCGC) at Headquarters in New Delhi, and in Regional Centre Guwahati. NIPCCD commits itself to expand the ADCGC across its other Regional Centres also.

7.5 The Institute has two main constitutional bodies, namely, the General Body and the Executive Council. While the General Body is responsible for formulating overall policies of the Institute, the Executive Council is responsible for management and administration of the Institute. The old Executive Council (EC) and General Body (GB), which were constituted in 1966, when NIPCCD was registered under Societies Registration Act XXI of 1860, were reconstituted by the Hon'ble Minister, M/o Women and Child Development (HMWCD), Smt. Annpurna Devi, in August, 2024. A lean structure comprising 22 Members in General Body and 13 Members in Executive Council has been approved as against earlier 94 members in the General Body and 21 members in the Executive Council. The Union Minister for Women and Child Development is the President of the General Body and Secretary, MWCD, is the Chairperson of the Executive Council.

7.6 In February, 2024, in a meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Minister, WCD, the existing divisions of NIPCCD were reorganized into various Verticals under NIPCCD restructuring. The major verticals at NIPCCD Headquarters are as indicated below:

- i. Early Childhood Development Care & Education (ECCE)

- ii. Adolescent & Mental Health (AMH)
- iii. Child Protection (CP)
- iv. Women Empowerment & Safety (WES)
- v. Nutrition
- vi. International Cooperation
- vii. Research Desk

7.7 **Refocused Academic Domains:** NIPCCD has re-aligned its internal structure into distinct academic domains, aligning its research and training activities with the Ministry's mission which will further help in strategic planning with set objectives for achieving desirable goals.

I. Major Achievements of the Institute, 2024

i. Reconstitution of the Executive Council (EC) and General Body (GB) of National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) after more than 5 decades

7.8 The Extraordinary Meeting of the Executive Council and Special Meeting of the General Body of National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD), an autonomous organization under the aegis of Ministry of Women & Child Development, was organized at Vigyan Bhawan, New Delhi on 05th August, 2024 under the chairpersonship of the HMWCD, Smt. Annpurna Devi. The old Executive Council (EC) and General Body (GB), which were constituted in 1966, when NIPCCD was registered under Societies Registration Act XXI of 1860, were reconstituted. As per the Constitution of NIPCCD, the General Body (GB) is responsible for formulating overall Policies of the Institute and the Executive Council (EC) is responsible for management and administrative affairs of the Institute.



Hon'ble Minister (MWCD) during Extraordinary Meeting of the Executive Council and Special Meeting of the General Body of National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) on 05.08.2024.



Meeting of the Executive Council and Special Meeting of the General Body of National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) on 05.08.2024.

7.9 The reconstitution was approved by the HMWCD, Smt. Annpurna Devi, being the President of the old General Body and Chairperson of Executive Council. A lean structure consisting of 22 Members in General

Body and 13 Members in Executive Council has been approved as against earlier 94 members in the General Body and 21 members in the Executive Council.

ii. Recruitments at NIPCCD

7.10 Total 92 posts which were in the category of deemed to be abolished have been revived and 09 posts have been created by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. Permission of competent authority has been accorded to fill up the vacant posts on direct recruitment basis as per revised Recruitment Rules. During the Year 2022-2024, 45 promotions has been made in Group A, B and C category posts, and similarly 68 officials have been granted financial up gradation under MACP scheme.

iii. National Children Fund (NCF) & UNNATI scholarship

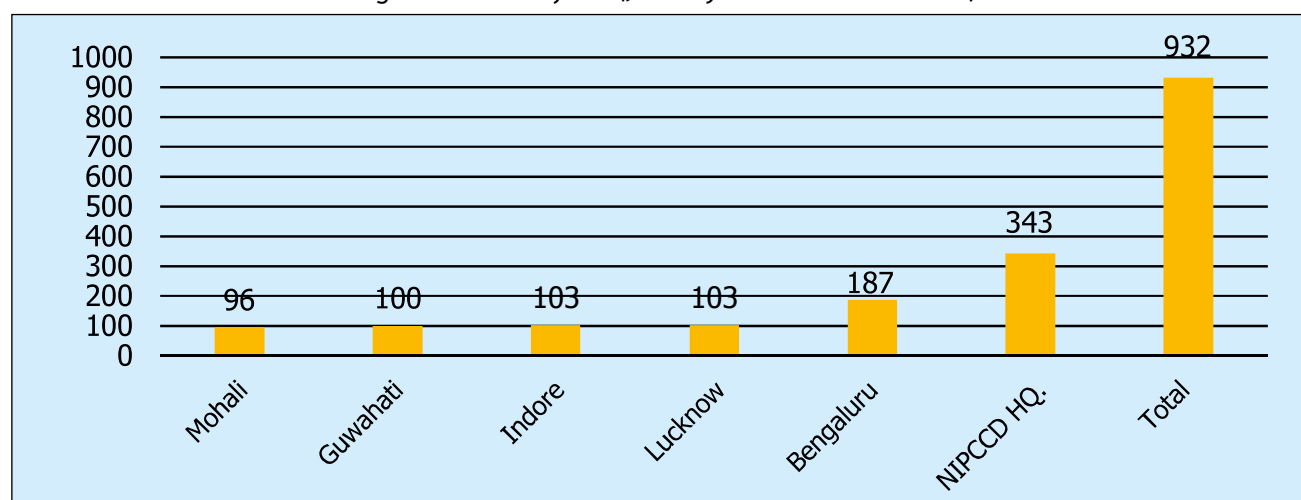
7.11 In 2023-2024, the National Children Fund (NCF) awarded the UNNATI scholarship to 843 meritorious children residing in Child Care Institutions, pursuing education in Classes 9-12. Each beneficiary received

an annual scholarship of ₹13,000, totaling **₹. 10,959,000.00**. Total outlay for the UNNATI scholarship initiative during the year was ₹11,025,000.00 demonstrating the NCF's commitment to empowering vulnerable children, fostering their potential, and promoting excellence in various fields

iv. Training Programmes & Capacity Building of various Stakeholders (January-December, 2024)

7.12 The Institute places a significant emphasis on training as a core activity, aligning its programmes with major schemes of the Ministry. These schemes fall under three overarching categories: **Mission Poshan 2.0**, **Mission Vatsalya**, and **Mission Shakti**, ensuring efficient implementation. In the period from January 2024 to December 2024, NIPCCD orchestrated a total of 932 training programmes (both online and offline mode), as depicted in Figure 1.

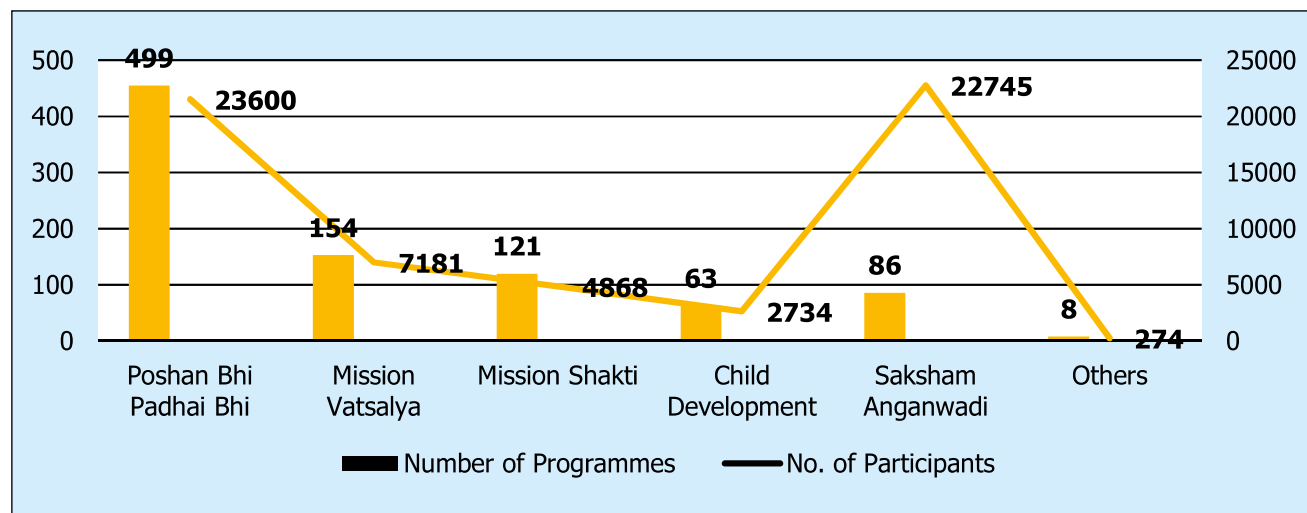
Figure 1: Training Programmes Conducted by NIPCCD Headquartes and Regional Centres from (January 2024-December 2024)



7.13 A total of **61,402 participants attended 932 Training Programmes from January 2024-December, 2024.** Among these programmes, a substantial 9.2% (86 programmes) were dedicated to enhancing the capacity of Anganwadi Services Scheme functionaries under Mission Saksham Anganwadi / Poshan 2.0. Child Protection Services vis-à-vis Mission Vatsalya emerged as another crucial area with 16.5% (154 programmes) of the initiatives aimed at addressing issues related to safeguarding

children. Additionally, the Institute dedicated 12.9% (121 programmes) of its efforts to programmes concerning Women's development, recognizing the pivotal role that women play in societal progress. Furthermore, NIPCCD organized 6.7% (63 programmes) to address issues related to Child Development, encompassing mental health concerns among children. An impressive number of programmes, 53.5% (499 programmes), were organized under the overarching theme of 'Poshan Bhi Padhai Bhi' (Figure 2).

Figure 2: Theme-wise Programmes Organised by NIPCCD & No. of Participants Trained (January 2024-December 2024)



7.14 This multifaceted approach underscores the Institute's commitment to a comprehensive strategy, covering aspects crucial for the holistic development of both children and the community at large. The distribution of programmes reflects a balanced and inclusive agenda, aligning with the broader objectives of promoting social welfare and well-being.

v. Capacity Building of Officials of NIPCCD

7.15 NIPCCD organized 23 Training Programmes for its officials in collaboration with ISTM/DoPT/INGAF/Ministry of Finance/ others on topics related to CCS (Conduct) Rules, 1964, GeM, e-Procurement, e-Auction, Financial Rules & Accounts, Records Management, Establishment Rules & Recruitment Rules,

Medical Reimbursement under NIPCCD Rules, RTI, e-Office, etc. Also officers of the Institute were deputed for Training Programmes on Essential Intervention Skills for working with Child Sexual Abuse at NIMHANS, Bengaluru, during 2024. Awareness Programme on Sexual Harassment of Women at Work Place Act, 2013 was conducted for all Staff and Faculty Members. Other topics included Website Management & Cyber Security.

II. Important Initiative/Programmes under Mission Saksham Anganwadi/ Poshan2.0

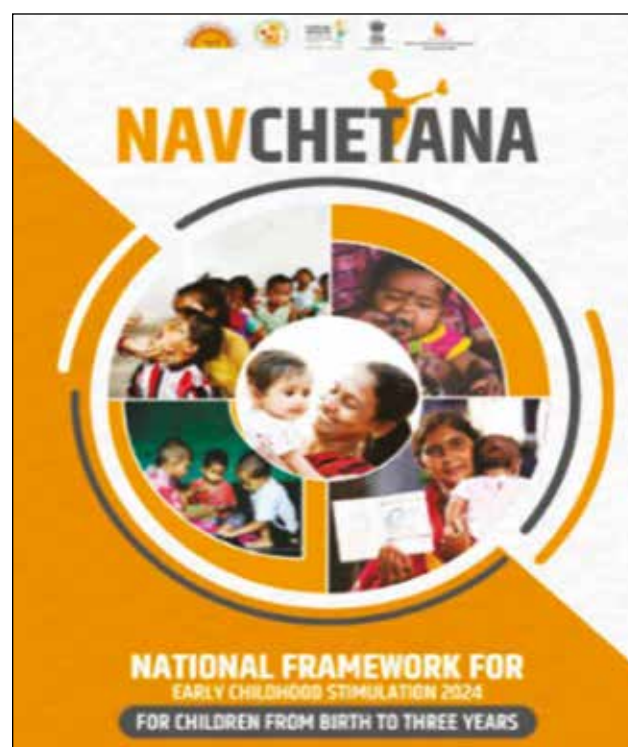
i. Launch of Aadharshila - National Curriculum for Early Childhood Care and Education (3 to 6 years) 2024 & Navchetana - National Framework for Early Childhood Stimulation (Birth to 3 years) 2024 on 11th March, 2024 by HMWCD.

7.16 The National Education Policy 2020 marked a turning point in India's commitment to shaping a bright future for all children. As 85% of brain development occurs before the age of six years, the Ministry recognizes the pivotal role of early years in development and seeks to strengthen India's Early Childhood Care and Education (ECCE) landscape. In this endeavour, the Ministry of Women and Child Development launched a National Curriculum for Early Childhood Care and Education for Children from Three to Six Years and a National Framework for Early Childhood Stimulation for Children from Birth to Three Years.

7.17 For children from age three to six, the **National Curriculum for ECCE 2024** covers all domains of development as per the National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022 (NCF-FS), including physical/

motor, cognitive, language and literacy, socio-emotional, cultural/aesthetic as well as positive habits.

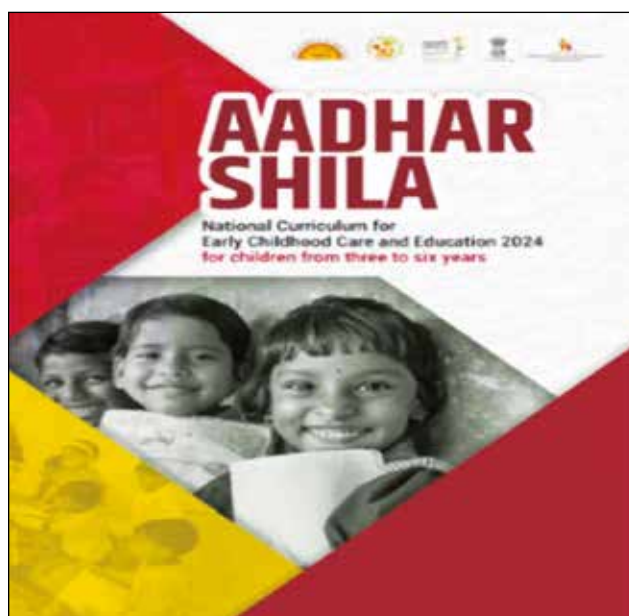
7.18 For children from birth to three years, the National Framework for Early Childhood Stimulation 2024 aims to empower caregivers and Anganwadi Workers for holistic early stimulation, through responsive caregiving and opportunities for early learning, for optimal development of children, both body and brain. A 36 month-wise age-based activities are provided that can be conducted both within the household as well as at the Anganwadi Centre or Crèche, through all the contact points including home visits, monthly meetings, community-based events, etc. Screening, inclusion and referrals for Divyang children are also provided special focus.



7.19 The documents have been prepared by the National Institute for Public Cooperation and Child Development (NIPCCD), with the support of an Internal Committee.

ii. Roll out of Poshan Bhi Padhai Bhi

7.20 The 'Poshan Bhi Padhai Bhi' initiative of Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 was launched on 10th May, 2023 to bring focus of the Anganwadi system on early childhood care and education and transform the Anganwadi Centre into a Learning Centre having high quality infrastructure, play equipment, and well-trained Anganwadi Workers to stimulate the creative, social, emotional and cognitive development of children under six years of age including Divyang children. To empower the Anganwadi workers and ensure optimal learning for all children including Divyang children, this Ministry has developed two curriculum frameworks - "Navchetana- National Framework for Early Childhood Stimulation for Children from Birth to Three Years, 2024" and "Aadharshila- National Curriculum for Early Childhood Care and Education for Children from Three to Six Years 2024" under the Poshan Bhi Padhai Bhi Programme.



7.21 As of December 2024, a total of 28,214 State Level Master Trainers (SLMTs) (CDPOs, Supervisors and Additional Resource Persons) have been trained across an impressive of 499 training programmes across its Headquarters and Regional Centers. A total of 1,01,983 Anganwadi Workers (AWWs) have been trained across the country under Poshan Bhi Padhai Bhi.



State Level Master Trainers (SLMTs) (CDPOs, Supervisors and Additional Resource Persons) during training.

iii. Popularizing NIPCCD YouTube Platform to reach out to Anganwadi Workers and other grass root Functionaries

7.22 Masterclasses on Navchetana and Aadharshila and Poshan Bhi Padhai Bhi are being organized for Functionaries of Anganwadi Services Scheme under Umbrella ICDS using the Youtube platform. Leveraging the digital age, the master classes were streamed live on YouTube, attracting an audience of lakhs. These classes aimed to disseminate key insights and strategies for promoting ECCE across diverse stakeholders. The overwhelming participation reflects the growing interest and awareness surrounding early childhood development. By embracing digital platforms, NIPCCD is effectively extending its reach and impact by ensuring

that crucial knowledge on ECCE is accessible to wider audience.

7.23 The YouTube Master Classes witnessed a total of 6.3 Lakhs Views and Unique Viewers being 3.27 Lakh as on date. A total of 80,472 Anganwadi Workers (AWWs) registered online for these Master Classes. These Orientation Programmes have been conducted in English & Hindi and also regional languages like Assamese, Kannada, Tamil, and Telugu.

iv. Economic Survey, 2024

7.24 In Economic Survey, 2023-24, Poshan Bhi Padhai Bhi: Pre-Schools Network anchored in Anganwadis has been highlighted as a path breaking ECCE Programme to help India develop the World's Largest, Universal and High Quality Pre-School Network at Anganwadi Centres.



v. **Poshan Bhi Padhai Bhi highlights in “Mann ki Baat” by Hon’ble Prime Minister in Mann ki Baat**



Mann Ki Baat: PM Modi Highlights ‘Fit India,’ Emphasizes Children’s Nutrition As National Priority

PM Modi on August 25 addressed the 113th episode of his monthly radio show ‘Mann Ki Baat’.

Published: August 25, 2024 12:50 PM IST

7.25 In the 113th episode of ‘Mann Ki Baat’, the Hon’ble Prime Minister Sh. Narendra Modi said “Children’s nutrition is of topmost priority”. He highlighted the importance of observance of Poshan Maah to make people aware about nutrition, and spoke about many methods that are being adopted to spread awareness, like nutrition fairs, anaemia camps, home visits of newborn babies, seminars, and webinars.

The Prime Minister highlighted that through ‘Poshan Bhi Padhai Bhi’, the focus is on the balanced development of children.

vi. **ECCE Audio Video (AV) Content live on WCD’s Poshan Tracker IT Application**

7.26 “Poshan Tracker”, an IT Application to monitor progress of Mission Poshan 2.0 in near real-time on defined indicators is already being leveraged for dynamic identification of stunting, wasting, under-weight prevalence among children and last mile tracking of service delivery, including both nutrition and early childhood development through daily activities.

7.27 Daily on-the-job ECCE coaching through Audio Video (AV) content nudges

is now accessible to all AWWs via Poshan Tracker as per Aadharshila- the National Curriculum for ECCE (3-6 years). The content in Poshan Tracker focusses on six domains of Development including Foundational Literacy Numeracy (FLN), and interactive activities. Comprehensive package covering 44 weeks calendar, including 230+ videos, 200+ voice notes, and 130+ PDFs have been uploaded on the Poshan Tracker App.

7.28 In addition to PBPB Programmes under Saksham Anganwadi several programmes were organized in the area of ECCE, IYCF, and prevention of Malnutrition. The programmes were attended by CDPOs/ACDPOs/Supervisors, etc.

vii. Special Fireside Chat with Nobel Laureate Professor James Heckman

7.29 Ms. Tripti Gurha, Additional Secretary, MWCD, and Dr. Rita Patnaik, Joint Director, NIPCCD attended the Special Fireside Chat with Nobel Laureate Professor James Heckman, hosted by the Central Square Foundation, Centre for Civil Society, and the University of Chicago Centre in Delhi on 23rd September, 2024 at Aerocity, New Delhi.

viii. State Level Conference Udaan, Maharashtra 2024

7.30 The event was inaugurated in the esteemed presence of Hon'ble Union Minister of State for Women and Child Development, Smt. Savitri Thakur, and Hon'ble Minister of State for Women and Child Development, Maharashtra, Ms. Aditi Tatkare. Mr. Kailas Pagare (IAS), Commissioner, ICDS, Maharashtra presented his views on ECCE in the context of the state of Maharashtra. Roundtable discussions were held on various aspects such as: Collaborative approaches to Child Education:

Opportunities, challenges and Innovation and Implementation of New Curriculum Aadharshila; review of Best Practices to Enhance Active Parental Involvement in Child Education; new direction of Pre-primary Education as per National Education Policy 2020 and Implementation of Poshan Bhi Padhai Bhi Abhiyan.

7.31 Hon'ble Minister, MWCD, Smt. Annpurna Devi addressed the **Poshan Bhi Padhai Bhi (PBPB) event** with Smt. Ajanta Neog, Hon'ble Minister, WCD, Assam, at Guwahati and highlighted the ministry's commitment for early childhood development through the "Poshan Bhi Padhai Bhi" programme, which focuses on quality education for children aged 3-6 years. Smt. Annapurna Devi reaffirmed the government's commitment to improving the lives of women and children in Assam. SLMT certificates and training kits were distributed and the initiative marked a step forward in fostering holistic development and ensuring a brighter future for our children. HMWCD praised the collaborative efforts between the central government and the people of Assam to deliver quality healthcare, security and opportunities for all.

7.32 The Child Care Centre of NIPCCD, New Delhi, organized **Parents Awareness Programme on Importance of Nutrition and Growth Monitoring for Holistic Development of Children under Poshan Maah** on 11th September, 2024. The Parents /Caregivers of children were made aware about the need and importance of Nutrition and Growth Monitoring of Children. The Nutritional Counselling was conducted for the Parents / Caregivers of Children. The Nutritional Recipe Contest of Traditional Nutritious Food was also organized during the programme.

III. Important Programmes under Mission Vatsalya

7.33 As a premier training and research organization, NIPCCD focuses on building capacities, enhancing knowledge, and strengthening the skills of stakeholders involved in child welfare, including functionaries of Child Care Institutions, Child Helplines, Juvenile Justice Boards, and District Child Protection Units (DCPUs). NIPCCD organizes specialized training programmes to address key components of Mission Vatsalya, such as institutional and non-institutional care, Child Helplines, and Juvenile Justice. From January 2024 to December 2024, NIPCCD has organized 154 such training programmes which targeted a total of 7181 participants and equipped them with the necessary tools and understanding to create a protective environment for children and effectively implement the objectives of the scheme.

i. Training Programme for Functionaries of Child Helpline (CHL) in collaboration with C-DAC

7.34 A total of 830 CHL Functionaries have been trained in 22 Training Programmes organized by NIPCCD, Headquarters & its Regional Centres in collaboration with C-DAC and respective State Governments.

ii. Consultation Meet for Principal Magistrates working in Juvenile Justice Boards

7.35 NIPCCD Headquarters organized a 'One day Consultation Meet for Principal Magistrates working in Juvenile Justice Boards in the States of Assam, Mizoram, Nagaland, and Arunachal Pradesh' in collaboration with Judicial Academy of Assam on 10th August, 2024. A total of 62 Chief Judicial Magistrates

and Principal Magistrates working in Juvenile Justice Boards in the respective States attended the programme. Hon'ble Mr. Justice (Retd.) Deepak Gupta, Supreme Court of India was invited as Special Chief Guest for the programme.

iv. **Orientation Training Programme on Non-Institutional Care Services conducted for Protection Officers of DCPUs** at NIPCCD Headquarters, New Delhi, from 27th - 29th May, 2024. The Training was focused on non-institutional care mechanisms such as foster care, sponsorship, and adoption under Mission Vatsalya. A total of **64** participants attended the programme.

v. **Induction Training for Newly Recruited Members of Juvenile Justice Boards** held at NIPCCD Headquarters, New Delhi, from 1st to 13th July, 2024 aimed at familiarizing newly recruited JJB members with the Juvenile Justice Act, child rights, and legal procedures. It was attended by 27 participants.

vi. **A Regional Consultation Meet on POCSO Act, 2012** was held at NIPCCD, Regional Centre, Bengaluru on 25th November 2024. A total of 41 participants attended the Meet.

vii. **A National Level Study on Role of Child Care Institution and Rehabilitation of Children in CCI** was conducted in collaboration with the National Human Rights Commission in 2024.

IV. Important Programmes under Mission Shakti

7.36 NIPCCD plays a pivotal role in the implementation of Mission Shakti, a flagship

programme aimed at women empowerment and protection. From January 2024 to December 2024, NIPCCD has conducted 121 training programmes on the Mission Shakti theme, training 4,868 participants. These programmes emphasized on gender sensitization, laws and legislations for protection of women, women's welfare schemes, and skill development, enhancing the capacity of government and non-government stakeholders.

i. Inauguration of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) 2.0 in Uttar Pradesh

7.37 The inauguration of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) 2.0 in Uttar Pradesh was a monumental step towards ensuring Maternal Health and Nutrition in Uttar Pradesh. At the behest of the MWCD, Government of India, NIPCCD in association with the Directorate of ICDS, Government of Uttar Pradesh, organized a five-day Capacity Building Training Programme for the functionaries of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) 2.0 in June, 2024 at Yojana Bhawan in Lucknow, Uttar Pradesh.

7.38 The programme was inaugurated by the Cabinet Minister of Women and Child Development in the Government of Uttar Pradesh, Smt. Baby Rani Maurya, and State Minister for Women and Child Development, Smt. Pratibha Shukla.

ii. A Regional Capacity Building Programme on Scheme and Dashboard for OSC, HEW, PALNA and BBBP were organized on 17th February, 2024 at NIPCCD, Regional Centre Bengaluru, and from 23rd to 25th October, 2024 at NIMSME, Hyderabad, Telangana.

iii. A Workshop on Skilling of Women through Entrepreneurial Skill Development and Promotion of Micro-Enterprise was held at NIPCCD Headquarters, New Delhi, from 13th to 17th May, 2024, which was attended by 23 participants.

iv. Workshop on Prevention and Rehabilitation of Women and Children from Human Trafficking was held at NIPCCD Headquarters, New Delhi, from 09th to 11th October, 2024, which was attended by 34 participants.

v. Additionally, NIPCCD Regional Centre Bengaluru collaborated with the Karnataka Police Academy to organize a "Capacity Building Workshop for Law Enforcement Agencies on Women-Related Laws and Schemes" from 03rd to 5th September, 2024.

V. Important Programmes under Mental Health & Counselling

7.39 The National Institute of Public Cooperation and Child Development plays a pivotal role in promoting holistic child development through research, capacity building, and programmatic support. As a key advisory body to the Ministry of Women and Child Development, NIPCCD works on initiatives that addresses child nutrition, education, and mental health. From January 2024-December 2024, NIPCCD has conducted a total of 63 training programmes for child development and Mental Health issues in which an impressive number of 2734 participants were trained with necessary skills.

VI. Child Guidance Centre (CGC)

7.40 CGC is established at Delhi, Lucknow, Guwahati, Bengaluru, Indore & Mohali

and offers comprehensive Diagnostic and Evaluation of children up to 12 years of age. During the transitional period spanning from 2023 to 2024, the Child Guidance Centers operating within Regional Centers and the central Headquarters exhibited a commendable commitment to child welfare. Throughout this timeframe, these centers catered to the needs of **697 new registrants**, along with **9168 consultations** reflecting the ongoing demand for their vital services.

7.41 In response to the evolving landscape of child guidance and mental health, the centers adopted a dynamic approach by implementing a thoughtful blend of online and in-person assessment and intervention services. This strategic combination not only showcased adaptability but also recognized the diverse needs and preferences of the families seeking assistance. Beyond the **follow up of 795 cases**, the centers extended their reach to an additional 697 children by taking up new cases, therefore, offering various intervention services. This broader engagement underscores the centers' dedication to supporting a comprehensive spectrum of children, acknowledging that each case is unique and requires tailored approaches.

- An ISO Certified **Adolescent Guidance & Service Centre (AGSC)** was set up in the year 2001 at NIPCCD, Headquarters, New Delhi. It consists of multi-disciplinary teams (Counsellors, Clinical Physiologist, Social Worker, Psychiatrist) providing comprehensive services to adolescents aged 12 to 19 years. The Adolescent Guidance and Service Centre at NIPCCD Headquarters registered 70 new cases, 121 follow-up cases, and 1222 Consultations.
- MoU was signed by Dr Renu Jain, VC, Devi Ahilya Viswavidyalaya (DAVV),

Indore, and by Dr. Rita Patnaik, NIPCCD Regional Director, Indore, for starting the Advanced Diploma in Child Guidance and Counselling (ADCGC) at NIPCCD Regional Centre, Indore.

VII. Organization of Major Events by NIPCCD

i. IASOWA Carnival at Palika Services Officers Institute, New Delhi

7.42 On 21st January, 2024, NIPCCD orchestrated an Information Dissemination Stall at the IASOWA Carnival organized at Palika Services Officers Institute, New Delhi. The stall provided valuable insights and infographic brochures related to various schemes of MWCD.

ii. Celebration of National Girl Child Day, 2024

7.43 MWCD celebrated the determination and accomplishments of the Girl Child: Empowering the future! On National Girl Child Day 2024 at NIPCCD New Delhi. The event was chaired by the Hon'ble MoS, WCD, and Special Address was delivered by Secretary, MWCD.

iii. Celebration of Bharat Parv, 2024

7.44 MWCD celebrated Bharat Parv 2024 at the Lawns and Gyan Path in front of Red Fort, New Delhi showcasing initiatives of MWCD. NIPCCD orchestrated stalls on Anganwadi Services, Nutrition, ECCE, Women Empowerment, Child Protection and Mental Health and Counselling Centres.

iv. Poshan Se Padhai Tak

7.45 An event on **Poshan Se Padhai Tak** was organized by MWCD on 01st March, 2024. A Panel Discussion was held on the initiatives of MWCD for ECCE under Saksham Anganwadi

and Poshan 2.0 with Secretary, MWCD, member from NIPCCD, and Vikramshila, being the panelists at the discussion.

v. Celebration of Yoga Day

7.46 The **Yoga Day Celebration**, held at NIPCCD, New Delhi, on 21st June, 2024 was a



momentous occasion marked by enthusiastic participation of the staff. The event was graced by the Minister of the State, Smt. Savitri Thakur. The event, emphasizing the role in promoting healthy lifestyle and overall wellbeing in line with the spirit of International Yoga Day, celebrated the significance of yoga.



The Yoga Day Celebration was graced by the Honorable Minister of the State, Smt. Savitri Thakur and Secretary, Shri. Anil Malik on 21.06.2024.

vi. A Review Meeting of the National Institute of Public Cooperation and Child Development was organized on 28th June, 2024 at Shastri Bhawan, New Delhi under the chairpersonship of Honorable Minister, Minister of State, Secretary, MWCD, and other senior officials of the Ministry. Training Programmes, initiatives of NIPCCD were reviewed and discussed in the meeting.

vii. Visit of Shri Anil Malik, Secretary, MWCD, visited NIPCCD Regional Centre, Bengaluru on 19th August, 2024 along with Ms. Tripti Gurha, Director, NIPCCD and Dr. Sanghamitra Barik, Regional Director Bengaluru. Activities were reviewed and Secretary, MWCD assured continued support to make Regional Centre a Centre of Excellence.

viii. Celebration of Hindi Pakhwara at NIPCCD, New Delhi

7.47 NIPCCD Headquarters, New Delhi celebrated Hindi Pakhwara from 14th to 30th September, 2024 encouraging the use of Hindi in the Institute. During the Pakhwara, a number of events namely "Hindi Khajane Ki Khoj, Shrutlekh Pratiyogita, Hindi Essay Competition, Noting Drafting Competition, Rajbhasa based Questions/Answers, Aashubhashan Pratiyogita and Hindi Karyashala were organized for the staff of the Institute.

ix. Meeting held under the Chairpersonship of Hon'ble Minister of WCD on 30th November, 2024 to review the important issues related to NIPCCD, Guwahati

7.48 Hon'ble Minister, WCD, Smt. Annpurna Devi, visited NIPCCD Regional Centre, Guwahati

(RCG) and conducted a Review Meeting of the faculty and staff at the Regional Centre, interacted with the students of ADCGC Course, and the participants of Poshan Bhi Padhai Bhi. Notably, she is the first Union Minister to visit Regional Centre Guwahati.

7.49 Hon'ble Minister Smt. Annpurna Devi highlighted the importance of Anganwadi Kendras in the country and the importance of Padhai along with Poshan in the centers for holistic development of children and to meet the goal of "Kuposhan Mukh Bharat".

Hon'ble Minister especially highlighted that the schemes that were made by the Ministry of MWCD has made a positive result at the grassroots level. Hon'ble Minister also focused on 'Viksit Bharat' which is a nationwide campaign to raise awareness through outreach activities to achieve objectives of the schemes of GoI across the country under the able leadership of Hon'ble Prime Minister who is committed to ensuring all- round development of every section of society and every region of India.



National Commission for Women

National Commission for Women

I. Introduction

8.1 The National Commission for Women was constituted on 31st January, 1992 as a Statutory Body to safeguard and promote the rights and interests of women. The Commission has been mandated to investigate and examine the legal safeguards provided to women under the Constitution and other laws and recommend to the Government, the measures for their effective implementation. The Commission is also mandated to review the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments to meet any lacunae/or inadequacies in such laws; to look into complaints and take suo motu notice of matters relating to deprivation of women's rights etc. and take these up with appropriate authorities; take up research studies on issues of relevance to women, Gender Sensitization of Police Officers, participate and advise in the planning process for socio-economic development of women, evaluate socio-economic progress, inspect jails, remand homes etc. where women are housed under custody and seek remedial action wherever necessary.

8.2 Various cases of atrocities committed against women have been investigated by the Commission and immediate relief has been provided to the affected women in many cases. Redressal of grievances and complaints concerning deprivation of women's rights

and non-implementation of laws enacted to safeguard their rights is one of the important activities undertaken by the Commission. The Commission, while handling/processing complaints, leverages its association with the State Police Authorities, State Commissions for Women, National Legal Service Authority, State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, etc. In order to ameliorate the condition of women in Prisons / Remand Homes, the Commission provides suggestions, advisories and measures on health, safety and mental wellbeing etc. so that they are treated in a humane manner .

8.3 During the year, the Commission has undertaken numerous activities to ensure enhanced participation of women in different spheres of life by conducting Seminars, Consultations to review Laws, Training Programmes and Meetings with various stakeholders in the country. Such activities and programmes have been undertaken in collaboration with State Women Commissions, renowned Policy and Educational Institutions, other departments etc.

II. Details of Complaints received and redressed

- i. During 1st January to 31st December, 2024, the C&I Cell of the Commission registered a total of **25,743** complaints/cases falling within its mandate.

- ii. The State wise and Nature wise distribution of Complaints registered by the Commission during the above mentioned period, is attached at **Annexure-XVII** and **Annexure-XVIII**, respectively.
- iii. The Commission conducted a meeting with all the DGPs and Senior Police Officers of States/UTs on 21st June, 2024 at Faridabad to discuss the module developed by the Commission giving access to Police for uploading action taken report online.
- iv. During September, 2024 the Commission conducted a meeting with the Nodal Officers of all States to review the status of uploading of action taken reports on the MIS.
- v. **Mahila Jan Sunwai:** Considering the increasing inflow of Complaints, the Commission has conducted 05 Mahila Jan Sunwai in collaboration with DLSA and State/ District Police Authorities.

III. **24×7 NCW Women Helpline-7827170170:**

8.4 On 27th July, 2021, the National Commission for Women launched 24×7 Helpline-7827170170 with an aim to provide an online support to women in distress through referral by linking them with the concerned Police, Hospitals, Legal Services Authorities, and Psychological Counseling etc. The portal is driven by IVR interactive mechanism through Digital India Corporation under Ministry of Electronics and Information Technology, Govt. of India). From 1st January to 31st December, 2024, the total calls received in the Helpline were 1,73,510.

IV. **Redressal of NRI Complaints**

8.5 The Commission largely adopts a convergent approach among various Ministries like Ministry of Women and Child Development, Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs, to address NRI matrimonial issues. The process of legal recourse initiated by the aggrieved women is expedited by coordinating with different stakeholders and Action Taken Report (ATR) is sought from such authorities i.e., concerned Police department, District Legal Service Authority, Indian Embassies and Missions abroad, Regional Passport Officer (Ministry of External Affairs). During the year, approximately 2227 letters have been issued to concerned authorities and others.

8.6 Complainants/ Survivors are also provided psycho-social and legal counselling by legal professionals and counsellors, when they approach the Commission personally and are also appraised on the interventions that NRI Cell makes while dealing with matters. During the period, counselling to around 57 walk-in complaints has been entertained, in addition to telephonic counselling received on daily- basis by the NRI Cell.

8.7 Hearing(s) is also conducted in matters registered with the Commission for necessary intervention, wherever required in relation to follow up with the concerned authorities or reconciliation between the parties.

8.8 NRI Cell of the Commission also organises Programmes/ Seminars and Consultation/ Meetings from time to time to create wider public awareness and to initiate deliberations on the effectiveness of legal remedies available for the Indian women affected on account of various issues involved

in NRI marriages. During this period, NRI Cell has conducted following programmes keeping in view the challenges faced by aggrieved women in getting substantial relief due to conflict of Law and Jurisdiction :-

- i. Awareness Programme on NRI Marriages in Patan, Gujarat titled, and “NRI Marriages – Do’s and Dont’s– A Way Forward” conducted on 04th January, 2024.
- ii. Awareness Programme on NRI Marriages in Pitampura, New Delhi titled, “Rights of Indian Women in NRI Matrimonial Issues” conducted on 13th February, 2024.
- iii. Awareness Programme on NRI marriages in Panchkula, Haryana titled, “NRI Marriages – Do’s and Dont’s – A Way Forward” conducted on 03rd August, 2024.

Ongoing in 2025:

- i. A series of **10 Awareness Programmes** on NRI Marriages in various districts of Haryana titled, “NRI Marriages – Do’s and Dont’s – A Way Forward” in coordination with Dr. B. R. Ambedkar National Law University, Sonapat.
- ii. A series of **09 Legal Awareness Programmes** in 09 different districts of Delhi is being conducted titled as “Rights of Indian Women in NRI Matrimonial Issues” in coordination with the Guru Govind Singh Indraprastha University (GGSIP), Dwarka, New Delhi.

8.9 From 1st January to 31st December, 2024, as many as 429 New Complaints have been received by NRI Cell and the Commission has initiated action in all complaints.

The Commission has, during this period, succeeded in providing all possible relief/s to a large number of aggrieved women, sought by them from the Commission, in matters relating to NRI marriages. Based on previous year’s data, 110 complaints are estimated to be received during the period 1st January to 31st March, 2025.



V. Suo Motu Cognizance of Incidents/ Cases

8.10 Under Section 10(1) and 10(4) of the National Commission for Women Act, 1990, the Commission takes suo motu cognizance of cases on the basis of media reports and complaints relating to violation of women’s rights and non-implementation of laws enacted to provide protection to women. Generally, report in this regard is sought from the concerned authorities. In matters of crime of heinous nature committed against a woman, Inquiry Committees/ Fact Finding Teams are also constituted by the Commission which submits its recommendations/ findings to the Commission for taking such action as deemed fit against those allegedly involved in the crime which is forwarded to the concerned authority for further appropriate action.

8.11 The number of cases where suo motu cognizance has been taken by the Commission, the number of cases where Action Taken Reports have been received and the number

of cases that were closed during January, 2024 to December, 2024 are as below:

No. of matters taken up	No. of ATR's received	No. of cases closed (Old & New)	Inquiry Committee/Fact Finding Team constituted
203	353	52	10

VI. Deliberations on Legal issue

A. Law Review on “Rights of Women under Property Laws”

8.12 The Commission in exercise of its powers under Section 10(1) (d) of the National Commission for Women Act, 1990 undertook a review of the “**Rights of Women under Property Laws**”. The Commission organized 4 consultations in Assam, Odisha, Goa and Karnataka as an attempt to seek recommendations, suggestions, opinions, and views of stakeholders from all over India.

8.13 The objective was to bring about and formulate specific recommendations for amendments, extend the right to property to women without any discrimination based on gender or other unlawful manner, to develop equitable practices, removing the disabilities for widows and promote uniform rules for devolution of property for both male and female dying intestate. A Consolidated Report, proposing feasible amendments to safeguard the interests of women in India, has prepared and will be submitted to the relevant Ministries/ Departments, Ministry of Women and Child Development and the Ministry of Law and Justice in due course.

B. Law Review on Cyber Laws affecting Women

8.14 The Commission exercising its powers by virtue of Section 10(1) (d) of the National Commission for Women Act, 1990 conducted a law review to revisit and reconsider another topic which needs imminent attention, i.e., **Cyber Laws Affecting Women**. For a holistic view and inputs, the Commission conducted eight regional consultations in Assam, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Punjab, Gujarat, Karnataka and Haryana. The consultation was in collaboration with various universities to gather perspectives from diverse sectors and stakeholders across various regions, and the region-specific understanding of the problems faced with respect to effective implementation and enforcement of the statutes. The objective of these efforts is to develop comprehensive recommendations for amendments to the relevant laws. After receiving plethora of inputs and proposals during the regional consultations, there was a need to channelise and put the inputs in one thread, thus, the Commission is expecting to conduct the Final Law Review Consultation expeditiously in the months of Feb–March, 2025.

VII. Initiatives in North East Region

8.15 During the period 1st January to 31st December, 2024, the National Commission for Women Organized the following Seminars to generate awareness in the North East Region:

- Seminar on Tea Garden Workers at Dhalai with Tripura State Women Commission on 8th January, 2024.

- ii. Regional Conference with Secretaries, WCD and SCW of the NE States on 18th January, 2024 at Guwahati, Assam.
- iii. Seminar on Empowering the Women farmers in Tripura with Tripura State Women Commission on 29th February, 2024.
- iv. Regional Level Women's Day Programme held at Gangtok with Sikkim State Commission for Women on 12th March, 2024.
- v. Two Days Regional Capacity Building Workshop and Conference on "Promoting Entrepreneurship among Indigenous Women of NER based on Non Timber Forest Produce" at, State Convention Centre, Shillong, Meghalaya on 8th to 9th July, 2024.
- vi. Awareness Seminars on Substance Abuse has been held in 7 states namely Assam, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur and Tripura.
- vii. Seminars on "Building Resilient Communities: Women and Sustainable Ecosystem" has been held in 3 states namely Mizoram, Nagaland and Sikkim.
- viii. 6-Day Capacity Building "Nature Guide Training Course" for Aspiring/Current Women Homestay Owners has been held in Nagaland and Meghalaya.

VIII. Policy Monitoring and Research Cell

8.16 The Commission in collaboration with Government Organizations, Universities/

Colleges, Autonomous bodies, Institute of National Importance, Voluntary Organizations etc., conduct research studies and seminars to gain deeper insights on pertinent issues and make recommendations for effective implementation of existing policies, programs, schemes, and projects related to the welfare and empowerment of women as per the mandate under Section 10 of the NCW Act, 1990.

8.17 For this year, the Commission demonstrated deep interest to conduct two Pan India research studies on themes like 'Impact assessment of 73rd and 74th Amendments in Indian Constitution'; and 'Women in Unorganized Sector'. Both these research studies have been designed to assess the problems & challenges faced by women different political arena, agency of autonomy, intersection of technology, awareness and access of different government schemes, challenges of informal sector economy and push and pull factors of migration in urban locality.

8.18 The Commission conducted 12 Seminars in collaboration with academic institutions, Universities and Voluntary Organizations to understand the economic and social vulnerabilities of women engaged in unorganized sector, push and pull factors for migration, and analyse the awareness and accessibility of social security provisions.

IX. Women Safety Audit Survey Research

8.19 The National Commission for Women had initiated the Women Safety Audit Survey research in 20 cities to assess the level of

safety experienced by women in public spaces and work spaces in the cities on the basis of a sample survey and focused group discussions (FGDs). Through this survey the Commission has tried to identify gaps in the infrastructural environment of the city through a participatory approach and ensure safe public and work spaces for women.

8.20 The Commission had engaged premium research Institutes to carry out the first phase of the study in 12 cities, namely Ghaziabad, Faridabad, Vijayawada, Coimbatore, Jodhpur, Aurangabad, Gwalior, Raipur, Ranchi, Meerut, Vasai Virar, and Asansol. The Institutes have submitted the final report for each city to the Commission. The second phase of the survey research is currently ongoing in Gurugram, Agra, Agartala, Indore, Varanasi, Jaipur, Ludhiana, and Thiruvananthapuram. The data collection has been completed in these cities and the Institutes are in the process of finalizing the report.

X. Inspection of Jails/ Custodial Homes and Psychiatric Institutions

8.21 Psychiatric and Custodial Homes Reform (PHCHR): The PHCHR Cell was established to evaluate the conditions of institutions housing women and provide recommendations for improvement. These include Prisons, Custodial Homes, Psychiatric Homes, and Mental Hospitals. Additionally, the cell conducts inspections in various shelters such as Swadhar Grehs (homes for women in distress), One Stop Centres (support facilities for women facing violence), and Ujjwala Homes (centers for anti-trafficking and rehabilitation). The inspections are carried out by a team comprising the Chairperson, Members,

and representatives from the PHCHR Cell of the Commission, ensuring the safety and welfare of women in these facilities.

8.22 During the year (till 31st December, 2024), the Commission undertook a total of **68 inspections** as under:

Year	Jails/ Prisons	Psychiatric Homes/ Hospitals	Shelter Homes/Old age Home	One Stop Centres	Police Stations
2024-25	20	10	11	11	16

8.23 As part of the Commission's ongoing efforts, approximately 10 inspections are tentatively scheduled to be conducted in Jails, One-Stop Centres (OSCs), Shelter Homes, and Psychiatric Homes during the period from 1st January to 31st December, 2025.

8.24 On a significant undertaking aligned under Section 10 of the NCW Act, the NCW team visited 15 Police Stations of Delhi (1 Police station in each district) in August, 2024 to assess conditions and amenities to the female officials and visitors to ensure compliance with laws

8.25 Teams from the Commission comprising officer and officials visited Lok Nayak Hospital, Jawaharlal Nehru Marg, Delhi; Maharishi Valmiki Hospital, Pooth Khurd, Delhi; Guru Teg Bahadur Hospital, Dilshad Garden, New Delhi in September and October, 2024.

8.26 In 2024-25, three meetings were held with Nodal Officers appointed by the concerned States, to discuss and ensure regular updation of acid attack cases on MIS. The Commission emphasized on timely payment of compensation, medical assistance and speedy chargesheet.

XI. Women Safety Cell

8.27 The Commission in collaboration with Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai had started a pilot project “Violence Free Home- A Women’s Right (Special Cell for Women)” to help women survivors of violence in 7 States, namely, Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Meghalaya, Odisha, Punjab, and Tamil Nadu. In a similar collaboration between NCW, TISS and Delhi Police’s Special Protection Unit for Women and Child (SPUWAC), this project of Violence Free Home (VFH) was initiated. The VFH (Special Cell for Women) project entails placement of trained Social Workers for providing Psycho-Socio-Legal services for women subjected to violence at the respective State Police (Home) Department. Such social workers have been working at these Special Cells/ Crime Against Women (CAW) Cells/ Resource Centre for Interventions on Violence Against Women (RCI-VAW) attached to various Police Stations.

8.28 In this regard, the National Commission for Women signed an MOU to conduct a **Third Party Audit of the Violence Free Homes** with the **Quality Council of India**, a registered, autonomous, and a non-profit society established by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

8.29 In 2024-25, three meetings were held on 17th May, 2024; 21st June, 2024 and 11th September, 2024 with Nodal Officers, to discuss and ensure regular updation of acid attack cases on MIS.

XII. Capacity Building and Women Welfare

8.30 The series of Awareness Programs “**Rise and Lead: Young Women Pioneering Technology, Business and Public Life**” were conducted across 25 Universities/ Colleges in 24 States and Union Territories targeting college-going girls to ignite their minds and foster leadership capabilities. The program has benefited more than 5700 female students.

- i. The Commission organized Capacity Building & Mental Health Program for the family members of Defence Personnel. The program was designed to tap the entrepreneurial potential of the army wives along with addressing factors contributing to mental health and wellness.
- ii. The Commission facilitated Certificate Program in General Management for Aspiring Women Entrepreneurs for 100 women of army personnel in collaboration with IIM Jammu.
- iii. The Commission launched “**Masika Mahotsav**” initiative in collaboration with Muse Foundation and NGOs to promote menstrual hygiene awareness and breaking the silence surrounding menstruation. The National Commission for Women has conducted “Menstrual Hygiene Awareness Day” on 28th May, 2024.
- iv. The Commission had conducted the following Gender Sensitisation and Legal Awareness Programme:
 - a) Workshop on Gender Sensitisation and Legal Awareness Programme

- for students of Class 9th to 12th of Army Public Schools
- b) Training of Trainers under the Project “Gender Sensitisation and legal Awareness for the students of Class 9th to 12th of AWES”
- c) Legal Awareness Camps under the Programme “Vidhaan se Samadhan” for women at Block Level
- v. The Commission had organized the following programmes for Celebration of Poshan Maah:
 - a) Poshan Maah in collaboration with 12 State Women Commissions
 - b) Awareness Programme on importance of Nutrition
 - c) Health Camps for Women in Prisons: General Health Camps focusing on women’s health and promotion of Poshan Vatika in jails.
- vi. The National Commission for Women organized the “Hum Bharat Ki Mahilayein” program at Ravindra Rangmanch, Bikaner, on the occasion of 75th Constitution Day. The Hon’ble Governor of Rajasthan, Shri Haribhau Bagde graced the event. A team of 15 women from the Commission performed a play honoring 15 remarkable women who played a pivotal role in shaping the Indian Constitution.
- vii. The Commission in collaboration with 7 State Women Commissions (SWCs) organized Awareness Programmes under the campaign ‘16 days of Activism against Gender-based Violence’.
- viii. The Commission conducted an Awareness Programme on “Understanding and Addressing Gender Based Violence” in Bhopal to observe 16 days of activism against Gender Based violence benefiting 300 participants.
- ix. The Commission conducted “15 Days Skill Training for women inmates of Central Jail, Bhopal” by using water hyacinth under the theme “**Waste to Wealth**” in collaboration with Madhya Pradesh State Women Commission.
- x. On the occasion of International Women’s Day, an Experience Sharing Programme Titled “**Tu Bol**” was launched at various places. The objective of the program was to bring together eminent personalities to share their stories of struggle and journey towards success. The main programme was held at Vigyan Bhawan, New Delhi on 07th March, 2024 which was attended by more than 1500 participants. The Resource Persons of the National Level Programme were Sister BK Shivani (Motivational/ Spiritual Speaker), Saina Nehwal (Indian badminton player), Ritu Karidhal Srivastava (Mission Director, Chandrayaan 3, ISRO), Neha Joshi (Politician) and Pragya Prasun Singh (Acid Attack Survivor). Additionally, 4 Regional Level Programmes were

held at Jammu, Bhopal, Gangtok and Chennai where eminent speakers shared their experiences.

- xi. The 32nd Foundation Day of the National Commission for Women was celebrated on 31st January, 2024 in Bharat Mandapam, New Delhi, with Hon'ble Union Minister Smriti Irani and other dignitaries present. The event featured an exhibition by Women Artisans, cultural dance performance, and speeches highlighting women's empowerment initiatives. Hon'ble Union Minister Ms. Smriti Irani and Hon'ble Chairperson Ms. Rekha Sharma emphasized the importance of women in the nation's progress and NCW's role during the pandemic. The celebration drew a diverse crowd, reaffirming commitment to women's rights. Representatives from various Embassies, Judicial Officers, Armed Forces personnel, State Women Commissions, Vice-Chancellors, Advocates, and Students from different regions also participated.



XIII. Media and Outreach Programmes

8.31 The Commission played a pivotal role in driving awareness, advocacy, and outreach

during the year 2024. Key achievements include:

i. Social Media Advocacy:

- Regular updates on X (formerly Twitter) highlighted suo motu cases, Commission events, and critical initiatives.
- Press releases were issued for significant cases that required public attention and media coverage.

ii. Television Engagement:

- A special program, “Navchetna”, aired on Doordarshan, educated women about various government schemes and highlighted the Commission's initiatives.
- *Foundation Day* celebrations were telecast live on DD Bharti, and the *Panchayat se Parliament* program was broadcast live on Sansad TV.

iii. Podcast Series:

- The Commission produced 11 episodes of a podcast series on women's empowerment and related issues. Seven of these episodes were featured on Doordarshan, extending their reach to a wider audience.

iv. Motivational Videos:

- A series of short, inspiring videos featuring remarkable women and their contributions to the nation were curated and shared across social media platforms to ignite

hope and empowerment among women.

v. Thought Leadership:

- The Honorable Chairperson of the Commission authored articles for leading newspapers, discussing women's rights, laws, policies, and societal issues, adding depth to the national conversation on women's empowerment.
- The Media Cell also facilitated an international interview with a Singapore-based media channel to discuss crimes against women, showcasing the Commission's global perspective.

vi. Collaborations and Consultations:

- The Commission collaborated with Meta for a consultation on "Digital Privacy," focusing on protecting women's rights in the digital space.

vii. Awareness Campaigns:

Audiovisual materials were developed to enhance public understanding of the Commission's key initiatives, including:

- POSH (Prevention of Sexual Harassment) awareness.
- Gender sensitization programs.
- NRI awareness campaigns.

Through these initiatives, the Media Cell amplified the Commission's impact, ensuring its messages reached diverse audiences

and fostering a culture of empowerment, awareness, and advocacy for women's rights.

XIV. Jammu & Kashmir Cell and Ladakh Cell

8.32 Violence Free Home: A Woman's Right – 12 pilot Special Cells in Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh" have been set up as an initiative of providing social services to women survivors by trained social workers located in the police system with a clear understanding that violence against women is a crime. After the successful execution of said project, the Commission decided to implement the project in rest of the Districts of Jammu & Kashmir and set up 10 Special Cells for a period of 24 months FY 2023-2025 in rest of the Districts of UT of Jammu & Kashmir under the project. Total complaints registered during said duration was 124 and Total 96 ATR was processed.

XV. Anti-Human Trafficking Cell

8.33 The Commission conducted 19 seminars on "Anti Human Trafficking Awareness" throughout the country targeting the critical **source, transit as well as destination** areas for **6500 participants**. The capacity building and awareness generation programmes have been organized in collaboration with law enforcement agencies like State Police, Railway protection force and Central Industrial Security Force

XVI. New Initiatives

8.34 The Commission in collaboration with the Institute of Constitutional and

Parliamentary Studies (ICPS), Lok Sabha organized a one day specialized program for 500 selected participants, who were women elected representatives of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies from different States/UTs, who had already trained under the Commission **“She is a Change maker program”**

8.35 From January 2024 to December 2024, 17 training programs have been conducted for Women Representatives of Panchayati Raj Institution (PRIs), Urban Local Bodies in the States of Kerala, Manipur, Madhya Pradesh, Sikkim, Uttar Pradesh and West Bengal.

8.36 The Commission has collaborated with the National Gender and Child Centre (NGCC), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) to conduct training workshops for the officers.

8.37 The Commission in collaboration with the National Law University, Delhi (NLU Delhi) proposes a scheme **“Sanjeevani- Scheme for Holistic Rehabilitation of Domestic Violence Survivors”**.

8.38 During the year, 06 training programs have been conducted in the collaboration with Rambhau Mhalgi Prabodhini for Women Officers/Officials, Elected Women Representatives and Women Working in Voluntary Organization in domain of Geospatial Technology at pan India level.

8.39 21 workshops reaching approximately 4000 participants have been conducted in different States for both Corporate and Government employees regarding Public Awareness on Prevention of Sexual

Harassment at Workplace for Government & Corporate Employees.

8.40 The Commission is collaborating with different training institutes for organizing Capacity Building Program for Women in Agriculture/ Agri. Entrepreneurs with the aim to upgrade their capacities. During the year 2024, 3 training program were held in the State of Chhattisgarh, Rajasthan and Odisha.

8.41 During 2024 Five (05) training programs were organized in the UT of Delhi and States of Uttarakhand, Punjab, Maharashtra by BPR&D through various Academies on Gender Sensitization and Forensic Science Training for Police Personnel. Additionally, The Commission also conducted 6 one day Gender Sensitization Workshops for Police Personnel were conducted in collaboration with different State Police Academies. Approx. 1200 Police personnel have been trained under these six Gender Sensitization Workshops.

8.42 The Commission has specifically designed and conducted training programmes for 16th and 17th battalions of BSF who are deployed for UN Mission to Congo. During the year, a two day training for 17th Battalion of BSF troop deployed for UN Mission to Congo was conducted on 4th to 5th March, 2024 at BSF Camp, Chawla. Delhi.

8.43 The Commission collaborated with National Forensic Sciences University (NFSU) for conducting 5th International and 44th All India Criminology Conference on "Behavioral Forensics: Reintegrating Expanding contours of Criminology and Criminalistics at NFSU Gandhinagar in January 2024.



National Commission for Protection of Child Rights

National Commission for Protection of Child Rights

9.1 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) was set up on 5th March, 2007, as a statutory body of the Government of India. The mandate of the Commission is to ensure that all laws, policies, programmes and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective, as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC). The Commission also have responsibility of monitoring of implementation of laws relating to children such as; Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (u/s 109); Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 (u/s 44) and Right to Education (RTE) Act, 2009 (u/s 31).

9.2 The Commission continued its interventions in its pursuit of protecting the rights of the children against all forms of violations, deprivations and abuse. The Commission looked into various areas including the right of children to education, child labour, child health, children with special needs/disabilities, sexual exploitation of children, drugs and substance abuse among children, child trafficking and rehabilitation of rescued children etc. with its powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908.

9.3 The methods adopted included field visits, issuance of communications in

the form of letters, directives, guidelines and recommendations to the Government; complaints management and issue of summons; policy dialogues with Ministries; review meetings with States, regional and national level consultations for monitoring child rights across the country.

I. WORKSHOPS/CONSULTATIONS/ MEETINGS

A. Workshops/Consultations

i. State level workshops on sensitization for keeping child rights at the core of implementation of NEP 2020 Action Plan.

9.4 The National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century that aims to address the growing developmental imperatives of our country. This Policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG4, while building upon India's traditions and value systems. The fundamental principles includes- to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres, for achieving foundational literacy and numeracy by all students by Grade

3, promoting multilingualism and the power of language, ethics and human & Constitutional values, creativity and critical thinking, emphasis on conceptual understanding, extensive use of technology etc. NCPCR, under Section 13 of CPCR Act, 2005, has been assigned the role of reviewing existing policies as well as making recommendations for effective implementation of policies in the best interest of the children. Therefore, the sensitization meetings for keeping child rights at the core of implementation of NEP 2020 Action plan were conducted in different States. The details of the meetings are given below:

S.No.	Topic	State	Date
1	Online workshops	Punjab	30.07.2024
2	on sensitization for keeping child rights	Uttar Pradesh	01.08.2024
3	at the core of implementation of NEP 2020	Tripura	06.08.2024
4		Telangana	06.08.2024
5	Action Plan	Rajasthan	10.08.2024

ii. District level workshops on awareness of different stakeholders regarding Section 17 of RTE Act, 2009 and guidelines on eliminating corporal punishment in schools.

9.5 Children are subject to corporal punishment in schools; institutions meant for care and protection of children such as hostels, orphanages, *ashram-shalas* and juvenile homes; and even in the family settings. As per section 2 (24) of the JJ Act, 2015 corporal punishment means subjecting a child by any person to physical punishment that involves the deliberated infliction of pain as retribution for an offence, or for

the purpose of disciplining or reforming the child. As per section 17 of the RTE Act, 2009, corporal punishment and mental harassment are prohibited. Due to lack of awareness and sensitization on zero tolerance on corporal punishment in schools and adherence to the guidelines to eliminate corporal punishment in schools, the Commission as per its mandate u/s 13 of the CPCR Act, 2005 has organized sensitization awareness workshops for Principals, Head Masters of (Government and Private) Schools, DEOs, DIETs etc. The details of the workshops are given in **Annexure - XIX**

iii. District level workshops on sensitization on comprehensive manual for safety and security of children in schools including cyber safety.

9.6 In order to streamline the efforts for ensuring safety and security of children in schools, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) u/s 13 (1) (a) examined and compiled different guidelines and formed a comprehensive manual titled “Manual on Safety and Security of Children in Schools”. The manual includes guidelines on different components of school safety namely, infrastructure; health and hygiene; psychosocial aspects; roles and responsibilities of teachers. It also includes monitoring mechanism specifying the responsibilities of School Management Committees (SMCs)/ Parent-Teacher Associations (PTAs), Students, School Management, Block and District Education Officers, District Collector/Magistrate. The Commission, u/s 13 (h) of the CPCR Act, 2005, has organized various sensitization workshops and orientation programmes on NCPCR’s manual on safety and security of

children in schools for various stakeholders with special focus on cyber safety in schools at the Districts. Details of the workshops are given in **Annexure - XX**

iv. District level orientation workshops on NCPCR's guidelines for prevention of bullying and cyber bullying in schools.

9.7 After the COVID 19 pandemic, the use of technology has increased many folds as education is being extended to children through online mode and children are spending more time on internet and technology has become the most accessible mode of extending recreational opportunities for children. It has been observed that the threat to online safety of children having multiple dimensions have increased – be it the scare of misuse of children's data or exposure of children to sexual content or bullying during classes. Given the growing use of technology and increasing cases of bullying, NCPCR has prepared guidelines for prevention of bullying and cyber bullying in schools. Therefore, the Commission has organized the orientation workshops on the said guidelines detailed in **Annexure - XXI**

v. Regional level review and consultation for preventing drop outs from schools and re-engaging out of school children.

9.8 The Census 2011 data has revealed that 8.4 crore children (age group of 5 -17 years) don't go to school at all. In the context of Out of School Children (OoSC) and their re-engagement, the Commission is of the firm view that emphasis must be laid on understanding and strengthening the preventive strategies in this regard. All the programmes, policies and related interventions of the Government

should be in consonance with prevention of Out of School Children which could be a first step towards combating the problem of school drop outs, non-enrolment, and low attendance. Considering the gravity of the issue, Commission has organised the regional level review and consultations on the topic of preventing drop outs from schools and re-engaging out of school children in various States/UTs of India. Details of such reviews and consultations detailed as under:

S. No.	Activity Name	State / Regional	Date
1	Review and consultation for preventing drop outs from schools and re-engaging out of school children.	Tamil Nadu	05.01.2024
2		Karnataka	09.01.2024
3		Jharkhand	13.01.2024
4		Tripura	18.01.2024
5		Assam	19.01.2024
6		Punjab (regional)	31.07.2024
7		Madhya Pradesh (regional)	03.08.2024
8		Jharkhand (regional)	20.09.2024
9		Puducherry (regional)	25.09.2024

vi. Workshops on the Standard Operating Procedure (SoP) for implementing Section 12 (1) (c) of the RTE Act, 2009

9.9 National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has been mandated under Section 31 of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 to examine and review the safeguards of the rights provided under the Act and to recommend measures for its effective implementation. The RTE Act, 2009 is anchored in the belief that the values of equality, social

Justice and democracy and the creation of a just and humane society can be achieved only through provision of inclusive elementary education to all. To make education inclusive, the RTE Act, 2009 defined the responsibility of private schools for including children from backward and disadvantaged sections of society for bringing parity and equality of opportunity for all children to again quality education. Section 12(1)(c) of the RTE Act, that mandates 25% reservation for children from economically and socially weaker sections in private unaided non-minority schools. It is a step forward to provide opportunity for children from diverse social and economic backgrounds to study together in a universal environment. In view of the importance of this significant provision of the Act, Commission has organised the workshops on Standard Operating Procedure (SoP) for implementing Section 12 (1) (c) of the RTE Act, 2009.

S. No.	Activity Name	State	Date
1	Workshops on the Standard Operating Procedure (SoP) for implementing Section 12 (1) (c) of the RTE Act, 2009	Kerala	20.01.2024
2			
3		Goa	31.01.2024
		Delhi	02.02.2024

vii. A National Review-cum-Consultation on grievance redressal mechanisms developed in States u/s 32 of RTE Act, 2009 was held on 5th August, 2024 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

9.10 As per Section 31 of the RTE Act, 2009, the Commission is responsible for monitoring the implementation of the Act. One of the functions given under the said Section is to examine and review the safeguards for rights

provided by or under this Act and recommend measures for their effective implementation. Further, with respect to redressal of grievances, Section 32 of the Act states that any person having any grievance relating to the right of a child under this Act may make a written complaint to the local authority having jurisdiction. To review the process of grievance redressal set-up in different States/UTs and deliberate upon the ways in which the mechanism can be made more effective, a National Level Review-cum-Consultation on Grievance Redressal Mechanisms developed in States/UTs under Section 32 of RTE Act, 2009 was held on 05th August, 2024 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

viii. A State level workshop on NCPCR's Guidelines for Support Persons w.r.t Section 39 of the POCSO Act, 2012

9.11 A workshop was conducted in the State of Nagaland. Hon'ble Chief Secretary of Nagaland along with State CPR and other senior functionaries from Government of Nagaland participated in the said workshop. More than 150 stakeholders attended the said workshop.

ix National level Review-cum-Consultation on implementation of Joint Action Plan on Prevention of Drug among Children and Illicit Trafficking on 30th June, 2024.

9.12 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the Narcotics Control Bureau (NCB) joined forces to mark the "International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking" with a significant initiative. Together, they orchestrated a pivotal event titled the "National Level Review and Consultation on the Implementation

of the Joint Action Plan for Preventing Drug and Substance Abuse among Children and Combating Illicit Trafficking.” Shri Nityanand Rai, Hon’ble Minister of State, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, graced the meeting with his presence and as a Chief Guest. The Minister shared some key observations and appreciated the initiative taken by the Commission in spreading awareness regarding drug abuse and trafficking of other illicit drugs.

- x. The Commission conducted a Campaign called “बाल तस्करी से आज़ादी 2.0” in 100 Bordering and Adjoining Districts of India towards prevention and combating child trafficking which was concluded on the occasion of World Day against Human Trafficking on 30th July, 2024. In the months of July-August 2024, the Commission in technical collaboration with State Commission for Protection of Child Rights (SCPCRs) conducted 13 District Level (Sensitization- cum-Orientation Workshops) on Preventing and Combating Child Trafficking in 13 Bordering and Adjoining Districts of India as part of “बाल तस्करी से आज़ादी” campaign 2.0. District wise list in **Annexure – XXII**.
- xi. One day State level consultation on the theme of **Available Schemes for Malnourished & Stunted Children** was conducted in Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Tripura and Mizoram in the month of September and October 2024.
- xii. One day State level workshop on the topic of **Counseling Essentials and Mental Health Needs from Children**

in Child Care Institutions (CCIs) was conducted in Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Sikkim, Tripura in the month of September and October 2024.

- xiii. One day State level workshop on the topic of **Prevention of Child Marriages** was conducted in Assam, Meghalaya, Tripura, and Nagaland in the month of September and October 2024.
- xiv. One day State level workshop on the topic of **Prevention of Children Getting Affected and Infected with HIV & AIDS** was conducted in Manipur, Meghalaya, Sikkim, Tripura, and Nagaland in the month of September and October 2024.
- xv. One day State level workshop on the topic of **Support Persons w.r.t Section 39 of POCSO Act, 2012** was conducted in Assam, Mizoram, Meghalaya and Sikkim in the month of September and October 2024.
- xvi. One day State level workshop on the topic of **Provisions of Child Labour (Prohibition And Regulation) Act 1986 with its Amended Act, 2016 and Amended Rules 2017** was conducted in Manipur, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura in the month of September and October 2024.
- xvii. One day State level workshop on the topic of **Provisions of Juvenile Justice (Care and protection Of Children) Act, 2015 with its Model Amended Rules 2022** was conducted in Assam, Meghalaya, Tripura, Sikkim in the month of September and October 2024.

- xviii. The Commission has been conducting vulnerability mapping of children who live in difficult circumstances as well as their families. To enable this process; discussions at District, Block and Village level are required to be undertaken and identification and matching of the vulnerable mapping at source, transit and destination is important. For this, orientation programme for the District Officers as well as other stakeholders was conducted in District Koderma on 05th July, 2024.
- xix. One Day State Level Sensitization, Orientation-cum-Consultation Workshop on the topic of **Digital Portals of NCPCR** was held at Gangtok, Sikkim on 18th March, 2024.
- xx. One-day State level workshops on the topic of **Cyber Safety and Security of Children in Schools and Elimination of Corporal Punishment in Schools** in various Districts of NER was organized in technical collaboration with State Commission for Protection of Child Rights, detailed list in attached in **Annexure – XXIII**.

B. MEETINGS

- i. The 8th ASIAN Trauma Conclave with special focus on Women and Child well-being and Congress on “Cognitive Behavioural Therapies across Illness & Health: Advances, Challenges & Way Forward”- All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi supported by NCPCR has organized 8th Asian Trauma Conclave under the theme of “Cognitive Behavioural Therapies (CBT)

across Illness & Health: Advances, Challenges & 101 Way Forward” with special focus on Women and Child Wellbeing from 28th February, 2024 to 2nd March, 2024.

- ii. **Meeting to find out ways to curb the cases of death of minor due to attack by stray dogs on 21st March, 2024.** The Commission came across various cases where the dogs attacked children, and the worst situation arose when such attacks were the cause of death and severe diseases like rabies. Stray dogs and bites have been long-standing issues, especially in densely populated urban areas. To address the issue and in view of its sensitivity, where the rights of children and dogs may be affected at any step, the Commission, under the directions of the Chairperson, NCPCR, decided to hold a meeting with other ministries to find ways to curb the issue in the best possible manner. The said meeting was headed by the Chairperson, NCPCR, in the presence of the Member Secretary, NCPCR, Members, NCPCR, and representatives from the Ministry of Women and Child Development, the Ministry of Law and Legislative Affairs, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying.
- iii. On the issue of reducing neonatal and infant mortality and as its one of the solution -emergency medical transport facilities for neo-natals, **a Consultative meeting on Ensuring Medical Emergency Transport facilities or Ambulances equipped with advanced life support systems**

- for infants in India** was organised on 26th April, 2024 at NCPCR office, New Delhi. The meeting was attended by representatives from the Ministry of Health & Family Welfare, Ministry of Road Transport and Highways, HOD, Neonatology, AIIMS, Jodhpur. Representative from Society for Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and members of some of the major ambulance manufacturing companies also participated in the meeting.
- iv. A meeting with **Central Armed Police Forces (CAPFs) on sahara- tele counselling portal** was held on 29th May, 2024 at NCPCR office, New Delhi. The meeting was attended by officers from Border Security Force (BSF), Central Reserve Police Force (CRPF), Sashastra Seema Bal (SSB), Central Industrial Security Force (CISF), Indo Tibetan Border Police (ITBP), and an officer from Assam Rifles (AR) joined the meeting online. The objective of the meeting was to deliberate a discussion on expanding the tele-counselling facility of NCPCR - SAHARA to all the forces under Central Armed Police Forces and ensuring counselling for children through available facilities and redress other related issues pertaining to education, health etc. through SAHARA Web-Link.
 - v. A meeting was conducted on the subject regarding registration of Residential facility for physically disabled children under JJ Act in the country on 20th May, 2024. The objective of the meeting was to discuss the registration of residential facilities for physically disabled children under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. Representatives from the National Human Rights Commission (NHRC), MWCD, Ministry of Law and Justice, and Ministry of Social Justice and Empowerment participated in the discussion.
 - vi. Meeting on **Prevention of Children infected and affected with HIV/AIDS held on 6th August, 2024 at NACO office, New Delhi**. The objective of the meeting was to create a common platform for all the stakeholders and strengthen collaboration between various Government departments to ensure that children and adolescents infected and affected with HIV are provided all essential services. Chairperson, NCPCR emphasized on collating all social protection schemes details existing in North Eastern States. From North East States, Chairpersons of the State Commission for Protection of Child Rights, officials from Ministry of Health, Ministry of Home Affairs, Health & Family Welfare, Ministry of Education, Ministry of Development of North Eastern Region (DONER), representatives from World Health Organization (WHO), UNAIDS participated in the meeting.
 - vii. Consultative Meeting on ensuring **Zero tolerance regarding any kind of violation of the rights of children during MahaKumbh Mela, 2025** at Prayagraj held on 25th July, 2024. The Commission held a pivotal meeting, to strategize and discuss the implementation of child-friendly measures for the upcoming

- Mahakumbh Mela 2025 at Prayagraj, Uttar Pradesh.
- viii. Meeting with **Mr. Marco Texeria, Regional representative of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) was held on 09th July, 2024 at NCPCR office, New Delhi.** The objective of the meeting was to understand the current situation of drug abuse in India focusing on potential areas of collaboration between UNODC and the Indian Government. Specific examples of drug abuse cases in India including children involved in gangs and exploitation were discussed. The meeting also laid emphasis on need for improvement in the legal system to provide better support to children in conflict with the law.
 - ix. Meeting on **Respiratory issues in children due to poor air quality** was held in New Delhi on 13th November, 2024. NCPCR brought together key stakeholders to address the growing health concerns among children in Delhi due to poor air quality. The primary focus was on the recent surge in respiratory illnesses linked to deteriorating air quality, exacerbated by seasonal stubble burning (Parali) in neighboring states. Attendees included experts from Delhi Pollution Control Committee (DPCC), Directorate of Health, pediatricians, pulmonologists, and representatives from various health organizations.
 - x. NCPCR has participated in 3rd Kumbh Conclave, 2025 held at Prayagraj from 25th to 27th November, 2024. Awareness on child rights was made by NCPCR by distribution of IEC material on various issues of rights and entitlements of children.
 - xi. State-wise online review meeting of District Task Force (DTF), was conducted from 1st to 30th September, 2024. The focus of this meeting was to evaluate the effectiveness of the training programs and assess how well these programs have addressed the challenges encountered. These review meetings were scheduled from 1st to 30th September, 2024, and were held on a state-by-state basis.
 - xii. The Commission emphasizes the paramount concern of a promising future for children and families involved in rag-picking, recommending the establishment of cooperatives to ensure fair and just payment in line with market value for waste materials. In pursuit of this objective, **the Commission has conducted meetings in (October 2024) with diverse stakeholders, including the Indian Oil Corporation Limited (IOCL), State and District authorities, NGOs, Cooperative Experts, and Experts in Recycling in Delhi, Mumbai, and Thane.** As a result, Bhopal Rag Pickers Cooperative Society was established in Bhopal, Madhya Pradesh, in February, 2024 and second cooperative viz., Thane Rag Pickers Child Bahuddeshiy Valtar Sahakari Sanstha Maryadit, was established in Thane, Maharashtra, in October, 2024.
 - xiii. A meeting focused on **Child Sexual Abuse Material (CSAM)** was conducted in the month of August 2024. Various social media platforms were invited



The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) held its 64th Statutory Meeting on 26.05.2025, chaired by Chairperson Ms. Tripti Gurha. Key decisions were taken to strengthen ongoing efforts and shape future initiatives.

to discuss key issues, including the reporting of CSAM to local authorities and the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), as well as KYC (Know Your Customer) mechanisms for users on their platforms, among other topics.

- xiv. A meeting on the subject regarding **alarming increase among minor children committing crime after watching pornographic content** was held on 05th August, 2024.

C. Poshan Maah – 2024

9.13 Poshan Maah 2024, the seventh annual edition of this nutrition-centric initiative, was launched by the Ministry of Women and Child Development in September 2024. The goal of Poshan Maah is to enhance nutrition awareness, particularly among

children, pregnant and lactating women, and adolescents, in alignment with the broader Poshan Abhiyaan (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nourishment). This year's campaign emphasized improved dietary practices, addressing malnutrition, and promoting better health practices across communities.

9.14 In this regard, NCPCR on the occasion of commemorating Rashtriya Poshan Maah, 2024 has asked all the SCPCRs through a letter dated 28th August, 2024 to observe and celebrate "Rashtriya Poshan Maah-2024" through social media campaigns and spread awareness by holding sensitization programmes on nutrition in their respective States/UTs. NCPCR after getting a report from all the States/UTs will be compiling the same.

D. Inter-departmental review meeting cum consultation on child rights with States/UTs-

9.15 NCPCR as per its mandate under section 13(1) of CPC Act, 2005 hold inter-departmental review-cum-consultation on various issues of child rights of States/UTs with various concerned departments of the States/UTs. The main objective of these meetings is to review the present situation of implementation of laws related to children in States/UTs, and to discuss challenges, good practices and way forward for their effective implementation.

9.16 To organize the meetings with the States/UTs, a detailed exercise pertaining to indicators based on various child-related legislations was carried out. Accordingly, an agenda note with details of indicators was communicated to the Chief Secretaries and Chief Administrators of the States and UTs, respectively, for nominating nodal officers and supplying data and information as per prescribed formats meant for various departments. During the meeting, various aspects of the issues being faced by children were discussed and a State/UT-wise set of recommendations was provided. The details of review meetings held in 2024-25 are as below:

S. No.	Date	State
1	13.05.2024	Uttarakhand
2	31.05.2024	Madhya Pradesh
3	20.06.2024	Arunachal Pradesh
4	21.06.2024	Assam
5	22.06.2024	Meghalaya

E. REPORTS/ GUIDELINES/ SOP's

9.17 The Right to Education (RTE) Act, 2009, is grounded in the belief that achieving values such as equality, social justice, and democracy is only possible through the provision of inclusive education for all. The exemption of religious institutions from RTE Act, 2009 led to exclusion of children attending only religious institutions from the formal education system under the RTE Act, 2009. Thus, while Articles 29 and 30 of the Constitution of India protected minority rights; children in these schools were deprived of equal access to quality education under the RTE Act. What was intended to empower children ultimately created new layers of deprivation and discrimination due to wrong interpretation. The RTE Act, prophesied as an enabling tool, became a tool of deprivation and discrimination.

9.18 In this regard, Commission has prepared a report titled **Guardians of Faith or Oppressors of Rights: Constitutional Rights of Children vs. Madrasas**. The report consists of 11 chapters touching upon different aspects of the history of Madrasas and their role in violation of educational rights of children. The report is prepared with an aim to guide us towards creating a comprehensive roadmap that ensures all children across the country grow up in a safe, healthy, and productive environment. By doing so, they will be empowered to contribute meaningfully to the nation-building process in a more holistic and impactful way.

9.19 The Commission has prepared a **Standard Operating Procedures (SOP) for stakeholders for prevention of child marriages in India** to establish accountability for non-reporting of child marriages, provide

for the rehabilitation of minor victims of child marriage, and initiate prosecution, including the registration of FIRs against persons involved in solemnizing child marriages.

F. Pariksha Parv 6.0

9.20 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) inspired from the Honourable Prime Minister's "Pariksha pe Charcha" programme conducted Pariksha Parv 6.0 from 29th January, 2024 to 31st March, 2024. Pariksha Parv 6.0 is an endeavour for providing a platform for students, parents and teachers to share their thoughts and get guidance and important tips from the experts/ renowned personalities and motivational speakers. In such stressful times, talking about and sharing the uneasy and confusing thoughts would help mitigate stress and anxiety of students to a great extent, change the outlook/perspective of children towards exams and make it a joyful activity like a festival. During this year, NCPCR launched "Pariksha Parv 6.0" with the following major activities:-

- i. 18 Live Streaming Sessions broadcasted via Social Media of NCPCR-Facebook/ Twitter and YouTube, New India Junction (NIJ) and You Tube accounts of Doordarshan on topics related to examination pressure and stress. Renowned experts from various fields such as mental health, motivational speakers, educationist experts, yoga gurus etc. interacted with children, parents and teachers.
- ii. 12 Radio spots were broadcasted on Vividh Bharti (National), All India Radio for creating awareness on Pariksha Parv 6.0 with audio messages

of Hon'ble Prime Minister's "Pariksha Pe Charcha, 2024".

- iii. District and State level orientation cum sensitization programmes- These programmes were intended for sensitizing parents through school Management Committees (SMCs) and Parents Teachers Association (PTAs) and school teachers. Around 200 programmes in different districts were organised.
- iv. Meta, in collaboration with NCPCR conducted an event on 12th February, 2024 to launch a campaign aimed at uniting students, teachers and parents towards shared understanding of dealing with exam stress and complement existing efforts i.e. Pariksha Parv.

G. Hindi Pakhwara

9.21 Hindi Diwas is celebrated on 14th September in the country because on this day in 1949, the Constituent Assembly of India has adopted Hindi written in Devanagari script as the official language of India. Hindi Translator of the Commission participated in two days (14th to 15th September, 2024) Hindi Diwas programme organized in Delhi by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The messages of Hon'ble Home Minister and Hon'ble Minister of Women & Child Development were read amongst the staff. Hindi Pakhwara (Fortnight) was celebrated in NCPCR from 16th September to 30th September, 2024 wherein various activities to promulgate Hindi Language was carried out in the Commission through competitions like Hindi Essay, noting drafting, reel making and debate and listening skill. Debate and listening skill competitions were organized separately for officers and staff.

H. Hindi Workshop

9.22 Hindi Workshops are organized every quarter of the year to encourage the officers and staff of the Commission to work in Hindi language. During the workshop, officers and staff were given practical training to prepare drafts of letters in Hindi. The participants of the workshop were also given information about Official Language Policy of the Government of India.

I. The Meeting of the Official Implementation Committee

9.23 The meeting of the Official Language Implementation Committee of NCPCR is organized in every quarter to implement various constitutional and legal provisions of official Language Act, 1963 and rules framed thereunder. During the meeting, problems encountered in the implementation of Official Language and progress in implementation of official language is discussed with competent authority.

J. Benches / Camps

9.24 One of the functions of the Commission under section 13(1) (j) of CPCR Act, 2005 is to inquire into complaints and take *suo-motu* notice of matters of violation and deprivation of child rights and their entitlements.

9.25 The Commission is committed to reach out to every last child in the country through its various interventions under the mandates provided under CPCR Act, 2005. To reach out to as many children as possible and for redressing their grievances, NCPCR has undertaken the task of holding grievance redressal Camps/Benches in Districts having Aspirational blocks. NCPCR has conducted

its grievance redressal benches/camps to redress grievances pertaining to violation and deprivation of rights and entitlements of children. The details of Benches/Camps organized by NCPCR from June, 2024 to December, 2024 is given in **Annexure - XXIV**.

K. Grievance Redressal

Complaints of Child Rights violations/deprivations and Suo-motu actions by the Commission.

9.26 NCPCR under Section 13 of the Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act 2005 is mandated to inquire into complaints related to the violation of child rights. During the period under Report (from January 2024 to December, 2024); the Commission received **40408** new complaints pertaining to deprivation and violation of child rights including the complaints received from NCPCR's Benches/Camps. As against this, **35342** complaints including pending ones were closed during the period. Details given in **Annexure – XXV**.

L. RESCUE OPERATIONS

9.27 The Commission has been conducting various activities towards elimination of Child & Adolescent labour such as rescue operations, programs, research & fact-finding studies etc. Taking their efforts forward, NCPCR has organized a **PAN-INDIA Rescue campaign**, from 1st to 30th June, 2024 across the Country. The details of some rescue operation conducted are given below:

- i. In various placement agencies at Shakurpur, Delhi on 7th June, 2024 wherein a total number of 21 children were rescued and accordingly FIR was

lodged under relevant sections.

- ii. In coordination with Bachpan Bachao Andolan at Raisen, Bhopal, Madhya Pradesh on 15th June, 2024. Total 36 children were rescued and produced before Child Welfare Committee, Raisen.
- iii. In some Distillers at Sehatganj, Raisen, and Bhopal on 15th June, 2024. A total number of 57 children were rescued and were produced before Child Welfare Committee and accordingly FIRs were lodged in this regard.
- iv. In the Garment Factories of Ludhiana, Punjab on 12th June, 2024, wherein a total number of 74 children were rescued.

II. SPECIAL VISITS/ /SPOT ENQUIRY

9.28 The details of Fact-finding inquiries conducted by the NCPCR are as given below:

- i. In the month of July 2024 into the incidence of “Five children dead and 38 hospitalized due to suspected food poisoning at Shri Yugpurush Dham Orphanage, Malharganj, Indore, Madhya Pradesh”.
- ii. In the month of July 2024 into the incidence of “The residential cluster to shift the differently abled children and see if found fit for them at Rau, Indore” & visit to “Government girls hostel at Choral” in Indore, Madhya Pradesh.
- iii. In the month of August 2024 into the incident of “Death of 3 children, hospitalization of 37 others after food poisoning at orphanage run by religious organization at Anakapalle,

Andhra Pradesh”.

- iv. In the month of August 2024 in the matter of sexual abuse of two minors in Thane, Maharashtra.
- v. In the month of May 2024 in the matter of “Sex racket busted in Arunachal Pradesh”.
- vi. In the month of May 2024 for the incident of “Bomb blast in a Madarsa wherein one minor child has been injured at Saran District via Patna, Bihar”.
- vii. In the month of August 2024 in the matter of “A minor girl becoming pregnant in a government run hostel and her subsequent abortion by hostel superintendent”.
- viii. In the month of August 2024 in the matter of “Hostel superintendent taking obscene pictures of the minor girls”.
- ix. In the month of February 2024 in the matter of “Sexual assault of a minor girl at Latur, Maharashtra”.

III. CHILDLINE TRANSITION UNDER MISSION VATSALYA

9.29 Ministry of Women and Child Development (MWCD) being the Nodal Ministry for ensuring welfare of children has now implemented Mission Vatsalya after the approval of Cabinet in 2021 in order to secure healthy & happy childhood for each and every child in India, to ensure opportunities, to enable them to discover their full potential and assist them in flourishing in all respects, in a sustained manner. As proposed, (Mission Vatsalya) in partnership with the States and Districts shall execute the 24x7-helpline

service for children as defined under the JJ Act, 2015, and as amended in 2021.

9.30 With respect to the same, MWCD has also sent a note to the Chairperson, NCPCR to obtain legal opinion from the Ld. ASG for a way ahead to bring ChildLine services directly under the ambit of Government of India. In view of the opinion given by the Ld. ASG it is further clarified that the MWCD through appropriate provisions in the applicable scheme i.e Mission Vatsalya can select and appoint other organizations like NCPCR for National level operations of Childline. As Child Line-1098 services is provisioned under the JJ Act, 2015 and as the Commission is mandated to *monitor the implementation of the provisions of the Act* under Section 109, hence monitoring of the ChildLine service also comes within the monitoring role of NCPCR. In view of the above in furtherance of its monitoring powers, the Commission proposed to the Ministry of Women and Child Development along with a Standard Operating Procedure for transition of Childline Services.

IV. MEDIATION CELL

9.31 Ministry of Women and Child Development (MWCD), vide its order No. 31/59/2016-CW-I dated 27th July, 2018, in accordance with the power conferred to the Government of India under Section 33(1) of the Commissions for Protection of Child Rights (CPCRs) Act, 2005, constituted a Mediation Cell in National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). This was created to resolve the cases of children who were taken away by one of the spouses, without the permission of the other spouse, due to marital discord or domestic violence from overseas countries to India, or vice versa, and for preparing a Parental

Plan taking into account the best interest of the child. The Cell is actively mediating on cases involving NRI parents.

V. RECOMMENDATIONS

i. Recommendation to prevent illegal transportation of children

9.32 National and State Commissions have been intervening to rescue numerous children who were being unlawfully transported across state borders. In one such incident on 26th April, 2024, 95 children were rescued while allegedly being illegally transported from Bihar to Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh State Commission for Protection of Child Rights (UP SCPCR) rescued the children in Ayodhya and presented them before the Child Welfare Committee (CWC). Following counseling sessions, orders were issued to relocate these children to the Government Children's Home for Boys in Lucknow. Such incidents once again underscore the reality that many children in India continue to remain out of school and are susceptible to violence.

9.33 In accordance with the mandate outlined in section 13 (1) of the CPCR Act, 2005, the Commission vide letter dated 3 May, 2024 to the Chief Secretaries/Administrators of All States/UTs recommended the following steps-

- i. Ensure that all children in the age of 6-14 years are enrolled in neighbourhood schools and receive formal education;
- ii. Ensure that in all such cases where it is found that money is being raised in the name of children and the children

are illegally taken from one place to another, the concerned investigating officer may consider taking action in the light of Juvenile Justice Act, 2015 and Section 370 of the Indian Penal Code;

- iii. Issue necessary directions to the District Collectors/Magistrates of all Districts in concerned State/UT to enhance vigilance in their respective districts, thereby preventing the illegal transportation of children between locations. Additionally, the District Child Protection Unit (DCPU), Anti-Human Trafficking Unit (AHTU), and Special Juvenile Police Units (SJPU) should be instructed to conduct routine inspections and monitoring to deter such occurrences.

9.34 The letter was copied to Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Education; Chairman, Airport Authority of India to issue necessary directions to all concerned officers to be vigilant for any signs of child trafficking; Chairman, Railway Board & Chief Executive Officer (CEO) to issue necessary directions to all concerned officers including RPF and GRP to be vigilant for any signs of child trafficking; and Director General of Police of all States/UTs.

ii. **Recommendation on implementation of Section 29 of the RTE Act, 2009**

9.35 Following up on the earlier letters dated 9th May, 2019 and 13th April, 2023 issued by the Commission on the above mentioned subject, another letter dated 9th April, 2024 has been issued to Principal Secretaries/ Secretaries (School Education Department) of all States/UTs.

iii. **Recommendation regarding funds for the State Commissions for Protection of Child Rights (SCPCR) for carrying out their functions.**

9.36 The State Commissions for Protection of Child Rights (SCPCR), constituted under Section 17 of the CPCR Act, 2005 have the same functions as of NCPCR as per Section 24. Further, as per Section-32 of the RTE Act, 2009, the SCPCR shall decide the appeals preferred by any person aggrieved by the decision of the local authority. As per Section 31 of the Act, the SCPCR, in addition to the functions assigned to them under the Act, shall also perform certain other function given under the Section. For carrying out the monitoring activities, the Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of India shall be allotting Rs. 50 per school to the State Commissions as part of the annual budget to the State Education Departments. However, in the recent meeting with SCPCR, it has been brought to the Commission's notice that not all SCPCR are receiving this amount from the State Departments. Therefore, NCPCR vide letter dated 16th April, 2024 recommended to all the State Commissions that they may demand the funds from their respective State Education Departments for fulfilling their functions as mandated under the RTE Act, 2009. In case, the State Education Department is unable to provide the budget, it may be informed to the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India.

iv. **Violation of Election Commission of India's directives and use of children in election campaign**

9.37 The Commission took cognizance

of a video being circulated on social media by a political person wherein children were involved in propagating a political party's agenda and were used for criticising the opponent party/candidate. The tweet was also being posted and shared from other handles as well. This was in violation of the instructions issued by the ECI on 5th February, 2024. Also, in the video, at 1 minute 27 seconds and then at 1 minute 37 seconds, a child was shown kneeling down outside the classroom which is a form of corporal punishment in the school. Whereas, corporal punishment is prohibited in the country under section 17 of the Right to Education Act, 2009 and subjecting children to physical/mental harassment amounts to cruelty as per section 75 of JJ Act, 2015. Taking cognizance of the matter the Commission vide letters dated 28th April, 2024 requested Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology; Chief Election Commissioner, Election Commission of India; and CCO, Twitter to take immediate action in the matter.

E. PORTALS & DIGITALISATION

i. MASI- Monitoring App for Seamless Inspection

9.38 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has developed an application- *MASI – Monitoring App for Seamless Inspection*- for real time monitoring of the Child Care Institutions (CCIs) and their inspection mechanism across the country. The effective and efficient functioning of the mechanism for inspection of Child Care Institutions provided under the Juvenile Justice Act, 2015 and synchronous monitoring of the system is the rationale behind developing this comprehensive application.

ii. Baal Swaraj Portal-COVID Care

9.39 NCPCR had devised an online portal Baal Swaraj to do real time monitoring of children in need of care and protection. Keeping in view the second surge of COVID pandemic and the number of complaints received for children who had become orphan by losing their parents to COVID, a link on the portal had been devised-COVID Care link.

iii. Baal Swaraj Portal-CISS

9.40 The Hon'ble Supreme Court had taken cognizance on the issue of children in street situation in SMWP (C) No. 6/2021 In Re Children in Street Situations on 15th November, 2021. The problems pertaining to the rescue and rehabilitation of children who are on the streets were taken up before the Hon'ble Supreme Court in this case and many directions have been passed to the State Governments to take measures and steps for rescue and rehabilitation of children in street situations. The Hon'ble Supreme Court had observed that the Standard Operating Procedure for rescue and rehabilitation of children in street situations 2.0 formulated by NCPCR provides for steps and role of authorities while dealing with street children which are comprehensive in nature.

iv. Baal swaraj – citizen login (portal)

9.41 NCPCR on its Baal Swaraj Portal-CISS has devised a link <https://ncpcr.gov.in/baalswaraj/citizenlogin>, through which individuals, academic institutions and Non-Government Organisations/ Civil Society Organisations (hereinafter referred to as “NGOs/CSOs” respectively) having varied experience of working towards the cause

of children in street situations (hereinafter referred to as “CiSS”) could be involved at the ground level with the appropriate authorities for the identification and rehabilitation of CiSS.

v. POCSO tracking portal

9.42 The POCSO tracking portal was inaugurated by Hon’ble Mr. Justice Uday Umesh Lalit, Former Chief Justice of the Supreme Court of India, on 17th July, 2022. This tracking portal, a collaborative effort between the National Legal Services Authority (NALSA) and the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), was conceived to fulfill the Commission’s mandate of overseeing the enforcement of the POCSO Act 2012, as outlined in Section 44. Recognizing the imperative for a dedicated platform to monitor implementation and facilitate services for victims of child sexual abuse under the POCSO Act, the tracking portal aims to provide real-time tracking of cases involving child sex abuse victims. It is envisioned to streamline processes for victim compensation and rehabilitation, ensuring their care and safety.

vi. Ghar portal

9.43 The extent and scope of the NCPCR monitoring role has been significantly increased with respect to the implementation of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2022. As per Rule 81 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2022 (Transfer and Repatriation of Child), the role of the Commission has been elaborately

defined. Since the implementation of the JJ Act, 2015 and its Rules, 2016; there were many challenges and gaps which came to the notice, especially hindering the process of rehabilitation of children. In an attempt to eliminate those challenges which are being faced by authorities in repatriation and to send the maximum number of children back to their native place with their families/relatives; the Commission has prepared Protocol for Restoration and Repatriation of children and GHAR (Go Home and Reunite) portal.

vii. Tracking portal for out of school children

9.44 The Hon’ble Supreme Court has discussed upon the various issues related to children who have either dropped out of school or are likely to drop out of school and expressed its concerns towards the continuation of education of children during the COVID pandemic. In the last order dated 9th May, 2022, the Hon’ble Supreme Court has given the directions for ensuring continuation of education of children and identifying children who have dropped out of school. Therefore, NCPCR developed a web portal to track and monitor children who are drop out and currently out of school so as to bring such children back in the main stream education system.

viii. POCSO e- Box

9.45 The POCSO e-box is an easy and direct medium for reporting any case of sexual assault under POCSO Act, 2012. The POCSO e-box was launched in August 2016 by the Commission as an additional facility to enable the children to lodge complaints directly to NCPCR, particularly in cases of sexual abuse.

It is displayed prominently on the home page of NCPCR website, where the user has to simply press a button named POCSO ebox, which will navigate to a page asking picture options. User has to simply select at least one picture option, fill a simple form and click on submit button to register the complaint. After this, an acknowledgment is received about the complaint being registered along with a complaint number. This initiative has been proved as one of the easiest and most effective way of receiving complaints and information.

ix. Management Information System portal

9.46 NCPCR, being a monitoring authority

requires data under various Acts in a performa prescribed by NCPCR. To save financial, human and other resources in carrying out this process, NCPCR under Rule17 (g) of NCPCR Rules, 2006, has initiated the process of collecting data/information through development of an online Management Information System Portal on various indicators. It is a tool that indicates performance under various indicators that helps comparing data from other sources. There are 187 State/UT level and 2238 district level Nodal Officers given access to the system for uploading the relevant information on regular basis.



NCPCR celebrated its 20th Foundation Day at its Delhi office in the presence of Chairperson Ms. Tripti Gurha, Commission members, and SCPCR representatives who joined virtually.



**Central Adoption Resource
Authority**

Central Adoption Resource Authority

10.1 Central Adoption Resource Authority (CARA) was set up in June 1990 by Government of India to regulate, monitor and promote adoption of orphan, abandoned or surrendered children, with the principal mandate of finding loving families for Children in need of Care and Protection. Pursuant to a decision of the Union Cabinet dated 2nd July, 1998, the Ministry of Social Justice & Empowerment conferred autonomous status to CARA on 18th March, 1999 by registering it as a Society under the Societies Registration Act 1860. Adoption under the JJ Act 2000 enabled the placement of children in adoption with the involvement of recognized agencies and authorities for ensuring safeguards in adoption placement of institutionalised children.

10.2 Central Adoption Resource Authority (CARA), earlier an autonomous body, became a Statutory Body of the Government of India under the provisions of Section 68 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (Act No. 2 of 2016), w.e.f. 15th January, 2016. The Juvenile Justice Act 2015 has been amended through Govt. notification on 9th August, 2021 and one of the most important features of the amendments is that it includes authorizing District Magistrate including Additional District Magistrate to issue adoption orders under Section 61 of the JJ Act, in order to ensure speedy disposal

of cases and enhance accountability. Central Adoption Resource Authority (CARA) functions at the National level, under the aegis of the Ministry of Women and Child Development, as the nodal body for promoting and regulating adoption of Indian children.

I. Role & Charter of CARA

10.3 As envisaged in Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Amended in 2021), CARA is mandated as under:-

- i. To promote in-country adoptions and to facilitate inter-state adoptions in co-ordination with State Agency;
- ii. To regulate inter-country adoptions;
- iii. To frame regulations on adoption and related matters from time to time, as may be necessary;
- iv. To carry out the functions of the Central Authority under the Hague Convention on Protection of Children & Cooperation in respect of Inter-country Adoption;
- v. Any other function as may be prescribed.

II. Organisational Structure

10.4 CARA is headed by the Chief Executive Officer (CEO) and has a sanctioned strength of

37 officers and staff altogether. The Authority has a Steering Committee with the following members as defined in Section 69 of the JJ Act, 2015:-

- i. Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Chairperson-ex-officio;
- ii. Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, dealing with Authority-ex-officio;
- iii. Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, dealing with Finance-ex-officio;
- iv. One member from a State Adoption Resource Agency;
- v. Two members from Specialised Adoption Agencies;
- vi. One Adoptive Parent;
- vii. One Adoptee;
- viii. One advocate or a professor having at least ten years of experience in family law;
- ix. Member-Secretary, who shall also be Chief Executive Officer of the Organization.

III. Programme Activities

10.5 CARA framed the Adoption Regulations 2022 as mandated under section 68 (c) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021) which has been operational from 23rd October, 2022. The new Adoption Regulations aims to strengthen adoption programme in the country by streamlining the adoption process. Transparency, early de-institutionalization of children, informed choice for the parents,

ethical practices and defined timelines in the adoption process are the salient aspects of the Adoption Regulations, 2022.

IV. Formation of Identification Cell

10.6 In order to ensure the compliance of order dated 20th November, 2023 passed by Hon'ble Supreme Court in the matter of Temple of Healing vs. Union of India [WP (C) No. 1003/2021], an Identification Cell has been set up at CARA and started functioning since July 2024, primarily with the following objectives:

- i. To ensure registration of all children less than 18 years of age in CCI's who are falling into five categories i.e. Orphan, Abandoned, Surrendered, No visitation, Unfit Guardians/Parents on CARINGS.
- ii. To carry out regular monitoring & evaluation of the database of children.
- iii. To coordinate with district level authorities to determine legal status of children in timelines and addressing delays.
- iv. To ensure data updation on CARINGS by state and district level authorities regarding stakeholders as well as children's profile.

10.7 In compliance with the above order, an exhaustive exercise and rigorous monitoring by Identification Cell has been carried out in coordination with state & district level authorities to identify children in CCI's in 5 categories. Earlier, children were identified in 3 categories i.e. Orphan, Abandoned & Surrendered. Now, as per the directions of Hon'ble court, children in 2 more categories i.e. No Visitation and Unfit

Guardian/Parents have also been identified. The state and district level authorities were also coordinated for registration of children identified in 5 categories on CARINGS portal and to review all children by concerned Child Welfare Committees (CWCs) for their restoration, rehabilitation and issuance of Legally Free for Adoption (LFA) certificates in such cases where there are no claimants.

10.8 The drive for establishment of Specialized Adoption Agency (SAA) and constitution of Child Welfare Committee (CWC) in each district has also been undertaken. The State & District Level Authorities have been pursued to ensure the registration/ updation of stakeholders of all districts on CARINGS. Simultaneously, various provisions,

functionalities and reports were developed on CARINGS regarding children in 5 categories as well as the functioning of stakeholders in accordance with SAA-CCI linkage.

10.9 The communications were made with state and district level authorities through letters sent to Chief Secretaries (1st December, 2023 and 10th August, 2024), to Principal Secretaries/Administrative Secretaries (27th March, 2024, 19th July, 2024 and 5th September, 2024) and to District Magistrates (29th May, 2024 and 4th November, 2024). Physical and virtual review meetings were organised with stakeholders of 439 districts. IEC material and Office Memorandums regarding CARINGS operations (in Hindi-English) were disseminated to all stakeholders.

V. The progress at a glance:

Stakeholders			
	Before (as on 01.01.2024)	After (as on 31.12.2024)	Achievement
Specialized Adoption Agencies (SAAs)			
Establishment of SAAs and their registration on CARINGS	495	698	(+) 203
No. of districts covered by SAA	390	588	(+) 198
Other Stakeholders on CARINGS portal			
Child Welfare Committee (CWCs)	480	665	(+) 185
District Child Protection Units (DCPUs)	750	756	(+) 6
Chief Medical Officers (CMOs)	594	679	(+) 85
Child Care Institutions (CCIs)	6150	5192	(-) 958*

*It was observed that many CCIs were closed in recent years. Therefore, through regular follow-ups stakeholders were prompted to update CCI/ children residing in CCIs details on CARINGS. This exercise helped in providing correct representation of CCI as well as children pending for action.

Children	2024-25
Children registered in five categories (from 01.01.2024 to 31.12.2024)	11372 (O-1489, A-2682, S-2390, NV-1947, UG- 2864)
Total children available in five categories (as on 31.12.2024)	13712 (O-2363, A- 3576, S-1987, NV-2139, UG-3647)
Children declared Legally Free for Adoption (LFA) (from 01.01.2024 to 31.12.2024)	3684 (Male-1637, Female-2044, Other-3) (Normal-3211, Special Needs-473)
LFA children available for adoption (as on 31.12.2024)	2177 (Male-1010, Female-1165,Other-2) (Normal-750, Special Needs-1427)
Cleansing of children [18 years+, Transfer, Restoration, Run away, Deceased, Hide (wrong entry or double/multiple registration)] (from 01.01.2024 to 31.12.2024)	19495

Adoption Statistics 2024-25 (from 01.01.2024 to 31.12.2024)				
In-country		Inter-country		Total
OAS Children (RI)	3074	OAS Children (OCI)	93	
OAS Children (NRI)	59	OAS Children (Foreign)	306	
Relative Adoption (RI)	425	Relative Adoption (NRI/OCI)	31	
Step Adoption (RI)	215	HAMA (NRI/OCI)	34	
Foster Adoption (RI)	29			
Total	3802	Total	464	4266

Adoption under HAMA (Domestic)*	
Year- 2021-2023	20403

*Domestic HAMA adoptions are not regulated by CARA. The data has been furnished by respective states.

10.10 Rehabilitation of Older Children:
Adopting older children presents unique challenges, but the considerable effort to placing them in loving, supportive families is made for that. CARA is promoting the

inclusion of older children in foster care through nationwide campaigns, state collaboration, comprehensive training programs, and policy enhancements. These measures aim to encourage families to

open their homes to older children, provide additional resources and ensure family-based care for older children. CARA is focusing on providing comprehensive rehabilitation support, including in-depth counseling for both the children and their adoptive parents. This approach aims to ensure a smoother transition and long-term success for older children in their new homes. The foster care module on the Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS) has been effective in finding suitable families for older children.

10.11 Foster Care: In order to facilitate family based care for older children in need of care and protection, Prospective Foster Parents (PFPs) have the option of providing temporary care to them through Foster care. To encourage this, financial support is being provided under the Mission Vatsalya scheme and CARA is promoting the same through awareness programs. CARA as the nodal agency launched the Foster Care platform on the CARINGS portal for online registration and matching of the Child-PFP profiles of Foster Care by DCPU in the last quarter of the Year 2024.

10.12 Foster Adoption: Foster care can lead to Foster adoption, subject to fulfillment of certain parameters such as time spent with family, Legal status of child, consent of parents and child, etc. Foster Adoption is a process through which a child who is already in a foster care of a family gets an opportunity to be with the same family permanently on the successful completion of 2 years in foster care. In line with the Adoption Regulations 2022, CARA has been promoting the adoption of older children who are already in foster care. This year, CARA has issued 29 Foster

Adoption Pre-Approval letters to ensure permanency for the children already in family foster care.

10.13 Rehabilitation of Special Needs Children: “Special Needs Child” means a child who is suffering from any disability as provided in the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 as given in Schedule XVIII and Schedule III (Part-E) of Adoption Regulations 2022 [Regulation 2(25)]. These children without family, face physical, mental, emotional or developmental challenges that require emotional, medical or therapeutic attention. During the year 2024, a total of 364 special needs children were reserved by PAPs. These children were suffering from various physical and mental disorders and disabilities and waiting in institutional care for family warmth, love and care.

10.14 Timeline for Relative & Step Parent Adoption: A structured timeline has been finalised by the Steering Committee for streamlining the adoption process with respect to In-country/Inter-country Relative and Step-parent Adoption for ensuring clarity for all stakeholders. (**Annexure-XXVI and Annexure-XXVII**)

10.15 Time extension for matching period of reserved Children: As stipulated in Adoption Regulation 11(9) (Chapter iv- Adoption procedure for Resident Indians) and Regulation 16(10) (Chapter iv- Adoption procedure for NRI, OCI and Foreign Prospective Adoptive Parents) of Adoption Regulations 2022, the matching and acceptance procedure is to be conducted maximum within 30 days from the date of reserving the child’s profile on CARINGS. In case where more time is required to execute matching and acceptance

process, a time extension request is submitted from prospective Adoptive Parents (PAPs)/ Specialised Adoption Agencies (SAAs)/ Authorised Foreign Adoption Agencies (AFAAs) or Indian Diplomatic Mission abroad (IDMs).

10.16 Clarification on Adoption Fees as per the Adoption Regulation: Attention is drawn to the adoption fees as provided in Schedule 15 of the Adoption Regulation, 2022. In part 2 of the said Schedule it has been mentioned that in case of Inter-country adoption of a child with normal health conditions, the adoption fees will be the same as that of In-country adoption i.e. INR 50,000/-.

VI. Grievance Management System

10.17 The grievances are received primarily from Prospective Adoptive Parents (PAPs) including other stakeholders in the adoption process. The nature of grievances are mainly on medical grounds, delay in the adoption process, seniority status, rejection by the Adoption Committee of SAA, etc. To address the issue, the following measures have been taken:

- **Help Desk:** A 12 hour Help Desk established to address the queries in a speedy way. The details of the calls handled by Helpdesk are as under:

Timeline	Inbound calls	Outbound calls	Total
01.01.2024 to 31.12.2024	61033	3877	64910

- **Central Grievance System:** It is an Online Module to address the grievances at various levels which has been made operational where

grievance are addressed at different levels i.e. if not resolved by SAA/DCPU, it will be visible on online portal of SARA and lastly at CARA.

A total 2093 grievances were received and 2017 grievances have been addressed, through the CARINGS Grievance Portal and through e-mails from 1st January, 2024 to 31st December, 2024.



Represented India in the Regional Workshop on implementation of the 1993 Adoption Convention in Manila, Philippines under the leadership of CEO CARA.

VII. CARINGS

10.18 Launched in February, 2021, Child Adoption Resource Information & Guidance System (CARINGS) is a web based designated portal for registration of PAPs desiring to adopt. All stakeholders have access to the portal and adoption process is completed on line through the CARINGS Portal. Its latest version 3.2 was made operational on 10th November,

2022 incorporating the new provisions made in accordance with the Adoption Regulations 2022, which also includes In-Country Relative Adoption and In-Country Post Adoption Follow- up Modules.

10.19 CARINGS Portal confirms to the international protocol as envisaged in the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Inter-country Adoption. It integrates the two databases pertaining to the legally free children available with that of the Prospective Adoptive Parents (PAPs) who register themselves online through the same system. The automated system matches the children available for adoption automatically with that of the choice given by PAPs and it gives online referrals automatically without any human intervention. Simultaneously, PAPs are able to view and reserve the children directly through Special Needs tab, Foster Adoption tab & Immediate Placement tab.

Development of Modules & Provisions

10.20 The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021) was enforced w.e.f. 1st September, 2022 and Adoption Regulations 2017 have been amended in 2022 which were notified w.e.f. 23rd September, 2022. Accordingly, the following modules and provisions have been developed and made live on CARINGS portal during the year 2023:

- i. Seniority waiting status for Resident Indian parents has been made live.
- ii. In-Country & Inter-Country Relative Adoption has been made live.
- iii. Provision regarding the update of categories (Orphan, Abandoned,

Surrendered, No-Visitation, and Unfit Parent/Guardian) made available at SAA and DCPU level.

- iv. Admin functionalities for “Transfer Under Process Children” and “Transfer/Restoration/Deceased/Runaway Children” added to CARA and SARA.
- v. SAA-CCI linkage process Phase 1 (Child Registration to Legally Free clearance) and Phase 2 (Adoption process) successfully made live.
- vi. Foster Care registration module developed, audited, and made live on the server.
- vii. Disruption/Dissolution portal logic updated to exclude these cases from the adoption process.
- viii. A pre-adoption phase module linked to SAA-CCI process made live.
- ix. The complete Foster Care Registration process, along with the matching process at the DCPU level and its subsequent transition to Foster Adoption after completing two years, has been made live.
- x. A provision has been implemented on the live server of CARINGS via the administrative panel to update a child’s status (Orphan, Abandoned, Surrendered) even after the child’s adoption has been implemented.

System Enhancements

- i. Dashboard updates for:
 - a. DM, SAA, and DCPU aligned with the SAA-CCI process.

- b. CARA website dashboard updated for bifurcation of Inter-country, foster, and HAMA data.
- ii. PAP registration page enhanced to support 12-digit birth certificate numbers.
- iii. Administrative tabs for adding Office Memorandums and Protocols created at CARA, SARA, DCPU, and SAA levels.
- iv. HSR revalidation process enhanced with remarks visibility and cancellation notes.
- v. Templates/pop-ups for child registration and LFA process implemented across levels.

a. Reports

- i. “Registered”, “In-Home Children”, “Declared Legally Free Children”, and others under “Category Wise (Orphan, Abandoned, and Surrendered)” made live.
- ii. Reports on HSR revalidation pendency at DCPU, SARA, and CARA levels.
- iii. “Children Turned 18 Years” and “Blocked/Unblocked Children” reports made live.
- iv. “Children’s Age-wise Legally Free” with filters (financial year, dates) made live.
- v. “Children Deceased” and “Children with Multiple Registrations Removed” made live.

- vi. Children Transfer to another SAA
- vii. Children Transfer to another CCI
- viii. Stakeholders Reports developed

VIII. Adoption Data (consolidated) during last three years

Adoption	2022-23*	2023-24*	2024-25 (01.01.2024 to 31.12.2024)**
In-country	3010	3580	3888
Inter-country	431	449	464

*As per Adoption Statistics given in CARA Website.

**Data retrieved from CARINGS portal

IX. Training & Outreaching Activities

10.21 Promotion of legal Adoption has seen major shifts during the past year. In order to equip the field/grassroot functionaries with the latest changes, their roles and responsibilities, efforts were put to organise frequent Trainings and Capacity Building programme. The trainings were conducted in physical as well as virtual mode to ensure that maximum stakeholders are benefitted. Regional Consultation on JJ Amendment Act, 2021 and JJ Model Rules, 2022 and Adoption Regulations, 2022 were organised by MWCD in collaboration with CARA and NIPCCD especially for District Magistrates and Additional District Magistrates. CMOs training on latest amendment and Medical Examination Report (MER) were also organised, so to facilitate the CMOs with the process. The detailed list of the Training Programme is placed underneath.

S. No	Activity	Conducted w.e.f (01.01.2024-31.12.2024)
1.	State Orientation on Adoption Regulations, 2022 and Counselling to SARAs, DMs, DCPUs, SAAs and other stakeholders.	12
2.	Trainings in collaboration with State Governments and NIPCCD	37
3.	Virtual Orientation Training on Legal Adoption and Counselling to Stakeholders.	46
4.	Visits & Inspections	19
5.	Adoptive Families and Prospective Adoptive Families Meet, during Adoption Awareness Month.	15

X. Adoption Awareness Programmes

10.22 Every year, November is marked as Adoption Awareness Month. Therefore, all States were encouraged to organise events to draw attention to adoption-related issues. This year the emphasis was on the adoption of older children, children with special needs or children in foster care. This year's theme was "Rehabilitation of Older Children through Foster Care and Foster Adoption," which aimed at raising awareness about the adoption process and the rehabilitation of older children through foster care. CARA aimed to spread adoption awareness amongst the stakeholders including the prospective adoptive parents.

10.23 **The Annual Conclave** on raising Adoption Awareness was successfully held in Lucknow on 21st November, 2024. The event aimed to increase awareness about adoption processes, rights, and challenges, while advocating for a more inclusive, supportive society for older children in need of care and protection. Smt. Savitri Thakur, MoS WCD, GoI was the esteemed chief guest of the Conclave.

Virtual Orientation Training Programmes



Training with SARA, CWCs, DCPUs & SAAs of Rajasthan on 12.01.2024.

Smt. Baby Rani Maurya, Minister for WCD, Govt of U.P., Smt. Babita Chauhan and Smt. Aparna Yadav from UP Commission for Women also graced the occasion. Around 500 participants, including stakeholders, adoptive parents, child welfare professionals, children, and members of the general public attended the conclave.

Online & Social Media Activities:

10.24 To reach out to the large number of people, the Central Adoption Resource Authority launched a Social Media Campaign in collaboration with MyGov India. Pledge Activity, Quiz Contest and Poster Making competition were carried on MyGov Platform.

- i. Online Pledge: 4,858 Participation.
- ii. Slogan Writing: 1032 Submissions.
- iii. Online Survey: 866 Submissions.
- iv. Poster Making: 309 Submissions.
- v. Adoption Storytelling: 211 Submissions.

10.25 Additionally, CARA conducted three Facebook Live sessions to answer the queries of general public with regard to adoption. The Facebook Live sessions were held on 27th February, 2024, 17th September, 2024 and 29th November, 2024 in which, large number of people joined the session and inquired about adoption procedure to CARA.



Adoption Awareness Conclave 2024 held on 21st November 2024 in Lucknow.



Adoptive families and PAPs united in Hyderabad on 23.11.2024 in the presence of CEO CARA.



Other Programmes and Activities

Other Programmes & Activities

I. Information technology

11.1 The Ministry is using Information Technology extensively for implementation of e-Governance in several schemes and initiatives. The website of the Ministry (wcd.nic.in) is a bilingual website. It has the information of all the schemes, Acts/Policies etc. of the Ministry and of its associated offices along with contact directory and organizational structure of the Ministry. Throughout the reporting year the zero downtime has been maintained for the citizen. The important related hyperlinks also have been provided at the site.

11.2 A Monitoring Dashboard (i.e. (wcd.dashboard.nic.in)) has been developed with the help of NIC to reflect outcomes and impacts of various schemes and projects of Ministry of Women and Child Development. In the year 2022, the dashboard was re-designed by NIC and has been implemented as per the three missions of MoWCD i.e Mission Poshan, Mission Shakti and Mission Vatsalya.

11.3 A brief description of some of the programmes introduced & latest development during the year of 2024-25 by the Ministry are follows:

A. E-Office (mwcd.eoffice.gov.in)

11.4 The Ministry has fully implemented eOffice Premium products and successfully

migrated to paperless office concept for which the Ministry has been graded as Platinum Ministry by Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DAR&PG). Ministry of Women and Child Development tops the list in terms of number of -e-files and percentage of e-files (100%) among all Ministries with zero physical file. Ministry has also been awarded by DARPG for commendable work done in the implementation of eOffice. More than 90000 electronic files have been created in the Ministry. Recently, eOffice 7.2.5 version has been implemented in the Ministry. Further, new updates have been made in e-Office to make it user friendly and transparent.

B. Mapping and Seeding of local Government Directory (IGD) Codes:

11.5 Local Government Directory (LGD) is a standard location code directory which assigns unique code to each revenue/land region entity such as State, Districts, Sub district, Block and village and to local bodies such as village panchayat, municipality. Ministry has integrated various schemes with LGD codes and is in the process of integrating more of its e-Governance applications with the LGD Codes of the location of administrative units.

C. Uploading Services on national Government Service portal (<https://services.india.gov.in>)

11.6 Ministry's IT services [under

Government to Citizen (G2C), government-to-employees (G2E) and Government-to-Business (G2B)] are being uploaded on “National Government Service Portal (<https://services.india.gov.in>) which is being designed to provide a single window portal for all Central and State/ UT Government information and transaction services, under G2C, G2E and G2B.



Hon'ble Minister MWCD along with Hon'ble MoS and Secretary MWCD @76 Republic Day Celebrations

D. SHE-Box (<https://shebox.wcd.gov.in/>)

11.7 The Sexual Harassment electronic Box (SHe-Box) is a government initiative designed to address the sexual harassment at the workplace. SHe-Box v2.0 is an upgraded grievance redressal system where the entire complaint process is conducted online with transparency, adhering strictly to the timelines set by the Act. SHe-Box v2.0 stands as a robust digital grievance redressal mechanism, empowering women with a transparent and effective platform to address workplace harassment complaints while promoting gender equality in the workforce. The key Enhancements and Features of SHe-Box v2.0:

i. **Portal Maintenance & Accessibility:** Continuous maintenance of the SHe-Box portal ensures 24/7 availability for citizens to report and track grievances effectively.

ii. **Restructured and Enhanced Interface:** The updated SHe-Box v2.0 introduces an improved UI/UX with newly added features for a more user-friendly experience.

iii. **Comprehensive User Support:** Assistance was provided for portal-related queries such as password resets, department seeding, and ministry mapping to enhance accessibility.

iv. **User Account Activation:** Nodal officers and department-level users received activated User IDs and passwords to facilitate seamless access and operations.

v. **Complaint Management Module:** Successfully deployed for both central and state government users, allowing streamlined case tracking, resolution, and improved transparency in grievance redressal.

vi. **Forwarded Complaint Module:** A newly added feature enabling efficient complaint redirection to the appropriate authority for timely resolution.

vii. **Internal Committee (IC) Management Enhancements:** Added an Edit IC Details feature to allow accurate updates and compliance with SH Act requirements.

viii. **State and District Dashboards:** Enhanced visibility and accessibility of case statuses for State Nodal Officers (SNOs) and District Nodal Officers (DNOs) to monitor grievance redressal progress effectively.

ix. **Empanelment and Annual Report**

Modules: Introduced to support structured documentation, compliance monitoring, and periodic reporting at the state level.

x. Workplace and IC Management Edits: Enabled users to update workplace details and manage Internal Committee information efficiently, ensuring accuracy in records.

xi. Seamless User Management: Continued support for user onboarding, role assignment, and technical troubleshooting, ensuring smooth portal operations and improved user satisfaction.

E. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana ([https:// pmmvy-cas.nic.in](https://pmmvy-cas.nic.in))

11.8 Common Application Software (PMMVY-CAS) Portal for disbursement of maternity benefits to eligible beneficiaries under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana.

11.9 Under PMMVY, monetary benefit is transferred directly to the account of eligible beneficiaries through PMMVY-CAS portal. It is accessible to functionaries at Block, District, State and National level for implementation and monitoring of the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY).

11.10 The new version of the PMMVYCAS portal is under development by NIC. It will cater to the amendments introduced in the revamped PMMVY under Mission Shakti guidelines. In the new application, Aadhaar has been made mandatory for all beneficiaries for seamless integration with other systems in the future and to enable Aadhaar-based payments. In the new roll-out, citizens will be

able to directly register themselves through PMMVY soft MIS or the mobile application.

G. Integrated Child Development Services- Rapid Reporting System (ICDS-RRS) (<https://icds-wcd.ni.in/>)

11.11 Under the Anganwadi Services under Umbrella Integrated Child Development Services Scheme, the Rapid Reporting System has been rolled out wherein new formats of registers and reporting Monthly Progress Report (MPR) and Annual Status Report (ASR) have been prescribed at Anganwadi Workers (AWW) and Child Development Project Officer (CDPO) level. The citizen can know his/ her nearby Anganwadi Centres through this portal.

H. Track Child (<https://trackthemissingchild.gov.in>)

11.12 The objectives of the scheme are to contribute to the improvement in the well-being of children in difficult circumstances, as well as to the reduction of vulnerabilities to situations and actions that lead to abuse, neglect, exploitation, abandonment and separation of children. In the year 2022, Track the missing children portal has been integrated with the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS). It will not only remove the duplicate efforts done by police officials at ground level but also the tracking of the missing children will be possible in lesser time.

11.13 Moreover, this year, Railway Protection Force (RPF) also has been on-boarded onto the Track Child portal. It will help in reporting the missing & recovered children directly by RPF posts and restoration and other care and protection services can be delivered as soon as possible.

I. Khoya-Paya (khoyapaya.gov.in)

11.14 Khoya-Paya is a citizen centric module for tracing missing children, developed as an Early Harvest Programme under Digital India. Any citizen registered with khoya-Paya can publish information about a missing or sighted child, without waiting to complete any legal formalities. The information supplied by the citizen would be made available for public view after a quick moderation. The citizen can further do searching of the database of the children by matching the attributes of the lost or sighted child.

J. Protection of Children from Sexual offences (POCSO) e-Box (<http://ncpcr.gov.in/index2.php>)

11.15 The POCSO e-box is an easy and direct medium for reporting any case of sexual assault under Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. It is displayed prominently in the home page of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) website where the user has to simply press a button named, POCSO e-box which will navigate to a page with the window having a short animation movie. The NCPCR Vacancies Portal is a dedicated digital platform designed to streamline the recruitment process for the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). This portal facilitates transparent, efficient, and structured hiring by providing a centralized system for managing vacancy postings, applications, and selection procedures.

K. Mission Shakti

11.16 The Mission Shakti IT platform is a centralized system that monitors, manages, and streamlines various schemes under

this initiative. By integrating technology, the platform enhances service delivery, ensures real-time monitoring, and supports data-driven decision-making.

a. Key Features & System Enhancements**1. Data Management & Real-Time Monitoring**

- Standardized forms and templates facilitate structured data entry for schemes such as One Stop Centres (OSCs), Beti Bachao Beti Padhao (BBBP), Shakti Sadan, Sakhi Niwas, and Palna.
- A real-time monitoring (RTM) mechanism automates data collection, processing, and reporting, ensuring timely decision-making.
- Geo-tagging of OSCs, Palna centers, and other institutions enables location-based tracking and performance evaluation.

2. System Architecture & Integration

- A robust and scalable system architecture handles peak loads while ensuring high availability and data security.
- Various schemes are interconnected to enable seamless data flow, allowing for a comprehensive view of interventions at the national, state, and district levels.
- Integrations with external government platforms such as Disha Portal and PM Gati

Shakti enhance monitoring and accessibility.

- A maker-checker verification process at the District Nodal Officer (DNO) level improves data validation and accuracy.

3. **Decision Support Engine & Public Services**

- A Decision Support Engine (DSE) for PM SANKALP serves as a repository of all women-related schemes, assisting women in accessing relevant government programs based on eligibility.
- An appointment booking module allows citizens to schedule sessions at OSCs for counseling and support services.
- A “Find Your Nearest OSC” feature on the public landing page helps women easily locate support centers.

4. **Data Visualization, Reporting & Dashboards**

- Interactive dashboards provide real-time insights into scheme performance, beneficiary data, and outreach impact.
- API-based data sharing mechanisms fetch data from external systems, including Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) for comprehensive monitoring.
- Reports and monitoring tools track 100-day campaigns and other special initiatives under the scheme.

5. **Mobile Application & Chatbot Implementation**

- A mobile application facilitates access to Mission Shakti services, ensuring ease of use for beneficiaries and field officers.
- A chatbot with AI-powered language detection, translation, and speech recognition is integrated into the Hub module, enhancing accessibility and user engagement.
- User interface enhancements improve usability and functionality for modules related to Shakti Sadan and Sakhi Niwas.

6. **Training & Capacity Building**

- Video conferencing sessions equip state and district officials with the necessary knowledge to effectively utilize the IT system.
- Training programs cover various modules, including OSCs, Palna, and the Hub for Empowerment of Women (HEWs) to enhance operational efficiency.

b. **Mission Shakti Dashboard Features**

1. **One-Stop Centre (OSC)**

- The One-Stop Centre module provides a dynamic dashboard accessible across all user logins for real-time insights.
- It captures detailed infrastructure and geolocation data, including latitude, longitude, and facility specifics, ensuring last-mile connectivity.

- It features an online case management system that enables seamless case registration, referrals across all Mission Shakti modules, and tracking of case progress to enhance support for women in distress.

2. **Sakhi Niwas**

- The Sakhi Niwas module includes a dynamic dashboard for real-time data access.
- It records infrastructure and geolocation details such as latitude, longitude, occupancy status, and facility specifics.
- An admission management system automates record-keeping for beneficiaries through structured admission forms, ensuring efficient operations.

3. **Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)**

- The BBBP module manages sectoral activities across departments to ensure alignment and effective implementation.
- Users can upload Utilization Certificates (UC) and Statements of Expenditure (SoE) for better financial tracking.
- The module provides a platform to document and disseminate best practices, allowing stakeholders to replicate successful initiatives across districts.
- It also facilitates the preparation and management of district-specific action plans for localized interventions.

4. **Palna**

- The Palna module features a dynamic dashboard capturing infrastructure and geolocation details for Anganwadi creches and Palnas.
- It includes tools for tracking beneficiary timelines and attendance monitoring, with options for uploading beneficiary photographs.
- These features ensure the effective management of childcare services and enhance transparency in operations.

5. **Shakti Sadan**

- The Shakti Sadan module provides a streamlined dashboard for operational data across all logins.
- It records infrastructure and geolocation details, ensuring last-mile connectivity.
- Occupancy management tools monitor available and occupied slots in real time.
- The admission management system ensures accurate beneficiary record-keeping, while a referral integration tool manages cases referred from OSCs for continuity of care.

6. **Hubs for Empowerment of Women (HEWs)**

- HEWs operate at the National (NHEW), State (SHEW), and District (DHEW) levels, each with a specialized dashboard.

- The National Hub provides real-time data insights and detailed activity reports.
- The State Hub focuses on state-level aggregated data, resource tracking, and management, with tools for field activity documentation and best practice sharing.
- The District Hub emphasizes beneficiary registration, field activity tracking, Women Helpline (WHL) integration, and centralized stakeholder contact directories.
- Each hub captures geolocation details and promotes the sharing of innovative practices for a cohesive approach to women's empowerment.

c. **Impact & Outcomes**

The Mission Shakti IT System significantly strengthens the implementation and monitoring of women-centric schemes, leading to:

- Support for over 1.29 crore women beneficiaries across various programs.
- Active engagement with over 10,000 stakeholders, including state and district officials.
- Enhanced cross-departmental collaboration through integrated IT systems, improving service delivery.
- Improved transparency, efficiency, and accountability

through real-time data insights and automated monitoring.

L. **Nari Shakti Puraskar Portal** (narishaktipuraskar.wcd.gov.in)

11.17 From the year 2019, MWCD decided to receive the application through online mode for Nari Shakti Puraskar (formerly Stree Shakti Puraskar), which literally means 'Woman Power Awards', are "National Award in recognition of exceptional work for women empowerment" conferred by the Hon'ble President of India every year on 8th March, the International Women's Day as a mark of respect and recognition for those who have demonstrated exemplary courage and stellar contribution towards empowerment of women.

M. **Nirbhaya Dashboard** (www.nirbhayadashboard.nic.in)

11.18 The Nirbhaya Dashboard is a digital platform for all concerned Ministries/ Departments, States/UTs/Districts to update the Status of expenditure and details of women availing the Schemes/Projects funded under Nirbhaya Fund.

11.19 The Nirbhaya Portal (currently under development) is a centralized digital platform designed to monitor and oversee safety measures and initiatives funded under the Nirbhaya Fund. It facilitates tracking, reporting, and coordination of various projects aimed at enhancing women's safety and security.

N. **Integrated Monitoring System**

11.20 This is on intranet. The system has been developed and implemented in the Ministry for monitoring of the progress of important schemes/events, Budget related

matters, Court cases, Media related matters, PMO references, VIP reference, Parliamentary Matters and Public Grievances of the Ministry.

O. Internship Portal (<https://wcd.intern.nic.in/>)

11.21 The Internship Portal serves as a centralized platform for managing internship applications and fostering engagement between students and government organizations. It streamlines the application process, ensuring transparency, efficiency, and accessibility for both interns and ministry officials.

- **Continuous Maintenance & Support:** Provided ongoing technical support and user assistance, ensuring uninterrupted portal functionality and seamless application processing.
- **User Management & Accessibility:** Managed user accounts, resolved queries, and enhanced the overall user experience to improve engagement between interns and the ministry.
- **Compliance & Updates:** Assisted in updating registration forms in accordance with the latest guidelines, ensuring compliance with government policies and maintaining data accuracy.
- **Operational Efficiency:** Monitored system performance, identified technical issues, and implemented necessary enhancements to optimize portal operations.

P. PMCARES for children (<https://pmcaresforchildren.in>)

11.22 The PM CARES for Children portal is a dedicated IT-driven platform designed to implement the PM CARES for Children

scheme, which provides comprehensive care, protection, and financial support to children who lost both parents due to the COVID-19 pandemic. With 4,543 children covered under the scheme nationwide, the portal serves as a one-stop solution for beneficiary management, tracking progress, and ensuring economic independence. It stands as a model of digital service delivery, integrating multiple aspects of child welfare within a unified system.

a. Key Enhancements & Functionalities

1. System Design & Development

- Developed concept papers, project review presentations, and system architecture to define workflows, modules, and subsystems.
- Designed a Child Dashboard, providing beneficiaries access to their entitled benefits and a directory of nodal officers for support.
- Implemented an interactive scheme dashboard with drill-down capabilities for real-time monitoring and performance evaluation.

2. Child Tracking & Progress Monitoring

- Conceptualized a tracking mechanism to monitor each child's growth, academic performance, and extracurricular activities, enabling personalized guidance.
- Introduced a child tracking report at the Ministry level for real-time beneficiary monitoring.

- Developed a module for line ministries to update child-wise progress reports, including a bulk upload feature for historical data consolidation.

3. **Integration & Identity Verification**

- Integrated with UIDAI for Aadhaar authentication, ensuring accurate beneficiary identification.
- Enabled Aadhaar lookup through NPCI to validate Aadhaar-linked bank accounts, ensuring smooth scholarship disbursement.
- Strengthened document verification processes to ensure authenticity and eligibility of beneficiaries.

4. **User Experience & Accessibility Enhancements**

- Implemented UI/UX updates to improve portal usability and navigation.
- Developed a notification module for automated reminders, ensuring timely updates by stakeholders.
- Provided IT helpdesk support via email and phone for seamless resolution of technical queries.

5. **Data Management & Reporting**

- Ensured data accuracy by working with District Child Protection Units (DCPU) and District Magistrates (DMs) for verification and rectification of discrepancies.

- Developed comprehensive ministry-level reports for data-driven decision-making.
- Generated cross-dimensional child profiling reports to assess beneficiary needs and eligibility for additional support.
- Conducted post-launch assessments, analyzing performance metrics and user feedback to enhance platform efficiency.

6. **Stakeholder Collaboration & Financial Aid Processing**

- Facilitated data exchange with the Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) for seamless scholarship processing.
- Integrated the PMRBP application form at the District Magistrate login, streamlining application processing.
- Consolidated all child data within the portal, ensuring a single source of truth for accurate record-keeping and policy implementation.

b. **Impact & Outcome**

11.23 Through these enhancements and process optimizations, the PM CARES for Children portal has significantly improved service delivery, operational efficiency, and accessibility. The platform ensures that affected children receive timely financial assistance, education support, and welfare services, reinforcing the government's

commitment to child protection and empowerment.

Q. Baal Vivah Mukht Bharat Portal (Child Marriage Free India)

11.24 The Baal Vivah Mukht Bharat Portal (<https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/>) was launched on 27th November, 2024 and it is a nationwide digital initiative dedicated to eliminating child marriage through structured monitoring, enforcement, and community participation. The portal ensures a structured and transparent workflow, enabling officials at different levels to efficiently manage complaints, track preventive measures, and raise awareness. By leveraging a multi-tiered escalation mechanism, the platform aims to strengthen the enforcement of child marriage laws while fostering stakeholder collaboration.

- During the reporting period, significant enhancements were made to the Baal Vivah Mukht Bharat Portal (Child Marriage Free India) to strengthen its impact in preventing child marriages across the country. One of the key initiatives was the Pledge-Based Awareness campaign, which aimed to encourage mass participation in reinforcing child marriage prevention efforts. By leveraging digital outreach, the initiative successfully mobilized communities to actively engage in awareness programs and preventive actions.
- To ensure Role-Based Access, the portal implemented a structured approach that assigned specific responsibilities

to Child Marriage Prohibition Officers (CMPOs) at various administrative levels, including state, district, block, and panchayat levels. This role-based structure enhanced accountability and ensured that appropriate authorities had the necessary access and tools to monitor, intervene, and take decisive action against cases of child marriage.

- Another major enhancement was the introduction of User-Friendly Complaint Forms, which were designed to simplify the process of reporting child marriages. These complaint forms were integrated with Local Government Directory (LGD)-verified data, ensuring accuracy and legitimacy in tracking reported cases. By making the forms more accessible and easier to navigate, victims, concerned citizens, and authorities could efficiently file complaints, initiate investigations, and monitor case progress in a streamlined manner.
- To promote transparency and provide real-time insights, Transparent Dashboards were developed and deployed across the platform. These dashboards offered a comprehensive overview of complaints received, FIR registrations, and awareness campaigns being conducted at various levels. Real-time data visualization enabled authorities and policymakers to track trends, identify high-risk areas, and take proactive measures to prevent child marriages before they occur.

- The Scalable & Inclusive Design of the portal ensured that it could be effectively implemented nationwide while seamlessly integrating with existing government systems. The architecture of the portal was designed to accommodate future expansions and modifications, making it adaptable to the evolving needs of the initiative. Additionally, the system was built to be inclusive, allowing diverse users, including government officials, social workers, and the public, to interact with it in a meaningful way. The integration with other national programs and databases further strengthened the portal's functionality and reach.
- Finally, to ensure that every reported case received the necessary follow-up and intervention, a Robust Follow-Up Mechanism was introduced. This mechanism was designed to track the progress of each complaint, ensuring that cases were not left unresolved. Structured tracking and reporting systems enabled authorities to monitor interventions, follow up on pending cases, and assess the effectiveness of the actions taken. Regular updates and notifications were implemented to keep officials and complainants informed about case statuses, thereby improving overall response times and ensuring that timely action was taken to protect vulnerable children.
- Through these comprehensive enhancements, the Baal Vivah Muk

Bharat Portal became a more effective tool in combating child marriage, reinforcing the government's commitment to safeguarding children's rights and ensuring a safer future for young individuals across India.

R. Mission Shakti Mobile Application

11.25 The Mission Shakti Mobile Application is a transformative digital tool designed to enhance access to women-centric welfare initiatives by integrating features that prioritize safety, support, and information. The app serves as a one-stop solution for women seeking assistance, awareness, and empowerment, providing seamless digital access to essential services under Mission Shakti and various Ministry of Women and Child Development (MWCD) schemes.

- As part of the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) initiative, the Selfie with Daughter Campaign aims to promote gender equality and encourage positive societal attitudes toward daughters. This feature allows users to capture and share selfies with their daughters, creating a social movement to celebrate girl children. The initiative fosters community engagement by spreading awareness about the importance of gender parity and empowering parents to showcase their support for the Beti Bachao Beti Padhao movement.
- The Mission Shakti Mobile App integrates a location-based OSC finder, enabling users to instantly locate and navigate to the nearest

OSC with a single click. The app is seamlessly integrated with Google Maps, ensuring accurate directions and real-time location access, making it easier for women in distress to find immediate help without any hassle.

- The app features a dedicated appointment booking module, allowing women to schedule consultations at their nearest OSC. Users can select their preferred OSC, choose a convenient time slot, and seamlessly book an appointment, ensuring timely support and guidance. The automated scheduling system minimizes delays, enhances service efficiency, and reduces waiting times and administrative bottlenecks, making it easier for women to access structured and professional assistance. The Mission Shakti App also incorporates an AI-driven chatbot, providing real-time responses to queries regarding Mission Shakti and MWCD schemes. This intelligent virtual assistant is designed to instantly answer questions on government initiatives, eligibility criteria, and available benefits.
- The app features state-wise dynamic dashboards, offering real-time insights into key performance indicators (KPIs) and data trends. These interactive dashboards display state-specific statistics related to women's welfare initiatives, allowing policymakers and administrators to monitor progress effectively. Users can track

Mission Shakti schemes, including beneficiary data, implementation status, and outreach impact, ensuring transparency and accountability in government programs.

- To ensure broader accessibility, the app supports bilingual functionality, enabling users to navigate the interface in two languages. This multilingual support ensures that women from diverse linguistic backgrounds can access critical services without language barriers, making the app more inclusive, particularly for women in rural and semi-urban areas. By offering content in multiple languages, the app promotes wider engagement and participation, further strengthening its role as a comprehensive digital platform for women's safety and empowerment



Secretary MWCD receiving the PM's Award for Excellence in Public Administration (Innovation Category) for POSHAN Tracker on 21 April, 2025.

II. DBT

11.26 With the aim of reforming Government delivery system by re-engineering the existing processes in welfare schemes for simpler and

faster flow of benefits and services and to ensure accurate targeting of the beneficiaries, de-duplication and reduction of fraud, Government of India has started Direct Benefit Transfer (DBT) using Aadhaar as the primary identifier of beneficiaries in its schemes. Use of Aadhaar ensures that benefits go to individuals' bank accounts electronically, minimizing tiers involved in fund flow and thereby reducing delay in payment, ensuring accurate targeting of the beneficiary and curbing pilferage and duplication.

11.27 In pursuance of directions of the Government for implementation of DBT in its schemes, 15 Schemes/Scheme Components in the Ministry of Women & Child Development are identified for implementation in DBT mode for transfer of benefits and services directly to the beneficiary using Aadhaar as the primary identifier. The list of the Schemes is given below. The Web-based CAS/MIS have been developed for all schemes / scheme components and integrated with DBT Portal of DBT Mission, Cabinet Secretariat for monthly reporting of progress of DBT schemes through web services. PMMVY Scheme has been on-boarded on UMANG platform. Field functionaries can directly enroll the beneficiary of the scheme using the app."

S. No.	Scheme Name
1.	Anganwadi Services-Training Program
2.	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)
3.	Protection And Empowerment of Women Comprehensive Scheme for Combating Trafficking of Women and Children-Ujjawala-Facilities to Beneficiaries

S. No.	Scheme Name
4.	Protection And Empowerment of Women-Comprehensive Scheme For Combating Trafficking Of Women And Children-Ujjawala- Salary
5.	Protection And Empowerment of Women- SwadharGreh- facilities To Beneficiaries
6.	Protection And Empowerment of Women-SwadharGreh- Salary To Staff
7.	One Stop Centre - Services To Beneficiaries*
8.	National Creche Scheme-Nutrition
9.	National Creche Scheme- Honorarium to Workers
10.	Scheme For Adolescent Girls
11.	Anganwadi Services- Supplementary Nutrition
12.	Anganwadi Services- Honorarium to AWW And AWH
13.	Child Protection Services - Facilities to beneficiaries (Sponsorship)
14.	Child Protection Services - Facilities to beneficiaries
15.	Child Protection Services - Salary of Staff

III. Government Performance Index

11.28 The Government Performance Index (GPI) Portal is an assessment platform designed to evaluate and monitor the performance of government schemes.

- A login feature was created for companies to facilitate testing, ensuring an improved interface and functionality.
- Updated the GPI form to improve data capture and ensure alignment with evaluation parameters.

- Enhanced the portal's public and internal theme design for a more intuitive user experience.
- Developed and enabled login functionalities for companies participating in the testing phase to assess the effectiveness of system integrations.

IV. Progressive Use of Hindi

11.29 During the period under report, the Ministry continued its efforts towards the maximum use of Hindi in official work. Effective implementation of the Official Language Act, 1963 and Official Language Rules 1976 was ensured. All the Computers (PCs) in the Ministry are equipped with bilingual Unicode facility. Efforts are continue to increase the percentage of use of Hindi in correspondence and noting. The quarterly progress reports for the progressive use of Hindi related to the Ministry of WCD and it were reviewed and sent regularly to the Department of Official Language. All the officers and the employees of the Ministry have working knowledge of Hindi.

a. Compliance of Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 and Rule 5 of the official language Rules, 1976

11.30 In pursuance of the Official Language Policy of the Government of India, all the documents covered under Sec 3(3) of the Official Language Act, 1963 viz. Cabinet notes, Parliament Questions, material related to Parliamentary Standing Committee, advertisements, notifications, circulars, office memorandum etc. are being issued both in English and Hindi. In addition, guidelines, manuals related to various schemes of the Ministry were translated during this period.

Rule 5 of Official Language Rules, 1976 is being fully complied with by the Ministry.

b. Departmental Official Language Implementation Committee (OLIC)

11.31 The meetings of Departmental Official Language Implementation Committee (OLIC) are being held regularly under the Chairpersonship of Addition Secretary, in-charge of OL. It reviews the progress made in connection with the use of Hindi and gives appropriate suggestions and remove the difficulties, if any. Apart from this, directions are issued in the Quarterly meetings by Additional Secretary for increase in the progressive use of Hindi in the official work.

c. Hindi workshops and official language inspections

11.32 Official Language Division conducts Hindi workshops regularly to overcome the difficulties faced by the employees of various divisions of the ministry in performing the official work in Hindi.

11.33 Official Language Division conducted Hindi inspections of the 4 subordinate/ attached offices (CARA, NCPDR, NIPCCD, NCW) of the ministry as well as NIPCCD's three Regional Centres e.g. Bengaluru, Guwahati and Indore in order to help them tackle the difficulties faced by them in the progressive use of Hindi in official work.

d. Hindi Fortnight (Pakhwada) Celebrations

11.34 Hindi Pakhwada was celebrated in the Ministry from 14th September to 29th September, 2024. During this period, Hon'ble Minister, MOS, WCD and Secretary, WCD, by issuing an appeal, encouraged the officers and the employees of the Ministry to use Hindi in

their official work. To give practical knowledge of Hindi in official work and motivate the staff to use Hindi in their day to day official work, noting and drafting, essay writing and Hindi language & general knowledge, Hindi typing competitions were organized during Hindi Pakhwada. Non Hindi speaking participants were given 10% relaxation in total marks obtained. About 83 participants took part in various competitions. Awards and certificates had been conferred to all the 30 winners by honourable minister of state on 17th January,

2025. In addition, under the annual incentive scheme to encourage the officers and staff members to do their official work in Hindi, 3 officers and staff members who did their maximum official work in Hindi were also awarded.

e. Hindi Work in e-Office

11.35 All work in Hindi Section is being done in e-office. All circulars, files, letters are being issued through e-office only and being put up on the notice board.



Annexures

Annexure – I

Constitutional and Legal Provisions for Women and Children

Article 14 Guarantees equality before law as well as equal protection of the law to all.

Article 15 The State shall not discriminate against any citizen Nothing in this article prevents the State from making any special provision for women and children.

Article 15(1) Prohibits discrimination against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex etc.

Article 15(3) Special provision enabling the State to make affirmative discriminations in favour of women.

Article 16 Guarantees *equality of opportunity* in matters of public employment and that no citizen shall be discriminated against in matters of public employment on the grounds only of sex, religion, race, caste, sex, descent, place of birth, place of residence or any of them.

Article 21A The State shall provide free and compulsory education to all children of the age 6-14 years in such manner as the State may, by law, determine.

Article 24 No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Article 39(a) The State shall direct its policy towards securing all citizens men and women, equally, the right to means of livelihood.

Article 39(d) Equal pay for equal work for both men and women.

Article 39(e) Enjoins the State to ensure that the health and strength of workers, men and women and the tender age of children are not abused and that the citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength.

Article 39(f) Enjoins the State to ensure that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that the childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

Article 42 The State to make provision for ensuring just and humane conditions of work and maternity relief.

Article 45 The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.

Article 46 Directs the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Article 47 Directs the State to raise the level of nutrition and the standard of living of its people.

Article 51 (A) (e) To renounce the practices derogatory to the dignity of women.

Article 243 G Read with Schedule 11- provides for institutionalization of child care by seeking to entrust programmes of women and child development to Panchayat (item 25 of Schedule 11), apart from education (item 17), family welfare (item 25), health and sanitation (item 23) and other items with a bearing on the welfare of children.

Article 243 (D) (3) & (t) (3) Guarantees reservation of not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat/Municipality for women and such seats to be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat/Municipality.

Article 243 (D) (4) Guarantees reservation of not less than one-third of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level for women.

Article 243 (t) (4) Guarantees reservation of offices of Chairpersons in Municipalities for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the legislature of a State may by law provide.

Annexure – II

Laws Enacted by Government of India for Women and Children**I. Laws related to Women**

- Legal Practitioners (Women) Act, 1923.
- The Factories Act, 1948 (Amended in 1986).
- The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.
- The Maternity Benefit Act, 1961.
- The Dowry Prohibition Act, 1961.
- The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 (PCPNDT).
- Offences mentioned under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023.
- The Equal Remuneration Act, 1976.
- The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.
- The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987.
- The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
- The Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
- The Criminal Law (Amendment) Act, 2013.
- Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013.

II. Laws related to Children

- The Guardian and Wards Act, 1890.
- The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.
- The Young Persons (Harmful Publications) Act, 1956.
- The Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.
- The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 and its amendment Act in 2003.
- Offences mentioned under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023.
- The Commissions For Protection of Child Rights Act, 2005.
- The Prohibition of Child Marriage Act 2006.
- The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.
- The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

Annexure – III

Subject Allocated to the Ministry of Women and Child Development (Mahila Aur Bal Vikas Mantralaya)

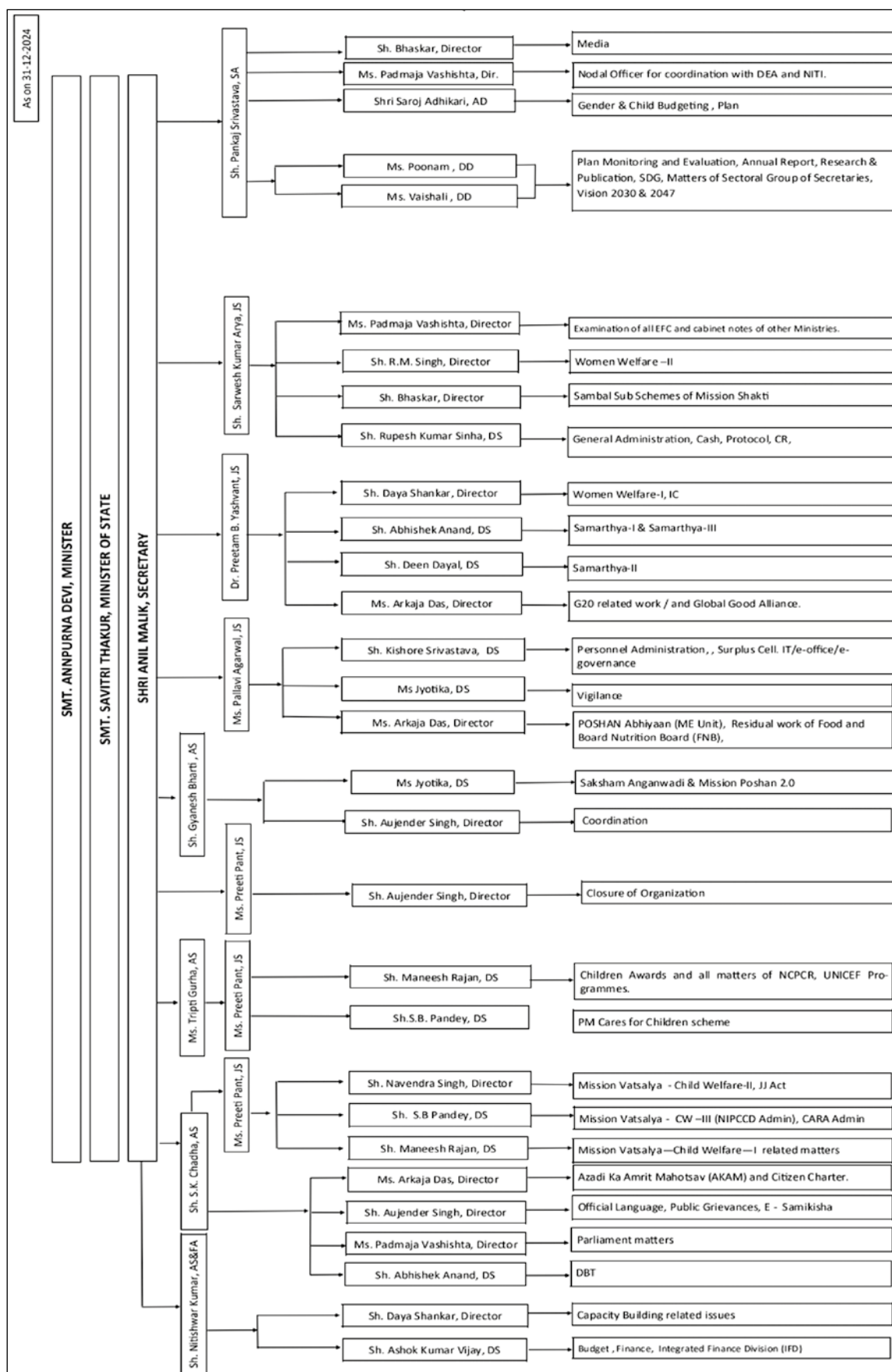
1. Welfare of the family.
2. Women and Child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.
3. Reference from the United Nations Organisations relating to traffic in women and children.
4. Care of pre-school children including pre-primary education¹.
5. National Nutrition Policy, National Plan of Action for Nutrition and National Nutrition Mission.
6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.
7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.
8. Implementation of-
 - i. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (as amended up to 1986);
 - ii. The Indecent Representation of Women (Prevention) Act, 1986 (60 of 1986);
 - iii. The Dowry Prohibition Act, 1961 (as amended up to 1986);
 - iv. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988), excluding the administration of criminal justice in regard to offences under these Acts.
9. Implementation of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992).
10. Coordination of activities and programmes of Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE).
11. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare and development of women and Children, including of gender sensitive data base.
12. United Nations Children's Fund (UNICEF).
13. Central Social Welfare Board (CSWB)
14. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD).

¹Inserted vide Amendment series no. 281 dated 01.09.2005

15. Food and Nutrition Board.
 - i. Development and popularization of subsidiary and protective foods.
 - ii. Nutrition extension.
16. Women's Empowerment and Gender Equity.
17. National Commission for Women.
18. Juvenile delinquency and vagrancy.
19. Probation of Juvenile offenders.
20. Issues relating to adoption, Central Adoption Resource Agency and Child Help Line (Child Line).
21. The Children Act, 1960 (60 of 1960).
22. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000).
23. The Child Marriage- Restraint Act, 1929 (19 of 1929).
24. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans.

Annexure – IV

Organization Structure of Ministry of Women and Child Development



Annexure – V

State/UT-wise details of functional Shakti Sadans and total Capacity

(As on 31.12.2024)

S. No.	State/UT	Number of Functional Shakti Sadan	Total Capacity
1	Andaman and Nicobar	0	0
2	Andhra Pradesh	28	1400
3	Arunachal Pradesh	1	30
4	Assam	28	1400
5	Bihar	0	0
6	Chandigarh	1	25
7	Chhattisgarh	3	105
8	Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu	0	0
9	Delhi	2	60
10	Goa	1	15
11	Gujarat	0	0
12	Haryana	0	0
13	Himachal Pradesh	1	30
14	Jammu & Kashmir	2	60
15	Jharkhand	0	0
16	Karnataka	63	2515
17	Kerala	8	370
18	Ladakh	0	0
19	Lakshadweep Islands	0	0
20	Madhya Pradesh	14	700
21	Maharashtra	19	950

S. No.	State/UT	Number of Functional Shakti Sadan	Total Capacity
22	Manipur	40	2000
23	Meghalaya	2	100
24	Mizoram	12	360
25	Nagaland	3	110
26	Odisha	68	2380
27	Puducherry	1	15
28	Punjab	2	70
29	Rajasthan	8	400
30	Sikkim	1	50
31	Tamil Nadu	36	1800
32	Telangana	20	1000
33	Tripura	3	90
34	Uttarakhand	0	0
35	Uttar Pradesh	0	0
36	West Bengal	37	1390
	Total*	404	17425

**As per information received from States/UTs*

Annexure – VI

State/UT-wise details of functional Sakhi Niwas (Working Women Hostels) and total capacity

(As on 31.12.2024)

S. No	State/Uts	Number of Functional Sakhi Niwas	Capacity
1	Andman and Nicobar Island	0	00
2	Andhra Pradesh	23	1730
3	Arunachal Pradesh	05	118
4	Assam	10	344
5	Bihar	0	00
6	Chandigarh	06	406
7	Chhattisgarh	06	432
8	Delhi	15	2427
9	Dadar And nagar Haveli	0	00
10	Goa	0	00
11	Gujarat	14	1130
12	Haryana	07	588
13	Himachal Pradesh	06	147
14	Jammu & Kashmir	01	50
15	Jharkhand	02	210
16	Karnataka	62	5936
17	Kerala	138	9319
18	Ladakh	0	00
19	Lakshadweep	0	00
20	Madhya Pradesh	02	140

S. No	State/Uts	Number of Functional Sakhi Niwas	Capacity
21	Maharashtra	74	6714
22	Manipur	18	1140
23	Meghalaya	04	201
24	Mizoram	03	201
25	Nagaland	11	767
26	Odisha	11	767
27	Puducherry	04	334
28	Punjab	00	00
29	Rajasthan	15	477
30	Sikkim	01	71
31	Tamil Nadu	60	6946
32	Telangana	17	1160
33	Tripura	0	00
34	Uttarakhand	00	0
35	Uttar Pradesh	08	475
36	West Bengal	0	0
	Total*	523	42230

Annexure -VII

State/UT-wise funds released in FY 2024-25 PMMVY as on 31st December, 2024

(Amount in Rs Lakhs)

S. No.	Name of State/UT	Total amount released
1.	Andaman and Nicobar Islands	33.21
2.	Andhra Pradesh	4496.25
3.	Chhattisgarh	5502.8
4.	Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu	83.58
5.	Goa	80.19
6.	Himachal Pradesh	1143.29
7.	Jammu and Kashmir	1828.69
8.	Karnataka	6443.51
9	Ladakh	62.38
10.	Lakshadweep	27.25
11	Madhya Pradesh	10551.65
12.	Mizoram	70.33
13.	Nagaland	310.01
14.	Odisha	4348.69
15	Puducherry	175.99
16.	Punjab	3203.45
	Total	38435.48

Annexure – VIII

Details of the capacity building exercises under PMMVY done during 01st January, 2024 to 31st December, 2024

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
1	Virtual	01.01.2024	All States/UTs	To discuss matters pertaining to MCP Card- PMMVYsoft MIS
2	Virtual	02.01.2024	Bihar	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
3	Virtual	03.01.2024	Jharkhand/ Maharashtra/ Haryana/ Uttar Pradesh/ Rajasthan	Capacity Building Meeting to reduce pendency of payment cases
4	Virtual	04.01.2024	Jharkhand/ Maharashtra/ Uttarakhand/ Uttar Pradesh	Capacity Building Meeting to reduce pendency of payment cases
5	Virtual	05.01.2024	Jharkhand/ Maharashtra/ Uttar Pradesh/Haryana	Capacity Building Meeting to reduce pendency of payment cases
6	Virtual	08.01.2024	Jharkhand/ Maharashtra/ Uttar Pradesh/Delhi	Capacity Building Meeting to reduce pendency of payment cases
7	Virtual	09.01.2024	Jharkhand/ Maharashtra/ Uttar Pradesh/ Haryana/Bihar	Capacity Building Meeting to reduce pendency of payment cases
8	Virtual	12.01.2024	Uttarakhand/ Bihar	Capacity Building Meeting to reduce pendency of payment cases
9	Physical	15..01.2024	All States/UTs	Capacity building workshop and introduction to new modules in PMMVYsoft MIS

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
10	Physical	16.01.2024	All States/UTs	Capacity building workshop and introduction to new modules in PMMVYsoft MIS
11	Virtual	19.01.2024	All States/ UTs	Meeting to introduce new features in PMMVYsoft MIS
12	Virtual	22.01.2024	Rajasthan/ Chhattisgarh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
13	Virtual	25.01.2024	All States/ UTs/Delhi	Meeting with NIC and States/UTs to discuss new modules in PMMVYsoft MIS; Delhi – Piloting of Face Authentication module
14	Virtual	31.01.2024	Delhi	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
15	Virtual	01.02.2024	Delhi	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
16	Virtual	05.02.2024	Jharkhand/Delhi/Bihar	Discussion on resolving PFMS issues in Jharkhand and Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
17	Virtual	06.02.2024	Delhi	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
18	Virtual	07.02.2024	All States/UTs	PMU and Director, MWCD meeting with states- PMMVY Review
19	Virtual	07.02.2024	Rajasthan	Discussion on Aadhaar seeding of Beneficiaries with IPPB officials

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
20	Virtual	08.02.2024	Maharashtra	Discussion on Aadhaar seeding of Beneficiaries with IPPB officials
21	Virtual	09.02.2024	Uttar Pradesh/ Bihar	Discussion on Aadhaar seeding of Beneficiaries with IPPB officials
22	Virtual	09.02.2024	Uttar Pradesh/ Maharashtra	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
23	Virtual	12.02.2024	Madhya Pradesh	Discussion on Aadhaar seeding of Beneficiaries with IPPB officials
24	Virtual	13.02.2024	Haryana	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
25	Virtual	15.02.2024	All States/UTs	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
26	Virtual	16.02.2024	Madhya Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
27	Virtual	16.02.2024	All States/UTs	Discussion with States on Clearance of Payments in PMMVY
28	Virtual	16.02.2024	Haryana	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
29	Virtual	19.02.2024	Uttar Pradesh/ Goa/ Jammu & Kashmir	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
30	Virtual	20.02.2024	Jharkhand	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
31	Virtual	20.02.2024	Puducherry/ Rajasthan	Meeting with NIC and CDPOs to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
32	Virtual	2.02.2024	Andhra Pradesh	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
33	Virtual	22.02.2024	Delhi	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
34	Virtual	23.02.2024	Bihar	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
35	Virtual	23.02.2024	Gujarat	Discussion on Aadhaar seeding of Beneficiaries with IPPB officials
36	Virtual	23.02.2024	Rajasthan	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
37	Physical	08.03.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building workshop in Jhansi
38	Physical	09.03.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building workshop in Jhansi
39	Virtual	13.03.2024	Andhra Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
40	Virtual	15.03.2024	Bihar/Chandigarh/ Uttarakhand/ Jharkhand	Capacity Building Meeting to reduce pendency of payment cases
41	Virtual	18.03.2024	Jharkhand	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVY soft MIS
42	Virtual	18.03.2024	All States/ UTs	Review of PMMVY

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
43	Virtual	19.03.2024	Uttar Pradesh	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
44	Physical	19.03.2024	Bihar	Capacity Building workshop in association with NIPCCD
45	Virtual	20.03.2024	Bihar	Capacity Building workshop in association with NIPCCD
46	Virtual	20.03.2024	Jharkhand	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
47	Virtual	21.03.2024	Andhra Pradesh	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
48	Virtual	22.03.2024	Delhi	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
49	Virtual	22.03.2024	Chhattisgarh, Jharkhand, Haryana, Puducherry, Goa & Arunachal	Meeting with PMU and NIC Team with low performing states in terms of payment
50	Virtual	23.03.2024	Bihar	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
51	Virtual	12.04.2024	Jharkhand	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
52	Virtual	15.04.2024	Andaman & Nicobar/ Chandigarh/ Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu/ Lakshadweep/ Ladakh	To help UTs without legislature shift from Escrow account/ open their SNA Account
53	Virtual	22.04.2024	Uttar Pradesh	Briefing the Dept. of WCD, Uttar Pradesh about PMMVY and PMMVYsoft MIS

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
54	Virtual	26.04.2024	Rajasthan	Capacity Building Meeting to reduce pendency of payment cases
55	Virtual	06.05.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to provide an understanding of PMMVYsoft MIS
56	Virtual	07.05.2024	All States/UTs	Meeting to discuss disbursement of honorariums for AWW/ASHAs in PMMVYsoft MIS
57	Virtual	30.04.2024	Maharashtra	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
58	Virtual	22.05.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to provide an understanding of PMMVYsoft MIS
59	Virtual	24.05.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
60	Virtual	30.05.2024	Maharashtra/ Uttarakhand	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
61	Virtual	30.05.2024	Goa	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
62	Virtual	31.05.2024	Rajasthan/ Jharkhand/ Bihar/ Andhra Pradesh	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
63	Virtual	03.06.2024	Delhi/Jharkhand/ Chhattisgarh	Meeting with CDPOs to discuss PMMVY CAS Payments
64	Virtual	04.06.2024	Jammu and Kashmir	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
65	Physical	12.06.2024	All States/UTs	Technical Orientation Workshop on PMMVY softMIS in Vigyan Bhawan, New Delhi
66	Virtual	14.06.2024	Uttar Pradesh	Discussion on organising a Capacity Building Programme for stakeholders on PMMVY and PMMVYsoft MIS
67	Virtual	18.06.2024	Rajasthan	Discussion on Face Authentication module in PMMVYsoft MIS
68	Virtual	19.06.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building Programme for DPOs on PMMVY and PMMVYsoft MIS in Yojana Bhawan, Lucknow, Uttar Pradesh
69	Physical	20.06.2024 – 26.06.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building Programme for PMMVY and PMMVYsoft MIS in Yojana Bhawan, Lucknow, Uttar Pradesh
70	Virtual	01.07.2024	Jharkhand/ Chhattisgarh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
71	Virtual	02.07.2024	Tripura	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
72	Virtual	03.07.2024	Bihar	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
73	Virtual	11.07.2024	Uttar Pradesh	Discussion with Uttar Pradesh on functionalities in PMMVYsoft MIS

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
74	Virtual	25.07.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
75	Virtual	29.07.2024	Rajasthan/ Jharkhand	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
76	Virtual	30.07.2024	Bihar	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
77	Virtual	05.08.2024	Uttar Pradesh/ Bihar	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
78	Virtual	09.08.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
79	Virtual	13.08.2024	Jharkhand/ Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
80	Virtual	14.08.2024	Madhya Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
81	Virtual	28.08.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
82	Virtual	02.09.2024	All States/UTs	Review of PMMVY and PMMVY Registration Drive
83	Virtual	03.09.2024	Assam	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
84	Virtual	20.09.2024	Uttar Pradesh	Discussion on functionalities in PMMVYsoft MIS (Master Data Management)

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
85	Virtual	20.09.2024	Bihar	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
86	Virtual	24.09.2024	All States/UTs	Review of PMMVY
87	Virtual	26.09.2024	Madhya Pradesh/ Bihar	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
88	Virtual	30.09.2024	All States/UTs	Discussion on new functionalities developed in PMMVYsoft MIS
89	Virtual	17.10.2024	Uttar Pradesh	Discussion on functionaities in PMMVYsoft MIS
90	Virtual	29.10.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
91	Virtual	05.11.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
92	Virtual	07.11.2024	Maharashtra	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
93	Virtual	11.11.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
94	Virtual	12.11.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
95	Virtual	13.11.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
96	Virtual	14.11.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
97	Virtual	14.11.2024	Gujarat and Chhattisgarh	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
98	Virtual	18.11.2024	Uttar Pradesh/ Bihar/ Rajasthan	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS; Rajasthan-Discussion with NIC on API
99	Virtual	19.11.2024	Uttarakhand/ Bihar/ Chhattisgarh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
100	Virtual	20.11.2024	Jharkhand/ Andhra Pradesh/ Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
101	Virtual	20.11.2024	Rajasthan	Discussion with NIC on API Integration in PMMVYsoft MIS
102	Virtual	21.11.2024	Rajasthan	Discussion with NIC on API Integration in PMMVYsoft MIS
103	Virtual	21.11.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
104	Virtual	21.11.2024	Uttarakhand	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
105	Virtual	22.11.2024	Gujarat	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
106	Virtual	22.11.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building Programme for CDPOs from 05 districts on PMMVY and PMMVYsoft MIS

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
107	Virtual	22.11.2024	Delhi	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
108	Virtual	23.11.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building Programme for CDPOs from 10 districts on PMMVY and PMMVYsoft MIS
109	Virtual	25.11.2024	Bihar	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
110	Virtual	25.11.2024	Rajasthan/Assam/ Tripura	Meeting with NIC to discuss reports at SNO level in PMMVYsoft MIS
111	Virtual	25.11.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building Programme for CDPOs from 12 districts on PMMVY and PMMVYsoft MIS
112	Virtual	26.11.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building Programme for CDPOs from 11 districts on PMMVY and PMMVYsoft MIS
113	Virtual	26.11.2024	Jharkhand	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
114	Virtual	27.11.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building Programme for CDPOs from 15 districts on PMMVY and PMMVYsoft MIS
115	Virtual	28.11.2024	Uttar Pradesh	Capacity Building Programme for CDPOs from 22 districts on PMMVY and PMMVYsoft MIS
116	Virtual	28.11.2024	Delhi	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
117	Virtual	28.11.2024	Nagaland/ Tripura	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
118	Virtual	29.11.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
119	Virtual	29.11.2024	Bihar, Gujarat, Assam and Karnataka	Meeting with DS, MWCD to review PMMVY's performance
120	Virtual	02.12.2024	Meghalaya	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
121	Virtual	03.12.2024	Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
122	Virtual	03.12.2024	Maharashtra	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
123	Virtual	04.12.2024	Haryana	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
124	Virtual	06.12.2024	Madhya Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
125	Virtual	10.12.2024	Uttar Pradesh/ Madhya Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
126	Virtual	12.12.2024	Jharkhand/ Uttar Pradesh/ Madhya Pradesh	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
127	Virtual	13.12.2024	Arunachal Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS

S. No.	Medium of Training	Date of Meeting / Training	States/UTs	Meeting/Training objective
128	Virtual	16.12.2024	Bihar/ Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVYsoft MIS
129	Virtual	17.12.2024	Madhya Pradesh	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
130	Virtual	18.12.2024	Arunachal Pradesh	Discussion on clearance of pending cases/payments in PMMVY
131	Virtual	20.12.2024	Maharashtra/ Bihar/ Uttar Pradesh	Meeting with NIC to resolve technical issues faced in PMMVY xsoft MIS

Annexure-IX

**State-wise number of Sanctioned/Operational projects
(As on 31st December, 2024)**

S. No	State/UTs	Number of Anganwadi Centres (AWCs)		Number of Anganwadi Projects	
		AWC originally sanctioned	AWCs operational	Sanctioned Projects	Operational Projects
1	Andhra Pradesh	55607	55608	257	257
2	Arunachal Pradesh	6225	6233	149	149
3	Assam	62153	61891	98	98
4	Bihar	115009	115017	231	230
5	Chhattisgarh	52474	52156	544	544
6	Goa	1262	1261	220	220
7	Gujarat	53029	53065	11	11
8	Haryana	25962	25964	336	336
9	Himachal Pradesh	18925	18925	148	148
10	Jharkhand	38432	38515	78	78
11	Karnataka	65911	69899	224	224
12	Kerala	33318	33120	204	204
13	Madhya Pradesh	97135	97329	258	258
14	Maharashtra	110486	110584	453	453
15	Manipur	11510	11523	553	553
16	Meghalaya	5896	6084	43	43
17	Mizoram	2244	2244	41	41
18	Nagaland	3980	3980	27	27
19	Odisha	74154	74186	60	60
20	Punjab	27314	27313	338	338

S. No	State/UTs	Number of Anganwadi Centres (AWCs)		Number of Anganwadi Projects	
		AWC originally sanctioned	AWCs operational	Sanctioned Projects	Operational Projects
21	Rajasthan	62010	61924	155	155
22	Sikkim	1308	1308	304	304
23	Tamil Nadu	54439	54449	13	13
24	Telangana	35700	35692	434	434
25	Tripura	10145	10210	56	57
26	Uttar Pradesh	190145	189140	897	897
27	Uttarakhand	20067	20049	105	105
28	West Bengal	119481	119481	576	576
29	A & N Islands	720	720	5	5
30	Chandigarh	409	405	3	3
31	Dadra & N. Haveli and Daman & Diu	11150	10900	95	95
32	Delhi	30765	28179	4	4
33	Jammu & Kashmir	1173	1172	128	128
34	Ladakh	107	59	13	13
35	Lakshadweep	855	855	9	9
36	Puducherry	500	450	5	5
	Total	14,00,000	13,99,890	7075	7075

Annexure - X

Beneficiaries under Supplementary Nutrition as on 31st December, 2024

S. No	State/ UT	Total Pregnant Women	Total Aadhaar verified pregnant women	Total Lactating mothers	Total Aadhaar verified Lactating Mothers	Total children 0m-6m	Total children 6m – 3 years	Total children Aadhaar verified 6m – 3 years	Total children 3y-6y	Total Aadhaar verified children 3y-6y
1	Andhra Pradesh	208805	135320	204933	142907	194097	1325841	914260	1153565	699352
2	Chhattisgarh	165921	154521	127068	120513	123109	1024086	959421	1109483	971361
3	Delhi	53714	49568	61586	58950	61806	337685	318906	147786	134221
4	Bihar	537406	375766	442019	321174	327866	3847802	2645577	5388031	3824292
5	Odisha	268563	198307	215724	180638	205278	1441081	1196886	1808008	1586865
6	Jharkhand	154307	103022	113053	81210	102057	1240609	809641	1501668	1028612
7	Puducherry	2588	2465	3125	3042	2876	22748	21008	4667	3750
8	Punjab	78314	68345	96849	87967	98016	620338	528176	728897	377768
9	Uttarakhand	55732	34038	56069	38532	52084	362415	234214	245857	200338
10	Mizoram	4904	3626	3361	2607	3559	40256	27457	61213	42504
11	Goa	3221	2493	4009	3406	3809	32033	26096	14252	12801
12	UT-Chandigarh	2879	2860	2812	2793	2855	15630	15531	17595	4959
13	Tamil Nadu	268086	259478	252585	247812	245644	1659162	1418624	1739710	787751
14	Madhya Pradesh	404295	386828	354931	343272	335500	2642188	2457274	3575856	2815678
15	Himachal Pradesh	31301	26699	35344	31552	35502	208586	183333	240559	75611
16	J&K	46473	44610	45052	43632	39143	333119	321724	411735	378323
17	Andaman & Nicobar Islands	683	670	637	628	643	6709	6383	3504	2735

S. No	State/ UT	Total Pregnant Women	Total Aadhaar verified pregnant women	Total Lactating mothers	Total Aadhaar verified Lactating Mothers	Total children 0m_6m	Total children 6m – 3 years	Total children Aadhaar verified 6m – 3 years	Total children 3y-6y	Total Aadhaar verified children 3y-6y
18	Lakshadweep	367	307	388	338	392	2740	2275	770	711
19	Manipur	8242	3907	7482	3853	8278	95362	50113	165080	126295
20	Gujarat	194525	188277	198457	193197	191562	1386574	1327152	1479509	1373310
21	Maharashtra	289638	212110	308441	260965	292686	2420205	2050823	3251094	2568931
22	Ladakh	820	772	861	813	751	7397	6835	8868	7702
23	Karnataka	317237	239412	246300	189304	211107	1768366	836626	1815168	1189481
24	Kerala	109918	76450	92170	66719	90367	730204	301791	1041600	330348
25	Sikkim	1235	572	1363	740	1417	11389	4801	16944	6427
26	Dadra & Nagar Haveli – Daman & Diu	2820	2546	2331	2166	2311	16042	13322	14236	6505
27	West Bengal	483502	462414	440506	426241	448472	3104308	2910381	4193804	3698404
28	Arunachal Pradesh	1959	1050	1916	1034	2204	31999	12871	49648	23747
29	Haryana	105253	84282	109670	86413	93925	687344	484886	944921	339268
30	Tripura	14269	10174	10512	8083	10742	115231	80853	166923	118205
31	Telangana	102940	92428	79126	70616	75219	802967	617175	882531	411105
32	Nagaland	746	240	932	308	1088	36873	7281	64425	15689
33	Meghalaya	6450	4574	6822	5032	7817	119631	69319	219643	137226
34	Uttar Pradesh	1294202	360998	1097049	317851	1051614	9144070	2491466	9337023	3049285
35	Assam	138430	94104	104024	74298	114372	1068684	707463	1611327	1228998
36	Rajasthan	282591	146260	256892	142528	223311	1765933	894978	1694756	924929
	Total	5642336	3829493	4984399	3561134	4661479	38475607	24954922	45110656	28503487

Annexure - XI

Funds released under Anganwadi Services Scheme for the year 2024-25 (up to 31st December, 2024) (Rs. in lakhs)

S. No	States/Uts	Anganwadi Services (General)	SNP	SAG	POSHAN	JANMAN	Saksham	MGNREGS	Drinking Water	Toilet	Total
1	ANDHRA PRADESH	25240.71	14607.7	35.85							39884.26
2	BIHAR	37402.16	93672.06	1428.83	7665.76					4051.73	144220.54
3	CHHATTISGARH	21767.7	22644.04	0	1524.35						45936.09
4	GOA	660.75	534.68	0							1195.43
5	GUJARAT	7962.07	21820.35	0							29782.42
6	HARYANA	7735.94	10016.14	0							17752.08
7	HIMACHAL PRADESH	13077.22	8683.12	0							21760.34
8	JAMMU & KASHMIR	31648.11	12795.13	122.44							44565.68
9	JHARKHAND	11771.24	27455.24	0							39226.48
10	KARNATAKA	29796.48	34656.84	0	5485.62		10485	1122	486.34	310.39	82342.68
11	KERALA	15683.28	6391.62	127.39	4564.99						26767.28
12	MADHYA PRADESH	45273.63	65120.69	1527.69	2532.05						114454.06
13	MAHARASHTRA	16712.71	59606.67	781.5		1716	7973.13				86790.01
14	ODISHA	31727.25	35572.13	1913.43	7954.2						77167.01
15	PUNJAB	12425.55	12958.84	0							25384.39
16	RAJASTHAN	27683.01	37726.79	413.19	5191.22						71014.21
17	TAMIL NADU	14131.6	35115.03	294.96	2942.84						52484.43
18	TELANGANA	5452.94	6183.95	76.37							11713.26
19	UTTAR PRADESH	45622.64	130276.3	1587.21		12		4968			182466.13
20	UTTARAKHAND	11445.76	0	424.15							11869.91

S. No	States/Uts	Anganwadi Services (General)	SNP	SAG	POSHAN	JANMAN	Saksham	MGNREGS	Drinking Water	Toilet	Total
21	WEST BENGAL	49049.94	77567.92	0							126617.86
22	Total	462270.69	713405.2	8733.01	37861	1728	18458.1	6090	486.34	4362.12	1253394.55
23	DELHI	9277.17	3924.33	0.00							13201.50
24	PUDUCHERRY	157.41	210.7	0.00							368.11
25	Total	9434.58	4135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13569.61
26	ANDAMAN & NICOBAR	412.5	131.18	0.00			86.00				629.68
27	CHANDIGARH	333.38	791.03	0.00	126.66						1251.07
28	DNH & DD	205.14	378.06	0.00							583.20
29	LADAKH	994.59	213.85	0.00	134.54		14.00				1356.98
30	LAKSHADWEEP	49.52	85	0.00							134.52
31	Sub total	1995.13	1599.12	0.00	261.20	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3955.45
32	N.E. STATES										0.00
33	ARUNACHAL PRADESH	0	619.13	132.57			65.29				816.99
34	ASSAM	146155.49	32204.65				847.22				179207.36
35	MANIPUR	13620.57	4297.96	509.50		348.00					18776.03
36	MEGHALAYA	1752.48	6242.91	230.95			32.80				8259.14
37	MIZORAM	1803.64	1193.01	131.27							3127.92
38	NAGALAND	9628.4	649.98	3399.43	195.46		17.86				13891.13
39	SIKKIM	0	166.47								166.47
40	TRIPURA	2665.22	3392.31	185.50	437.76	312.00					6992.79
	Total	175625.8	48766.42	4589.22	633.22	660.00	963.17	0.00	0.00	0.00	231237.83
	Grand Total	649326.20	767905.79	13322.23	38755.45	2388.00	19521.31	6090.00	486.34	4362.12	1502157.44

Annexure-XII

**State-wise beneficiaries reported on Poshan
Tracker under the SAG up to 31st December, 2024**

S No.	State/UT	Aadhaar verified adolescent girls as per Poshan Tracker (31.12.2024)
1	Andhra Pradesh	53965
2	Arunachal Pradesh	13199
3	Assam	393911
4	Bihar	232727
5	Chhattisgarh	111093
6	Gujarat	66616
7	Haryana	8438
8	Himachal Pradesh	16768
9	J&K	25257
10	Jharkhand	212285
11	Karnataka	72546
12	Kerala	18587
13	Madhya Pradesh	151288
14	Maharashtra	109045
15	Manipur	43234
16	Meghalaya	32745
17	Mizoram	19206
18	Nagaland	17045
19	Odisha	269146
20	Punjab	34344
21	Rajasthan	41810
22	Sikkim	7189
23	Tamil Nadu	45034
24	Telangana	19639
25	Tripura	32686
26	Uttar Pradesh	206079
27	Uttarakhand	74680
	Total	2328562

Annexure-XIII

Allocation of food grains under SAG during 2024-25

S No.	State	Total allocation (in MTs)			
		Wheat	Fortified Rice	Bajra	Jowar
1	Andhra Pradesh	0	1008.83	0	0
2	Arunachal Pradesh	0	342.62	0	0
3	Assam	1429.4	3267.19	0	0
4	Bihar	0	5168.91	0	0
5	Chhattisgarh	1440.18	0	0	0
6	Gujarat	968.86	0	0	108.79
7	Haryana	156.33	56.5	0	0
8	Himachal Pradesh	214.74	133.72	0	0
9	J & K	0	604.67	0	0
10	Jharkhand	3694.88	0	0	0
11	Karnataka	0	35.19	0	0
12	Kerala	472.6	0	0	0
13	Madhya Pradesh	2250.13	1483.12	0	0
14	Maharashtra	1180.63	1695.84	21.06	0
15	Manipur	0	1221.68	0	0
16	Meghalaya	558.19	355.21	0	52.79
17	Mizoram	0	566.04	0	0
18	Nagaland	0	420.57	0	0
19	Odisha	8046.19	0	0	0
20	Punjab	453.99	437.64	0	0
21	Rajasthan	749.95	419.29	0	0
22	Tamil Nadu	997.5	0	0	0
23	Telangana	239.15	0	0	0
24	Tripura	0	895.65	0	0
25	Uttar Pradesh	4115.45	2287.63	0	0
26	Uttarakhand	829.8	1028.58	99.22	0
	Total	27797.97	21428.88	120.28	161.58

Annexure-XIV

Allocation of foodgrains under WBNP during 2024-25

(in MTs)

S No.	State	Wheat	Fortified Rice	Bajra	Jowar
1	A&N Islands	0	277.26	24.14	0
2	Andhra Pradesh	35633.96	43910.55	0	0
3	Arunachal Pradesh	0	1774.75	0	0
4	Assam	9699.19	22169.56	0	0
5	Bihar	0	221158.74	0	0
6	Chandigarh	463.68	695.7	0	0
7	Chhattisgarh	31880.53	10017.34	0	0
8	Dadar and Nagar Haveli & Daman and Diu	236	236.41	0	49.93
9	Delhi	9298.11	9307.61	0	0
10	Goa	10.35	1517.16	0	0
11	Gujarat	57340.1	13565.29	0	2857.79
12	Haryana	26008.98	8631.98	1686.25	0
13	Himachal Pradesh	4603.22	2730.16	177.71	0
14	Jammu and Kashmir	0	23149.32	0	0
15	Jharkhand	25267.12	32767.51	0	0
16	Karnataka	58296.71	51427.89	2568.79	0
17	Kerala	19264.52	17927.36	0	0
18	Ladakh	82.9	269.44	0	0
19	Lakshadweep	0	133.37	0	0
20	Madhya Pradesh	92384.1	36807.62	2945.2	1585.88
21	Maharashtra	74875.21	96162.52	424.73	0
22	Manipur	0	7985.91	0	0

Annexures

S No.	State	Wheat	Fortified Rice	Bajra	Jowar
23	Meghalaya	6093.02	3876.92	0	584.41
24	Mizoram	1627.73	1627.73	0	0
25	Nagaland	0	2026.45	0	0
26	Odisha	60470.2	43223.28	0	0
27	Puducherry	0	534.47	0	0
28	Punjab	22769.11	16656.33	536.85	0
29	Rajasthan	99894.13	21919.25	0	0
30	Sikkim	156.09	0	61.83	0
31	Tamil Nadu	50640.19	27588.55	0	0
32	Telangana	16823.06	24845.84	0	0
33	Tripura	0	9224.97	0	0
34	Uttar Pradesh	370946.24	269987.41	0	0
35	Uttarakhand	8670.92	10827.13	1086.89	0
36	West Bengal	0	252336.17	0	0
	Total	1083435.37	1287297.95	9512.39	5078.01

Annexure-XV

**Funds released under Mission Vatsalya for the year
2023-24 & 2024-25 (till 31st December, 2024)**

(Rs. In Lakhs)

S No.	Name of the State/UT	2023-24	2024-25
1	Andhra Pradesh	2500.76	1,480.65
2	Arunachal Pradesh	2435.38	532.13
3	Assam	5966.27	2,606.38
4	Bihar	6518.02	4,695.36
5	Chhattisgarh	4465.94	1,774.24
6	Goa	0.00	513.64
7	Gujarat	4710.23	12.24
8	Haryana	1616.98	101.70
9	Himachal Pradesh	2115.30	1,283.37
10	Jammu & Kashmir	4364.48	715.36
11	Jharkhand	3765.91	403.04
12	Karnataka	9093.83	3,587.23
13	Kerala	2227.19	251.63
14	Madhya Pradesh	6084.94	7,828.51
15	Maharashtra	9537.68	11,541.81
16	Manipur	2923.85	2,295.74
17	Meghalaya	3127.99	2,230.27
18	Mizoram	5309.45	2,119.24
19	Nagaland	2928.28	1,764.05
20	Odisha	6028.17	5,853.43
21	Punjab	1543.98	1,475.53

S No.	Name of the State/UT	2023-24	2024-25
22	Rajasthan	4283.88	4,438.57
23	Sikkim	579.74	657.72
24	Tamil Nadu	12869.99	5,693.79
25	Telangana	3998.02	571.35
26	Tripura	3209.03	1,329.60
27	Uttar Pradesh	10356.62	7,045.25
28	Uttarakhand	3263.37	885.69
29	West Bengal	5742.44	3,508.40
30	Andaman & Nicobar Islands	268.01	0.00
31	Chandigarh	582.85	311.38
32	Dadra & N. Haveli & Daman & Diu	319.34	252.53
33	Delhi	388.77	113.63
34	Lakshadweep	35.66	0.00
35	Ladakh	438.89	62.25
36	Puducherry	566.87	39.62
37	Others Expenditure	4912.01	998.74

Annexure-XVI

The number of CCIs supported for children with special needs run by the States/UTs along with the number of beneficiaries as reported by States/UTs under Mission Vatsalya as on 31st December, 2024.

S No.	States/UTs	Home for children with special needs	Beneficiary* (Boys/Girls)
1	Andhra Pradesh	5	16
2	Arunachal Pradesh	0	0
3	Assam	6	184
4	Bihar	19	164
5	Chhattisgarh	12	79
6	Delhi	0	0
7	Goa	0	0
8	Gujarat	1	50
9	Haryana	2	60
10	Himachal Pradesh	2	78
11	Jammu & Kashmir	5	36
12	Jharkhand	5	178
13	Karnataka	1	5
14	Kerala	4	177
15	Madhya Pradesh	0	0
16	Maharashtra	9	82
17	Manipur	2	14
18	Meghalaya	16	274
19	Mizoram	3	46
20	Nagaland	0	0
21	Odisha	6	109

S No.	States/UTs	Home for children with special needs	Beneficiary* (Boys/Girls)
22	Puducherry	16	346
23	Punjab	2	69
24	Rajasthan	10	394
25	Sikkim	2	50
26	Tamil Nadu	20	374
27	Telangana	8	188
28	Tripura	40	1341
29	Uttar Pradesh	0	0
30	Uttarakhand	0	0
31	West Bengal	0	0
32	Andaman & Nicobar Islands	0	0
33	Chandigarh	0	0
34	DDNH & DD	0	0
35	Ladakh	0	0
36	Lakshadweep	3	50
	Total	199	4364

**Number of Children may vary depending on rehabilitation and restoration and new admission in the CCIs.*

Annexure-XVII

**State wise distribution of Complaints registered by the
NCW during 01st January, 2024 to 31st December, 2024**

S No.	State	Number
1	Andaman and Nicobar Islands	4
2	Andhra Pradesh	188
3	Arunachal Pradesh	3
4	Assam	102
5	Bihar	1233
6	Chandigarh	66
7	Chhattisgarh	124
8	Dadra and Nagar Haveli	1
9	Daman & Diu	4
10	Delhi	2245
11	Goa	18
12	Gujarat	215
13	Haryana	1048
14	Himachal Pradesh	85
15	Jammu and Kashmir	127
16	Jharkhand	325
17	Karnataka	481
18	Kerala	124
19	Ladakh	0
20	Lakshadweep	0
21	Madhya Pradesh	1070

S No.	State	Number
22	Maharashtra	1317
23	Manipur	6
24	Meghalaya	3
25	Mizoram	0
26	Nagaland	1
27	Odisha	138
28	Pondicherry	16
29	Punjab	478
30	Rajasthan	847
31	Sikkim	3
32	Tamil Nadu	513
33	Telangana	174
34	Tripura	19
35	Uttar Pradesh	13868
36	Uttarakhand	334
37	West Bengal	563
	Total	25743

Annexure-XVIII

**Nature wise distribution of Complaints registered by the NCW
during 01st January, 2024 to 31st December, 2024**

S No.	Nature/Category	Number
1.	Abduction	11
2.	Acid Attack	12
3.	Assault	88
4.	Attempt to Murder	6
5.	Bigamy/Polygamy	167
6.	Causing miscarriage	1
7.	Criminal Intimidation	74
8.	Cyber Crime against women	526
9.	Dehumanizing and stigmatization of women	50
10.	Denial of Maternity Benefits to women	116
11.	Domestic Violence	6348
12.	Dowry death	299
13.	Dowry harassment	4452
14.	Forced prostitution of women	1
15.	Gender Discrimination including equal right to education & work	5
16.	Harassment of Transgender	3
17.	Indecent Representation of Women	14
18.	Murder	2
19.	Outraging modesty of women/Molestation	1565
20.	Police Apathy against women	920

S No.	Nature/Category	Number
21.	Rape/Attempt to Rape	1447
22.	Request for free legal aid for women	24
23.	Right to exercise choice in marriage/Honour Crimes	396
24.	Right to live with dignity	7132
25.	Sex selective abortion/female foeticide / amniocentesis	13
26.	Sexual Assault	141
27.	Sexual Harassment	1033
28.	Sexual Harassment of Women at workplace	215
29.	Stalking	19
30.	Stalking / Voyeurism	614
31.	Trafficking / Prostitution of women	40
32.	Trafficking of women	1
33.	Triple Talaq	1
34.	Women's right of custody of children in the event of divorce	7
	Total	25743

Online sensitization meetings for keeping child rights at the core of implementation of NEP 2020 Action plan

S No.	Activity Name	State	Date
1.	Online Workshos on Sensitization for keeping child rights at the core of implementation of NEP 2020 Action Plan	Ahmedabad	10.07.2024
2.		Gandhinagar	11.07.2024
3.		Chandigarh	12.07.2024
4.		Hisar	15.07.2024
5.		Gautam Budh Nagar	16.07.2024
6.		Faridabad	18.07.2024
7.		Ghaziabad	19.07.2024
8.		Bengaluru Urban	20.07.2024
9.		Chennai	24.07.2024
10.		West Tripura	25.07.2024
11.		Thiravallur	26.07.2024
12.		Nashik	26.07.2024
13.		Palghar	27.07.2024
14.		Hyderabad	27.07.2024
15.		Shimla	29.07.2024
16.		Bhopal	29.07.2024

S No.	Activity Name	State	Date
17.		Jaipur	31.07.2024
18.		Ratlam	31.07.2024
19.		Chamba	31.07.2024
20.		Jodhpur	01.08.2024
21.		Jaisalmer	03.08.2024
22.		Durg	03.08.2024
23.		Udaipur	05.08.2024
24.		Balod	05.08.2024
25.		Vishakhapatnam	05.08.2024
26.		Ramgarh	06.08.2024
27.		Haridwar	06.08.2024
28.		Kollam	06.08.2024
29.		Patna	16.08.2024
30.		Thiruvanthanampuram	17.08.2024

Annexure-XX

**District level workshops by NCPCR on sensitization on
comprehensive manual for safety and security of children in
schools including cyber safety**

S No.	Activity Name	State	Date
1.	District level workshops on sensitization on comprehensive manual for safety and security of children in schools including cyber safety.	Bharuch	12.07.2024
2.		North Goa	12.07.2024
3.		Vadodara	13.07.2024
4.		Palwal	15.07.2024
5.		Bhiwani	15.07.2024
6.		Mathura	16.07.2024
7.		Patiala	18.07.2024
8.		Jalandhar	19.07.2024
9.		Nayagarh	20.07.2024
10.		Hoshiarpur	20.07.2024
11.		Puri	22.07.2024
12.		Ramanagara	22.07.2024
13.		Coorg	23.07.2024
14.		Prayagraj	24.07.2024
15.		Ahmednagar	24.07.2024
16.		Aurangabad	26.07.2024
17.		Gwalior	27.07.2024
18.		Bundi	29.07.2024
19.		Morena	30.07.2024
20.		Bhilwara	31.07.2024
21.		Chamba	31.07.2024
22.		Chittoor	02.08.2024
23.		Dhamtari	03.08.2024
24.		Annamaya	03.08.2024
25.		Marigaon	05.08.2024

Annexure-XXI

District level orientation workshops on NCPCR's guidelines for prevention of bullying and cyber bullying in schools.

S No.	Activity Name	State	Date
1.	District level orientation workshops on NCPCR's guidelines for prevention of bullying and cyber bullying in schools.	Surat	11.07.2024
2.		South Goa	15.07.2024
3.		Daman	16.07.2024
4.		Panchkula	16.07.2024
5.		Ambala	17.07.2024
6.		Amritsar	18.07.2024
7.		Khorda	18.07.2024
8.		Cuttack	19.07.2024
9.		Ludhiana	19.07.2024
10.		Leh	20.07.2024
11.		Mysuru	22.07.2024
12.		Varanasi	23.07.2024
13.		Mumbai city	23.07.2024
14.		Pune	25.07.2024
15.		Lucknow	25.07.2024
16.		Dehradun	26.07.2024
17.		Nanital	29.07.2024
18.		Ajmer	30.07.2024
19.		Ranchi	01.08.2024
20.		Tirupati	01.08.2024
21.		Kamrup Metro	02.08.2024
22.		Kangra	06.08.2024
23.		Solan	07.07.2024
24.		Raipur	07.07.2024
25.		Bokaro	10.08.2024

**District Level Sensitization- cum-Orientation Workshops by NCPCR
on Preventing and Combating Child Trafficking in 13 Bordering and
Adjoining Districts of India as part of “बाल तस्करी से आज़ादी ”
campaign 2.0**

S. No.	State	Connecting District	1 st International Border	Date of Workshops
1.	Uttar Pradesh	Gorakhpur	Nepal	01.07.2024
2.	Uttar Pradesh	Kushinagar	Nepal	03.07.2024
3.	Uttar Pradesh	Maharajganj	Nepal	05.07.2024
4.	Uttar Pradesh	Sidharthnagar	Nepal	08.07.2024
5.	Uttar Pradesh	Balrampur	Nepal	10.07.2024
6.	Uttar Pradesh	Shravasti	Nepal	11.07.2024
7.	Uttar Pradesh	Bahraich	Nepal	12.07.2024
8.	Uttar Pradesh	LakhimpurKheri	Adjoining District	13.07.2024
9.	Uttar Pradesh	Pilibhit	Adjoining District	14.07.2024
10.	Bihar	East Champaran (Motihari)	Nepal	22.07.2024
11.	Bihar	Darbhanga	Adjoining District	05.07.2024
12.	Bihar	Katihar	Adjoining District	15.07.2024
13.	Assam	Nalbari	Adjoining District	17.07.2024

Annexure-XXIII

Details of one-day State level workshops by NCPCR on the Cyber Safety and Security of Children in Schools and Elimination of Corporal Punishment in Schools in various Districts of NER in technical collaboration with State Commission for Protection of Child Rights.

S No.	State	District	Number
1	Assam	Nagaon	05.03.2024
2	Assam	Morigaon	06.03.2024
3	Assam	Biswanath	23.02.2024
4	Assam	Lakhimpur	26.02.2024
5	Assam	Udalguri	04.03.2024
6	Assam	Darrang	05.03.2024
7	Assam	Baksa	23.02.2024
8	Assam	Charaideo	28.02.2024
9	Assam	Sivasagar	27.02.2024
10	Assam	Nalbari	22.02.2024
11	Assam	Barpeta	23.02.2024
12	Assam	Goalpara	26.02.2024
13	Assam	Kamrup Metropolitan	26.02.2024
14	Assam	Chirang	06.03.2024
15	Assam	Dibrugarh	26.02.2024
16	Assam	Dima Hasao	02.03.2024
17	Assam	Hojai	29.02.2024

S No.	State	District	Number
18	Assam	Karbi Anglong	04.03.2024
19	Assam	Sonitpur	22.02.2024
20	Assam	Kamrup Rural	19.02.2024
21	Assam	Karimganj	07.03.2024
22	Tripura	Dhalai	29.02.2024
23	Tripura	Gomati	05.03.2024
24	Tripura	Khowai	04.03.2024
25	Tripura	North Tripura	06.03.2024
26	Tripura	Sipahijhala	02.03.2024
27	Tripura	South Tripura	06.03.2024
28	Tripura	Unakoti	28.02.2024
29	Tripura	West Tripura	01.03.2024
30	Arunachal Pradesh	Itanagr	11.03.2024
31	Assam	Guwahati	11.03.2024
32	Nagaland	Kohima	11.03.2024
33	Assam	Nalbari	11.03.2024

Annexure-XXIV

NCPCR Bench Data from June 2024 to December 2024

S. No.	State	District	Whether District Level or Block Level	Aspirational Block	Bench Date (DD.MM.YY)	Total No. of Complaints Received
1.	Assam	Dhemaji	Block Level	Murgkong-selek	11.06.2024	304
2.	Assam	Tamulpur	District Level		25.06.2024	830
3.	Assam	Udalguri	Block Level	Bhergaon	27.06.2024	487
4.	Assam	East Karbi Anglong	District Level	Rongmongve, Nilip, Same-langso	10.07.2024	398
5.	Assam	West Karbi Anglong	District Level	Socheng, Chinthong, Amri	12.07.2024	55
6.	Madhya Pradesh	Singrauli	Block Level	Devsar	24.06.2024	177
7.	Madhya Pradesh	Rewa	District Level	Hanumana, Jawa, Sirmore	25.06.2024	275
8.	Madhya Pradesh	Satna	District Level	Majhgawan, Rampur Baghelan	26.06.2024	103
9.	Madhya Pradesh	Guna	Block Level	Bamori	27.06.2024	269
10.	Haryana	Rewari	Block Level	Nahar	11.07.2024	134
11.	Haryana	Bhiwani	District	1. Behal 2. Loharu	12.07.2024	210
12.	Haryana	Charkhi Dadri	Block Level	Badhra	12.08.2024	210
13.	Jammu and Kashmir	Baramulla	Block Level	Singhpura	01.07.2024	48

Annexures

S. No.	State	District	Whether District Level or Block Level	Aspirational Block	Bench Date (DD.MM.YY)	Total No. of Complaints Received
14.	Jammu and Kashmir	Kupwara	Block Level	Keran	02.07.2024	105
15.	Jammu and Kashmir	Bandipora	Block Level	Tulail	03.07.2024	32
16.	Jammu and Kashmir	Pulwama	Block Level	Ichgoze	04.07.2024	99
17.	Punjab	Kapurthala	District Level	(i) Dhilwan	22.07.2024	462
				(ii) Sultanpur Lodhi		
18.	Punjab	Amritsar	District Level	(i) Ajnala	24.07.2024	233
				(ii) Harshe Chhina		
19.	Punjab	Moga	Block Level	Nihal Singh Wala	31.07.2024	181
20.	Punjab	Sangrur	Block Level	Dhuri	01.08.2024	314
21.	Punjab	Gurdaspur	District Level	(i) Dera Baba Nanak	08.08.2024	140
				(ii) Kalanaur		
					Total	5066

Grievance redressal status for NCPCR
NCPCR -Subject wise summary Work done on
Grievances received by NCPCR during April 2024- December, 2024
Position of complaints as on 01st January, 2025

S. No.	Heads	Pending as on 01-04-2024 (Backlog)	Fresh received during April 2024- December 2024	Total	Closed during April 2024- December 2024	Pending as on 01-01-2025
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	4	(5)= (3)-(4)
1	Education	5412	2820	8232	3401	4831
2	Child Health, care, welfare or child development	14498	4057	18555	10285	8270
3(i)	JJ or care of neglected or marginalized children or children with disabilities	25534	14019	39553	18954	20599
3(ii)	Social Audit/ Legal Cell	3396	23	3419	603	2816
4	Elimination of Child labour or children in distress	2296	17690	19986	341	19645
5	Child psychology or sociology	149	131	280	68	212
6	POCSO and laws related to children	5235	1622	6857	1645	5212
7	NE States (Other than POCSO matters)	60	0	60	45	15
8	Anti-Child Trafficking Cell (ACTC)	0	46	46	0	46
	Total	56580	40408	96988	35342	61646

Annexure-XXVI

Timeline for Relative & Step Parent Adoption

In-country Relative/Step Adoption:

S. No.	Process	Timeline	Responsible Authority
1.	Documents upload by PAPs after registration	30 days from registration	PAPs
2.	After submission of registration by PAPs	30 days from submission of application	DCPU
3.	After uploading verification/ FBR by DCPU	10 days from the date of DCPU verification	SARA
4.	Pre-Approval Letter	10 days from the date of SARA verification	CARA
5.	Filing of Adoption Application to concerned DM	10 days from the date of CARA approval	PAPs/DCPU
6.	Issuance of Adoption Order by DM	60 days from the date of application received from DCPU	DM

Annexure-XXVII

Inter-country Relative/Step Adoption

S. No.	Process	Timeline	Responsible Authority
1.	Documents upload by AFAA after registration and HSR	30 days from registration	AFAA
2.	After the case is forwarded from SARA to DCPU	30 days from receiving the case from SARA	DCPU
3.	After uploading verification/ FBR by DCPU	10 days from the date of DCPU verification	SARA
4.	Pre-Approval Letter	10 days from the date of SARA verification	CARA
5.	Article 5/17	At the earliest (varies by country; USA takes about 3 to 4 months)	AFAA
6.	Filing of Adoption Application to concerned DM	10 days from the date of CARA approval	PAPAs/DCPU
7.	Issuance of Adoption Order	60 days from the date of application received from DCPU	DM
8.	Issuance of NOC and CC	10 days from issuance of Adoption Order	CARA



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1.	प्रस्तावना	3-5
अध्याय 2.	महिला सशक्तीकरण और संरक्षण	9-35
अध्याय 3.	बाल विकास	39-54
अध्याय 4.	बाल संरक्षण और कल्याण	57-66
अध्याय 5.	जेंडर बजटिंग	69-76
अध्याय 6.	साख्यिकी और अनुसंधान	79-83
अध्याय 7.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	87-101
अध्याय 8.	राष्ट्रीय महिला आयोग	105-116
अध्याय 9.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	119-137
अध्याय 10.	केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण	141-151
अध्याय 11.	अन्य कार्यक्रम और गतिविधियां	155-170
अनुलग्नक	अनुलग्नक - I एवं XXVII	173-229



प्रस्तावना

प्रस्तावना

1.1 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं और बच्चों की हिस्सेदारी लगभग 67.7% है, इसलिए उनका सशक्तीकरण, संरक्षण और समग्र विकास राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना न केवल सामाजिक न्याय का मामला है, बल्कि सतत और न्यायसंगत विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त भी है। इस अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियों, विनियमों तथा कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की। शुरुआत में वर्ष 1985 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के रूप में काम करते हुए, सरकार के कार्यकलापों में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने तथा अधिक समन्वित और कार्यनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए 30 जनवरी, 2006 को इसे एक स्वतंत्र मंत्रालय का रूप दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लैंगिक समानता और बाल-केंद्रित नीतियां बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और विकास की जरूरतों को व्यापक राष्ट्रीय एजेंडे में प्रभावी रूप से एकीकृत किया जाए।

I. विज्ञान

1.2 सम्मान का जीवन जीने वाली और ऋहसा तथा भेदभाव से मुक्त वातावरण में विकास में समान भागीदार के रूप में योगदान देने वाली सशक्त महिलाएं तथा सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में वृद्धि एवं विकास के पूर्ण अवसर के साथ सुपोषित बच्चे।

II. मिशन – महिलाओं का सशक्तीकरण

1.3 विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से, जेंडर को मुख्यधारा में लाकर, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करके तथा महिलाओं को अपने मानवाधिकारों को समझने और अपनी पूरी क्षमता तक विकास करने में समर्थ बनाने हेतु संस्थागत एवं कानूनी सहायता प्रदान करके उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

III. मिशन – सुरक्षित एवं संरक्षित बाल्यावस्था

1.4 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का विकास, देखरेख एवं संरक्षण सुनिश्चित करना, बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों को अपनी पूरी क्षमता तक वृद्धि एवं विकास करने में समर्थ बनाने हेतु शिक्षा, पोषण, संस्थागत एवं कानूनी सहायता तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना।

IV. संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

1.5 संवैधानिक प्रावधानों में जहां एक ओर महिलाओं की समानता की व्यवस्था है वहीं दूसरी ओर बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने, उनके कल्याण को प्रोत्साहित करने और उनके लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई है। ये प्रावधान **अनुलग्नक-I** में सूचीबद्ध किए गए हैं। देश की महिलाओं तथा बच्चों के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा पारित किए गए कई अन्य कानून **अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

V. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटित विषय

1.6 अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए नीतियां, कार्य योजनाएं, कानून, कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की हैं तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से इनका कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय को आवंटित विषय **अनुलग्नक-III** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

1.7 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ने विकास संबंधी प्राथमिकताएं निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाई है और एसडीजी 5 (लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना) लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित है और महिला सशक्तीकरण को गरीबी उन्मूलन, असमानता, बेहतर स्वास्थ्य, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास जैसे सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। महिलाओं और बच्चों का कल्याण देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं और पहलें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप होती

हैं; तथा देश की महिलाओं तथा बच्चों के विकास और कल्याण के सामाजिक सुरक्षा तंत्र से सीधे जुड़ी हुई होती हैं।

VI. मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना

1.8 18वीं लोकसभा के गठन के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर कर रही हैं। श्री अनिल मलिक ने 01 मार्च, 2024 को मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना में सचिव, महिला एवं बाल विकास, दो अपर सचिव, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, चार संयुक्त सचिव और एक सांख्यिकी सलाहकार शामिल हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

VII. मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठन

1.9 मंत्रालय के अंतर्गत तीन वैधानिक निकायों अर्थात् राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के अलावा इसके तत्वावधान में स्वायत्त संगठन अर्थात् राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) कार्य कर रहे हैं। निपसिड सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी है। सीएसडब्ल्यूबी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत एक चैरिटेबल कंपनी है। ये संगठन भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं और ये मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन सहित इसके कार्यों में मंत्रालय की सहायता करते हैं।

1.10 राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में स्थापित किया गया राष्ट्रीय सर्वोच्च वैधानिक निकाय है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में की गई परिकल्पना के अनुसार दिनांक 5 मार्च, 2007 को की गई थी। कारा एक केंद्रीय प्राधिकरण है जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित और विनियमित करने वाले एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है।

VIII. वर्ष 2024–25 के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियां

1.11 वर्ष 2024–25 के दौरान मंत्रालय ने महिलाओं तथा बच्चों के विकास, कल्याण एवं संरक्षण के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें तथा योजनागत पहलें शुरू की हैं। 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान इन पहलों और मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा अगले अध्यायों में की गई है।



महिला सशक्तीकरण एवं संरक्षण

महिला सशक्तीकरण एवं संरक्षण

I. परिचय

2.1 लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में गहराई से समाया हुआ है जो न केवल महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है बल्कि राज्य को ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आदेश भी देता है। कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के अलावा, संविधान महिलाओं को समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाली सकारात्मक कार्रवाइयों को सक्षम करके समर्थ बनाता है। मौलिक अधिकार महिलाओं को जेंडर और लैंगिक आधार पर भेदभाव से बचाते हैं, कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को महिलाओं की गरिमा को कम करने वाली पद्धतियों का त्याग करने के लिए बाध्य करते हैं।

2.2 महिला सशक्तीकरण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने, समान अवसरों तक पहुँचने और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में समर्थ बनाती है। सच्चा सशक्तीकरण संसाधनों तक पहुँच से परे है— इसके लिए घर के भीतर और बाहर स्वतंत्र निर्णय लेने और सामाजिक परिवर्तन को सक्रिय रूप से प्रभावित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करना एक समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण का अभिन्न अंग है।

2.3 इन अनिवार्यताओं को पहचानते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ करने और उनकी सुरक्षा तथा कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, इन पहलों को एक ऐसा सक्षम वातावरण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ महिलाएँ राष्ट्र के विकास में समान भागीदार के रूप में आगे बढ़ सकें।

II. महिलाओं के लिए विधायी ढांचा

2.4 सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कानूनी मोर्चे पर, मंत्रालय सबसे असुरक्षित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय रहा है। महिलाओं के लिए कानूनों का इष्टतम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए काम किया जा रहा है।

क. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

2.5 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और ऐसा सक्रिय वातावरण बनाने के लिए लागू किया गया था जो महिलाओं के दर्जे और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करता हो। यह अधिनियम सभी महिलाओं को शामिल करता है, चाहे उनकी आयु या रोज़गार की स्थिति कुछ भी हो और उन्हें सभी

कार्यस्थलों, चाहे वे संगठित हों या असंगठित, पर यौन उत्पीड़न से बचाता है। छात्र, प्रशिक्षु, मजदूर, घरेलू कामगार और यहाँ तक कि दफ़्तर या कार्यस्थल पर जाने वाली महिलाएँ भी इस अधिनियम में शामिल हैं।

2.6 अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण की सुविधा के लिए दिनांक 29 अगस्त, 2024 को यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (SHe&Box) [<https://shebox.wcd.gov.in/>] का नया संस्करण लॉन्च किया। शी-बॉक्स अ2.0 एक सशक्त डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र के रूप में स्थित है जो कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को कार्यस्थल उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी मंच प्रदान करता है। नया पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है, जो देश भर, सरकारी या निजी क्षेत्र, में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार प्रदान करती है। यह पोर्टल शिकायत दर्ज करने और ऐसी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक सामान्य मंच भी प्रदान करता है। पोर्टल पर दर्ज की गई कोई भी शिकायत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्र में संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को सीधे भेज दी जाती है।

2.7 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिनियम पर एक पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका में अधिनियम के बारे में जानकारी सरल और व्यावहारिक तरीके से दी गई है। पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है ताकि लोगों तक व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके। मंत्रालय ने जनशक्ति के

प्रशिक्षण और लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रमों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है।

ख. बाल विवाह

2.8 मंत्रालय बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए स्व-प्रेरित उपाय करता रहा है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, निष्पादित करते हैं और उकसाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता रहा है। बाल विवाह की रोकथाम तथा बेटियों का संरक्षण राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 का एक प्रमुख उद्देश्य है।

2.9 अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने दिनांक 27 नवंबर 2024 को एक राष्ट्रीय अभियान “बाल विवाह मुक्त भारत” का शुभारंभ किया। यह अभियान बाल विवाह के खिलाफ शपथ लेने के राष्ट्रीय आह्वान के साथ शुरू हुआ। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के आह्वान को व्यापक रूप से फैलाने के लिए, प्रत्येक जिले से बाल विवाह निषेध अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ पोर्टल का अनावरण भी हुआ, जो बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के अभियान के मिशन का समर्थन करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन मंच है। यह पोर्टल बाल विवाह के मामलों की प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का एक सार्वजनिक संग्रह प्रदान करता है।



दिनांक: 27.11.2024 को माननीया मंत्री (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय), राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) एवं सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) ने राष्ट्रीय अभियान "बाल विवाह मुक्त भारत" के शुभारंभ के दौरान बाल विवाह के विरुद्ध शपथ ग्रहण की।

2.10 बाल विवाह की रोकथाम के लिए मंत्रालय के कुछ ईमानदार प्रयासों में राज्य सरकारों के साथ संचार शामिल है जिसमें उनसे विशेष त्योहारों जैसे अक्षय तृतीया/आखा तीज— ऐसे विवाहों के परंपरागत दिन, को समवेत प्रयासों द्वारा विवाह को टालने के लिए विशेष पहल करने का अनुरोध किया गया। बाल विवाह के मुद्दे के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और बाल विवाह जैसे मुद्दों को इसके केंद्र में लाने के लिए बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ (बीबीबीपी), अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे प्लेटफॉर्मों का प्रयोग किया जाता है।

ग. घरेलू हिंसा

2.11 मंत्रालय घर के दायरे के अंदर और बाहर महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। घर जैसे निजी स्थान के अंदर होने वाली हिंसा के संबंध में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 प्रमुख कानून है। इस कानून का उद्देश्य हिंसा को रोकना तथा ऐसी स्थितियों में प्रतिवादी के साथ महिला के संबंधों पर ध्यान दिए बिना तत्काल एवं आपात राहत प्रदान करना है। यह अधिनियम परिवार के भीतर किसी प्रकार की हिंसा और उससे संबंधित या आकस्मिक प्रकार के मामलों से मुक्त जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।



केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री कमलेश पासवान एवं डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने 25.11.2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान "#AbKoiBahanaNahi" का शुभारंभ किया।

2.12 राष्ट्रीय अभियान "#AbKoiBahanaNahi" को 25 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में शुरू किया गया, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री कमलेश पासवान और डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी उपस्थित रहे। मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले लैंगिक समूहों के अधिकारों को सशक्त बनाना है, जिससे वे भय और सामाजिक बाधाओं को पार कर अत्याचारों की रिपोर्ट कर सकें और अपनी गरिमा वापस पा सकें। इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्वतंत्र प्रभार वाले संरक्षण अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करने, संरक्षण अधिकारियों के सुचारु कामकाज के लिए अलग बजट आवंटित करने, उत्तरजीवियों को सहायता प्रदान करने, पुलिस, न्यायपालिका, चिकित्सा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित और क्षमता निर्माण करने और

अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से पीडब्ल्यूडीवी नियमों के तहत फार्म-IV, जिसमें पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में सरल तरीके से जानकारी प्रदान की गई है, को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

घ. दहेज प्रतिषेध

2.13 दहेज की सामाजिक बुराई का समाधान करने की जरूरत को स्वीकार करते हुए 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करके, मंत्रालय दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कठिन प्रयास कर रहा है। यह अधिनियम दहेज को परिभाषित करता और दहेज देने, लेने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर दंडित करता है। इसमें कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में निर्मित कार्यान्वयन तंत्र का भी प्रावधान है। लोगों

की सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने तथा उन्हें दहेज के लेन-देन से हतोत्साहित करने के लिए बहु-क्षेत्रीय पैरवी अभियान चलाया गया है।

ड. स्त्री का अशिष्ट रूपण

2.14 स्त्री का अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 किसी विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रण में अशिष्ट रूपण या किसी अन्य तरीके से किसी रूप में महिलाओं के ऐसे रूपण को निषिद्ध करने के विशिष्ट उद्देश्य से स्त्री का अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया। अधिनियम के अनुसार, “स्त्री का अशिष्ट रूपण” का अर्थ है किसी महिला की आकृति का किसी भी रूप में चित्रण; जिससे उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का अभद्र, या अपमानजनक चित्रण होता हो, या उसकी बदनामी होती हो, या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता के कलुषित, भ्रष्ट या आहत होने की संभावना हो। इसमें स्त्री के अशिष्ट रूपण वाली किसी पुस्तक, पैम्फलेट और ऐसी अन्य सामग्री की बिक्री, वितरण, परिचालन को भी निषिद्ध किया गया है।

च. सती प्रथा का निवारण

2.15 सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 3 जनवरी, 1988 को अधिनियमित किया गया। सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 में सती प्रथा और इसके महिमामंडन के निवारण का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सती करने का प्रयास, सती होने के लिए उकसाना और सती का महिमामंडन करना एक दंडनीय अपराध है।

छ. अनैतिक व्यापार का निवारण

2.16 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) भारत में वेश्यावृत्ति के मुद्दे से निपटने वाला केंद्रीय कानून है। यह अधिनियम वेश्यावृत्ति को व्यावसायिक यौन शोषण के रूप में परिभाषित करता है और उन लोगों को दंडित करता

है जो व्यावसायिक यौन शोषण को बढ़ावा देते हैं और ग्राहकों को शामिल करते हैं और जो वेश्याओं की कमाई पर जीवनयापन करते हैं। इसमें पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और प्रबंधन किए जाने वाले सुरक्षात्मक गृहों के रूप में कल्याणकारी उपायों का भी प्रावधान किया गया है।

III. महिलाओं के लिए योजनाएं

2.17 मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एक समेकित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम ‘मिशन शक्ति’ तैयार किया है। इसका उद्देश्य संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण की पहल को सशक्त बनाना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों में अभिसरण, पंचायती राज संस्थानों और अन्य स्थानीय स्व-शासन निकायों की अर्द्धाक भागीदारी और सहयोग तथा जन सहभागिता के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर, जीवन-चक्र निरंतरता में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके ‘महिला-प्रेरित विकास’ के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

2.18 मिशन शक्ति के घटकों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह जीवन भर महिलाओं की जरूरतों का निरंतर ध्यान रखता है। मिशन शक्ति की ‘संबल’ और ‘सामर्थ्य’ दो उप-योजनाएं हैं। जहां “संबल” उप-योजना महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए है, वहीं “सामर्थ्य” उप-योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इनका घटक-वार विवरण इस प्रकार है:

(क) **संबल – महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए:**

- i) **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**, एक स्थान पर कानूनी परामर्श और सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श और सहायता, महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता और सुविधाओं के बारे में जानकारी देने जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं।
- ii) **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)**, टॉल-फ्री टेलीफोनिक शॉर्ट कोड 181 पर एक आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जिसे ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- iii) **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)**, व्यवहार और मानसिकता में बदलाव की मुख्य पहल है। देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है।
- iv) **नारी अदालत**, महिलाओं के उत्पीड़न, विध्वंस, अधिकारों या हकों में कटौती आदि जैसी छोटी प्रकृति के मामलों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए एक नया उप-घटक।

(ख) **सामर्थ्य – महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए:**

- i) **शक्ति सदन**, दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह हैं।

- ii) **सखी निवास**, शहरों और नौकरी की संभावना वाले क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं।
- iii) **पालना— शिशुगृह – कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं ताकि वे महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें।**
- iv) **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)**, गर्भावस्था और प्रसव के चलते मजदूरी के नुकसान की भरपाई करती है और स्वास्थ्य अनुकूल व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। इस स्कीम में पहले केवल एक बच्चा शामिल था, अब दूसरे बच्चे के लिए भी लाभ दिया जाएगा यदि बच्चा बालिका हो।

2.19 संकल्प (महिलाओं के पोषण और ज्ञान आधारित उन्नति, अंतिम लाभार्थी तक प्रदायगी और क्षमता प्राप्ति के लिए सहायक कार्रवाई): मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप-योजना के तहत एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तीकरण केंद्र) सभी महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध एकल खिड़की अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण तंत्र का कार्य करता है और मिशन शक्ति की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करेगा। संकल्प: एचईडब्ल्यू का लक्ष्य महिलाओं को सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संसाधनों की सहायता, निर्देशन और उन्हें जोड़ने के माध्यम से उनकी पूरी क्षमता को साकार करने में सक्षम बनाना है। संकल्प: एचईडब्ल्यू की सभी महिला लाभार्थियों को सुरक्षा और संरक्षा, वित्तीय समावेशन, महिला-केंद्रित कानूनों और विधानों पर

कानूनी जागरूकता, उद्यमशीलता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता से संबंधित प्रमुख विषयों पर जागरूकता प्रदान की जा रही है।

2.20 संकल्प: एचईडब्ल्यू एक दूसरे के साथ समन्वय में 3 स्तरों पर काम करता है: राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर, जिसमें विशेषज्ञों की एक टीम शामिल है जिसमें मिशन समन्वयक, लिंग विशेषज्ञ, अनुसंधान और

प्रशिक्षण विशेषज्ञ, वित्तीय समावेशन विशेषज्ञ, आईटी विशेषज्ञ, प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा शामिल हैं। राज्य और जिला संकल्प केंद्रों में प्रत्येक में 8 कर्मचारियों की भर्ती करने का प्रावधान है। कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम हैं।



माननीया मंत्री (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) एवं माननीय राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) ने 13.06.2024 को दिल्ली में संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का दौरा किया।

2.21 माननीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और माननीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने 13 जून, 2024 को दिल्ली में वन स्टॉप सेंटर, संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बालिका कल्याण गृह और महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण से जुड़ी अन्य संस्थाओं का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने इन संस्थानों का निरीक्षण किया और महिलाओं एवं बच्चों

के कल्याण के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। संकल्प केंद्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के साथ मिलकर जागरूकता गतिविधियों, शिविरों और अभियानों के आयोजन के माध्यम से व्यापक पहुंच और जागरूकता में भी संलग्न हैं। इन केंद्रों को महिला केंद्रित मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए वाहन की सुविधा के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तीय

आवंटन भी प्रदान किया गया है ताकि महिला केंद्रित गतिविधियों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

संकल्प: एचईडब्ल्यू 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 742 जिलों में कार्यरत है।



दिनांक: 21.06.2024 को माननीय राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) ने राष्ट्रीय कार्यशाला वद संकल्प: हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के दौरान 100-दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया।

संबल—महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए:

ii) महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)

i) वन स्टॉप सेंटर

2.22 हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा अस्थायी आश्रय सहित सेवाओं की एकीकृत रेंज तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना निर्भया कोष के माध्यम से वित्तपोषित है।

2.23 देश भर के 785 जिलों में कुल 888 ओएससी स्वीकृत किए गए हैं। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 802 ओएससी चालू हैं। इन केंद्रों ने वित्त वर्ष 2024–25 में 1.71 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। महिलाओं को सर्वोत्तम संभव पहुँच और सहायता प्रदान करने के लिए ओएससी को महिला हेल्पलाइन 181 और अन्य मौजूदा सेवाओं के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है।

2.24 महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) की योजना 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य रेफरल सेवाओं (पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल आदि जैसे उपयुक्त प्राधिकारियों से जोड़ना) के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना और एक समान टेलीफोन नंबर (181) के माध्यम से देश भर में महिला कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन चालू की गई हैं। उन्हें वित्त वर्ष 2024–25 में 57,29,106 कॉल प्राप्त हुई। योजना को निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाता है। मंत्रालय डब्ल्यूएचएल को अन्य हेल्पलाइनों जैसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) आदि के साथ एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

2.25 बीबीबीपी एक मानसिकता परिवर्तन कार्यक्रम है जो शून्य-बजट विज्ञापन पर केंद्रित बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के लिए जागरूकता पैदा करने में मदद करता है और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करता है। पहले 405 जिलों में परिचालित इस योजना को बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए अब इसका विस्तार किया गया है।

2.26 15वें वित्त आयोग की अवधि में जारी रखने के लिए मिशन शक्ति की संबल उप योजना के तहत एक घटक के रूप में बीबीबीपी योजना का अनुमोदन किया गया है। अब, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं में कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भी भागीदार के रूप में जोड़ा गया है।

2.27 2020-21 तक जिलों में जन्म पर विभेदक लिंग अनुपात (एसआरबी) की स्थिति (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के आंकड़ों के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए बीबीबीपी घटक के तहत निधि जारी करने के लिए तीन कोष्ठक निर्धारित किए गए हैं। 918 से कम या इसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को 40 लाख रुपये प्रति वर्ष, 919 से 952 तक एसआरबी वाले जिलों को 30 लाख रुपये प्रति वर्ष और 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जा रही है।

2.28 यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है और बहु-क्षेत्रीय पहलों के लिए राज्यों के माध्यम से जिलों को निधियां भेजी जाती हैं। इस संबंध में, जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में

आसानी के लिए एक संचालन नियमावली तैयार की गई है। बीबीबीपी का परिचालन मैनुअल मंत्रालय की वेबसाइट (<https://wcd.nic.in/sites/default/files/Beti%20Bachao-Beti%20Padao-English.pdf>) पर उपलब्ध है। बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की साल भर की व्यस्तता सुनिश्चित करने के लिए जिलों के लिए एक विस्तृत और अच्छी तरह सुझाया गया गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है।

क) उद्देश्य— इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं का अस्तित्व, सुरक्षा, शिक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए लिंग-पूर्वाग्रही लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना है।

ख) लक्ष्य समूह— बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निम्नलिखित समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है:

प्राथमिक	- युवा और नवविवाहित दंपति और भावी माता-पिता - किशोर (लड़कियां और लड़के) और युवा - परिवार और समुदाय
माध्यमिक	- स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र - मेडिकल डॉक्टर/चिकित्सक, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर इत्यादि - अधिकारी, पीआरआई/यूएलबी, अग्रणी कार्यकर्ता, - महिला समूह और एसएचजी, नागरिक समाज संगठन, मीडिया, उद्योग, धार्मिक नेता इत्यादि

ग) योजना के घटक— देश के सभी जिलों में बहु-क्षेत्रीय पहल: इस घटक का उद्देश्य शून्य-बजट विज्ञापन और जमीनी प्रभाव वाले कार्यक्रमों जैसे बालिकाओं में खेल को बढ़ावा देने, आत्मरक्षा शिविर, बालिकाओं

के लिए शौचालयों के निर्माण, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम आदि के बारे में जागरूकता आदि पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करना है। जिला स्तर पर बहुक्षेत्रीय पहल के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के माध्यम से निधि प्रदान की जाती है।

घ) योजना का कवरेज— 15वें वित्त आयोग की अवधि में, बहुक्षेत्रीय पहल के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए बीबीबीपी का विस्तार किया गया है। इससे पहले बीबीबीपी योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी। बीबीबीपी योजना के विस्तार के चरण निम्नानुसार हैं:

2014-15	2015-16	2018-19	2018-19 से 2021-22
चरण-1 में 22 जनवरी, 2015 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 100 जिलों बीबीबीपी की शुरुआत की गई	चरण-2 में 11 राज्यों में 61 जिलों में विस्तार किया गया	अखिल भारतीय विस्तार बहु क्षेत्रीय पहल 244 मीडिया, पैरवी और पहुंच 640	640 जिले (2011 की जनगणना के अनुसार)

ड) निगरानी तंत्र — मिशन शक्ति का घटक होने के नाते कार्यान्वयन के सभी स्तरों, अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर बीबीबीपी की निगरानी की जा रही है।

च) निधि की स्थिति — स्थापना के समय से बीबीबीपी योजना के तहत निधियों का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2014-15	50	34.84
2	2015-16	75	59.37
3	2016-17	43	28.66
4	2017-18	200	169.10
5	2018-19	280	244.73
6	2019-20	200	85.78
7	2020-21	100	60.57
8	2021-22	100	58.80
9	2022-23	108	91.98
10	2023-24	90.5	88.63
11	2024-25*	222	29.38

*दिनांक 31.12.2024 तक

छ) उपलब्धियां— इस योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। इस योजना के फलस्वरूप लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ी है। इसने भारत में घटते सीएसआर के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। अभियान का समर्थन करने वाले लोगों की सामूहिक चेतना के परिणामस्वरूप बीबीबीपी ने सार्वजनिक चर्चा में अपनी जगह बनाई है। विभिन्न संकेतकों में सुधार इस प्रकार रहा है:

(i) राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लैंगिक अनुपात 918 (2014-15) से बढ़कर

930 (2023–24) हो गया। (स्रोत: एचएमआईएस डेटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (2014–15 और 2023–24)।

- (ii) सकल नामांकन अनुपात (जीईआर): माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन 2014–15 में 75.51% से बढ़कर 2023–24 में 78% हो जाएगा। (स्रोत: यू-डीआईएसई प्लस, शिक्षा मंत्रालय)।

ज) आयोजित कार्यक्रम—

i) राष्ट्रीय बालिका दिवस (एनजीसीडी) का उत्सव

क) 24 जनवरी 2024 — महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के बच्चों की भागीदारी वाली “मेरे विकसित भारत का सपना” थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता से हुई। इस समारोह में वृक्षारोपण अभियान भी शामिल था। कार्यक्रम की जीवंतता को बढ़ाने के लिए, सीसीआई के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से, शिशु मंदिर, बैंगलोर के बच्चों ने बोइंग इंडिया के सहयोग से एक उल्लेखनीय यूनीसाइकिल प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मान्यता मिली।



राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

ख) राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी देश भर में 5 दिनों के विशेष अभियान के साथ मनाया गया जिसमें बालिकाओं के महत्व को दर्शाने वाली गतिविधियां शामिल थीं। इस अभियान में डोर-टू-डोर कार्यक्रमों के दौरान हर घर/सार्वजनिक भवन/पंचायत कार्यालय पर संदेश के साथ “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” स्टिकर चिपकाने जैसे नए विचार शामिल हैं। स्वच्छता किटों के वितरण के साथ मासिक धर्म स्वच्छता पर कार्यशालाओं जैसे सामुदायिक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालिकाओं के नाम पर वृक्षारोपण अभियान अनिवार्य गतिविधि थी। शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुटाव के क्षेत्र में जिले में स्थानीय चैंपियन को मान्यता देना और उनका सम्मान करना भी इस अभियान का हिस्सा बना।

ii) अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का राष्ट्रव्यापी उत्सव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 8 सितंबर, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय था “बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना: आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता।”

देश भर में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं को शिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि यह एक साक्षर, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समुदायों को शामिल करने और शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को

प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए।

iii) अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का राष्ट्रव्यापी उत्सव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले दिनांक 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न स्तरों पर 10 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया।

इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। समुदायों और सभी अन्य हितधारकों को बालिकाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा करने, उनके सामने आने वाली चुनौतियों की समझ बढ़ाने और उनकी शिक्षा और सशक्तीकरण का समर्थन करने वाली पहलों को बढ़ावा देने में शामिल किया जा रहा है।

पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस विभिन्न स्तरों पर मनाया जाता है। इस विशेष कार्यक्रम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की हैं जिनमें शामिल हैं:

- बालिकाओं को समर्पित वृक्षारोपण अभियान।
- स्कूल जाने वाली मेधावी बालिकाओं का सम्मान।
- बेटियों पर गर्व करने के लिए उनके साथ सेल्फी।
- बालिकाओं के सम्मान हेतु कन्या पूजन।
- उनकी भलाई के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए सेमिनार और जागरूकता रैलियां।

- रचनात्मकता और संस्कृति को प्रदर्शित करती रंगोली प्रतियोगिताएं।
 - जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेल आयोजन।
- इसके अलावा, नवरात्रि के दौरान, कुछ जिलों में गरबा के दौरान डांडिया को हमारे संदेश को मजबूत करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो के साथ चित्रित किया जाता है।



मध्य प्रदेश में कन्या पूजन बिहार: आंगनवाड़ी केंद्रों पर वृक्षारोपण अभियान और जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

छत्तीसगढ़ में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर एक माँ दुर्गा पंडाल खूबसूरती से बनाया गया है, जो बालिकाओं को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में, जिला प्रशासन ने बालिकाओं को उनकी क्षमताओं और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न जिलों में एक दिन के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

iv) 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10वां वर्ष समारोह

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना की 10वीं वर्षगांठ मना

रहा है, जो भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए विशेष प्रयासों के एक दशक का प्रतीक है। 10वीं वर्षगांठ का जश्न दिनांक 22 जनवरी, 2025 से 8 मार्च, 2025 तक राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मनाया जाएगा, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा।

दो राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे। सभी राज्य/जिले सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तथा जिला स्तर पर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जिला स्तर पर साप्ताहिक उत्सव कार्यक्रम की योजना बनाई गई है।



बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10वां वर्ष समारोह 22.01.2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

2.29 जिलों ने पूरे वर्ष जागरूकता पर बल दिया और मानसिकता बदलने के लिए केंद्रित अभियान चलाए। जिलों ने मुख्य रूप से समुदायों को जोड़ने, जन्म के समय लैंगिक अनुपात में सुधार, जन्म पंजीकरण, बालिकाओं के जन्म पर जश्न मनाने को प्रोत्साहित करने, पुत्र-केंद्रित रीति-रिवाजों को चुनौती देने और सामाजिक मानदंडों को उलटने, बालिकाओं को

वापस स्कूल भेजने के लिए पुनः नामांकन अभियान और बालिकाओं के महत्व के लिए अन्य पहलों की दिशा में कार्यकलाप शुरू किया है। जिलों की अच्छी पहलों को मंत्रालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रलेखित किया गया है। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट: www.wcd.nic.in पर उपलब्ध हैं।



बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10वां वर्ष समारोह 22.01.2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

v) नारी अदालत

2.30 नारी अदालत मिशन शक्ति के तहत “संबल” उप-योजना का एक घटक है। इस अग्रणी पहल का उद्देश्य महिलाओं को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना और उत्पीड़न, तोड़फोड़ और अधिकारों या हकों में कटौती के मुद्दों का समाधान करना है।

2.31 इस योजना के तहत, नारी अदालत उन सभी महिलाओं और लड़कियों की सेवा करती है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है या स्थानीय समुदाय में उनकी कोई शिकायत है।

2.32 इसके मुख्य कार्यों में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और हकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों का समाधान करना शामिल है। नारी अदालत द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वैकल्पिक विवाद समाधान और शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना, दबाव समूह रणनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलभ और किफायती न्याय के लिए आपसी सहमति से सुलह शामिल है। नारी अदालत न केवल व्यक्तिगत मामलों का समाधान करेगी बल्कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत सामाजिक योजनाओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगी और इन पहलों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया एकत्र करेगी।

2.33 नारी अदालत के प्रत्याशित परिणामों में अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता में वृद्धि, घरेलू हिंसा के मामलों में कमी, दबाव समूहों के रूप में महिलाओं का सशक्तीकरण, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मुकाबला, लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी)

की रिपोर्टिंग में वृद्धि, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि जैसे गुणात्मक परिणाम, पुलिस और औपचारिक न्यायपालिका प्रणाली पर बोझ में कमी और महिलाओं के लिए भरण-पोषण और संपत्ति के अधिकार जैसे संसाधनों तक बेहतर पहुंच शामिल हैं।

2.34 नारी अदालत पहल असम राज्य और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 50-50 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है। इसे बिहार और कर्नाटक राज्यों में 10-10 ग्राम पंचायतों में भी चलाया जा रहा है।

2.35 लागत मानदंडों और चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 42.40 लाख रुपये जारी किए गए हैं: जम्मू और कश्मीर के लिए 21.60 लाख रुपये और असम के लिए 20.80 लाख रुपये। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक 2 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 9 लाख रुपये जारी किए हैं।

प्रगति:

- 31 दिसंबर, 2024 तक, असम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर दोनों पायलट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल 780 न्याय सखियों की पहचान की गई है, 1062 बैठकें की गई हैं और 497 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 414 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।
- नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन के लिए शेष राज्यों से 10 ग्राम पंचायतों (जीपी) और संघ राज्य क्षेत्रों से 5 जीपी के प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए एक पत्र जारी किया गया है।

(ख) सामर्थ्य – महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए:

i) शक्ति सदन

2.36 समग्र मिशन शक्ति के तहत, कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए स्वाधार गृह और दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए उज्ज्वला गृहों का विलय कर दिया गया है और इसे शक्ति सदन का नया नाम दिया गया है, जो दुर्व्यापार की गई महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। यह योजना मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त स्थिति में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों से उबर सकें। इस योजना के तहत किराए के परिसर में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शक्ति सदन योजना की प्रमुख विशेषताएं:

क) शक्ति सदन के निवासियों के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दैनिक जरूरतों की व्यवस्था की जाती है। निवासियों को संबंधित विभागों के अभिसरण में व्यावसायिक प्रशिक्षण, बैंक खाता खोलने की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदि भी प्रदान किए जाएंगे।

ख) गृहों के संचालन का व्यय यानी प्रशासनिक लागत 15,000/- रुपये प्रति माह, प्रबंधन लागत 12,84,000/- रुपये प्रति वर्ष, शहर की ए, बी और सी श्रेणी के अनुसार किराया प्रदान किया जाता है। प्रति वर्ष 2,50,000/- रुपये की दर से प्रत्यावर्तन, पुनर्एकीकरण राशि का

प्रावधान है। इसके अलावा जन धन खाते में प्रति लाभार्थी को 500/- रुपये प्रति माह की दर से राशि दी जाती है, जिसे खाताधारक गृह में रहने के दौरान नहीं निकाल सकते हैं।

ग) इन गृहों की सुविधाओं का लाभ महिलाओं के साथ आने वाले बच्चे भी उठा सकते हैं। शक्ति सदन में किसी भी उम्र तक की अविवाहित लड़कियां और 12 साल तक के लड़के अपनी माता के साथ रह सकते हैं। (12 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों को जेजे अधिनियम/मिशन वात्सल्य के तहत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित करना आवश्यक है)।

घ) शक्ति सदन को आसपास के पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और बेहतरी सुनिश्चित की जा सके। इन गृहों के कर्मचारियों का वार्षिक पुलिस सत्यापन किया जाएगा।

ङ) मानसिक रूप से विकलांग/दिव्यांग महिलाओं के लिए भी सामाजिक और न्याय विभाग और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं के अभिसरण में गृह स्थापित किए जा सकते हैं।

च) यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच, उत्तर पूर्व और विशेष श्रेणी के राज्यों जहां वित्तपोषण अनुपात 90:10 है, को छोड़कर 60:40 का वित्तपोषण अनुपात है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 100: वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।

2.37 31 मार्च, 2024 तक, देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 404 शक्ति सदन कार्य कर रहे हैं।

कार्यशील शक्ति सदनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र—वार ब्यौरा **अनुलग्नक—V** में दिया गया है। वित्त वर्ष 2024—25 के दौरान (31 दिसंबर, 2024 तक) शक्ति सदन के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 29.05 करोड़ रुपये जारी किए गए।

विधवा गृह

2.38 विधवा गृह वृंदावन में स्थापित किया गया है जो भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित है। इसमें 1000 विधवाओं को रहने की सुरक्षित जगह, स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है। गृह का डिजाइन भी वृद्धावस्था के अनुकूल है। गृह वरिष्ठ नागरिकों और विशेष अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं से सुसज्जित है। यह गृह देश में विधवाओं के लिए सबसे बड़ा आश्रय गृह है और इसका उद्घाटन 31 अगस्त, 2018 को किया गया।

ii) सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) योजना

2.39 समग्र मिशन शक्ति के तहत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

2.40 इस योजना के तहत, ऐसी कामकाजी महिलाओं जो अकेली, विधवा, तलाकशुदा, अलग, विवाहित जिनके पति या परिवार उसी क्षेत्र में नहीं रहते हैं और नौकरी के

लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए के लिए किराए के परिसर में सखी निवास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सखी निवास के निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते उनकी सकल आय महानगरों में 50,000/— रुपये प्रति माह या अन्य स्थानों पर 35,000/— रुपये प्रति माह से अधिक न हो।

2.41 यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों जहां यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ कार्यान्वित की जाती है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

2.42 31 दिसंबर, 2024 तक, देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 523 सखी निवास कार्यरत हैं। कार्यरत सखी निवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र—वार विवरण **अनुलग्नक—VI** में दिया गया है। वित्त वर्ष 2024—25 के दौरान (31 दिसंबर, 2024 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.61 करोड़ रुपये जारी किए गए। वित्त मंत्रालय (MoF), व्यय विभाग (DoE) ने अगस्त 2024 में 'राज्यों के लिए पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता (SASCI) योजना 2024—25* के भाग—X के तहत राज्यों (केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) को कार्यशील महिला छात्रावास के निर्माण के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए। इस योजना के इस भाग का उद्देश्य महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) को बढ़ाने के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना और महिलाओं के लिए जीवन को सुगम बनाना है। दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) को व्यय विभाग (DoE) से 27 राज्यों (ओडिशा को छोड़कर)

के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त हुए हैं, जिन पर टिप्पणियाँ/इनपुट मांगे गए हैं। MWCD ने 22 राज्यों के लिए DoE को टिप्पणियाँ/इनपुट भेजे हैं। इन 22 राज्यों में से 15 राज्यों के प्रस्तावों को DoE द्वारा मंजूरी दी गई है, जबकि 7 राज्यों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। शेष 5 राज्यों के DPRs का MWCD द्वारा संबंधित राज्यों के साथ परामर्श कर अध्ययन किया जा रहा है।

iii) पालना

2.43 महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के संबंध में सरकार की निरंतर पहल के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं और अब अधिक से अधिक महिलाएं अपने घरों के भीतर या बाहर काम करके लाभकारी रोजगार पा रही हैं। बढ़ते औद्योगीकरण और शहरी विकास के कारण शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चों, जिन्हें पहले काम के दौरान परिवारों से सहायता मिलती थी, को अब डे-केयर सेवाओं की जरूरत पड़ती है जो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सुरक्षा प्रदान करती हों। उचित डे-केयर सेवाओं की कमी अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर काम करने से रोकती है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेवाओं/क्रेच की बेहतर गुणवत्ता और पहुंच अति आवश्यक है।

2.44 कामकाजी माताओं द्वारा अपने बच्चों को उचित बाल देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, पालना के घटक के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्रेच सेवाएं बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं, जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था। देखभाल कार्य को

औपचारिक बनाना सतत विकास लक्ष्य 8 – सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए “सभ्य कार्य अभियान” को सहयोग करता है। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के जरिए वित्त वर्ष 2025–26 तक 17000 आंगनवाड़ी सह क्रेच स्थापित करने का निर्णय लिया है।

2.45 आंगनवाड़ी केंद्र दुनिया की सबसे बड़ी बाल देखभाल संस्थाएं हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के प्रति समर्पित हैं, जो अंतिम छोर तक देखरेख सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करती हैं। अपनी तरह के पहले दृष्टिकोण में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन बाल देखभाल सहायता सुनिश्चित करेगा और एक सुरक्षित वातावरण में उनका कल्याण सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना है। पालना घटक का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा आदि प्रदान करना है। पालना के तहत सभी माताओं को उनकी रोजगार स्थिति पर ध्यान दिए बिना क्रेच सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

2.46 पालना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि दिन-प्रतिदिन बेहतर निगरानी और योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और इसे केंद्र और राज्य सरकारों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों जहां अनुपात 90:10 है को छोड़कर, 60:40 के वित्तपोषण अनुपात से कार्यान्वित किया जाता है। बिना

विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

2.47 पालना के उद्देश्य हैं:

- i) बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।
- ii) अधिक माताओं को लाभकारी रोजगार करने में सक्षम बनाना।
- iii) मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 11क में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करना, जिसमें प्रतिष्ठानों द्वारा शिशुगृह सुविधाओं की स्थापना की जानी है।

2.48 कार्यान्वयन एजेंसियां: इसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार शिशुगृहों का संचालन करेगी। सभी प्रशासनिक, व्यावसायिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, मीडिया वकालत आदि व्यय एचयूबी में वसूले जाएंगे।

2.49 लक्षित समूह और लाभार्थी: सभी माताओं को उनके रोजगार की स्थिति पर ध्यान दिए बिना शिशुगृह की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह योजना 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों पर केंद्रित है।

2.50 सेवा प्रदायगी ढांचा: आंगनवाड़ी-सह-क्रेच योजना को अंतर-मंत्रालयी अभिसरण के साथ विशेष रूप से आईसीडीएस और पोषण के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। यह श्रम कानूनों के साथ-साथ मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत विधानों का अनुपालन करता है।

2.51 वर्ष 2024-25 के दौरान पालना के तहत प्रमुख पहल/कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- क) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने एडब्ल्यूसीसी की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया और 4978 और 786 एडब्ल्यूसीसी की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। अब तक, कुल 11,395 एडब्ल्यूसीसी को मंजूरी दी गई है।
- ख) कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 05 जून, 2024 को एक बैठक बुलाई गई थी।
- ग) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आगे के उपायों पर चर्चा करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक की अध्यक्षता में 06 जून, 2024 को विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों, उद्योग संघों, विषय विशेषज्ञ संगठनों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्रेच पर मुख्य ध्यान दिया गया।
- घ) देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने की कार्यनीति के संबंध में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और उद्योग संघों के साथ 04 नवंबर, 2024 को श्री अनिल मलिक, सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

iv) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

2.52 भारत सरकार ने 01 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अखिल भारतीय कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। पीएमएमवीवाई से पहले, सरकार की कोई अखिल भारतीय मातृत्व लाभ योजना नहीं थी। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, पीएमएमवीवाई को मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप-योजना का एक घटक बनाया गया है। पीएमएमवीवाई के उद्देश्य हैं:

- क) नकद प्रोत्साहन के रूप में **मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना** ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।
- ख) प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बीच **स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार** होगा।
- ग) दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक

व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, यदि वह बालिका है।

2.53 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक/डाकघर खाते में सीधे दो किस्तों में 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी एक किस्त में 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। हालांकि, दूसरे बच्चे के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए, गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण अनिवार्य है। इससे जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार होगा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मदद मिलेगी।

2.54 यह लाभ केवल लाभार्थी के आधार नंबर के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है ताकि किसी भी दोहराव या कदाचार से बचा जा सके। नीचे दी गई तालिका में दी गई अनुसूची के अनुसार डीबीटी मोड में पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में और दूसरी बालिका के लिए एक किस्त में नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है:

शर्तें और किस्तें		
पहला बच्चा		
किस्तें	शर्तें	राशि
पहली किस्त	संबंधित प्रशासन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र (डब्ल्यूसी)/ अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्रों में एलएमपी की तारीख से 6 महीने के भीतर गर्भावस्था के पंजीकरण और कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराने पर	₹ 3,000/-
दूसरी किस्त	i. बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया हो ii. बच्चे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चौदह सप्ताह की आयु तक सभी आवश्यक टीके लगाए गए हों	₹ 2,000/-

दूसरा बच्चा (यदि वह बालिका है तो)		
एकल किस्त	गर्भावस्था के पंजीकरण और एलएमपी की तारीख से 6 महीने के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच के बाद संबंधित प्रशासकीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचान की जा सकती है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म का पंजीकरण किया जाएगा। बालिका को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चौदह सप्ताह की आयु तक सभी आवश्यक टीके लगाए गए हों।	₹ 6,000/-

2.55 पात्रता के निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदंड इस प्रकार हैं:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं;
- आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) महिलाएं
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं
- आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
- किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
- महिलाएं जिनकी निवल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच/आशाएं
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड धारक महिला लाभार्थी

इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य श्रेणी भी पात्र होगी।

2.56 केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार में लगी या किसी भी मौजूदा कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं पीएमएमवीवाई के तहत लाभ पाने की हकदार नहीं होंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत पात्र लाभार्थी की आयु 18 वर्ष 7 महीने और अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए।

2.57 कोई भी पात्र लाभार्थी किसी भी समय, किंतु गर्भावस्था के 270 दिनों के बाद आवेदन नहीं कर सकती है। इस संबंध में एमसीपी कार्ड में पंजीकृत एलएमपी गर्भावस्था की तिथि मानी जाएगी। गर्भपात/ मृत शिशु के जन्म के मामले में लाभार्थी को भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में नई लाभार्थी माना जाएगा।

2.58 लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आशा द्वारा किया जाएगा। पीएमएमवीवाई लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पूरे देश में आशा/ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मानदेय की एक समान दरें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/ आशा के लिए मानदेय की निम्नलिखित दरें तय की गई हैं:—

किस्त संख्या	ऑनलाइन आवेदन हेतु मानदेय के लिए पात्र कार्यकर्ताओं की श्रेणी	आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मानदेय	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
पहला बच्चा			
पहली	आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू	₹ 150/-	लाभार्थी को संबंधित किस्त का भुगतान जारी होने के बाद
दूसरी	आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू	₹ 100/-	
	कुल	₹ 250/-	
दूसरा बच्चा (बालिका)			
	आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू	₹ 250/-	लाभार्थी को किस्त का भुगतान जारी होने के बाद ।

लाभार्थियों द्वारा स्वयं-पंजीकरण के मामले में, स्वयं-पंजीकरण की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर क्षेत्र स्तर पर सत्यापन और ऑनलाइन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के लिए के लिए एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा को 150/- रुपये दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा को मानदेय का भुगतान लाभार्थी को पहले बच्चे के मामले में दोनों किस्तों और दूसरी बालिका के मामले में एक किस्त जारी करने के बाद किया जाएगा।

2.59 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में तैयार की गई है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लागत हिस्सेदारी अनुपात के आधार पर अनुदान जारी किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का अनुपात 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 100% है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निधियों के जमाव के बिना लाभार्थियों को निधियों की समर्पित और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक एस्करो खाता रखने का

प्रावधान है। भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, लाभार्थियों के खाते में अंतरण के लिए इस खाते में अपना संबंधित अंश अंतरित करते हैं। 2024-25 के दौरान बजटीय आवंटन 2067.87 करोड़ रुपये है। 31 दिसंबर, 2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है।

2.60 योजना का पारदर्शी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा 01 सितंबर, 2017 को कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएस), कार्यान्वयन दिशानिर्देश और इसके प्रयोक्ता मैनुअल जारी किए गए। 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप मार्च 2023 में एक नया पीएमएमवीवाई पोर्टल (पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस) शुरू किया गया। मोबाइल ऐप और विशिष्ट पोर्टल (पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस) की शुरुआत के साथ आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया कागज रहित हो गई है। इसका यूआरएल <https://pmmvy.wcd.gov.in> है।

2.61 सरल और समझने में आसान ऑनलाइन फॉर्म एक सुसंगत और सीधी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। पोर्टल नागरिकों के लिए पहली बार स्वयं-पंजीकरण को सुगम बनाता है, जिसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा कार्यकर्त्रियों जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा सुगम बनाया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सुचारु प्रक्रिया के लिए आधार सत्यापन और आधार-आधारित भुगतान जैसे अनिवार्य प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। लाभार्थी का सत्यापन आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से किया जाता है, और धनराशि सीधे उनके डीबीटी-सक्षम खातों में अंतरित कर दी जाती है। भुगतान पारदर्शी रूप से आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खातों में जमा किए जाते हैं, जो दक्षता के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत होते हैं। अनिवार्य मोबाइल नंबर शामिल करने से आवेदन की स्थिति और निधि के संवितरण को तत्समय अपडेट करना सुगम होता है। गर्भवती लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से अपने नए स्थान पर सहजता से प्रवास कर सकती हैं और लाभ प्राप्त करती रह सकती हैं। इस प्रणाली में शिकायत फॉर्म, हेल्पलाइन-14408 सहित कई सहायता चैनल और एसएमएस संचार उपलब्ध हैं।

2.62 इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निगरानी यात्राएं आयोजित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा 2024-25 में पीएमएमवीवाई के हितधारकों/कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं/प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ, मंजूरी अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण अभ्यास आयोजित किए गए। प्रशिक्षण

ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ राज्य दौरों के माध्यम से दिए गए।

2.63 पीएमएमवीवाई के अंतर्गत क्षमता निर्माण अभ्यास

• भौतिक और आभासी बैठक के माध्यम से तकनीकी चुनौतियों/प्रश्नों का समाधान

क) राज्यों के साथ 100 से अधिक वर्चुअल बैठकें की गईं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एनआईसी टीम के साथ 20 से अधिक भौतिक बैठकें की गईं।

ख) पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान, जैसे मानचित्रण की चुनौतियों, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण, लंबित मामलों का निपटारा और पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।

ग) तमिलनाडु में एपीआई एकीकरण और उत्तर प्रदेश में पदानुक्रम मैपिंग में परिवर्तन जैसे राज्य-विशिष्ट चिंताओं से निपटा गया। एनआईसी के सहयोग से फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल पर भी चर्चा की गई।

• नई सुविधाओं और मॉड्यूलों की शुरुआत:

क) हितधारकों को पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस के नवीनतम अपडेट और सुविधाएं प्रस्तुत करना, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें नई कार्यक्षमताओं के बारे में अच्छी जानकारी है।

- **पीएफएमएस से संबंधित मुद्दों का समाधान करना:**

क) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा में शामिल होना, एसएनए-संबंधित प्रक्रियाओं, डीबीटी-संबंधित चुनौतियों और लाभार्थी बैंचों के लिए भुगतान-संबंधित प्रक्रियाओं जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करना

- **लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग:**

क) सटीक पहचान और लाभों के कुशल संवितरण हेतु लाभार्थियों की उचित आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अधिकारियों के साथ सहयोग करना।

- **बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन:**

क) संघ राज्य क्षेत्रों को एस्करो खातों से राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में संक्रमण के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना, उनकी विशिष्ट जरूरतों का समाधान करना।

- **उत्तर प्रदेश (यूपी) के विभागों के लिए प्रशिक्षण:**

क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के बाद, उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग (एमडब्ल्यूसीडी) जैसे विभागों के साथ ब्रीफिंग और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 5 भौतिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना शामिल था।

- **पीएमएमवीवाई योजना की निष्पादन समीक्षा:**

क) पीएमएमवीवाई योजना के समग्र निष्पादन की समीक्षा करना, पंजीकरण अभियान की प्रभावशीलता पर चर्चा करना और निरंतर सुधार सुनिश्चित करना।

- **नई कार्यक्षमताओं की शुरुआत:**

क) प्रणाली के बेहतर उपयोग के लिए हितधारकों को मास्टर डेटा प्रबंधन और एपीआई एकीकरण सहित पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस में नई प्रगति से अवगत करना।

क्षमता निर्माण अभ्यासों का विवरण **अनुलग्नक—VIII** में दिया गया है।

2.64 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर, 2024 तक 4.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है, जिनमें से 3.69 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कुल 16,418.12 करोड़ रुपये से अधिक लाभों का संवितरण (कम से कम एक किस्त) किया गया है। यह योजना पूरे देश में पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और पीएमएमवीवाई 2.0 के अनुसार परिवर्तनों को इसमें शामिल किया गया है।

IV. निर्भया कोष

2.65 देश में महिलाओं के लिए संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने निर्भया कोष नामक एक समर्पित कोष स्थापित किया। यह आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास रखा गया गैर-व्यपगत कॉरपस कोष है। वित्त वर्ष 2024-25 तक निर्भया कोष के तहत 7712.85

करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निर्भया कोष के तहत प्रदान किए गए आवंटन का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपये)
2013-14	1000.00
2014-15	1000.00
2015-16	—
2016-17	707.62
2017-18	550.00
2018-19	550.00
2019-20	550.00
2020-21	1355.23
2021-22	500.00
2022-23	500.00
2023-24	500.00
2024-25*	500.00
कुल	7712.85

*31.12.2024 तक

2.66 वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के तहत योजनाओं का मूल्यांकन करने के साथ ही संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के सहयोग से स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। उसके बाद वित्तीय अनुमोदन और व्यय सीधे ही संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। निर्भया कोष से वित्तपोषित किए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने तथा इनकी समीक्षा और निगरानी के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक अधिकारप्राप्त समिति गठित की गई है।

2.67 अधिकारियों की अधिकारप्राप्त समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – अध्यक्ष।
- सचिव, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय – सदस्य।
- अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड – सदस्य।
- संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग – सदस्य।
- सचिव, परियोजना प्रायोजन विभाग – सदस्य।
- संबंधित राज्य सरकार के विभाग के सचिव – सदस्य।
- राज्य के महिला एवं बाल विभाग के सचिव – सदस्य।
- संयुक्त सचिव (निर्भया), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – संयोजक।

2.68 इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के स्थान पर जनवरी, 2017 में निर्भया कोष का फ्रेमवर्क भी लागू किया गया है।

2.69 निर्भया कोष के तहत प्रस्ताव तैयार और अनुमोदन करने के चरण इस प्रकार हैं:

- केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग** महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं।
- राज्य सरकार** अपने विशिष्ट क्षेत्र (जैसे सड़क परिवहन, पुलिस, विद्युत आदि) में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजना प्रस्ताव तैयार करके उसकी एक प्रति अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त समिति को भेजते हुए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत कर सकती है।

iii. **संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन** भी परियोजना प्रस्ताव तैयार और अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त समिति को एक प्रति सहित उसे गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकता है।

iv. अधिकारप्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद, संबंधित मंत्रालय निधियों के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करते हैं।

2.70 निर्भया कोष के तहत वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन योजना को मंत्रालय स्वयं कार्यान्वित करता है। अन्य मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी इस कोष के तहत योजनाएं कार्यान्वित करते हैं।

v. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2.71 बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच पर भारत की आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना: भारत ने महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की तीसरी वर्षगांठ और बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच को अपनाने के संदर्भ में बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे मंत्रालय ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श और विस्तृत शोध के बाद तैयार किया है। इस रिपोर्ट में कार्रवाई मंच में ध्यान देने योग्य 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित भारत सरकार की 200 से अधिक पहलों को शामिल किया गया है, जिसमें 37 कानून और 170 से अधिक योजनाबद्ध और नीतिगत पहलें शामिल हैं। यह रिपोर्ट एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) की वेबसाइट और मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

2.72 **बीजिंग+30 समीक्षा पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:** मंत्रालय ने 19-21 नवंबर, 2024 तक बैंकॉक, थाईलैंड में बीजिंग+30 समीक्षा सम्मेलन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग

लिया और यूएन वीमेन के समर्थन से ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से "महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाना" नामक एक अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया।

2.73 सचिव, महिला एवं बाल विकास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत की अध्यक्षता में न्यूयॉर्क में 05-07 फरवरी, 2024 तक आयोजित सामाजिक विकास आयोग (सीएसओसीडी) के 62वें सत्र में भाग लिया।

2.74 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जी-20 में महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के एजेंडे के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत बनाए गए जी-20 महिला सशक्तीकरण कार्य समूह की बैठकों में भाग लिया, तथा 2024 में ब्राजील की अध्यक्षता के तहत इसकी पहली तकनीकी बैठकें और मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। मंत्रालय ने ब्राजील की अध्यक्षता द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों – (क) समानता, स्वायत्तता और देखरेख नीतियां, (ख) महिलाओं के प्रति अरुचि और हिंसा का सामना करना, और (ग) जलवायु न्याय पर भारत के अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा किया। मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने सुनिश्चित किया कि ब्राजील की अध्यक्षता के तहत परिणाम दस्तावेजों में भारत की प्राथमिकताएं परिलक्षित हों।

2.75 एक मंत्रिस्तरीय स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 15-19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लिया।

2.76 मंत्रालय ने 06-07 फरवरी, 2024 को बैंकॉक में महिलाओं की स्थिति पर आयोग (सीएसडब्ल्यू) के 68वें सत्र से पहले एशिया प्रशांत क्षेत्रीय परामर्श में भाग लिया।

2.77 केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 11 जुलाई 2024 को नॉर्वे की राजदूत महामहिम मे-एलिन स्टेनर से मुलाकात की और महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक पहलों पर चर्चा की।

2.78 मंत्रालय ने 13-16 जुलाई, 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मानवाधिकार समिति के 141वें सत्र के दौरान नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईसीसीपीआर) के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट की चौथी आवधिक समीक्षा के लिए भारत के महाधिवक्ता के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया।

2.79 जर्मन संसद सदस्य माननीया सुश्री बीट वाल्टर-रोसेनहाइमर के नेतृत्व में एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं और बच्चों के लिए भारत की नीतियों और वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं और द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं के बारे में जानने के लिए 4 सितंबर, 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर से मुलाकात की।

2.80 माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने चीन के किंगदाओ में 10-12 सितंबर, 2024 तक आयोजित महिलाओं पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) फोरम को वर्चुअली संबोधित किया।

2.81 मंत्रालय ने 20 सितंबर, 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में रूसी संघ के श्रम और सामाजिक संरक्षण के चौथे यूरेशियन महिला फोरम के अवसर पर महिलाओं के मामलों पर ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया और "महिलाएं और शासन तथा नेतृत्व" विषय पर भारत के विचार साझा किए।

2.82 मंत्रालय ने 02-06 अक्टूबर, 2024 तक ड्रेसडेन, जर्मनी में आयोजित "पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति" के 44वें सत्र में भाग लिया।

2.83 मंत्रालय ने बैंकॉक, थाईलैंड में यूएनईएससीएपी में 08-10 अक्टूबर, 2024 तक सामाजिक विकास समिति के 8वें सत्र में भाग लिया।

2.84 जर्मन सांसद सुश्री रेनाटा ऑल्ट और माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के बीच 13 दिसंबर, 2024 को बैठक हुई।



बाल विकास

3

बाल विकास

3.1 बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। देश के विकास के लिए बच्चों का कल्याण आवश्यक है क्योंकि वे देश के भविष्य के मानव संसाधन का निर्माण करते हैं। भारत की आबादी के एक बड़ा हिस्से में 0 से 6 वर्ष (2011 की जनगणना) की आयु के लगभग 16.45 करोड़ बच्चे शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के विकास, सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। बच्चों के लिए शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के ब्यौरों पर आगे आने वाले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2 मिशन पोषण 2.0 (मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) की घोषणा बजट 2021–2022 में एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य पोषण सामग्री, वितरण, पहुंच और परिणामों को सुदृढ़ करना है, साथ ही स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली पद्धतियों को विकसित करने और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है। पोषण परिणामों को अधिकतम करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान को मिशन पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि ठिगनापन और एनीमिया के अलावा दुबलापन और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

3.3 यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी के प्रयोग, अभिसरण के माध्यम से व्यवहारिक परिवर्तन, पोषण में सुधार के एजेंडे को जन आंदोलन में परिवर्तित करने, व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने तथा विभिन्न निगरानी मापदंडों के तहत प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने के माध्यम से कार्यकलाप करता है।

3.4 मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- i. देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना;
- ii. कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- iii. स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और भोजन की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना; और
- iv. प्रमुख कार्यनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।

3.5 चल रहे पोषण कार्यक्रम में विभिन्न अंतरालों और कमियों को दूर करने और कार्यान्वयन में सुधार के साथ-साथ पोषण और बाल विकास परिणामों में सुधार को गति देने के लिए मौजूदा योजना घटकों को पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है। योजना के प्राथमिक कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं:

- i. 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) और आकांक्षी जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए पूरक

पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण सहयोग;

- ii. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (0-3) वर्षों के लिए प्रारंभिक उत्प्रेरण;
- iii. आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा; तथा
- iv. पोषण अभियान

I. आंगनवाड़ी सेवाएं

3.6 आंगनवाड़ी सेवाएं भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और यह बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक है। यह अपने बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो एक ओर प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने और दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता, सीखने की क्षमता में कमी और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ने की चुनौती का प्रत्युत्तर है। 6 महीने से 6 साल तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं और राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियां इस योजना के तहत लाभार्थी हैं।

क. सेवा का पैकेज

3.7 मिशन पोषण 2.0 योजना के तहत पैकेज में निम्नलिखित छह सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- i. पूरक पोषण (एसएनपी),
- ii. प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
- iii. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
- iv. टीकाकरण,
- v. स्वास्थ्य जांच, और
- vi. रेफरल सेवाएं

छह सेवाओं में से तीन सेवाएं अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

ख. केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लागत साझेदारी अनुपात

3.8 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए, भारत सरकार केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निम्नलिखित लागत साझेदारी अनुपात पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करती है:

	आंगनवाड़ी सेवाएं, (सामान्य)	वेतन	एसएनपी
विधानमंडल वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	60:40	एनए*	50:50
पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य/जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	90:10	90:10	90:10
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	100:0	एनए	100:0

*वित्त वर्ष 2023-24 से राज्यों (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर) के लिए 'वेतन घटक' बंद कर दिया गया है।

ग. आंगनवाड़ी सेवाएं योजना का कवरेज और विस्तार

3.9 आंगनवाड़ी सेवाएं योजना की शुरुआत वर्ष 1975 में 33 परियोजनाओं और 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के साथ की गई थी और 9वीं योजना के अंत तक देश में धीरे-धीरे 5652 परियोजनाओं

और 6 लाख स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र तक विस्तारित की गई थी। 10वीं योजना तक आंगनवाड़ी सेवाएं योजना का कवरेज सार्वभौमिक नहीं था क्योंकि इसमें 14 लाख बस्तियों में से केवल 42% को शामिल किया गया था। वर्तमान में, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पूर्णतया कार्यशील 7075 परियोजनाओं और 13.99 लाख कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या 10.12 करोड़ हैं, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां शामिल हैं।

घ. पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों में संशोधन

3.10 पूरक पोषण, आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत छह घटकों में से एक, अनुशंसित आहार अनुमति (आरडीए) और औसत दैनिक सेवन (एडीआई) के बीच अंतर को पाटने के लिए देश भर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से आंगनवाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। सरकार ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अक्टूबर 2017 में आंगनवाड़ी

सेवाओं के तहत पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों में संशोधन को मंजूरी दे दी है:

क्र. सं.	श्रेणियां	संशोधित दरें*
1.	बच्चे (6 से 72 महीने)	8.00
2.	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	9.50
3.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6 से 72 महीने)	12.00

* (प्रति लाभार्थी प्रति दिन रुपये)

ड. आईसीडीएस (अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में शामिल) के तहत कवरेज – मार्च 2017 से रुझान

3.11 परिचालित परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लाभार्थियों के कवरेज में वर्ष-वार रुझान नीचे दर्शाया गया है:

समाप्ति वर्ष	प्रचालन की संख्या		लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	
	परियोजनाएं	आंगनवाड़ी केंद्र	पूरक पोषण कार्यक्रम	प्री-स्कूल शिक्षा
31.03.2017	7074	13,54,792	983.42	340.52
31.03.2018	7075	13,63,021	892.77	325.91
31.03.2019	7075	13,72,872	875.61	301.92
31.03.2020	7075	13,81,376	855.05	245.04
31.03.2021	7075	13,87,432	831.83	230.38
31.03.2022	7075	13,91,004	949.94	285.82
31.03.2023*	7075	13,97,143	977.50	430.74
31.03.2024*	7075	13,95,032	981.20	449.33
31.12.2024*	7075	13,99,890	1006.49	412.86

*आंकड़े पोषण ट्रैकर के अनुसार

स्वीकृत/परिचालित परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या और पूरक पोषण और प्री-स्कूल शिक्षा दोनों घटकों के तहत लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-IX** और **अनुलग्नक-X** में दी गई है।

च. पूरक पोषण

3.12 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों को प्रदान किया जाने वाला पूरक पोषण स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों और स्थानीय आबादी की भोजन प्राथमिकता/आदतों के आधार पर अलग-अलग जगहों पर भिन्न होता है। इसलिए, पूरक पोषण के लिए व्यंजनों का चयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है। एसएनपी के तहत लाभार्थियों को खिचड़ी/पोंगल/राजमा चावल (चावल आधारित) और अंडा/चपाती/मूंग साबुत, हरा चना, मौसमी फल, गुड़, पंजीरी और अधिक प्रोटीन वाले बिस्कुट जैसे खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा केंद्र में ही भोजन तैयार किया जाता है। पूरक पोषण, एसएजी, पोषण, बीमा, प्रशिक्षण, पेयजल और शौचालय सुविधाओं, निर्माण आदि के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत जारी निधियों का विवरण **अनुलग्नक-XI** में दिया गया है।

3.13 बजटीय आवंटन: सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के संबंध में वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक के बजट आवंटन और व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान से संबंधित प्रतिशत
1.	2017-18	15,245.19	15,245.19	15,155.34	99.41%
2.	2018-19	16,334.88	17,879.17	16,811.71	94.03%
3.	2019-20	19,834.37	17,704.50	16,891.99	95.41%
4.	2020-21	20,532.38	17,252.31	15,784.39	91.49%
5.	2021-22	20,105.00	19,999.55	18,208.85	90.56%
6.	2022-23	20,263.07	20,263.07	18,812.36	92.84%
7.	2023-24	20,554.31	22,023.08	21,809.63	99.03%
8.	2024-25*	21200.00	20070.90	15021.57	70.86%

*31.12.2024 तक

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन और व्यय में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण और एसएजी शामिल हैं।

छ. गतिविधियां

3.14 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 17 फरवरी, 2016 के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत ग्रामीण विकास, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से किया जा रहा है। आंगनवाड़ी भवनों की कमी को देखते हुए, देश भर में 4 लाख आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 17 फरवरी, 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस स्कीम के साथ अभिसरण में मनरेगा के तहत संयुक्त दिशानिर्देशों के दायरे को संशोधित किया गया।

3.15 मुद्दे का समाधान करने और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, लागत साझाकरण अनुपात को नवंबर 2017 से पूर्व प्रचलित अपने मूल मानदंड, अर्थात् मौजूदा लागत साझाकरण अनुपात पर भारत सरकार का अंशदान प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 2 लाख रुपये (राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10; और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100:0) पर बहाल कर दिया गया है। भारत सरकार

का अंशदान भी प्रतिपूर्ति आधार की बजाय, अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। संशोधित योजना— “सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0” के अनुसार, सरकार का वित्त वर्ष 2022 से 2026 के दौरान मिशन पोषण 2.0 के तहत मनरेगा के साथ अभिसरण में प्रति वर्ष 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की लागत को भी संशोधित कर 12.00 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी कर दिया गया है, जिसमें से 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2 लाख रुपये 15वें एफसी निधि (कोई अन्य अप्रयुक्त निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रदान किए जाएंगे जिसे निर्धारित लागत साझेदारी अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाएगा।

3.16 इसके अलावा, इस मंत्रालय ने स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत शौचालयों के निर्माण की लागत को मौजूदा 12,000/— रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित कर 36,000/— रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं के प्रावधान की लागत को भी मौजूदा 10000/— रुपये से संशोधित कर 17000/— रुपये कर दिया गया है।

3.17 इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे की तुलना में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति की जांच करने और तदनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों को सह-स्थित किया जाना है, वे उसी बस्ती में मौजूद होने चाहिए जहां आंगनवाड़ी केंद्र पहले मौजूद था।

3.18 सक्षम आंगनवाड़ी के तहत, देश भर में प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और ईसीसीई प्रदायगी के लिए सशक्त और उन्नत बनाया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एलईडी स्क्रीन, वाटर प्योरिफायर/आरओ मशीन की स्थापना, स्मार्ट शिक्षण सहायक उपकरण, ऑडियो-विजुअल उपकरण, बच्चों के अनुकूल शिक्षण उपकरण और कलाकृति, वर्षा जल संचयन संरचना और पोषण वाटिका शामिल होंगे।

ज. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत बीमा कवर:

3.19 कोविड-19 महामारी के चलते देश में व्याप्त विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, कोविड-19 का मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा योजना के तहत कवर किया गया है:

- क) उन्हें राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और आईएनआई/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा कोविड-19 संबंधित दायित्वों के लिए नियुक्त किया गया हो।
- ख) उन्हें अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करना पड़ता हो, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ता हो और जिन पर इससे प्रभावित होने का खतरा हो सकता हो।
- ग) कोविड-19 के कारण जीवन की हानि हुई है या कोविड-19 संबंधित ड्यूटी के चलते दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है।

झ. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय

3.20 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार प्रति माह निश्चित मानदेय का भुगतान किया जाता है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000/— रुपये से बढ़ाकर 4,500/— रुपये प्रति माह, लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2,250/— रुपये से बढ़ाकर 3,500/— रुपये प्रति माह, आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500/— रुपये से बढ़ाकर 2,250/— रुपये प्रति माह कर दिया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां पोर्टल पर लाभार्थियों के डेटा, घर के दौरे और वजन तथा माप की फीडिंग के लिए 500/— रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि के लिए भी पात्र हैं और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) भी आंगनवाड़ी केंद्रों की उचित स्वच्छता और कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए 250/— रुपये प्रति माह के निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

इसके अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन कर्मचारियों को सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त दायित्व के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से मौद्रिक प्रोत्साहन भी दे रहे हैं।

ज. बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

3.21 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एमपीएलएडी, एमएलएलएडीएस,

बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), आरआईडीएफ (ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि), पंचायती राज संस्थानों को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों से धन जुटाना जारी रखेंगे। राज्य अपने स्तर पर, अपने विवेक से, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए बिना किसी बाध्यता के पूर्णतः निःशुल्क आधार पर व्यक्तियों, कंपनियों, व्यावसायिक घरानों और प्रतिष्ठित संस्थानों, सीएसआर फंड को शामिल करेंगे। इसी प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट पूरी तरह से निःशुल्क आधार पर और बिना किसी बाध्यता के इसके लिए संसाधन जुटाएंगे/इसे प्रोत्साहित करेंगे।

ट. आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे की स्थिति (एपीआईपी प्रस्ताव 2024-25 के अनुसार)

बुनियादी ढांचे की स्थिति	संख्या लाख में
पक्के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र	13.92
पेयजल आपूर्ति वाले आंगनवाड़ी केंद्र	12.31
स्वच्छता सुविधाओं वाले आंगनवाड़ी केंद्र	11.58
विकास निगरानी उपकरण (GMB)	13.85
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास स्मार्टफोन	12.56

ठ. लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करना

3.22 पहले लघु आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के प्रावधान के लिए जनसंख्या मानदंड इस प्रकार थे:

परियोजना	जनसंख्या	एडब्ल्यूसी की संख्या
ग्रामीण/शहरी परियोजनाएं	400-800	1
	800-1600	2
	1600-2400	3
	उसके बाद 800 के गुणकों में	1
जनजातीय/नदी/रेगिस्तान/पहाड़ी और अन्य कठिन क्षेत्र परियोजनाएं पीएम-जनमन के लिए परियोजनाएं	300-800	1
	लगभग 100	1

सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों सहित सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करने के लिए सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका के साथ पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 1,16,852 लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों में से दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक 86,387 लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मंजूरी जारी कर दी गई है।

ड. आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड करना

3.23 सक्षम आंगनवाड़ी के तहत, देश भर में प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और ईसीसीई प्रदायगी के लिए

सशक्त और उन्नत बनाया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एलईडी स्क्रीन, वाटर प्योरिफायर/आरओ मशीन की स्थापना, स्मार्ट शिक्षण सहायक उपकरण, ऑडियो-विजुअल उपकरण, बच्चों के अनुकूल शिक्षण उपकरण और कलाकृति, वर्षा जल संचयन संरचना और पोषण वाटिका शामिल होंगे। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर पोषण वितरण के लिए चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त और उन्नत बनाया जाएगा। दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 1,70,337 आंगनवाड़ी केन्द्रों (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 41,192 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 50,916 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 78,229) को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है।

ढ. पीएम जनमन

3.24 माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर केंद्रित है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, तीन वित्त वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी देने और प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 12 लाख रुपये पर इनका निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस मंत्रालय ने दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक पीवीटीजी बस्तियों में निर्माण के लिए 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है और उन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 254.28 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की है।

II. किशोरी योजना:

3.25 किशोरी योजना (एसएजी) को संशोधित किया गया है और 01 अप्रैल, 2022 से इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थी आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियां हैं। इस योजना में दो घटक अर्थात् पोषण और गैर-पोषण शामिल हैं। पोषण घटक के तहत, एक वर्ष में अधिकतम 300 दिनों के लिए 600 कैलोरी, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषण टेक होम राशन (टीएचआर) के रूप में प्रदान किया जाता है। गैर-पोषण घटक विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभिसरण पर आधारित है जिसमें आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाता है।

- पोषण की लागत: पोषण घटक के लिए वित्तीय मानदंड एक वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रति लाभार्थी 9.50/- रुपये है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व फोर्टिफिकेशन की लागत भी शामिल है।
- वित्तपोषण पद्धति: भारत सरकार और राज्य/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र पूरक पोषण की लागत 50:50 के अनुपात में साझा करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए, केंद्र और राज्य का अंश 90:10 के अनुपात में है और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल के बिना) को केंद्रीय निधि से 100: वित्तपोषण किया जाता है।

किशोरी योजना के तहत दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक पोषण ट्रैकर पर सूचित राज्य-वार लाभार्थियों की

संख्या अनुलग्नक XII में दी गई है। एसएजी के तहत 2024-25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक खाद्यान्न का राज्यवार आवंटन अनुलग्नक XIII में दिया गया है।

III. पोषण अभियान

3.26 सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। पोषण अभियान के प्रमुख घटक और इसकी उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

क. जन आंदोलन

3.27 पोषण अभियान के तहत जन आंदोलन शुरुआत से ही प्रमुख घटकों में से एक है। पोषण माह और पोषण पखवाड़ा देश के सबसे बड़े पोषण-केंद्रित जन आंदोलनों में से एक है। ये आंदोलन हर साल सितंबर के महीने में और मार्च-अप्रैल के निर्धारित सप्ताहों में आयोजित किए जाते हैं, ताकि स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाली पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक पहुँचा जा सके। पिछले वर्षों में, इसके विषयों में समग्र पोषण, स्वच्छता, जल और साफ-सफाई, एनीमिया की रोकथाम, स्तनपान का महत्व, विकास निगरानी, पोषण पंचायतों की भूमिका, कल्याण के लिए आयुष, 'मूल बातों पर वापस आएं - स्वास्थ्य के लिए योग', सामुदायिक स्तर पर स्थानीय सब्जियों, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों और फलों की खेती के लिए पोषण वाटिका का महत्व, पोषण के पांच सूत्र इत्यादि शामिल हैं। सितंबर 2024 में 7वें पोषण माह और हाल ही में संपन्न पोषण पखवाड़ा 2024 के आयोजन के साथ, अब तक कुल 13 जन आंदोलन मनाए जा चुके हैं, जिसमें 100 करोड़ से अधिक संवेदीकरण कार्यकलापों की सामूहिक सूचना दी गई है।

ख. पोषण पखवाड़ा 2024 (मार्च 2024)

3.28 छठा पोषण पखवाड़ा 9–23 मार्च, 2024 तक भारत भर में सफलतापूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी), जनजातीय, पारंपरिक, क्षेत्रीय और स्थानीय आहार पद्धतियां एवं गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य तथा शिशु एवं छोटे बच्चों को आहार देने की पद्धतियां (आईवाईसीएफ) थीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 17 करोड़ से अधिक संवेदीकरण गतिविधियों की सूचना दी गई।

ग. पोषण माह (सितंबर 2024)

3.29 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1–30 सितंबर, 2024 तक मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती

अन्नपूर्णा देवी और गुजरात की मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ 31 अगस्त, 2024 को गुजरात से किया। इस अभियान में बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी पर ध्यान केंद्रित किया गया। महीने भर चलने वाले इस अभियान में एक पेड़ माँ के नाम पहल के माध्यम से 'पर्यावरण स्थिरता' पर भी बल दिया गया, जिसमें सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 13 करोड़ से अधिक गतिविधियों की सूचना दी गई। झारखंड के राज्यपाल और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की उपस्थिति में 30 सितंबर, 2024 को रांची, झारखंड में आयोजित समापन समारोह के साथ पोषण माह का समापन हुआ।



दिनांक 31.08.2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री (एमडब्ल्यूसीडी) की उपस्थिति में पोषण माह का उद्घाटन समारोह, गुजरात

घ. विशेष पहल का शुभारंभ

3.30 आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग: 'मिशन उत्कर्ष' के तहत पांच आकांक्षी जिलों में द्रक्षवलेहा पुनर्नावा मंदूर को शामिल करते हुए साक्ष्य आधारित आयुर्वेदिक कार्यकलापों के माध्यम से किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए एक पायलट परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने 26 फरवरी, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से 80,000 से अधिक किशोरियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

ड. पोषण उत्सव: पोषण समारोह मनाना

3.31 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में पोषण समारोह का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और गेट्स फाउंडेशन के श्री बिल गेट्स ने भाग लिया।

3.32 इसका उद्देश्य सभी महिलाओं और बच्चों के लिए अच्छे पोषण व्यवहार और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देना था। इसमें कुपोषण से निपटने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। इसमें दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआई) द्वारा तैयार की गई 'पोषण उत्सव पुस्तक' का विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्राचीन पोषण परंपराओं को पुनर्जीवित करने, ज्ञान के आदान-प्रदान और अंतर-पीढ़ी सीखने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध पाक विरासत और पोषण विविधता की सराहना के लिए एक व्यापक भंडार के रूप में काम करना भी है। इस ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, पुस्तक को मुख्यमंत्रियों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों, साझेदार मंत्रालयों, देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों

के पुस्तकालयों तथा विदेशी दूतावासों में वितरण के लिए विदेश मंत्रालय को वितरित किया गया।

च. पोषण ट्रैकर

3.33 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन महत्वपूर्ण आईटी गवर्नेंस टूल के रूप में 1 मार्च, 2021 को शुरू किया गया था, जो आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण और परिभाषित संकेतकों पर लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। समय पर पाठ्यक्रम सुधार और केंद्रित कार्यकलाप के लिए केंद्रीय स्तर से परियोजना स्तर तक विभिन्न स्तरों पर मासिक डैशबोर्ड और फैक्टशीट प्रदान की जाती हैं।

3.34 पोषण ट्रैकर हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में उपलब्ध है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को महीने में एक बार सभी बच्चों (0-6 वर्ष) की ऊंचाई और वजन मापने का आदेश दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा दर्ज की गई ऊंचाई और वजन के आंकड़ों के आधार पर, डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन, अल्प वजन की व्यापकता की नियमित पहचान के लिए पोषण ट्रैकर का लाभ उठाया जा रहा है।

3.35 मिशन पोषण 2.0 में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को स्मार्टफोन प्रदान किए जाने का प्रावधान है हैं जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खरीदा जाएगा। दिनांक 28 मार्च, 2023 को जारी दिशा-निर्देशों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4जी/5जी समर्थित 'उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण/स्मार्टफोन' खरीदने की सलाह दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये भी दिए जाते हैं।

3.36 पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उपयोग विभिन्न पोषण संकेतकों जैसे लाभार्थियों का पंजीकरण, टेक होम राशन और पका हुआ गर्म भोजन का वितरण, बच्चों की बढ़त (ऊंचाई और वजन) को अपडेट करने और बच्चों के पोषण संकेतकों (जैसे ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वजन) की निगरानी के लिए किया जा रहा है।



03.09.2024 को मुंबई में आयोजित 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (स्वर्ण) प्रदान किया गया।

छ. उपलब्धियां और पोषण ट्रैकर में प्रमुख अपडेट

3.37 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 सितंबर, 2024 को मुंबई में ई-गवर्नेंस पर आयोजित 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (स्वर्ण) जीता।

ज. आधार सत्यापित लाभार्थी

3.38 लाभार्थियों को अंतिम व्यक्ति की निगरानी और सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधार से जोड़ा जा रहा है। पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 98.77% लाभार्थियों को 31 दिसंबर, 2024 तक सफलतापूर्वक आधार से जोड़ा जा चुका है।

झ. लाभार्थी के लिए प्रवास सुविधा

3.39 पोषण ट्रैकर के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में राज्य के भीतर और बाहर प्रवास की सुविधा प्रदान की गई है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक गर्भवती महिलाओं, स्तनपान

कराने वाली माताओं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों सहित कुल 5,22,343 लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

ञ. लाभार्थी निवारण तंत्र

3.40 नवंबर 2022 में संचालित एक पोषण हेल्पलाइन (14408) समस्याओं को दर्ज करने के लिए उपलब्ध कराई गई है। हेल्पलाइन के माध्यम से, कोई भी लाभार्थी मिशन पोषण 2.0 के तहत दी जाने वाली सेवाओं के बारे में अपनी समस्याएं बता सकता है। इसके अलावा, प्रभावी सेवा वितरण और लाभार्थी प्रतिक्रिया के लिए एक वेब और ऐप आधारित 'शिकायत निवारण प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई है।

ट. फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ:

3.41 अंतिम व्यक्ति ट्रेकिंग सुनिश्चित करने के लिए, ट्रेकर में टेक-होम राशन के वितरण के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण तंत्र विकसित किया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन और ओटीपी का उपयोग करने वाली दो-कारक प्रमाणीकरण प्रणाली में पंजीकरण के दौरान लाभार्थियों की फोटो कैप्चर करना तथा उसके बाद टीएचआर वितरण के दौरान फोटो कैप्चर करना और उनका मिलान करना शामिल है। इसके अलावा, लाभार्थियों के उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त यूनीक ओटीपी लेनदेन पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को देना होगा।

ठ. सीएमएम मॉड्यूल:

3.42 गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित (एसएमएम) या गंभीर रूप से अल्प वजन (एसयूडब्ल्यू) वाले बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु) की पहचान और प्रबंधन के लिए सीएमएम मॉड्यूल (गंभीर रूप से कुपोषण का समुदाय-आधारित प्रबंधन) को एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। इसमें स्क्रीनिंग प्रक्रिया, भूख परीक्षण और आगे की देखभाल के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) या निकटतम अस्पताल सुविधाओं के लिए रेफरल शामिल है।

ड. ईसीसीई लर्निंग मॉड्यूल:

3.43 पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन में आधारशिला "ईसीसीई-लर्निंग" मॉड्यूल को शामिल किया गया है। यह सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को वीडियो और वॉयस नोट्स के रूप में दैनिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह मॉड्यूल 44 सप्ताह की अवधि

को कवर करता है, जिसमें आधारशिला पाठ्यक्रम के अनुसार 36 सप्ताह का सक्रिय शिक्षण और 8 सप्ताह की पुनरावृत्ति और पुनर्बलन शामिल है।

ढ. लाभार्थी पंजीकरण मॉड्यूल:

3.44 पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन में लाभार्थी द्वारा स्व-पंजीकरण के लिए इंटरफेस शुरू किया गया है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र का चयन करके स्वयं/लाभार्थी पंजीकरण की सुविधा है। इसके अलावा, मौजूदा लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर पर पंजीकृत सभी लाभार्थियों के पोषण की स्थिति और टीएचआर आदि का वितरण भी देख सकते हैं।

ण. सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ

3.45 सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ 26 दिसंबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में लक्षित आबादी के पोषण परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। यह अभियान स्थानीय स्तर पर कई हितधारकों के साथ मिलकर और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके पोषण में सुधार लाने पर केंद्रित है। शीर्ष 1000 ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन प्रोत्साहनों का उपयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के सेवा वितरण में सुधार करने, सामुदायिक जुटाव, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकन बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाएगा।



माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ 26.12.2024 को किया जाएगा।

त. दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक पोषण ट्रैकर के तहत पंजीकृत श्रेणीवार लाभार्थी

कुल लाभार्थी	स्तनपान कराने वाली माताएं	गर्भवती महिला	0-6 माह के बच्चे	6 माह से -3 वर्ष के बच्चे	3 से 6 वर्ष के बच्चे	किशोरियां
10,12,82,551	56,42,336	49,84,399	46,61,479	3,84,75,607	4,51,10,656	24,08,074

थ. वित्तीय

वित्त वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर, 2024 तक) के दौरान पोषण अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ को जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

लाख रुपए

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.12.2024 तक जारी की गई निधि
1	बिहार	7665.76
2	चंडीगढ़	126.67
3	छत्तीसगढ़	1524.35
4	जम्मू और कश्मीर	4142.13
5	कर्नाटक	5485.62

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.12.2024 तक जारी की गई निधि
6	केरल	4564.99
7	लद्दाख	134.54
8	मध्य प्रदेश	2532.05
9	नागालैंड	195.46
10	ओडिशा	7954.20
11	राजस्थान	5190.22
12	तमिलनाडु	2942.84
13	त्रिपुरा	437.76
	कुल	42896.59

IV. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

3.46 मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए प्री-स्कूल शिक्षण सामग्री; मांसपेशियों के समन्वय तथा बुनियादी मोटर कौशल का विकास; सौंदर्य बोध, स्वतंत्रता और रचनात्मकता; अच्छी स्वस्थ आदतें; सभी प्री-स्कूल के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने और ग्रेड-1 में 5-6 वर्ष की आयु के बच्चों के निर्बाध एकीकरण के लिए प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता का प्रावधान शामिल होगा। ईसीसीई कार्यक्रम के लाभ के लिए राज्य 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे।

3.47 इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (बाल विकास परियोजना अधिकारी/सीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी/डीपीओ और पर्यवेक्षकों) तैयार करने के लिए 10 मई, 2023 को 'पोषण भी, पढ़ाई भी' (पीबीपीबी) पहल शुरू की है, जो लक्षित लाभार्थियों को पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यू) की क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण देंगे और उनके कौशल को बढ़ाएं। पीबीपीबी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित ईसीसीई टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुरूप है। इसके शुभारंभ पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए, माननीय मंत्री ने 1 लाख गतिविधियों के माध्यम से 10,000 से अधिक समुदायों के 1.5 मिलियन अभिभावकों को शामिल करते हुए प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सामग्री और दृश्य-श्रव्य संसाधनों के परीक्षण पर चर्चा की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण सामग्री के महत्व और पर्यावरण अनुकूल स्वदेशी

खिलौने विकसित करने के लिए स्थानीय उपलब्ध सामग्री के उपयोग पर बल दिया।

3.48 पीबीपीबी के तहत प्रशिक्षण दो स्तरीय मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (निपसिड) राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी) (पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) को प्रशिक्षण दे रहा है, जो बदले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। पूरे देश में 2023-2026 के दौरान दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। निपसिड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण दो स्तरीय प्रशिक्षण मॉडल का अनुसरण करता है, जहां राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी) को दो दिवसीय प्रशिक्षण (टियर 1) प्राप्त होता है, और एडब्ल्यूडब्ल्यू को तीन दिवसीय प्रशिक्षण (टियर 2) प्राप्त होता है। 30 जनवरी 2025 तक, कुल 31,114 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक को 35 राज्यों और 770 जिलों में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 22 राज्यों और 306 जिलों की 1,42,869 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है।

3.49 **पीबीपीबी** : नवचेतना – जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यवस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा और आधारशिला द्वारा निर्देशित है: तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2024 में शुरू किया गया था जो कि फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफ-एफएस), निपुण भारत और उन्मुख के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुरूप है ताकि प्रशिक्षण प्रयासों में कोई अतिरेक न हो। यह विशेष प्रशिक्षण दिव्यांग बच्चों सहित विशेष सहायता खेल-आधारित, आनंदमय शिक्षण पद्धति पर आधारित है, जो छोटे बच्चों

के लिए विकासात्मक उपलब्धियों और समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करती है।

3.50 निश्चित मासिक ईसीसीई दिवसों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश और पीएसई किटों के लिए प्रावधान तथा खिलौनों के लिए 'डू इट योरसेल्फ (डीआईवाई)' किट पर दिशा-निर्देश – खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीटी) का मसौदा तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक के हिस्से के रूप में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों में सीखने के लिए स्वदेशी खिलौनों को तैयार करने और उपयोग पर बहुत अधिक महत्व दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के हिस्से के रूप में स्वदेशी खिलौनों/लोककथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ा गया है। शिक्षण सामग्री तैयार करने की कार्यशालाओं के हिस्से के रूप में डू-इट-योरसेल्फ (डीआईवाई) खिलौना किट को तैयार करने पर विस्तृत दिशा-निर्देश बनाकर सभी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।

3.51 इसके अलावा, निपसिड ने पूर्वोत्तर पर एक कॉफी टेबल बुक और गुवाहाटी केंद्र के माध्यम से आदिवासी खिलौनों सहित खिलौना केंद्रित सामग्री का एक बड़ा हिस्सा एकत्र किया है और उसका डिजिटलीकरण किया है। साथ ही, 30-31 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पोषण में सर्वोत्तम पद्धति /नवाचार को एकत्र किया गया और सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया। उदाहरणों में बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों में "सुपोषण पंचायत" और मॉडल ऑर्गेनिक टेरेस गार्डन शामिल हैं; मध्य प्रदेश में तीव्र कुपोषण का एकीकृत प्रबंधन; गुजरात में आंगनवाड़ी केंद्रों और घरों के पिछवाड़े में

पोषक-उद्यान; शहरी क्षेत्रों में मोबाइल पोषक-उद्यान और तेलंगाना में जनजातीय क्षेत्रों में पीडब्लूएलएम को महुआलडू का वितरण, चंडीगढ़ में मोबाइल एनआरसी और एमएएम/एसएएम बच्चों के लिए पोषण मूल्यांकन कार्ड इत्यादि।

3.52 अब तक, निपसिड ने प्रमाणीकरण के लिए ईसीसीई विशेषज्ञों और राज्य अधिकारियों को शामिल करते हुए स्वदेशी खिलौनों और सामग्रियों को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए आठ क्षेत्रीय कार्यशालाएँ/परामर्श आयोजित किए हैं। पीबीपीबी पहल के तहत, मंत्रालय ने प्रीस्कूल शिक्षा किट (पीएसई) के लिए बजट आवंटन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति एडब्ल्यूसी सालाना कर दिया है, जो 29 नवंबर, 2023 से प्रभावी है ताकि पर्याप्त शिक्षण-शिक्षण सामग्री (टीएलएम) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, जिसमें खरीदे गए स्वदेशी खिलौने और कम लागत या बिना लागत वाली सामग्री से बने डीआईवाई खिलौने दोनों शामिल हैं। साथ ही, पीएसई किट/टीएलएम की खरीद के लिए दिशा-निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए।

V. गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी)

3.53 गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के तहत, खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल और अन्य मोटे अनाज को एनएफएसए के तहत सब्सिडी दरों पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक भोजन तैयार करने के लिए आवंटित किया जाता है। मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के समन्वय में खाद्यान्न आवंटन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों के प्रसंस्करण और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

3.54 जैसा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन में परिकल्पना की गई है, वर्ष 2024 तक प्रत्येक सरकारी योजना के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाना है। तदनुसार, यह मंत्रालय वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही से देश भर के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को फोर्टिफाइड चावल आवंटित कर रहा है। दिनांक 13 जनवरी 2025 तक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं आधारित

पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के तहत 1083435.37 मीट्रिक टन गेहूं, 1287297.95 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल, 9512.39 मीट्रिक टन बाजरा और 5078.01 मीट्रिक टन ज्वार आवंटित किया है।

3.55 वर्ष 2024–25 के लिए एसएजी और डब्ल्यूबीएनपी के तहत 31 दिसंबर, 2024 तक आवंटित खाद्यान्न का विवरण **अनुलग्नक—XIII** और **अनुलग्नक—XIV** में दिया गया है।



बाल संरक्षण एवं कल्याण

बाल संरक्षण एवं कल्याण

4.1 भारत के संविधान में बच्चों की सुरक्षा और बेहतरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011) में बच्चों की संख्या लगभग 39 प्रतिशत है। हमारे देश के नीति निर्माताओं द्वारा यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि बच्चों की आजीविका, शिक्षा, सुरक्षा तथा समग्र बेहतरी के लिए किए गए निवेश गरीबी के निरंतर चक्र को तोड़ने में मदद करते हैं और देश का समावेशी विकास सुनिश्चित करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में बच्चे गुणवत्तापरक देखरेख, शिक्षा और बाल संरक्षण सेवाएं प्राप्त करने में कई प्रकार की संवेदनशीलताओं का सामना करते हैं। इसके अलावा, प्रतिदिन बच्चों का ऑनलाइन शोषण, मौसम परिवर्तन और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाएं जैसी नई-नई चुनौतियां सामने आ रही हैं जो कि बच्चों की संवेदनशीलता में और अधिक वृद्धि करती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा और बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ बड़ी पहलें की हैं।

1. बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए कानून, नीति और कार्यक्रम

क. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

4.2 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना मार्च, 2007 में संसद के बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई। आयोग में को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है कि सभी

कानून, नीतियां, कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (एनसीपीसीआर पर अधिक विवरण के लिए, क्रमशः इस रिपोर्ट का अध्याय 9 देखें) में प्रतिस्थापित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों।

ख. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरसी)

4.3 भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) को स्वीकार किया। कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, कन्वेंशन के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत को कन्वेंशन के तहत अपने प्रतिबद्धता को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाती है। कंट्री रिपोर्ट सभी क्षेत्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और अन्य सिविल सोसायटी के साथ-साथ समुदाय तथा बच्चों को शामिल करके तैयार की जाती है। मंत्रालय रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और अन्य सिविल सोसायटी-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श भी करता है।

ग. लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012

4.4 बाल शोषण के मामलों से निपटने के लिए संसद ने एक विशेष कानून अर्थात् 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012' पारित

किया था। यह अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ लागू हुआ। यह अधिनियम बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह अधिनियम लैंगिक रूप से निरपेक्ष है और सभी बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील साहित्य जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति जैसे कि सुरक्षा बलों का सदस्य, लोक अधिकारी, लोक सेवक इत्यादि द्वारा बच्चे पर विश्वास या अधिकार की स्थिति में किए गए अपराध को 'गंभीर' माना जाता है। न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखते हुए अपराधों पर सुनवाई के लिए इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना को अधिदेशित किया गया है। अधिनियम में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों के परीक्षण की रिपोर्टिंग के लिए बाल अनुकूल प्रक्रियाएं शामिल हैं।

4.5 अपराधों/शिकायतों की सूचना देने को सुविधाजनक बनाने के लिए माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली में ई-बॉक्स की शुरुआत की गई। पॉक्सो ई-बॉक्स बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों की सीधे और आसान तरीके से सूचना देने तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है।

4.6 बच्चों के विरुद्ध अपराध की बढ़ती दर और बच्चों के खिलाफ नए प्रकार के यौन अपराधों की घटनाओं को देखते हुए, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की समीक्षा और संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। तदनुसार, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 को इस मंत्रालय द्वारा 16 अगस्त, 2019 से प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था।

4.7 इस अधिनियम में संशोधित प्रावधानों के

एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाルト के मामलों में मौत की सजा को संभावित सजा के रूप में शुरू किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा और उसके अनुरूप सजा भी शुरू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के समय संवेदनशील बच्चों के हितों की रक्षा और उनके खिलाफ यौन अपराध करने तथा अपराध करने के उद्देश्य से बच्चों की जल्दी यौन परिपक्वता के लिए रासायनिक पदार्थ देने हेतु सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

घ. पॉक्सो नियम, 2020

4.8 पॉक्सो अधिनियम, 2012 में संशोधन के बाद पॉक्सो नियमों की समीक्षा की गई। सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पॉक्सो नियम, 2012 की जगह लेने वाले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) नियम, 2020 को अनुमोदित और अधिसूचित किया गया।

4.9 यह मंत्रालय उपयुक्त कार्रवाई के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ समन्वय कर रहा है जिसका उद्देश्य पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल पीड़ितों के लिए अधिक जागरूकता, त्वरित न्याय तथा बेहतर सेवाएं देना भी है। आवश्यकता अनुसार पॉक्सो अधिनियम और अन्य अनुपालनों पर जागरूकता सृजित करने के लिए मंत्री के स्तर पर मुख्यमंत्रियों, सांसदों और स्थानीय निकायों के अध्यक्षों तथा सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे गए थे।

4.10 मंत्रालय ने सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों से भी अनुरोध किया था। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार सहायक व्यक्तियों की भर्ती राज्य की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों से

अनुरोध किया कि वे बाल सुरक्षा और बाल यौन शोषण की रोकथाम के मुद्दे पर स्कूलों में जागरूकता और संवेदीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और बाद में अनुवर्ती अनुस्मारकों का अनुपालन करें।

4.11 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक स्कूल में बाल सुरक्षा पर एक लघु फिल्म 'कोमल' दिखाना शुरू किया। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में सुरक्षा प्रतिज्ञा शुरू की गई है। अगले वित्तीय वर्ष तक 42 लाख शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों के प्रमुखों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के संकाय सदस्यों, ब्लॉक संसाधन समन्वयक (बीआरसी) तथा क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा (एनआई एसएचटीएचए) प्रक्रियाधीन है। एनसीईआरटी ने हर पाठ्यपुस्तक में चाइल्डलाइन नंबर 1098 और पॉक्सो ई-बॉक्स का संदर्भ प्रकाशित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों को अपने नोटिस बोर्ड या स्कूलों में किसी अन्य प्रमुख स्थान पर पॉक्सो पर जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया है। स्कूलों में बाल सुरक्षा और बाल यौन शोषण की रोकथाम पर उचित संदेश के साथ स्कूल सुरक्षा शपथ भी ली जा रही है।

4.12 मंत्रालय द्वारा जांच में तेजी लाने और कर्मियों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए गृह मंत्रालय को विश्वास में लेने के प्रयास किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 से संबंधित मामलों में जांच को समय पर पूरा करने के लिए 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रेकिंग प्रणाली' पोर्टल तैयार किया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) कर्मियों के संवेदीकरण के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ

राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को भेजें और पॉक्सो मामलों की जांच समय पर पूरी करें।

4.13 पॉक्सो अधिनियम के अनुसार त्वरित सुनवाई करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगी। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में निर्भया कोष के सहयोग से न्याय विभाग ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (एफटीएससी) स्कीम तैयार की है जिसके तहत कुल 1023 न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इन न्यायालयों में से 389 जिलों में जहां पॉक्सो के तहत लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है, वहां विशेष पॉक्सो कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, बलात्कार के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के मामलों की आवश्यकता और लंबितता के अनुसार शेष 634 एफटीएससी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

ड. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

4.14 भारत सरकार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) में संशोधन किया जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कानून है। अधिनियम देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक पुनः एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके की सुरक्षा प्रदान करता है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरेख और सुरक्षा के मानकों को परिभाषित करता है।

4.15 इस अधिनियम के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम और दत्तक ग्रहण विनियम भी घोषित किए गए हैं। मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) को अधिसूचित किया है जो 01 सितंबर, 2022 से लागू है।

4.16 मंत्रालय ने 01 सितंबर, 2022 को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 और 23 सितंबर, 2022 को दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 को भी अधिसूचित किया है। इसके साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र ऋबदु के रूप में कार्य करने और दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों का निर्णय लेने का अधिकार देता है। इस संशोधन में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों को भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की है।

II. मिशन वात्सल्य

4.17 मिशन वात्सल्य का उद्देश्य बच्चों के उनके विभिन्न आयु के विकास चरणों से गुजरने के दौरान एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। यह देश के सभी जिलों में बाल कल्याण और संरक्षण समितियों के संस्थागत ढांचे और वैधानिक तथा सेवा प्रदायगकी संरचनाओं को सुदृढ़ करके किए जाने की परिकल्पना की गई है। जबकि कठिन परिस्थितियों में बच्चों को की समस्याओं का वैधानिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं द्वारा समाधान किया जाना है, स्थानीय विकास योजनाओं और संबंधित बजटों के साथ एकीकृत सामुदायिक स्तर पर बाल कल्याण और संरक्षण के मुद्दों पर समान जोर दिया जाना है। इस प्रकार, यह परिकल्पना की गई है कि संस्थागत ढांचे के तहत समितियां एडवोकेसी, जागरूकता सृजन,

क्षमता निर्माण और समुदाय में एक सुदृढ़ बाल अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए निवारक उपायों के मामले में वैधानिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं का पूरक होंगी।

4.18 मिशन वात्सल्य उन बच्चों को निवारक, वैधानिक देखरेख और पुनर्वास प्रदान करता है जिन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तथा जो कानून का उल्लंघन करते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जो बच्चों के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के तहत अधिदेशित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4.19 स्कीम बच्चों के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इसका उद्देश्य स्कीम के तहत जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण करते हुए बच्चों तथा उनकी देखरेख करने वालों को बुनियादी स्तर पर सहायता प्रदान करना है।

4.20 मिशन वात्सल्य के अंतर्गत निम्न प्रमुख घटक/सेवाएं हैं:

- i. **वैधानिक निकाय:** बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजबी) और विशेष किशोर पुलिस इकाइयां (एसजेपीयू)।
- ii. **सेवा प्रदायगी संरचनाएं:** राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)।
- iii. **संस्थागत सेवाएं:** बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां, खुले आश्रय, निरीक्षण गृह, दिव्यांग विकलांग बच्चे, एचआईवी/एड्स

से प्रभावित बच्चे, मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित बच्चे इत्यादि) को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए एक इकाई भी स्कीम के तहत बनाई गई है। उम्र, लिंग या बच्चों की विशेष जरूरतों के आधार पर अलग-अलग बाल गृह राज्य/जिला द्वारा स्थापित/ समर्थित किए जा सकते हैं और उनमें बुनियादी ढांचे और सेवाओं के मामले में समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। सीसीआई या तो पचास (50) बच्चों या पच्चीस (25) बच्चों के लिए हो सकता है जो किसी विशेष क्षेत्र में बच्चों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

iv. **परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख:** मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देता है। मिशन गैर-संस्थागत देखरेख के निम्नलिखित तरीकों से बच्चों की सहायता करता है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1,70,895 बच्चों को गैर-संस्थागत देखरेख में शामिल किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

- **प्रायोजन:** विस्तारित परिवारों/ जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले संवेदनशील बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **पालन-पोषण देखरेख:** बच्चे की देखरेख, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक असंबद्ध परिवार द्वारा बच्चे की जिम्मेदारी उठाई जाती है। बच्चे के पालन-पोषण के लिए जैविक रूप से असंबंधित पालक

माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **दत्तकग्रहण:** दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त पाए गए बच्चों के लिए परिवार खोजना। विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए) दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करती हैं।
- **पश्चात देखरेख (ऑफ्टर केयर):** 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखरेख संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी सहायता 18 वर्ष की आयु से 21 वर्ष तक दी जाती है जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उसे आत्म-निर्भर बनने में मदद मिल सके।

राज्य सरकार को स्पॉन्सरशिप या फोस्टर केयर या आफ्टर केयर के लिए प्रति बच्चा प्रति माह 4000/- रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।

v. **वात्सल्य सदन:** वात्सल्य सदन किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एकल परिसर के भीतर स्थित जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के साथ-साथ सीसीआई (बाल गृह, अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान) का एक एकीकृत गृह परिसर है। प्रत्येक गृह में 50 और 25 बच्चों के लिए वात्सल्य सदन (एकीकृत गृह परिसर) स्थापित किया जा सकता है। "वात्सल्य सदन" का होने का लाभ व्यवधान से बचने/न्यूनतम करने केस की जरूरतों के लिए यात्रा के समय को कम करने और सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

vi. 24 घंटे टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से संकट/कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच फोन सेवाएं।

vii. **प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण** — बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे सभी हितधारकों के लिए। वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर, 2024 तक) के दौरान मंत्रालय ने पूरे भारत में 1799 गृहों, 424 विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) और 227 खुले आश्रयों की सहायता की थी, जिससे 62,592 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे। संस्थागत सेवाओं के अलावा, जैसा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताया गया है, अब तक 781 बाल कल्याण समितियों और 774 किशोर न्याय बोर्डों का गठन किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की संख्या	बजट आवंटन (बीई) (करोड़ रुपये में)	संशोधित अनुमान (आरई) (करोड़ रुपये में)	वास्तविक निर्मुक्ति (करोड़ रुपये में)
2023-24	36	1472.17	1272.17	1390.80
2024-25	36	1472.17	-	789.74

*वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 (31.12.2024 तक) के दौरान निधि वितरण का विवरण (अनुलग्नक-XVI)।

viii. **ट्रैक चाइल्ड और खोया-पाया:** ट्रैक चाइल्ड पोर्टल वर्ष 2012 से कार्यशील है। यह पोर्टल पुलिस थानों में रिपोर्ट किए जा रहे 'गुमशुदा' बच्चों का उन 'पाए गए' बच्चों से मिलान की सुविधा प्रदान करता है जो बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में रह रहे हैं। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल का वेब पता www.trackthemissingchild.gov.in है।

पोर्टल को संबंधित हितधारकों नामतः पुलिस स्टेशनों, बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), और किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) इत्यादि द्वारा अपडेट किया जाता है। सितम्बर 2024 तक ट्रैकचाइल्ड पोर्टल पर 13,334 पुलिस स्टेशन और 5,321 बाल देखरेख संस्थान लापता/बरामद बच्चों का विवरण दर्ज कर रहे हैं।

ix. **मिशन वात्सल्य पोर्टल:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से 'मिशन वात्सल्य' पोर्टल तैयार किया है। यह मिशन वात्सल्य के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा कठिन परिस्थितियों में बच्चों के संबंध में किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलनापों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त और अध्यापित बच्चे शामिल हैं। यह पोर्टल एससीपीएस, डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, सीसीआई, एसजेपीयू जैसे सभी हितधारकों के लिए सुलभ है ताकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) से संबंधित सभी एमआईएस रिपोर्ट तक पहुंचा जा सके।

x. **चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा:** मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन को राज्य और जिला अधिकारियों के समन्वय और गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली 112 (ईआरएसएस-112) के साथ एकीकृत कर चलाया जा रहा। मंत्रालय द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

चाइल्ड हेल्पलाइन में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में ईआरएसएस-112 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए एक 24x7 विशेष एमडब्ल्यूसीडी नियंत्रण कक्ष (एमडब्ल्यूसीडी-सीआर) स्थापित करने की कल्पना की

गई है। इसके अलावा, जिला स्तर पर, जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) में चाइल्ड हेल्पलाइन (सीएचएल) इकाई को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया जाएगा तथा संकट में उन्हें आपातकालीन और दीर्घकालिक देखरेख और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने के लिए आउटरीच सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुविधाओं, जनशक्ति और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और समर्पित कनेक्टिविटी से लैस किया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।

दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 670 जिलों में चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यशील है। वित्त वर्ष 2024-25 (01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2024 तक) में 36 एमडब्ल्यूसीडी नियंत्रण कक्षों द्वारा कुल 21,93,024 टेलीफोन कॉलों के जवाब दिए गए।

III. निम्हांस के साथ सहयोग

4.21 मंत्रालय ने निम्हांस के साथ सहयोग किया है जिसने बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन केंद्र "संवाद" (संवेदनशील परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए समर्थन सहायता और मानसिक स्वास्थ्य पहल) की स्थापना की है। संवाद 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य, देखरेख और संरक्षण, शिक्षा और नीति और कानून पर काम कर रहा है। वर्ष 2024-25 (1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024) के दौरान, संवाद 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 27,631 हितधारकों तक पहुंचा है।

IV. क्षमता निर्माण के लिए एलबीएसएनएए के साथ सहयोग:

4.22 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में

किशोर न्याय अधिनियम पर विशेष ध्यान देने के साथ बाल अधिकारों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कई हितधारकों की क्षमता निर्माण हेतु एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के साथ साझेदारी की है। निम्नलिखित चार ऑन लाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल निम्नलिखित हैं:

- बाल अधिकार एवं किशोर न्याय प्रणाली का परिचय
- देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे
- कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा
- संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखरेख

वे कर्तव्य धारकों और अन्य हितधारकों के लिए कर्मयोगी आईजीओटी मंच पर उपलब्ध हैं। दिनांक 07 जनवरी 2025 तक, कुल 27,385 हितधारकों ने पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया है और 17226 ने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

V. एनसीपीसीआर द्वारा सीसीआई का सोशल ऑडिट

4.23 वर्ष 2007 के डब्ल्यूपी (सीआरएल) 102 तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण बनाम संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05 मई, 2017 के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में 7,163 बाल देखरेख संस्थानों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर जहां किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) लागू नहीं था और लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के संघ राज्यों क्षेत्र, जहां कोई सीसीआई मौजूद नहीं था) का सोशल ऑडिट किया। दिनांक 06 मार्च, 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय को एक राष्ट्रीय रिपोर्ट के साथ-साथ सामाजिक लेखा परीक्षा की राज्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। महिला एवं बाल विकास सचिव

ने अ.शा. पत्र संख्या 30/67/2019-सीडब्ल्यू-II दिनांक 31.8.2020 के माध्यम से जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के अनुसार सीसीआई के पंजीकरण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से पूछा है। माननीया मंत्री ने भी जेजे अधिनियम के तहत सीसीआई के पंजीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी सांसदों और विधायकों को और उन संस्थानों के खिलाफ भी जो आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहे हैं के लिए अ.शा. पत्र लिखा है। राज्यों को नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करने और हर साल 15 जनवरी और 15 जुलाई को सूचना देने को कहा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपंजीकृत संस्थानों को बंद करने और निवासियों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए बार-बार कहा था। जेजे एक्ट के तहत 5,534 सीसीआई पंजीकृत किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे जिला मजिस्ट्रेटों/उप कलेक्टरों की देखरेख में सीसीआई का निरीक्षण सुनिश्चित करें और सीसीआई

को चलाने वाली सभी एजेंसियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन और सीसीआई के साथ लगे कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करें।

VI. आदर्श पालन-पोषण देखभाल दिशानिर्देश, 2024

4.24 मंत्रालय ने पालन-पोषण तथा बच्चे को दो वर्ष की अवधि के लिए अपने पालन-पोषण देखभाल में रखने वाले उसी पालक परिवार द्वारा दत्तक ग्रहण की ओर ले जाने वाले पालन-पोषण हेतु स्पष्ट प्रक्रिया, पात्रता और कदम प्रदान करने के लिए 26 अप्रैल, 2024 को आदर्श पालक देखभाल दिशानिर्देश, 2024 जारी किए।

VII. दिव्यांग व्यक्ति

4.25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील सी.सी.आई. के माध्यम से, वित्त वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर, 2024 तक) में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 199 बाल गृहों में 4364 विशेष आवश्यकता



माननीय प्रधानमंत्री 26.12.2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "वीर बाल दिवस" के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) के विजेताओं के साथ।

वाले बच्चों को सहायता प्रदान की गई है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2024 तक राज्यों/संघस राज्यश् क्षेत्रों द्वारा बताए गए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता प्रदान करने वाले सी.सी.आई. की संख्या **अनुलग्नक—XVI** में दी गई है।

VIII. वीर बाल दिवस

4.26 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 दिसंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में “वीर बाल दिवस” का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 3,000 बच्चों ने भा. लिया। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) पुरस्कार विजेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बच्चों और किशोर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें साहिबजादों की वीरता और बलिदान का सम्मान किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत कार्यक्रम

का भी उद्घाटन किया और पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की।

IX. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी)

4.27 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 दिसंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में “वीर बाल दिवस” का सफल आयोजन किया, जिसमें लगभग 3,000 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (छट्ठे) के विजेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बच्चों एवं किशोर कलाकारों द्वारा मार्च पास्ट आयोजित किया गया, जिसमें साहिबजादों के अद्वितीय साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया और PMRBP विजेताओं के साथ संवाद किया।



दिनांक: 26.12.2024 माननीय राष्ट्रपति, माननीय केंद्रीय मंत्री (महिला एवं बाल विकास), माननीय राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास) एवं सचिव (महिला एवं बाल विकास) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) विजेताओं के साथ।

4.28 भारत सरकार बच्चों को राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार मानती है। सरकार मानती है उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को मान्यता दी जानी चाहिए और उपलब्धियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मंत्रालय पिछले कई दशकों से मेधावी बच्चों और व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दे रहा है।

4.29 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) के तहत भारत में रहने वाले पांच वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्रों में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है और उन्हें एक पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कारों पर विचार करने के लिए, बच्चे की उपलब्धि एक बार की नहीं होनी चाहिए बल्कि समय के साथ आगे बढ़नी

चाहिए। उपलब्धियां संबंधित क्षेत्र में बच्चे के लगन का संकेत होनी चाहिए और उस विशेष क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य का संकेत देने वाली होनी चाहिए।

4.30 वर्ष 2023 से मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए जाने वाले सभी पुरस्कारों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए एकीकृत पोर्टल www.awards.gov.in पर पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है।

4.31 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर, 2024 को राष्ट्रपति भवन में पीएमआरबीपी के नवीनतम संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षणिक, खेल, कला और संस्कृति तथा बहादुरी में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए कुल 17 बच्चों को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में की शोभा बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्रपति ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।



ਜੇਂਡਰ ਬਜਟਿੰਗ

5

जेंडर बजटिंग

5. प्रस्तावना

5.1 जेंडर बजटिंग बजट बनाने का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन चक्र के सभी चरणों में जेंडर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत किया जाता है। यह जेंडर आधारित कानून, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीम, संसाधन आवंटन, कार्यान्वयन, व्यय की ट्रैकिंग, लेखा परीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी राजस्व और व्यय अलग-अलग जेंडर की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

5.2 भारत सरकार 2000 के दशक की शुरुआत से ही जेंडर बजटिंग (जी.बी.) का कार्यान्वयन कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जेंडर बजटिंग और जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न वित्तीय, विनियामक और संरचनात्मक नीतियां तथा तंत्र बनाए हैं। जी.बी. के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी.) ने इस बात पर जोर दिया है कि जी.बी. केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए धन आवंटित करना नहीं है, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पैदा करना और जेंडर संबंधी अंतर को पाटना है।

5.3 महिला सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति के हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का लक्ष्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों में जीबी का 100% कवरेज हासिल करना है। मंत्रालय की कार्यनीतिक में विशेष ध्यान इन पर दिया जाता है:

- केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर लैंगिक बजट बनाने के लिए संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना; और
- आयोजन, बजट तैयार करने और लेखा परीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने के लिए आंतरिक और बाह्य क्षमताओं का विकास करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का निर्माण करना।

5.4 वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यकलाप और उनमें प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

क. जेंडर बजटिंग के संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाएं

1. जेंडर बजट सेल:

5.5 वर्ष 2004-05 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजट सेल (जीबीसी) की स्थापना को अनिवार्य करके जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया। इन जेंडर बजट सेल की परिकल्पना जेंडर बजटिंग के माध्यम से जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में की गई है। दिनांक 8 मार्च, 2007 को वित्त मंत्रालय

ने जेंडर बजट सेल के गठन को अनिवार्य करते हुए एक चार्टर जारी किया और जी.बी.सी. की संरचना तथा कार्यों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए। जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में जीबीसी के कामकाज का उद्देश्य मंत्रालय/विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार प्रभावित और इनमें परिवर्तन की शुरुआत करना है जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता हो और यह सुनिश्चित करना है कि मंत्रालय के बजट के माध्यम सार्वजनिक संसाधनों का तदनुसार आवंटन तथा प्रबंधन किया जाता है। जैसा कि अधिदेशित है, जी.बी.सी. में मंत्रालय/विभाग की योजना, नीति, समन्वय, बजट तथा लेखा प्रभाग के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारी शामिल होने चाहिए और संयुक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी इसका प्रमुख नहीं होना चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों में जेंडर बजट सेल स्थापित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। अक्टूबर 2021 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीबीसी को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने, नोडल अधिकारियों को नामित करने तथा जेंडर बजट विवरण में रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को अर्द्ध शासकीय पत्र भेजे। इस मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में जेंडर बजटिंग हेतु नोडल अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ एक सलाह भी जारी की गई थी। फिलहाल, 62 मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजट सेल स्थापित किए हैं।

ख. बजट परिपत्र:

5.6 वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाने वाला बजट परिपत्र यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है कि मंत्रालय/विभाग लैंगिक दृष्टिकोण से योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त रूप से योजना और बजट तैयार करें। बजट परिपत्र में सभी

मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित प्रारूप में व्यय प्रोफाइल में जेंडर बजट विवरण अर्थात् विवरण 13 तैयार करके प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले के लिए बजट के साथ संलग्न होना चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 17 सितंबर, 2024 को जारी बजट परिपत्र के पैरा 13.6 में मंत्रालयों/विभागों के लिए निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं:

13.6 व्यय प्रोफाइल में विवरण संख्या 13 "जेंडर बजटिंग": जेंडर बजटिंग विकास के सभी क्षेत्रों में जेंडर विशिष्ट बाधाओं पता लगाने और उनका समाधान करने की एक प्रक्रिया है। बजट की योजना और तैयार करने की प्रक्रिया सभी मंत्रालयों/विभागों में लैंगिक समस्याओं की पहचान करने, उन्हें प्राथमिकता देने तथा उनका समाधान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यहां उल्लेखनीय है कि प्रत्येक क्षेत्र का महिलाओं और बालिकाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और इसलिए, यह महसूस किया गया है कि सभी कार्यक्रमों/योजनाओं में एक जेंडर घटक होना चाहिए। मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं को अधिक जेंडर अनुकूल बनाकर या वैकल्पिक रूप से, इसके लिए महिलाओं और बालिकाओं हेतु विशेष रूप से एक कार्यक्रम/योजना तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करते समय सभी मंत्रालय उसके साथ/विभाग निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-XXI) में एक जेंडर बजट विवरण (व्यय प्रोफाइल में विवरण 13) तैयार करके प्रस्तुत करना करें। यह जेंडर बजट विवरण तीन भागों में तैयार किया जाना है— भाग क: उन योजनाओं को दर्शाता है जिनके 100% प्रावधान महिलाओं और बालिकाओं के लिए हैं और भाग ख: उन कार्यक्रमों/योजनाओं को दर्शाता है जिनमें बजटीय आवंटन के 30 से 99% का लाभ महिलाओं और बालिकाओं को मिलता है" और भाग 'ग' में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 30% तक प्रावधान वाली योजनाएं होती हैं।

APPENDIX XXI
(See Paragraph 13.6)

'GENDER BUDGETING- Estimated Expenditure/Utilization for the Benefit of Women and Girls

Part A : 100% Provision towards Women

Demand No :

Name of the Ministry/Department:

(₹ in crore)

Details of Scheme	Actuals 23-24	BE 24-25	RE 24-25	BE 25-26

Part B: Pro-Women (at least 30% of provision)

Demand No :

Name of the Ministry/Department:

(₹ in crore)

Details of Scheme	Actuals 23-24	BE 24-25	RE 24-25	BE 25-26

Part C: Pro-Women (below 30% of provision)

Demand No :

Name of the Ministry/Department:

(₹ in crore)

Details of Scheme	Actuals 23-24	BE 24-25	RE 24-25	BE 25-26

Note: Three separate statements in the format prescribed above may be furnished

ग. जेंडर बजट विवरण— महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवंटन पर नज़र रखना:

5.7 जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) 2005-06 से प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के साथ प्रकाशित किया जाता है। यह लैंगिक दृष्टि से अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करने हेतु मंत्रालयों/विभागों के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र है और महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए आवंटन पर जानकारी प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में जीबीएस प्रारूप को संशोधित किया गया था जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के लिए 30% से कम आवंटन वाली योजनाओं के लिए भाग 'ग' और विवरण 13 के उद्देश्य पर एक संक्षिप्त प्रस्तावना की शुरुआत की गई थी। शुरुआत से ही जीबीएस प्रारूप के दो भाग थे, अर्थात् भाग 'क' उन योजनाओं के लिए था जो 100% महिलाओं और बालिकाओं के लिए लक्षित

थीं और भाग 'ख' उन योजनाओं को दर्शाता था जिनमें बजटीय आवंटन के 30 से 99% लाभ महिलाओं और बालिकाओं को मिलता है।

5.8 वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में, कुल 38 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने व्यय प्रोफाइल के जीबीएस में 3.27 लाख करोड़ रुपये की राशि रिपोर्ट की है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इतने ही मंत्रालयों/विभागों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.38 लाख करोड़ रुपये की राशि रिपोर्ट की गई थी। कुल 22 मंत्रालयों/विभागों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग 'क' में रिपोर्ट की (100% महिला विशिष्ट योजनाएं), 31 मंत्रालयों/विभागों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग 'ख' में रिपोर्ट की (महिलाओं के लिए 30-99% बजटीय आवंटन) में और 1 विभाग ने भाग 'ग' में रिपोर्ट की (महिलाओं के लिए 30% से कम बजटीय आवंटन)। विद्युत मंत्रालय और नागर विमानन

मंत्रालय ने पहली बार जीबीएस 2024-25 में रिपोर्ट की। जीबीएस 2024-25 में बताया गया बजट अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 के जीबीएस के बजट अनुमान से 37.33% अधिक है। कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी 2023-24 में 5% से बढ़कर 2024-25 में 6.8% हो गई।

5.9 महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के अपने अधिदेश के कारण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजट में पर्याप्त आवंटन किया है। मंत्रालय ने जीबीएस 2024-25 में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 20,513.28 करोड़ रुपये के आवंटन की सूचना दी, जो इसके कुल बजट अनुमान 26,092.19 करोड़ रुपये का लगभग 78.62% है। इसमें, अन्य के साथ-साथ, (क) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 16,350.98 करोड़ रुपये; (ख) एकीकृत देखभाल, सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तीकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए एकीकृत नागरिक-केंद्रित जीवनचक्र सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति के संबल और सामर्थ्य घटकों के लिए 3,145.97 करोड़ रुपये और (ग) बालिकाओं की सुरक्षा और संस्थागत देखभाल के लिए मिशन वात्सल्य के तहत 883.30 करोड़ रुपये शामिल हैं।

घ. ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन के माध्यम से लैंगिक जागरूकता नीति का मूल्यांकन:

5.10 अप्रैल, 2014 में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के दस्तावेज़ में सभी नए कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं के लिए आयोजना चरण में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया था। ईएफसी प्रारूप की धारा 3 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है – 'यदि किसी योजना में महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से निर्देशित कोई जेंडर संतुलन पहलू या घटक हैं तो कृपया उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।'

ड. जेंडर बजटिंग के लिए जेंडर-संसिटिव जांच बिन्दु/दिशानिर्देश:

5.11 मंत्रालय ने जी.बी. को कार्यन्वित करने के लिए साधन तैयार किए हैं। इनमें चेकलिस्ट-1

(लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रम जो महिलाओं को लक्षित करते हैं) और चेकलिस्ट-II (मुख्यधारा के क्षेत्र और कार्यक्रम), पांच चरण वाली रूपरेखा के आधार पर योजनाओं और नीतियों का जेंडर मूल्यांकन और स्थानिक मानचित्रण के रूप में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। ये दिशानिर्देश जेंडर परिप्रेक्ष्य से सार्वजनिक व्यय की समीक्षा करने में मदद करते हैं ताकि अंतर की पहचान की जा सके और योजनाओं और बजटों की जेंडर उत्तरदायित्व बढ़ाने के उपाय किए जा सकें।

III. जेंडर बजटिंग पर क्षमता निर्माण

5.12 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मंत्रालय का मुख्य फोकस क्षेत्र राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारियों की क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ करना और जीबी पर विशेषज्ञता का निर्माण करना है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रयास किए गए:

i. जेंडर बजटिंग योजना का कार्यान्वयन:

5.13 मंत्रालय वर्ष 2007-08 से जेंडर बजटिंग कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों की जेंडर बजट तैयार करने की क्षमता का निर्माण करना है। इस योजना के तहत, जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सरकारी विभागों, राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है। मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के तहत अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी योजना के साथ-साथ जेंडर बजटिंग योजना को शामिल किया गया है। जेंडर बजटिंग योजना के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए गए और मई 2024 में प्रकाशित किए गए। वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीय सरकार द्वारा 3 वित्त पोषित राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों, महिला एवं बाल विकास ध्समाज कल्याण के 9 विभाग, राज्य सरकारों और राज्य सरकार के 5 प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 17 कार्यान्वयन एजेंसियों जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए कुल 1.27 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई।

ii. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण

5.14 नई दिल्ली में 5-6 नवंबर, 2024 और 19-20 नवंबर, 2024 के दौरान 'जेंडर रिसर्पोन्सिव प्लानिंग और बजटिंग को सुदृढ़ बनाना' नामक परियोजना के तहत यूएन विमेन के सहयोग से कुल 33 मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए दो बैचों में जेंडर बजटिंग पर दो राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 62 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जेंडर बजटिंग पर केंद्र सरकार के अधिकारियों की समझ को बढ़ाना और अधिकारियों को जी.बी. पर प्राप्त जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

iii. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएमए), अहमदाबाद द्वारा भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जेंडर बजटिंग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

5.15 राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जेंडर बजटिंग प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के मंत्रालय के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएमए), अहमदाबाद द्वारा 21-23 अक्टूबर, 2024 को आईआईएमए परिसर में भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जेंडर बजटिंग पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया मंत्रालय द्वारा गया जिसे मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और दो राज्यों के संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के कुल 37 अधिकारियों ने भाग लिया।



समूह फोटो – संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी (केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एवं राज्य) जिन्होंने आईआईएम अहमदाबाद परिसर में आयोजित "भारत सरकार एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जेंडर बजटिंग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम" में भाग लिया।

IV. केंद्रीय स्तर पर जेंडर बजटिंग प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के कार्यकलाप

क) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जेंडर बजट विवरण में आवंटन की रिपोर्टिंग बढ़ाने के प्रयास और पहल

5.16 महिलाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री अनिल मलिक, सचिव, महिला एवं बाल विकास ने भारत सरकार के सभी सचिवों को 23.8.2024 को डी.ओ. पत्र लिखा। इस पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रत्येक क्षेत्र को महिलाओं को देश के आर्थिक विकास में नेतृत्व करने और भाग लेने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। यह देखते हुए कि जेंडर बजटिंग लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यनीतिक राजकोषीय साधन है, उन्होंने मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया कि वे योजनाओं की जेंडर की दृष्टि से समीक्षा करें और लाभार्थी के साथ-साथ गैर-लाभार्थी दोनों योजनाओं और महिलाओं को प्रभावित करने वाले उनके घटकों के लिए जेंडर बजट विवरण में आवंटन की रिपोर्ट करें। यह बताया गया कि महिला एवं बाल

विकास मंत्रालय योजनाओं की जेंडर आधारित समीक्षा करते समय, यदि आवश्यक हो तो मंत्रालयों/विभागों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

5.17 मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025–26 में जेंडर बजट विवरण में रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने के उपायों की समीक्षा और उस पर चर्चा करने के लिए एमडब्ल्यूसीडी सचिव श्री अनिल मलिक की अध्यक्षता में 23 सितंबर, 2024 को चुनिंदा 15 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में सचिव (एमडब्ल्यूसीडी) ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को देखते हुए, जेंडर बजट विभिन्न योजनाओं के तहत परियोजना को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसका महिलाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही किसी विशिष्ट योजना में महिलाओं के लिए आवंटन निर्धारित न किया गया हो, फिर भी जेंडर डेटा के आधार पर या किसी अन्य तंत्र जैसे जनसंख्या जनगणना डेटा का उपयोग करके महिला लाभार्थियों का अनुमान लगाया जा सकता है, और तदनुसार वित्त वर्ष 2025–26 के लिए जीबीएस में रिपोर्ट करने के लिए आवंटन को विभाजित किया जा सकता है।



श्री अनिल मलिक, सचिव (महिला एवं बाल विकास) ने 23.09.2024 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

5.18 अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान, जेंडर बजटिंग डिवीजन ने यूएन विमेन के सहयोग से जीबीएस 2024-25 में कोई आवंटन रिपोर्ट नहीं करने वाले उन चुनिंदा 22 मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं का जेंडर बजट विश्लेषण किया जो वित्त वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट आवंटन रिपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं। यह देखा गया कि इन मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत कई योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इनमें से कई योजनाएं महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भी बढ़ावा दे रही हैं। दिसंबर 2024 में यह विश्लेषण संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया गया था।

5.19 श्री अनिल मलिक, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 दिसंबर, 2024 को अपने डी.ओ. पत्र के माध्यम से पहचाने गए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को पत्र लिखा जिसमें विशेष रूप से उनसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयारी के हिस्से के रूप में जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने का अनुरोध किया गया। मंत्रालय के जेंडर बजट प्रभाग ने मंत्रालयों/विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जेंडर बजट विवरण तैयार करने पर अपेक्षित समर्थन/स्पष्टीकरण प्रदान किया।

V. जेंडर बजटिंग पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पहल

5.20 मंत्रालय जेंडर बजटिंग योजना के तहत अधिकारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से जी.बी. प्रक्रिया को संस्थागत बनाने और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, यूएन विमेन इंडिया के सहयोग से 'जेंडर-रिस्पॉन्सिव प्लानिंग और बजटिंग को सुदृढ़ करने' परियोजना के तहत, छह राज्यों यानी असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड

को राज्य जी.बी. कार्य योजनाओं के विकास सहित जी.बी. प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 21 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने जेंडर बजट विवरण प्रकाशित किए हैं। गोवा ने 2024-25 में अपना पहला जेंडर बजट विवरण प्रकाशित किया।

VI. केंद्रीय और राज्य स्तर पर जेंडर बजट को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी सहायता

i. यूएन विमेन इंडिया के सहयोग से 'जेंडर-उत्तरदायी आयोजना और बजट को सुदृढ़ करना' शीर्षक वाली परियोजना

5.21 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यूएन विमेन इंडिया के सहयोग से 'जेंडर-उत्तरदायी आयोजना और बजट को सुदृढ़ करना' शीर्षक वाली एक परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना अप्रैल 2023 में प्रभावी हुई और इसे शुरू में 30 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दिया गया था जिसे आगे बढ़ाकर दिसंबर 2025 कर दिया गया है। कार्यान्वयन के पहले वर्ष में परियोजना के दो प्रमुख आउटपुट थे। आउटपुट 1% पहचाने गए 30 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 6 चुनिंदा राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के लिए जेंडर बजट और/या जेंडर बजट विवरण को सुदृढ़ करने के लिए कार्य योजनाएं और आउटपुट 2% जेंडर में निवेश की निगरानी और मूल्यांकन पर संस्थागत सेटअप की क्षमता का निर्माण। विस्तारित अवधि के दौरान, यूएन विमेन केन्द्रीय स्तर पर तथा पांच मूल राज्यों अर्थात् असम, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और दो नए राज्यों बिहार और तमिलनाडु में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, जिसका समग्र उद्देश्य जेंडर बजट संबंधी पहल करने के लिए सरकारी अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से जेंडर बजट के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना है।

ii. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ तकनीकी सहायता परियोजना 'भारत के चुनिंदा राज्यों में जेंडर बजटिंग को आगे बढ़ाना'

5.22 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और समृद्ध और अनुकूल एशिया और प्रशांत के लिए जापान फंड (जेएफपीआर) ने एमडब्ल्यूसीडी को 'भारत के चुनिंदा राज्यों में जेंडर बजटिंग को आगे बढ़ाना' (आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर) नामक 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता परियोजना की सहायता दी है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुरोध पर, 2 अगस्त, 2024 को मंत्रालय के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री अनिल मलिक, सचिव (एमडब्ल्यूसीडी) ने की। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) टीम का नेतृत्व एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की कंट्री डायरेक्टर सुश्री मियो ओका ने किया। बैठक के मुख्य उद्देश्यों में (i) चुनिंदा राज्यों में जेंडर बजटिंग पर एडीबी प्रशासित जेएफपीआर तकनीकी सहायता की प्रमुख उपलब्धियों को साझा करना; (ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए गए जेंडर बजट समर्थन के चरण 2 की स्थिति और समय-सीमा पर चर्चा करना, और (iii) जेंडर गैप को कम करने और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक लैंगिक समता कार्यनीतियों पर एडीबी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच संभावित सहयोग के अवसरों की खोज करना शामिल था।

iii. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) द्वारा एडीबी प्रायोजित तकनीकी सहायता के तहत जेंडर बजटिंग पर ई-सामग्री तैयार करना

5.23 भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग (डीओपी एंड टी) के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के अनुरोध पर मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर ई-लर्निंग मॉड्यूल (बेसिक एवं एडवांस) तैयार करने के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब (केडीएलएल), आईएसटीएम की तकनीकी टीम के साथ समन्वय किया है। आईएसटीएम ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के तकनीकी सहायता अनुदान के साथ आईजीओटी प्लेटफॉर्म के लिए ई-सामग्री तैयार करने के लिए केडीएलएल की स्थापना की है। कर्मयोगी भारत एसपीवी के परामर्श से आईएसटीएम द्वारा जेंडर बजटिंग को राष्ट्रीय महत्व के विषयों में से एक के रूप में पहचाना गया था। आईजीओटी प्लेटफॉर्म के लिए जेंडर बजटिंग पर ई-लर्निंग मॉड्यूल जेंडर बजटिंग प्रक्रियाओं की प्रमुख रूपरेखाओं को प्रसारित करने और केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तरों पर मंत्रालयों/विभागों में सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

VII. जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

5.24 मंत्रालय ने 6 नवंबर, 2024 को आईएमएफ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी), नई दिल्ली और इसके अफ्रीका प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) तथा मध्य पूर्व तकनीकी सहायता केंद्र (एमईटीएसी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'जेंडर बजटिंग का अनुभव: एक क्रॉस कंट्री परिप्रेक्ष्य' पर वेबिनार में भाग लिया और जेंडर बजटिंग पर भारत के अनुभव प्रस्तुत किए। वेबिनार में उप-सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व के विभिन्न देशों के सरकारी अधिकारी शामिल थे।



सांख्यिकी तथा अनुसंधान

6

सांख्यिकी तथा अनुसंधान

6.1 यह मंत्रालय विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इन पहलों का उद्देश्य सकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन लाना, समान अवसर सुनिश्चित करना तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र पर जोर देता है, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवधिक आकलन को सक्षम करता है। इस प्रक्रिया को सहायता करने के लिए बेहतर सुव्यवस्थित सांख्यिकीय प्रणाली आवश्यक है, जो तथ्य आधारित निर्णय लेने, नीति निर्माण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीय डेटा एवं गुणवत्ता की जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

6.2 अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय अपनी अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी योजना के माध्यम से कठोर स्थितिजन्य विश्लेषण तथा अनुसंधान करता है। यह पहल जारी कार्यक्रमों पर बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करती है, जिससे उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की जटिलता को देखते हुए, सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं के समाधान को कारगर बनाने के लिए एक शिकायत

निवारण तंत्र स्थापित किया है, जिससे बुनियादी स्तर पर अधिक कुशल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित किया जा सके।

6.3 मंत्रालय के सांख्यिकी ब्यूरो महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास से संबंधित डेटा संग्रह, विश्लेषण तथा अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मंत्रालय के शिकायत निवारण तंत्र की देखरेख करने, जवाबदेही को और अधिक मजबूत करने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अलावा, ब्यूरो प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर भारत की प्रगति की निगरानी के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करता है एवं वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक (जीजीजीआई), लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) तथा वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) जैसे वैश्विक सूचकांकों पर प्रदर्शन का आकलन करता है। डेटा—संचालित शासन प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए, मंत्रालय के पास डेटा कार्यनीति इकाई (डीएसयू) है जो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से डेटा प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

6.4 यह अनुसंधान, डेटा—संचालित नीतिगत पहलों और सुव्यवस्थित शिकायत निवारण ढांचे को एकीकृत करके, मंत्रालय अपनी पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाने का प्रयास करता है, अंततः इससे महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा मिलता है।

I. अनुसंधान तथा प्रकाशन और निगरानी स्कीम के लिए अनुदान सहायता

6.5 अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी स्कीम हेतु सहायता अनुदान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके माध्यम से मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों, उनके खाद्य तथा पोषाहार पहलुओं सहित कल्याण तथा विकास पर विविध अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करता है। यह योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों तथा सूचना अंतराल को दूर करने के लिए तत्काल सार्वजनिक पहल की अपेक्षा वाली सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त किस्म की अनुसंधान परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसी पहल की सफलता के लिए जिम्मेदार बहुमुखी कारकों या मंत्रालय के समक्ष बुनियादी स्तर पर मौजूद चुनौतियों को समझने के लिए महिलाओं और बच्चों से जुड़े विविध मुद्दों पर अनुसंधान कार्य आवश्यक है।

6.6 इस स्कीम के तहत किसी संस्थान या संस्थानों के समूहों को एक या निकटता से जुड़े एक से अधिक विद्वानों द्वारा विशिष्ट अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान किए जाते हैं। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों एवं व्यावसायिक संघों जैसे संस्थानों और समान प्रकार के संगठनों/एजेंसियों जिनमें उन पर अनुसंधान करने की क्षमता हो, को ऐसा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित एवं पूर्णतः वित्तपोषित संस्थान भी अनुसंधान अनुदान पाने के पात्र हैं। अनुदान के लिए प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसंधान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं।

II. वैश्विक सूचकांक

6.7 सांख्यिकी ब्यूरो निगरानी और तीन वैश्विक सूचकांकों अर्थात् ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (जीजीजीआई), लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) और ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) पर भारत के प्रदर्शन में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुधारों और प्रगति के लिए उपायों के रूप में वैश्विक सूचकांकों का लाभ उठाने की सरकार की पहल को लागू करने के लिए जीजीजीआई, जीआईआई एवं जीएचआई में भारत के निष्पादन को ट्रैक करने तथा सुधार लाने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, इस मंत्रालय ने इन सूचकांकों के मापदंडों के लिए मौजूदा डेटा अंतराल, सुधार के क्षेत्रों एवं सुधार कार्यों की पहचान करते हुए, कार्य योजना तैयार करके, तकनीकी सहयोग और सहायता के लिए प्रकाशन एजेंसियों के साथ संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करते हुए स्वदेशी सूचकांकों के निरूपण का कार्य किया है।

6.8 इन सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधारने के लिए मंत्रालय ने दोहरी कार्यनीति अपनाई है। पहला, सूचकांक स्कोर की गणना में तथ्यात्मक रूप से सही एवं अद्यतन भारतीय डेटा मान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत की वैश्विक स्थिति यानी वैश्विक सूचकांकों की प्रकाशन एजेंसी और संघटक मापदंडों की डेटा स्रोत एजेंसियों की भागीदारी से उपरोक्त सूचकांकों में रैंकिंग की निगरानी करना। दूसरा, संबंधित मापदंडों की स्थिति में सुधार के लिए हितधारकों के परामर्श से उपयुक्त सुधारों की पहचान करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वैश्विक सूचकांकों के विभिन्न संकेतकों पर उपलब्धियों में सुधार के लिए सुधारों की पहचान करने एवं उन्हें कार्यान्वित करने हेतु केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

के मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु लैंगिक सूचकांक समन्वय समिति (जीआईसीसी) का गठन किया है।

III. इंटरनेट प्रोग्राम

6.9 सांख्यिकी ब्यूरो मंत्रालय की अनुसंधान प्रकाशन और निगरानी योजना के अंतर्गत भारत के गैर-टियर-1 शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 21 से 40 वर्ष के आयु वर्ग की महिला छात्रों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों के लिए एक इंटरनेट कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसका उद्देश्य उन्हें मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए अनुसंधान तथा संबंधित क्रियाकलापों में शामिल करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष के दौरान दो माह की अवधि के लिए उपलब्ध है और भावी इंटरनेट <https://wcd.intern.nic.in/> पर इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

6.10 इंटरनेट कार्यक्रम के दिशानिर्देश सितंबर 2024 में संशोधित किए गए। प्रशिक्षु अल्पकालिक संघों के माध्यम से मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों के संपर्क में आते हैं जिसमें मंत्रालय की चल रही क्रियाकलापों पर केंद्रित व्यापक परियोजनाओं या सूक्ष्म अध्ययनों को शुरू करने की संभावना शामिल है। इसका लक्ष्य प्रशिक्षु को मंत्रालय के अधिदेश, विशिष्ट कार्यक्रमों तथा नीति विश्लेषण की व्यापक समझ से युक्त करना है, उन्हें विभिन्न मंचों पर महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों की हिमायत करने के लिए सशक्त बनाना है।

6.11 प्रत्येक प्रशिक्षु को 20,000/- रुपये प्रतिमाह का एकमुश्त छात्रवृत्ति, मंत्रालय में कार्यक्रम में शामिल होने और कार्यक्रम के अंत में घर वापस लौटने के लिए यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन के रूप में ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाती है।

iv. सतत विकास लक्ष्य

6.12 लैंगिक समानता के मुद्दे का हमारे देश के विकास के एजेंडा में मुख्य स्थान रहा है। 1 जनवरी 2016 से आधिकारिक रूप में प्रभावी 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड': सतत विकास का 2030 एजेंडा' नामक सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों से ऐसा प्रदर्शित होता है। इसमें विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों के क्षेत्रों में विस्तारित 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 सहायक लक्ष्य निहित हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के सशक्तीकरण और बच्चों के विकास के संबंध में सतत विकास लक्ष्यों के प्रति गंभीर है।

6.13 नीति आयोग को राष्ट्रीय लक्ष्यों और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मंत्रालय और संबंधित विभागों को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। सतत विकास लक्ष्यों एवं इसके सहायक लक्ष्यों की निगरानी के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और सिविल सोसायटी जैसे हितधारकों के परामर्श से 306 संकेतकों वाला राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार किया गया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एसडीजी-1 'हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करने', एसडीजी-2 'भूख और सभी प्रकार का कुपोषण समाप्त करने एवं आगामी 15 वर्षों में कृषि पैदावार दोगुनी करने' तथा एसडीजी-5 'लैंगिक समानता हासिल करने और महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाने' के राष्ट्रीय संकेतकों के प्रति गंभीर है।

6.14 यह मंत्रालय राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के निम्नलिखित संकेतकों के लिए आंकड़ों का स्रोत मंत्रालय है:

लक्ष्य	संकेतक
लक्ष्य 1 : प्रत्येक स्थान से सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करना	
1.3: सबके लिए राष्ट्रीय तौर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली व उपाय कार्यान्वित करना और 2030 तक गरीबों तथा संवेदनशील लोगों को अधिक से अधिक शामिल करना।	1.3.2: समेकित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के तहत लाभार्थियों की संख्या 1.3.5: प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पाने वाली आबादी (कुल पात्र आबादी में से) का अनुपात
1.ख: गरीबी उन्मूलन कार्यों में निवेश के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों के अनुकूल तथा लैंगिक-संवेदनशील विकास नीतियों पर आधारित ठोस नीतिगत ढांचा बनाना	1.ख.1: जेंडर बजट के तहत चिन्हित बजट का अनुपात
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता हासिल करना और महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना	
5.1: सभी महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रत्येक स्थान पर होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना	5.1.1: लिंग (प्रतिशत) के आधार पर समानता और गैर-भेदभाव को बढ़ावा देने, लागू करने और निगरानी करने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है या नहीं
5.ग: सभी स्तरों पर लैंगिक समानता और महिलाओं तथा बालिकाओं के सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस नीतियों एवं लागू करने योग्य कानूनों को अपनाना तथा उन्हें सशक्त बनाना	5.ग.1: लैंगिक बजट प्रकोष्ठों (जीबीसी) वाले केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों की संख्या

V. लोक शिकायत

6.15 महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं उन्नति के लिए मुख्य नीतियों और योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ, कार्यक्रम कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए केंद्र तथा राज्य स्तरों पर विशाल और बहुस्तरीय नौकरशाही सेटअप की आवश्यकता होती है। इसलिए जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन शिकायतों की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह मंत्रालय ने इन संभावनाओं को ध्यान में रखा है एवं बुनियादी स्तर पर विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शिकायत

निवारण तंत्र स्थापित किया है। शिकायतों की उचित जानकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सही करने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय करने में सहायक हो सकता है।

6.16 मंत्रालय को लोगों के प्रति उत्तरदायी एवं मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए, मंत्रालय में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। मंत्रालय में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के लिए, मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुखों को पीजी अपीलों के निपटान के लिए उप-अपीलकर्ता प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है एवं प्रत्येक प्रभाग/अनुभाग में निदेशक/उप

सचिव के स्तर पर अधिकारियों और संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों को उनके डिवीजनों/कार्यालयों के संबंध में लोक शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के रूप में नामित किया गया है। जन शिकायतों के निपटान की स्थिति की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सचिव (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है।

दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के दौरान पीजी और पीजी अपीलों के निपटान की स्थिति

6.17 मंत्रालय शिकायतों और पीजी अपीलों का कुशलतापूर्वक निपटान कर रहा है। सीपीजीआरएमएस मॉनिटरिंग डेस्क के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए पीजी के निपटान का कुल प्रतिशत लगभग 95.91% था। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने कुशल तरीके से सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए मंत्रालय के प्रयासों को स्वीकार किया था।

6.18 दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जन शिकायतों की प्रगति रिपोर्ट निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

शिकायत प्राप्त हुई (स्रोत)	आगे ले जाया गया	अवधि के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	इस अवधि के दौरान निपटाए गए कुल मामले	निपटाए गए कुल मामले का प्रतिशत
सीधे जनता से	212	6409	6621	6393	96.56%
पीएमओ	131	1325	1456	1349	92.65%
डीएपीआरजी	3	88	91	90	98.90%
राष्ट्रपति सचिवालय	21	241	262	255	97.33%
पेंशन	0	46	46	42	91.30%
कुल	367	8109	8476	8129	95.91%

6.19 दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए पीजी अपीलों की प्रगति रिपोर्ट निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

आगे ले जाया गया	अवधि के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	इस अवधि के दौरान निपटाए गए कुल मामले	निपटाए गए कुल मामले का प्रतिशत
80	1734	1814	1716	94.604%



प्रशिक्षण

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं
बाल विकास संस्थान

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

7.1 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) महिला एवं बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्रवाई, अनुसंधान, प्रशिक्षण और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अग्रणी संस्थान है। निपसिड की स्थापना वर्ष 1966 में नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्र-विशिष्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुवाहाटी (1978), बेंगलुरु (1980), लखनऊ (1982), इंदौर (2001) और मोहाली (2019) में इसके पाँच क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं।

7.2 संस्थान बच्चों के समग्र विकास और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक और जरूरत-आधारित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा महिला सशक्तिकरण और लैंगिक मुद्दों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों— राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने का कार्य करता है। बाल विकास से संबंधित संस्थान के वर्तमान प्रमुख क्षेत्र हैं— मातृ एवं बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बाल विकलांगता, बच्चों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य तथा बाल देखभाल सहायता सेवाएँ। महिला विकास के क्षेत्र में संस्थान की गतिविधियों का उद्देश्य प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान

करना है।

7.3 संस्थान के उद्देश्य हैं:

- i) सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और संवर्धन करना;
- ii) बाल विकास के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना तथा राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसरण में कार्यक्रमों का विकास एवं संवर्धन करना;
- iii) सामाजिक विकास में सरकारी कार्रवाई के साथ-साथ स्वैच्छिक कार्रवाई के समन्वय के लिए उपाय विकसित करना; तथा
- iv) सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक रूपरेखा और परिप्रेक्ष्य विकसित करना।

7.4 निपसिड का लक्ष्य बाल अधिकारों, बाल संरक्षण और बाल विकास के क्षेत्रों में वैश्विक ख्याति प्राप्त संस्थान के रूप में पहचान बनाना है। इसने पिछले 50 वर्षों में महिला एवं बाल विकास से संबंधित मुद्दों को आगे बढ़ाने में रणनीतिक भूमिका निभाई है तथा सक्षम आंगनवाड़ी/मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ) और मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए कार्यक्रम अनुसंधान, क्षमता निर्माण और परामर्श जैसे कार्यक्रमों में मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श, निपसिड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अनुसंधान का एक प्रमुख घटक है। संस्थान फील्ड प्रदर्शन, विस्तार एवं परामर्श सेवाओं (बाल मार्गदर्शन

केंद्र, बाल देखभाल केंद्र और किशोर मार्गदर्शन एवं सेवा केंद्र) में भी संलग्न है। निपसिड, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी में बाल मार्गदर्शन एवं परामर्श (ADCGC) में उन्नत डिप्लोमा विषय पर एक वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है। निपसिड अपने अन्य क्षेत्रीय केंद्रों में भी एडीसीजीसी का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

7.5 संस्थान में दो मुख्य संवैधानिक निकाय हैं, अर्थात् साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद। साधारण निकाय संस्थान की समग्र नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। पुरानी कार्यकारी परिषद (ईसी) और साधारण निकाय (जीबी), जिसका गठन वर्ष 1966 में किया गया था, जब निपसिड को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था, इसका पुनर्गठन माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (मा. म. एवं. बा. वि. मंत्रा) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में अगस्त, 2024 में किया गया था। साधारण निकाय में 22 सदस्यों और कार्यकारी परिषद में 13 सदस्यों वाली एक छोटी संरचना को मंजूरी दी गई है, जबकि पहले साधारण निकाय में 94 सदस्य और कार्यकारी परिषद में 21 सदस्य थे। माननीया केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय साधारण निकाय की अध्यक्षता हैं एवं माननीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं।

7.6 फरवरी, 2024 में माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निपसिड के मौजूदा प्रभागों को निपसिड पुनर्गठन के तहत विभिन्न कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। निपसिड मुख्यालय में प्रमुख कार्यक्षेत्रों का विवरण निम्न है:

i. प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई)

- ii. किशोर एवं मानसिक स्वास्थ्य (एएमएच)
- iii. बाल संरक्षण (सीपी)
- iv. महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा (WES)
- v. पोषण
- vi. अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- vii. अनुसंधान डेस्क

7.7 **पुनर्केंद्रित शैक्षणिक डोमेन:** निपसिड ने अपने आंतरिक ढांचे को अलग-अलग शैक्षणिक डोमेन में पुनर्संयोजित किया है, अपनी अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को मंत्रालय के मिशन के साथ संरेखित किया है, जिससे वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ रणनीतिक योजना बनाने में मदद मिलेगी।

I. संस्थान की प्रमुख उपलब्धियां, 2024

i. पांच दशक से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) की कार्यकारी परिषद (ईसी) और साधारण सभा (जीबी) का पुनर्गठन

7.8 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) की कार्यकारी परिषद की असाधारण बैठक और साधारण सभा की विशेष बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पुरानी कार्यकारी परिषद (EC) और साधारण सभा (GB), जिनका गठन 1966 में किया गया था, जब निपसिड को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-XXI, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था, का पुनर्गठन किया गया। निपसिड के संविधान के अनुसार, साधारण सभा (GB) संस्थान की समग्र नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है और कार्यकारी परिषद (EC) संस्थान के प्रबंधन और प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार है।



05.08.2024 को राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) की कार्यकारी परिषद की असाधारण बैठक और आम सभा की विशेष बैठक के दौरान माननीय मंत्री (एमडब्ल्यूसीडी)।



05.08.2024 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) की कार्यकारी परिषद की बैठक और आम सभा की विशेष बैठक

7.9 पुरानी साधारण सभा और कार्यकारी परिषद की अध्यक्ष होने के नाते वर्तमान पुनर्गठन को माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साधारण सभा में 22 सदस्य और कार्यकारी परिषद में 13 सदस्यों वाली एक छोटी संरचना को मंजूरी दी गई है, जबकि पहले साधारण सभा में 94 सदस्य और कार्यकारी परिषद में 21 सदस्य थे।

ii. निपसिड में भर्तियां

7.10 वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समाप्त माने जाने वाले श्रेणी के 92 पदों को पुनर्जीवित किया गया है तथा 09 पदों का नवसृजन किया गया है। संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष 2022–2024 के दौरान ग्रुप ए, बी तथा सी श्रेणी के पदों पर 45 पदोन्नतियां की गई हैं तथा इसी प्रकार एमएसीपी योजना के अंतर्गत 68 अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है।

iii. राष्ट्रीय बाल कोष (एनसीएफ) और उन्नति छात्रवृत्ति

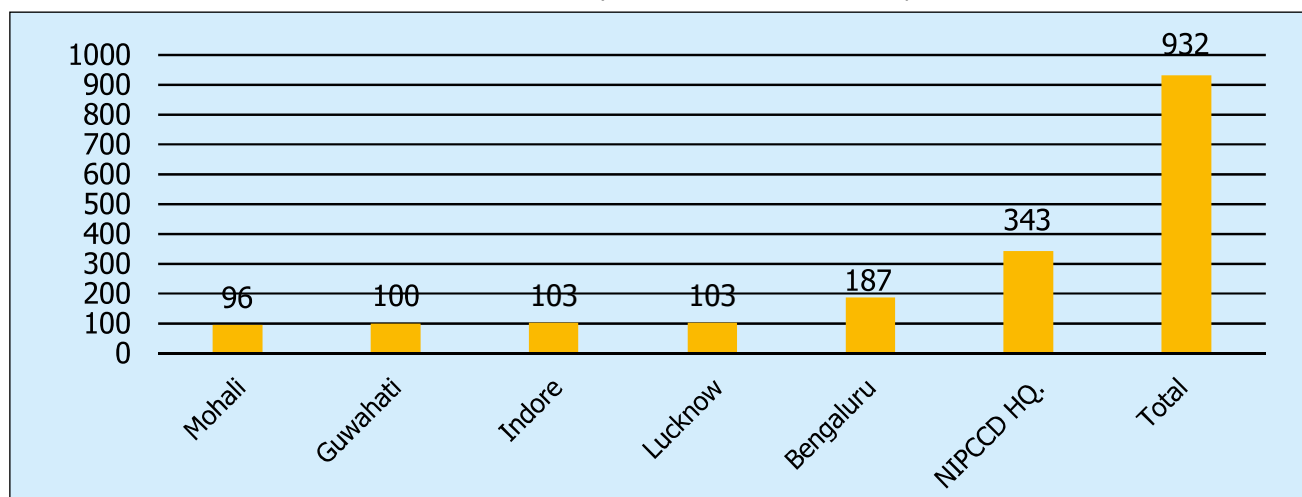
7.11 2023–2024 में, राष्ट्रीय बाल कोष (NCF) ने

बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले 843 मेधावी बच्चों को उन्नति छात्रवृत्ति प्रदान की, जो कक्षा 9–12 में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक लाभार्थी को ₹13,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति मिली, जिसकी कुल राशि ₹1,09,59,000.00 थी। वर्ष के दौरान उन्नति छात्रवृत्ति पहल के लिए कुल व्यय ₹1,10,25,000.00 था, जो कमजोर बच्चों को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए एनसीएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

iv. विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं क्षमता निर्माण (जनवरी–दिसंबर, 2024)

7.12 संस्थान प्रशिक्षण को एक मुख्य गतिविधि के रूप में महत्व देता है, तथा अपने कार्यक्रमों को मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के साथ जोड़ता है। ये योजनाएँ तीन व्यापक श्रेणियों में आती हैं: मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, जो कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि में, निपसिड ने कुल 932 प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड) आयोजित किए, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है।

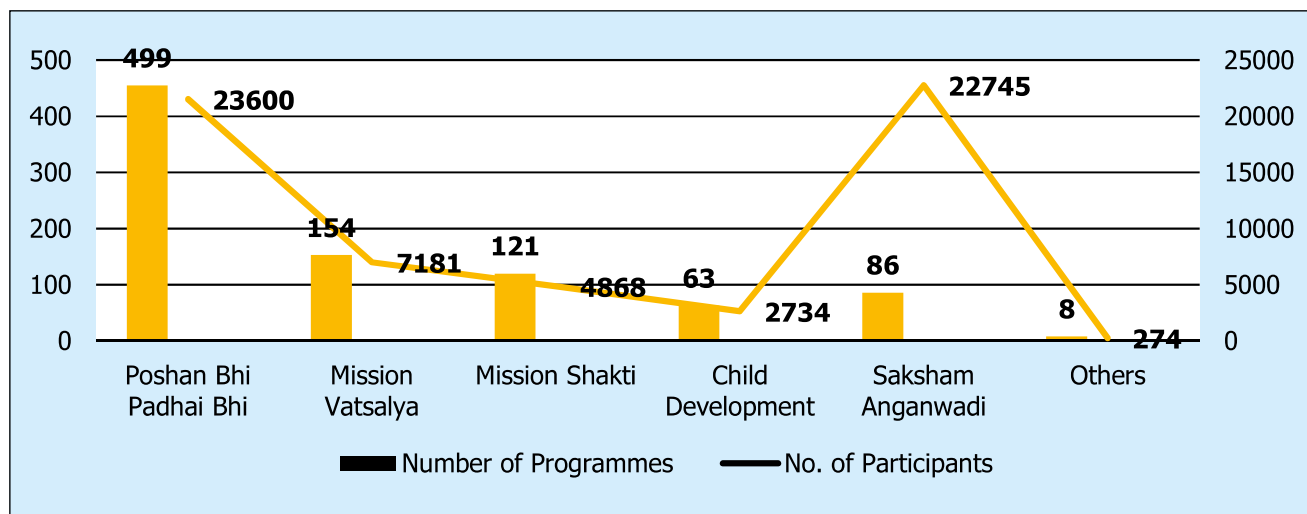
चित्र 1: एनआईपीसीसीडी मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (जनवरी 2024–दिसंबर 2024)



7.13 जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक कुल 61,402 प्रतिभागियों ने 932 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में, 9.2% (86 कार्यक्रम) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी/पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित थे। मिशन वात्सल्य की तुलना में बाल संरक्षण सेवाएं 16.5% (154 कार्यक्रम) पहलों के साथ एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरी, जिसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का समाधान करना था। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने सामाजिक

प्रगति में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करते हुए अपने प्रयासों का 12.9% (121 कार्यक्रम) महिला विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए समर्पित किया। इसके अलावा, निपसिड ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों सहित बाल विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 6.7% (63 कार्यक्रम) आयोजित किए। पोषण भी पढ़ाई भी के व्यापक विषय के अंतर्गत प्रभावशाली संख्या में कार्यक्रम, 53.5% (499 कार्यक्रम) आयोजित किए गए। (चित्र 2)

चित्र 2: एनआईपीसीसीडी एवं द्वारा आयोजित विषयवार कार्यक्रम प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या (जनवरी 2024–दिसंबर 2024)



7.14 यह बहुआयामी दृष्टिकोण एक व्यापक रणनीति के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसमें बच्चों और समुदाय दोनों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रमों का वितरण एक संतुलित और समावेशी एजेंडा को दर्शाता है, जो सामाजिक कल्याण और भलाई को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित है।

v. निपसिड के अधिकारियों का क्षमता निर्माण

7.15 निपसिड ने आईएसटीएम/ डीओपीटी /

आईएनजीएफ/वित्त मंत्रालय/अन्य के सहयोग से अपने अधिकारियों के लिए सीसीएस (आचरण) नियम, 1964, जीईएम, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-नीलामी, वित्तीय नियम और लेखा, अभिलेख प्रबंधन, स्थापना नियम और भर्ती नियम, निपसिड नियमों के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आरटीआई, ई-ऑफिस आदि से संबंधित विषयों पर 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही संस्थान के अधिकारियों को 2024 के दौरान निमहंस, बेंगलुरु में बाल यौन शोषण के साथ काम करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। सभी कर्मचारियों और

संकाय सदस्यों के लिए कार्यस्थल अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अन्य विषयों में वेबसाइट प्रबंधन और साइबर सुरक्षा शामिल थे।

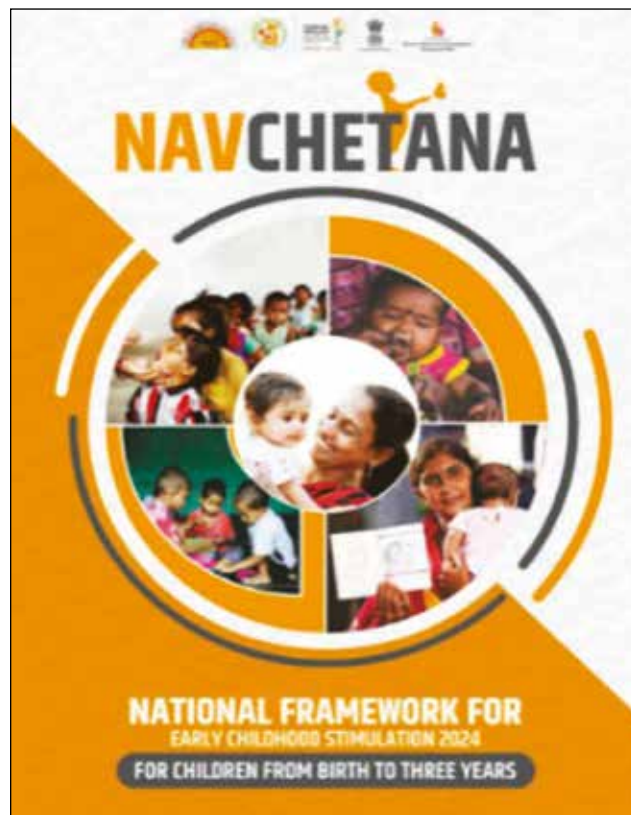
II. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी/पोषण 2.0 के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहल/कार्यक्रम

i. आधारशिला – प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (3 से 6 वर्ष) 2024 और नवचेतना – प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (जन्म से 3 वर्ष) 2024 का शुभारंभ।

7.16 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सभी बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य को आकार देने की भारत की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। चूंकि 85% मस्तिष्क का विकास छह वर्ष की आयु से पहले होता है, इसलिए मंत्रालय विकास में शुरुआती वर्षों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है और भारत के प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) परिदृश्य को मजबूत करना चाहता है। इस प्रयास में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और जन्म से तीन साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन प्रोत्साहन के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा शुरू की।

7.17 तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ईसीसीई 2024 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में आधारभूत चरण 2022 (एनसीएफ-एफएस) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार विकास के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें शारीरिक/मोटर, संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता, सामाजिक-भावनात्मक, सांस्कृतिक/सौंदर्यबोध के साथ-साथ सकारात्मक आदतें भी शामिल हैं।

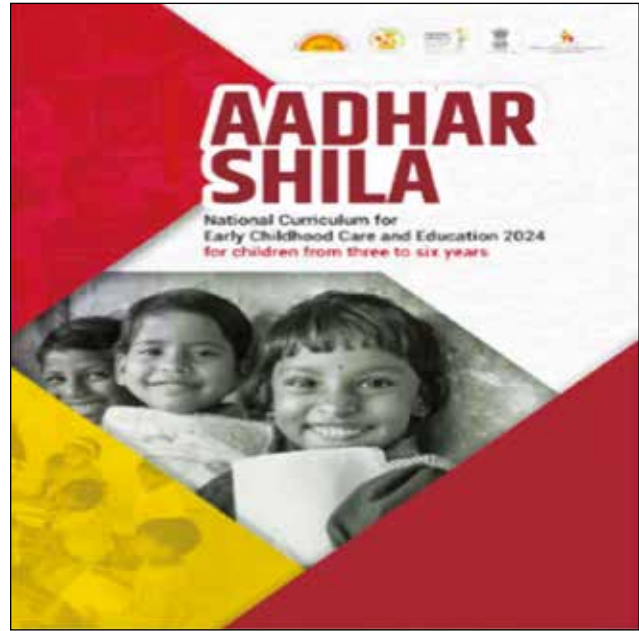
7.18 जन्म से लेकर तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2024 का उद्देश्य बच्चों के शरीर और मस्तिष्क दोनों के सर्वोत्तम विकास के लिए उत्तरदायी देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों के माध्यम से समग्र प्रारंभिक प्रोत्साहन के लिए देखभाल करने वालों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना है। 36 महीने के अनुसार आयु-आधारित गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं, जिन्हें घर के भीतर और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र या क्रेच में, घर के दौरे, मासिक बैठकों, समुदाय-आधारित कार्यक्रमों आदि सहित सभी संपर्क बिंदुओं के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।



7.19 ये दस्तावेज राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा एक आंतरिक समिति के सहयोग से तैयार किए गए हैं।

ii. पोषण भी पढाई भी अभियान की शुरुआत

7.20 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की पहल पोषण भी पढाई भी दिनांक 10 मई, 2023 को शुरू की गई थी ताकि आंगनवाड़ी प्रणाली का ध्यान प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित किया जा सके और आंगनवाड़ी केंद्र को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल के उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया जा सके ताकि दिव्यांग बच्चों सहित छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने और दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने पोषण भी पढाई भी कार्यक्रम के तहत दो पाठ्यक्रम रूपरेखाएँ विकसित की हैं— "नवचेतना— जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन उत्प्रेरण के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा, 2024" और "आधारशिला— तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024"।



7.21 दिसंबर, 2024 तक कुल 28,214 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) (सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों) को इसके मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में 499 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। पोषण भी पढाई भी के तहत देश भर में कुल 1,01,983 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रशिक्षित किया गया है।



प्रशिक्षण के दौरान राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी) (सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और अतिरिक्त संसाधन व्यक्ति)।

iii. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए निपसिड यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाना

7.22 यूट्यूब प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं के लिए नवचेतना और आधारशिला तथा पोषण भी पढाई भी पर मास्टरक्लास का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल युग का लाभ उठाते हुए, मास्टर क्लासेस को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया

गया, जिससे लाखों दर्शक आकर्षित हुए। इन कक्षाओं का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच ईसीसीई को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और रणनीतियों का प्रसार करना था। इस कार्यक्रम में भारी भागीदारी प्रारंभिक बचपन विकास के बारे में बढ़ती रुचि और जागरूकता को दर्शाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाकर, निपसिड प्रभावी ढंग से अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ईसीसीई पर महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके।



7.23 यूट्यूब मास्टर क्लासेस को आज तक कुल 6.3 लाख बार देखा गया और 3.27 लाख अद्वितीय दर्शक रहे। इन मास्टर क्लासेस के लिए कुल 80,472 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम अंग्रेजी और हिंदी के अलावा असमिया, कन्नड़, तमिल और तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित किए गए हैं।

v. 'मन की बात' में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा "मन की बात" में पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रकाश डाला गया

iv. आर्थिक सर्वेक्षण, 2024

7.24 आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24 में, पोषण भी पढ़ाई भी: आंगनवाड़ियों में स्थापित प्री-स्कूल नेटवर्क को एक अग्रणी ईसीसीई कार्यक्रम के रूप में रेखांकित किया गया है, जिससे भारत को आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्री-स्कूल नेटवर्क विकसित करने में मदद मिलेगी।



Mann Ki Baat: PM Modi Highlights 'Fit India,' Emphasizes Children's Nutrition As National Priority

PM Modi on August 25 addressed the 113th episode of his monthly radio show 'Mann Ki Baat'.

Published: August 25, 2024 12:50 PM IST

7.25 'मन की बात' की 113वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि "बच्चों का पोषण सर्वोच्च प्राथमिकता है"। उन्होंने पोषण के बारे में लोगों

को जागरूक करने के लिए पोषण माह के पालन के महत्व पर प्रकाश डाला और जागरूकता फैलाने के लिए अपनाए जा रहे कई तरीकों के बारे में बताया, जैसे

पोषण मेले, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर का दौरा, सेमिनार और वेबिनार।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'पोषण भी पढ़ाई भी' के माध्यम से बच्चों के संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

vi. ईसीसीई ऑडियो वीडियो (एवी) सामग्री एमडब्ल्यूसीडी के पोषण ट्रैकर आईटी एप्लीकेशन पर लाइव

7.26 मिशन पोषण 2.0 की प्रगति की निगरानी के लिए निर्धारित संकेतकों के आधार पर लगभग वास्तविक समय में एक आईटी एप्लीकेशन "पोषण ट्रैकर" का उपयोग पहले से ही बच्चों में बौनेपन, कमजोरी, कम वजन की समस्या की गतिशील पहचान करने तथा दैनिक गतिविधियों के माध्यम से पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास सहित सेवा वितरण की अंतिम छोर तक ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है।

7.27 ऑडियो वीडियो (एवी) कंटेंट के माध्यम से दैनिक ऑन-द-जॉब ईसीसीई कोचिंग अब सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से सुलभ है, जो कि ईसीसीई (3-6 वर्ष) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आधारशिला के अनुसार है। पोषण ट्रैकर में सामग्री विकास के छह डोमेन पर केंद्रित है जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी (एफएलएन) और इंटरैक्टिव गतिविधियाँ शामिल हैं। 44 सप्ताह के कैलेंडर को कवर करने वाला व्यापक पैकेज, जिसमें 230+ वीडियो, 200+ वॉयस नोट्स और 130+ पीडीएफ शामिल हैं, ये सभी पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड किए गए हैं।

7.28 सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत पीबीपीबी कार्यक्रमों के अतिरिक्त ईसीसीई, आईवाईसीएफ तथा कुपोषण की रोकथाम के क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सीडीपीओ/एसी डीपीओ/पर्यवेक्षकों आदि ने भाग लिया।

vii. नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जेम्स हेकमैन के साथ विशेष फायरसाइड (अनौपचारिक) बातचीत

7.29 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री तृप्ति गुरहा और निपसिड की संयुक्त निदेशक डॉ. रीता पटनायक ने दिनांक 23 सितंबर, 2024 को एरोसिटी, नई दिल्ली में सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सेंटर द्वारा आयोजित नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जेम्स हेकमैन के साथ विशेष फायरसाइड बातचीत में भाग लिया।

viii. राज्य स्तरीय सम्मेलन उड़ान, महाराष्ट्र 2024

7.30 इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सुश्री अदिति तटकरे की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। श्री कैलास पगारे (आईएस), आयुक्त, आईसीडीएस, महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में ईसीसीई पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विभिन्न पहलुओं पर गोलमेज चर्चाएं आयोजित की गईं जैसे: बाल शिक्षा के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण: अवसर, चुनौतियाँ और नवाचार और नए पाठ्यक्रम आधारशिला का कार्यान्वयन; बाल शिक्षा में सक्रिय अभिभावकीय भागीदारी बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा; राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की नई दिशा और पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का कार्यान्वयन।

7.31 माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने गुवाहाटी में असम की माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास, श्रीमती अजंता नियोग के साथ पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) कार्यक्रम को संबोधित किया और "पोषण भी पढ़ाई भी" कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक बाल विकास के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो 3-6 वर्ष

की आयु के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने असम में महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया। एसएलएमटी प्रमाणपत्र और प्रशिक्षण किट वितरित किए गए और इस पहल ने समग्र विकास को बढ़ावा देने और हमारे बच्चों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और असम के लोगों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की प्रशंसा की।

7.32 निपसिड, नई दिल्ली के चाइल्ड केयर सेंटर ने 11 सितंबर 2024 को **पोषण माह के तहत बच्चों के समग्र विकास के लिए पोषण और विकास निगरानी के महत्व पर अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित किया। बच्चों के माता-पिता/देखभालकर्ताओं को बच्चों के पोषण और विकास निगरानी की आवश्यकता और महत्व के बारे में जागरूक किया गया। बच्चों के माता-पिता/देखभालकर्ताओं के लिए पोषण परामर्श आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक पौष्टिक भोजन की पोषण संबंधी रेसिपी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

III. मिशन वात्सल्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रम

7.33 एक प्रमुख प्रशिक्षण और अनुसंधान संगठन के रूप में, निपसिड बाल कल्याण में शामिल हितधारकों की क्षमता निर्माण, ज्ञान बढ़ाने और कौशल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें बाल देखभाल संस्थानों, बाल हेल्पलाइन, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) के कार्यकर्ता शामिल हैं। निपसिड मिशन वात्सल्य के प्रमुख घटकों जैसे संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल, बाल

हेल्पलाइन और किशोर न्याय को संबोधित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक, निपसिड ने ऐसे 154 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें कुल 7181 प्रतिभागियों को लक्षित किया गया और उन्हें बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण बनाने और योजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक उपकरण और जानकारी से लैस किया गया।

i. सी-डैक के सहयोग से चाइल्ड हेल्पलाइन (सीएचएल) के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.34 निपसिड, मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा सी-डैक और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 830 सीएचएल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

7.35 निपसिड मुख्यालय ने असम न्यायिक अकादमी के सहयोग से 10 अगस्त, 2024 को असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में किशोर न्याय बोर्डों में कार्यरत प्रधान मजिस्ट्रेटों के लिए एक दिवसीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों में किशोर न्याय बोर्डों में कार्यरत कुल 62 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रधान मजिस्ट्रेट शामिल हुए। कार्यक्रम के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक गुप्ता को विशेष मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

iv. डीसीपीयू के संरक्षण अधिकारियों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण मिशन वात्सल्य के तहत पालन-पोषण देखभाल, प्रायोजन और गोद लेने जैसे गैर-संस्थागत देखभाल तंत्रों पर केंद्रित था। कार्यक्रम में कुल 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

v. **किशोर न्याय बोर्ड के नवनियुक्त सदस्यों के लिए** 1–13 जुलाई, 2024 तक निपसिड मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त जेजेबी सदस्यों को किशोर न्याय अधिनियम, बाल अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। इसमें 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

vi. **पोक्सो अधिनियम, 2012 पर क्षेत्रीय परामर्श बैठक** 25 नवंबर, 2024 को निपसिड, क्षेत्रीय केंद्र, बंगलुरु में आयोजित की गई। बैठक में कुल 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

vii. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से 2024 में बाल देखभाल संस्थान की भूमिका और सीसीआई में बच्चों के पुनर्वास पर एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन** किया गया।

IV. मिशन शक्ति के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रम

7.36 निपसिड महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के उद्देश्य से एक प्रमुख कार्यक्रम मिशन शक्ति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक, निपसिड ने मिशन शक्ति थीम पर 121 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 4,868 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन कार्यक्रमों में लैंगिक संवेदनशीलता, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून और विधान, महिला कल्याण योजनाओं और कौशल विकास, सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

i. **उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 2.0 का शुभारंभ**

7.37 उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 2.0 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में मातृ

स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर, निपसिड ने उत्तर प्रदेश सरकार के आईसीडीएस निदेशालय के सहयोग से जून, 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में योजना भवन में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 2.0 के पदाधिकारियों के लिए पांच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

7.38 कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा किया गया।

ii. **क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ओएससी, एचईडब्ल्यू, पालना और बीबीबीपी के लिए योजना और डैशबोर्ड पर** 17 फरवरी, 2024 को निपसिड, क्षेत्रीय केंद्र बंगलुरु में और 23–25 अक्टूबर, 2024 को एनआईएमएसएमई, हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया।

iii. **उद्यमशीलता कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देने के माध्यम से महिलाओं के कौशल विकास पर एक कार्यशाला** 13–17 मई, 2024 तक निपसिड मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iv. **महिलाओं और बच्चों के संबंध में मानव तस्करी की रोकथाम और पुनर्वास विषय पर कार्यशाला** 9–11 अक्टूबर, 2024 तक निपसिड मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

v. इसके अतिरिक्त, निपसिड क्षेत्रीय केंद्र बंगलुरु ने कर्नाटक पुलिस अकादमी के साथ मिलकर 3–5 सितंबर, 2024 तक “महिलाओं से संबंधित कानूनों और योजनाओं पर

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला” का आयोजन किया।

V. मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रम

7.39 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान अनुसंधान, क्षमता निर्माण और कार्यक्रम समर्थन के माध्यम से समग्र बाल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक प्रमुख सलाहकार निकाय के रूप में, निपसिड उन पहलों पर काम करता है जो बाल पोषण, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करती हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक, निपसिड ने बाल विकास और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए कुल 63 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 2734 प्रतिभागियों को आवश्यक कौशल के साथ प्रशिक्षित किया गया।

VI. बाल मार्गदर्शन केंद्र (सीजीसी)

7.40 सीजीसी दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, बेंगलुरु, इंदौर और मोहाली में स्थापित है और 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए व्यापक निदान और मूल्यांकन प्रदान करता है। 2023 से 2024 तक फैली संक्रमण अवधि के दौरान, क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय मुख्यालयों में संचालित बाल मार्गदर्शन केंद्रों ने बाल कल्याण के लिए सराहनीय प्रतिबद्धता दिखाई। इस समयावधि के दौरान, इन केंद्रों ने 697 नए पंजीकरणकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया, साथ ही 9168 परामर्श भी प्रदान किये, जो उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतर मांग को दर्शाता है।

7.41 बाल मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य के उभरते परिदृश्य के प्रत्युत्तर में, केंद्रों ने ऑनलाइन और व्यक्तिगत मूल्यांकन और हस्तक्षेप सेवाओं के एक विचारशील मिश्रण को लागू करके एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाया। इस रणनीतिक संयोजन ने न केवल अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित किया, बल्कि सहायता चाहने वाले परिवारों की विविध आवश्यकताओं

और प्राथमिकताओं को भी पहचाना। 795 मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई के अलावा, केंद्रों ने नए मामले लेकर अतिरिक्त 697 बच्चों तक अपनी पहुंच बढ़ाई, इसलिए, विभिन्न हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान की गईं। यह व्यापक जुड़ाव बच्चों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का समर्थन करने के लिए केंद्रों के समर्पण को रेखांकित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक मामला अद्वितीय है और इसके लिए अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- **किशोर मार्गदर्शन एवं सेवा केंद्र (एजीएससी)** एजीएससी (आईएसओ प्रमाणित) की स्थापना वर्ष 2001 में निपसिड, मुख्यालय, नई दिल्ली में की गई थी। इसमें बहु-विषयक टीम (परामर्शदाता, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोचिकित्सक) शामिल हैं जो 12 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों को व्यापक सेवाएं प्रदान करती हैं। निपसिड मुख्यालय में किशोर मार्गदर्शन और सेवा केंद्र ने 70 नए मामले, 121 अनुवर्ती मामले और 1222 परामर्श दर्ज किए।
- निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर में बाल मार्गदर्शन और परामर्श में उन्नत डिप्लोमा (एडीसीजीसी) शुरू करने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी), इंदौर की कुलपति डॉ रेणु जैन और निपसिड क्षेत्रीय निदेशक डॉ रीता पटनायक द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

VII. निपसिड द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन

i. पालिका सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली में IASOWA कार्निवल

7.42 21 जनवरी 2024 को, निपसिड ने पालिका सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में आयोजित IASOW। कार्निवल में एक सूचना प्रसार स्टॉल लगाया। इस स्टॉल पर म.बा.वि.मंत्रा की विभिन्न योजनाओं से

संबंधित बहुमूल्य जानकारी और इन्फोग्राफिक ब्रोशर उपलब्ध कराए गए।

ii. राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2024 का आयोजन

7.43 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 पर निपसिड, नई दिल्ली में बालिकाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने की और सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विशेष संबोधन दिया।

iii. भारत पर्व, 2024 का उत्सव

7.44 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व 2024 मनाया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहलों को प्रदर्शित किया गया। निपसिड ने आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण, ईसीसीई, महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श केंद्रों से संबंधित विषयों पर स्टॉल लगाए।

iv. पोषण से पढ़ाई तक

7.45 1 मार्च, 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण से पढ़ाई तक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत ईसीसीई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहलों पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, निपसिड के सदस्य और विक्रमशिला के पैनलिस्ट शामिल रहे।

v. योग दिवस का आयोजन

7.46 21 जून, 2024 को निपसिड, नई दिल्ली में आयोजित योग दिवस समारोह एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्रीमती सविता ठाकुर भी मौजूद थीं। आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भावना के अनुरूप स्वस्थ जीवनशैली और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भूमिका पर जोर दिया गया और योग के महत्व का जश्न मनाया गया।



21.06.2024 को योग दिवस समारोह में राज्य की माननीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और सचिव श्री अनिल मलिक भी उपस्थित थे।

vi. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की समीक्षा बैठक 28 जून, 2024 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में माननीय मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निपसिड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पहलों की समीक्षा की गई तथा उन पर चर्चा की गई।

vii. श्री अनिल मलिक, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 19 अगस्त, 2024 को निपसिड के क्षेत्रीय केंद्र, बंगलुरु का दौरा किया। उनके साथ निपसिड की निदेशक सुश्री तृप्ति गुरहा और बंगलुरु की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. संघमित्रा बारिक भी थीं। गतिविधियों की समीक्षा की गई और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने क्षेत्रीय केंद्र को उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

viii. निपसिड, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

7.47 निपसिड मुख्यालय, नई दिल्ली ने संस्थान में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 से 30 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। पखवाड़े के दौरान संस्थान के कर्मचारियों के लिए “हिंदी खजाने की खोज, श्रुतलेख प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, राजभाषा आधारित प्रश्नोत्तरी, आशुभाषण प्रतियोगिता और हिंदी कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

viii. निपसिड, गुवाहाटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा के लिए 30 नवंबर, 2024 को माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई

7.48 माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने निपसिड के क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी (आरसीजी) का दौरा किया और क्षेत्रीय केंद्र में संकाय और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की, एडीसीजीसी पाठ्यक्रम के छात्रों और पोषण भी पढ़ाई भी के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उल्लेखनीय है कि वह क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी का दौरा करने वाली पहली केंद्रीय मंत्री हैं।

7.49 माननीय मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने देश में आंगनवाड़ी केंद्रों के महत्व और बच्चों के समग्र विकास और “कुपोषण मुक्त भारत” के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्रों में पोषण के साथ-साथ पढ़ाई के महत्व पर प्रकाश डाला। माननीय मंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि म.बा.वि.मंत्रा द्वारा बनाई गई योजनाओं ने जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम दिए हैं। माननीय मंत्री ने ‘विकसित भारत’ पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश भर में भारत सरकार की योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो समाज के हर वर्ग और भारत के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।



राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग

I. प्रस्तावना

8.1 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। आयोग को संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा की जांच और परीक्षण करने तथा सरकार को उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। आयोग को संविधान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने और ऐसे कानूनों में किसी भी कमी/या अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करने; शिकायतों की जांच करने और महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने आदि से संबंधित मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने तथा उन्हें उचित अधिकारियों के समक्ष उठाने; महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर शोध अध्ययन करने, पुलिस अधिकारियों का लैंगिक संवेदीकरण करने, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने, सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करने, जेलों, रिमांड होम आदि का निरीक्षण करने का भी अधिकार दिया गया है जहां महिलाओं को हिरासत में रखा जाता है और जहां भी आवश्यक हो, आयोग सुधारात्मक कार्रवाई करने की मांग करता है।

8.2 आयोग द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की गई है और अनेक मामलों में प्रभावित महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान की गई है। महिलाओं को अधिकारों से वंचित

करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का अनुपालन न करने से संबंधित शिकायतों का निवारण आयोग द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। आयोग शिकायतों का निपटान करने के दौरान राज्य पुलिस प्राधिकरणों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के साथ अपने सहयोग का लाभ उठाता है। आयोग जेलों/रिमांड होम में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक कल्याण आदि से संबंधित सुझाव, सलाह और उपाय प्रदान करता है ताकि उनके साथ मानवीय तरीके से व्यवहार किया जा सके।

8.3 वर्ष के दौरान आयोग ने देश में विभिन्न हितधारकों के साथ संगोष्ठियाँ, कानूनों की समीक्षा के लिए परामर्श, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बैठकें आयोजित करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई गतिविधियाँ निष्पादित की हैं। इस तरह की गतिविधियाँ और कार्यक्रम राज्य महिला आयोगों, प्रसिद्ध नीति और शैक्षणिक संस्थानों, अन्य विभागों आदि के सहयोग से किए गए हैं।

II. प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का विवरण

i. 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के दौरान, आयोग के शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कुल 25,743 शिकायतें/मामले दर्ज किए।

- ii. उपर्युक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा दर्ज शिकायतों का राज्यवार और प्रकृतिवार वितरण क्रमशः **अनुलग्नक—XVII** और **अनुलग्नक—XVIII** में संलग्न है।
- iii. आयोग ने 21 जून, 2024 को फरीदाबाद में सभी डीजीपी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जिसमें आयोग द्वारा विकसित मॉड्यूल पर चर्चा की गई जिससे पुलिस को ऑनलाइन कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करने की सुविधा मिल सके।
- iv. सितंबर, 2024 के दौरान आयोग ने प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करने की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की।
- v. महिला जन सुनवाई: शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आयोग ने डीएलएसए और राज्य/जिला पुलिस अधिकारियों के सहयोग से 05 महिला जन सुनवाई आयोजित की हैं।

III. 24x7 रा.म.आ. महिला हेल्पलाइन—7827170170:

8.4 27 जुलाई, 2021 को, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24x7 हेल्पलाइन— 7827170170 शुरू की जिसका उद्देश्य संकट में फंसी महिलाओं को संबंधित पुलिस, अस्पताल, कानूनी सेवा प्राधिकरण और मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि से जोड़कर रेफरल के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्रदान करना है। यह पोर्टल इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से आईवीआर इंटरैक्टिव प्रणाली द्वारा संचालित है। 1 जनवरी 2024

से 31 दिसंबर, 2024 तक हेल्पलाइन में कुल 1,73,510 कॉल प्राप्त हुई थी।

IV. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) शिकायतों का निवारण

8.5 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वैवाहिक मुद्दों का समाधान करने के लिए आयोग मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक अभिसरण दृष्टिकोण अपनाता है। विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके पीड़ित महिलाओं द्वारा शुरू की गई कानूनी सहायता की प्रक्रिया में तेजी लाई जाती है और ऐसे अधिकारियों अर्थात् संबंधित पुलिस विभाग, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, विदेश में भारतीय दूतावास और मिशन, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (विदेश मंत्रालय) से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी जाती है। वर्ष के दौरान, संबंधित अधिकारियों और अन्य को लगभग 2,227 पत्र जारी किए गए हैं।

8.6 शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों को आयोग से संपर्क करने पर कानूनी पेशेवरों और परामर्शदाताओं द्वारा मनो-सामाजिक और कानूनी परामर्श भी प्रदान किया जाता है। आयोग के एनआरआई प्रकोष्ठ द्वारा व्यक्तिगत रूप से परामर्श किया जाता है और मामलों के निपटान के दौरान एनआरआई प्रकोष्ठ द्वारा किए गए हस्तक्षेपों की भी सराहना की जाती है। इस अवधि के दौरान, एनआरआई प्रकोष्ठ द्वारा दैनिक आधार पर टेलीफोन के माध्यम से परामर्श प्रदान करने के अलावा लगभग 57 वॉक-इन शिकायतों पर परामर्श प्रदान किया गया है।

8.7 जहां भी आवश्यक हो, संबंधित अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई या पक्षों के बीच सुलह के संबंध में आवश्यक हस्तक्षेप के लिए आयोग के साथ पंजीकृत मामलों में सुनवाई भी की जाती है।

8.8 आयोग का एनआरआई प्रकोष्ठ व्यापक जन जागरूकता पैदा करने और एनआरआई विवाहों में शामिल विभिन्न मुद्दों के कारण प्रभावित भारतीय महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की प्रभावशीलता पर विचार-विमर्श शुरू करने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम/सेमिनार और परामर्श/बैठकें भी आयोजित करता है। इस अवधि के दौरान, एनआरआई प्रकोष्ठ ने कानून और अधिकार क्षेत्र के टकराव के कारण पर्याप्त राहत पाने में पीड़ित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए हैं:-

- i. 4 जनवरी 2024 को पाटन, गुजरात में एनआरआई विवाहों पर जागरूकता कार्यक्रम जिसका शीर्षक “एनआरआई विवाह – क्या करें और क्या न करें – आगे का रास्ता” है।
- ii. 13 फरवरी, 2024 को पीतमपुरा, नई दिल्ली में एनआरआई विवाहों पर जागरूकता कार्यक्रम जिसका शीर्षक “एनआरआई वैवाहिक मुद्दों में भारतीय महिलाओं के अधिकार” है।
- iii. 3 अगस्त, 2024 को पंचकूला, हरियाणा में एनआरआई विवाहों पर जागरूकता कार्यक्रम जिसका शीर्षक “एनआरआई विवाह – क्या करें और क्या न करें – आगे का रास्ता” है।

2025 में जारी कार्यक्रम:

- i. डॉ. बी. आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत के समन्वय से हरियाणा के विभिन्न जिलों में एनआरआई विवाहों पर **10 जागरूकता कार्यक्रमों** की श्रृंखला जिसका शीर्षक “एनआरआई विवाह – क्या करें और क्या न करें – आगे का रास्ता” है।
- ii. दिल्ली के 09 विभिन्न जिलों में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपी), द्वारा, नई दिल्ली के समन्वय से 09 कानूनी

जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है जिसका शीर्षक “एनआरआई वैवाहिक मुद्दों में भारतीय महिलाओं के अधिकार” है।

8.9 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक एनआरआई प्रकोष्ठ को 429 नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आयोग ने सभी शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने इस अवधि के दौरान, एनआरआई विवाह से संबंधित मामलों में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं को हर संभव राहत प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है जिनकी उन्होंने आयोग से अपेक्षा की थी। पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान 110 शिकायतें प्राप्त होने का अनुमान है।



V. घटनाओं/मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान

8.10 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के तहत आयोग महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेता है। आमतौर पर, इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। किसी महिला के खिलाफ किए गए जघन्य प्रकृति के अपराध के मामलों में, आयोग द्वारा जांच समितियाँ/तथ्यान्वेषी दल भी गठित किए जाते हैं जो कथित रूप से अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ उचित समझी

जाने वाली कार्रवाई करने के लिए आयोग को अपनी सिफारिशें/निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा जिनको आगे की उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाता है।

8.11 जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 के दौरान आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान से लिए गए मामलों की संख्या तथा जिन मामलों में कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और बंद किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

निपटाए गए मामलों की संख्या	प्राप्त एटीआर की संख्या	बंद किए गए मामलों की संख्या (पुराने और नए)	जांच समिति/तथ्यान्वेषी दल का गठन
203	353	52	10

VI. कानूनी मुद्दे पर विचार—विमर्श

क. “संपत्ति कानूनों के तहत महिलाओं के अधिकार” पर कानूनी समीक्षा

8.12 आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए “संपत्ति कानूनों के तहत महिलाओं के अधिकार” की समीक्षा की। आयोग ने पूरे भारत से हितधारकों की सिफारिशें, सुझाव, राय और विचार प्राप्त करने के प्रयास के रूप में असम, ओडिशा, गोवा और कर्नाटक में 4 परामर्श आयोजित किए।

8.13 इस समीक्षा का उद्देश्य संशोधनों के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त और तैयार करना, लैंगिक या अन्य गैरकानूनी तरीके से किसी भी भेदभाव के बिना महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना, न्यायसंगत प्रथाओं का विकास करना, विधवाओं के लिए किसी भी प्रकार की अक्षमता को दूर करना और बिना वसीयत के मरने वाले पुरुष और महिला दोनों के लिए

संपत्ति के हस्तांतरण के लिए समान नियमों को बढ़ावा देना था। भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए व्यवहार्य संशोधनों का प्रस्ताव करते हुए एक समेकित रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों, महिला और बाल विकास मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय को उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ख. महिलाओं को प्रभावित करने वाले साइबर कानूनों पर कानून की समीक्षा

8.14 आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(डी) के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिलाओं को प्रभावित करने वाले साइबर कानून नामक एक अन्य विषय पर पुनर्विचार करने के लिए एक कानून समीक्षा की जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संबंध में समग्र दृष्टिकोण और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग ने असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में आठ क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए। यह परामर्श विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में विविध भागों और हितधारकों से दृष्टिकोण प्राप्त करने और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के संबंध में आने वाली समस्याओं की क्षेत्र-विशिष्ट समझ हासिल करने के लिए किया गया था। इन प्रयासों का उद्देश्य संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए व्यापक सिफारिशें विकसित करना है। क्षेत्रीय परामर्श के दौरान काफी अधिक जानकारी और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इसको एक सूत्र में बांधने और समुचित उपयोग करने की आवश्यकता थी, इसलिए आयोग फरवरी-मार्च, 2025 के महीनों में शीघ्रता से अंतिम कानून समीक्षा परामर्श आयोजित करने की उम्मीद कर रहा है।

VII. पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहल

8.15 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 की

अवधि के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित सेमिनार आयोजित किए:-

- i. 08 जनवरी 2024— त्रिपुरा राज्य महिला आयोग के साथ धलाई में चाय बागान श्रमिकों पर संगोष्ठी।
- ii. 18 जनवरी 2024 को गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर राज्यों के सचिवों, एमडब्ल्यूसीडी और एससीडब्ल्यू के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन।
- iii. 29 फरवरी, 2024 को त्रिपुरा राज्य महिला आयोग के साथ त्रिपुरा में महिला किसानों को सशक्त बनाने पर सेमिनार।
- iv. 12 मार्च, 2024 को सिक्किम राज्य महिला आयोग के साथ गंगटोक में क्षेत्रीय स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- v. 8—9 जुलाई, 2024 को राज्य सम्मेलन केंद्र, शिलांग, मेघालय में “गैर-लकड़ी वन उपज के आधार पर पूर्वोत्तर की स्वदेशी महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना” विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला और सम्मेलन।
- vi. असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा नामक 7 राज्यों में मादक द्रव्यों के सेवन पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किए गए हैं।
- vii. मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम नामक 3 राज्यों में “अनुकूलन समुदायों का निर्माण: महिलाएँ और सतत पारिस्थितिकी तंत्र” विषय पर सेमिनार आयोजित किए गए हैं।
- viii. नागालैंड और मेघालय में महत्वाकांक्षी/वर्तमान महिला होमस्टे मालिकों के लिए 6—दिवसीय क्षमता निर्माण “प्रकृति गाइड

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम” आयोजित किया गया है।

VIII. नीति निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ

8.16 आयोग सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों, स्वायत्त निकायों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों आदि के सहयोग से प्रासंगिक मुद्दों पर गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और रा.म.आ. अधिनियम, 1990 की धारा 10 के तहत अधिदेश के अनुसार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए शोध अध्ययन और सेमिनार आयोजित करता है।

8.17 इस वर्ष के लिए, आयोग ने ‘भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों के प्रभाव का आकलन’ और ‘असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ’ जैसे विषयों पर दो अखिल भारतीय शोध अध्ययन आयोजित करने में गहरी रुचि दिखाई। इन दोनों शोध अध्ययनों को विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों, स्वायत्तता की एजेंसी, प्रौद्योगिकी का अंतर्विरोध, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जागरूकता और उपलब्धता, अनौपचारिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और शहरी इलाकों में पलायन के घटकों का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है।

8.18 आयोग ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों को समझने, प्रवासन के लिए जिम्मेदार कारकों को समझने और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता और उपलब्धता का विश्लेषण करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से 12 सेमिनार आयोजित किए।

IX. महिला सुरक्षा ऑडिट सर्वेक्षण अनुसंधान

8.19 राष्ट्रीय महिला आयोग ने नमूना सर्वेक्षण और

केंद्रित समूह चर्चा (एफजीडी) के आधार पर शहरों में सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली सुरक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए 20 शहरों में महिला सुरक्षा ऑडिट सर्वेक्षण अनुसंधान शुरू किया था। इस सर्वेक्षण के माध्यम से आयोग ने भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से शहर के बुनियादी ढांचे के परिवेश में अंतराल की पहचान करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक और कार्य स्थल सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

8.20 आयोग ने गाजियाबाद, फरीदाबाद, विजयवाड़ा, कोयंबटूर, जोधपुर, औरंगाबाद, ग्वालियर, रायपुर, रांची, मेरठ, वसई विरार और आसनसोल जैसे 12 शहरों में अध्ययन के पहले चरण को पूरा करने के लिए अग्रणी शोध संस्थानों को शामिल किया था। संस्थानों ने प्रत्येक शहर के लिए आयोग को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौजूदा समय में सर्वेक्षण अनुसंधान का दूसरा चरण गुरुग्राम, आगरा, अगरतला, इंदौर, वाराणसी, जयपुर, लुधियाना और तिरुवनंतपुरम में चल रहा है। इन शहरों में आंकड़ा संग्रहण पूरा हो चुका है और संस्थान रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

x. जेलों/हिरासत गृहों और मनोरोग संस्थानों का निरीक्षण

8.21 **मनोरोग और हिरासत गृह सुधार (पीएचसीएचआर):** पीएचसीएचआर प्रकोष्ठ की स्थापना महिलाओं को आवास प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थितियों का मूल्यांकन करने और सिफारिशें प्रदान करने के लिए की गई थी। इनमें जेल, हिरासत गृह, मनोरोग गृह और मानसिक अस्पताल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रकोष्ठ विभिन्न आश्रय स्थलों जैसे **स्वाधार गृह** (संकट में महिलाओं के लिए घर), **वन स्टॉप सेंटर** (हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए सहायता सुविधाएँ) और **उज्ज्वला होम** (तस्करी विरोधी और पुनर्वास केंद्र) में निरीक्षण

करता है। यह निरीक्षण आयोग के **अध्यक्ष**, सदस्यों और **पीएचसीएचआर प्रकोष्ठ** के प्रतिनिधियों की एक टीम द्वारा किया जाता है जो इन सुविधाओं में महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है।

8.22 आयोग ने वर्ष (31 दिसंबर, 2024 तक) के दौरान नीचे दिए अनुसार कुल **68 निरीक्षण** किए:

वर्ष	जेल/कारावास	मनोरोग गृह/अस्पताल	आश्रय गृह/ वृद्ध आश्रम	वन स्टॉप सेंटर	पुलिस स्टेशन
2024-25	20	10	11	11	16

8.23 आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में, 01 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान जेलों, वन-स्टॉप सेंटरों (ओएससी), आश्रय गृहों और मनोरोग गृहों में लगभग 10 निरीक्षण करने की योजना बनाई गई है।

8.24 रा.म.आ. अधिनियम की धारा 10 के तहत एक महत्वपूर्ण वचनबद्धता के अनुरूप रा.म.आ. की टीम ने अगस्त, 2024 में दिल्ली के 15 पुलिस स्टेशनों (प्रत्येक जिले में 1 पुलिस स्टेशन) का दौरा किया ताकि परिस्थितियों का आकलन किया जा सके। कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए महिला अधिकारियों और आगंतुकों को सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

8.25 आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने सितंबर और अक्टूबर, 2024 में लोक नायक अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली; महर्षि वाल्मीकि अस्पताल, पूठ खुर्द, दिल्ली; गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली का दौरा किया।

8.26 2024-25 में, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर एसिड हमले के मामलों को नियमित

रूप से अद्यतन करने के संबंध में चर्चा करने और उस अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ तीन बैठकें आयोजित की गईं। आयोग ने मुआवजे का समय पर भुगतान, चिकित्सा सहायता और शीघ्र आरोप पत्र दाखिल करने पर बल दिया।

XI. महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

8.27 आयोग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुंबई के सहयोग से असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु जैसे 7 राज्यों में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना “हिंसा मुक्त घर— एक महिला अधिकार (महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ)” शुरू की थी। रा.म.आ. एवं टीआईएसएस और दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) के सहयोग से हिंसा मुक्त घर (वीएफएच) नामक यह परियोजना शुरू की गई थी। वीएफएच (महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ) परियोजना में संबंधित राज्य पुलिस (गृह) विभाग में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक—सामाजिक—कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति शामिल है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न पुलिस स्टेशनों से जुड़े इन विशेष प्रकोष्ठों/महिलाओं के खिलाफ अपराध (सीएडब्ल्यू) प्रकोष्ठों/महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर हस्तक्षेप के लिए संसाधन केंद्र (आरसीआई—वीएडब्ल्यू) में काम कर रहे हैं।

8.28 इस संबंध में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्थापित भारतीय गुणवत्ता परिषद् नामक एक पंजीकृत, स्वायत्त और गैर—लाभकारी सोसायटी के साथ हिंसा मुक्त घरों का थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

8.29 वर्ष 2024–25 में, एमआईएस पर एसिड अटैक मामलों के नियमित अद्यतन पर चर्चा करने और उस अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ 17 मई, 2024 तथा 21 जून, 2024 और 11 सितंबर, 2024 को तीन बैठकें आयोजित की गईं।

XII. क्षमता निर्माण और महिला कल्याण

8.30 “उठो और आगे बढ़ो: युवा महिलाएं प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन में अग्रणी हैं” नामक जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में आयोजित की गई जिसका उद्देश्य कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सतर्क करना और नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम से 5,700 से अधिक छात्राओं को लाभ मिला है।

- i. आयोग ने रक्षा कर्मियों के परिवार के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम सेना की पत्नियों की उद्यमशीलता क्षमता का दोहन करने के साथ—साथ मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करने वाले कारकों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- ii. आयोग ने आईआईएम, जम्मू के सहयोग से सेना कर्मियों की 100 महिला उद्यमियों के लिए “महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के लिए सामान्य प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम” की सुविधा प्रदान की।
- iii. आयोग ने मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने और मासिक धर्म की स्थिति को छिपाने के प्रयासों में परिवर्तन के लिए

- म्यूज़ फाउंडेशन और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से “मासिक महोत्सव” पहल शुरू की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 28 मई, 2024 को “मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता दिवस” का आयोजन किया है।
- iv. आयोग ने निम्नलिखित लैंगिक संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए थे:
- क) आर्मी पब्लिक स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए लैंगिक संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पर कार्यशाला
- ख) “एडब्ल्यूईएस के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए लैंगिक संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता” परियोजना के तहत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
- ग) ब्लॉक स्तर पर महिलाओं के लिए “विधान से समाधान” कार्यक्रम के तहत कानूनी जागरूकता शिविर
- v. आयोग ने पोषण माह के उत्सव के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए:
- क) 12 राज्य महिला आयोगों के सहयोग से पोषण माह
- ख) पोषण के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम
- ग) जेलों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर: महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामान्य स्वास्थ्य शिविर और जेलों में पोषण वाटिका को बढ़ावा देना।
- vi. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 75वें संविधान दिवस के अवसर पर बीकानेर के रविन्द्र रंगमंच में “हम भारत की महिलाएँ” कार्यक्रम का आयोजन किया। राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आयोग की 15 महिलाओं की एक टीम ने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 15 उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मानित करते हुए एक नाटक का प्रदर्शन किया।
- vii. आयोग ने 7 राज्य महिला आयोगों के सहयोग से ‘लैंगिक हिंसा के खिलाफ सक्रियता के 16 दिन’ नामक अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
- viii. आयोग ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ 16 दिनों की सक्रियता के लिए भोपाल में “लैंगिक हिंसा को समझना और उसका समाधान करना” विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
- ix. आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से “अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुएँ (वेस्ट टू वेल्थ)” विषय के तहत जलकुंभी का उपयोग करके “केंद्रीय जेल, भोपाल की महिला कैदियों के लिए 15 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण” आयोजित किया।
- x. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, विभिन्न स्थानों पर “तू बोल” नामक शीर्षक से एक अनुभव साझा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिष्ठित हस्तियों को उनके संघर्ष और सफलता की गाथा को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एकत्र करना था। मुख्य कार्यक्रम 7 मार्च, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के संसाधक सिस्टर बीके शिवानी (प्रेरक/आध्यात्मिक वक्ता), साइना नेहवाल (भारतीय

बैडमिंटन खिलाड़ी), रितु करिधाल श्रीवास्तव (मिशन निदेशक, चंद्रयान 3, इसरो), नेहा जोशी (राजनीतिज्ञ) और प्रज्ञा प्रसून सिंह (एसिड हमले की उत्तरजीवी) थे। इसके अतिरिक्त, जम्मू, भोपाल, गंगटोक एवं चैन्नई में चार क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने अनुभव प्रस्तुत किए।

- xi. राष्ट्रीय महिला आयोग का 32वां स्थापना दिवस 31 जनवरी 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में मनाया गया जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में महिला कारीगरों द्वारा एक प्रदर्शनी, सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन और महिला सशक्तिकरण पहलों पर प्रकाश डालने वाले भाषण शामिल थे। माननीय केंद्रीय मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी और माननीय अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने देश की प्रगति में महिलाओं के महत्व और महामारी के दौरान रा.म.आ. की भूमिका पर बल दिया। इस समारोह में महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए विविध लोगों ने प्रतिभागिता की थी जिसमें विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी, सशस्त्र बलों के जवान, राज्य महिला आयोग, कुलपति, अधिवक्ता और विभिन्न क्षेत्रों के छात्र भी शामिल थे।



XIII. मीडिया और आउटरीच कार्यक्रम

8.31 आयोग ने वर्ष 2024 के दौरान जागरूकता उत्पन्न करने, समर्थन तथा आउटरीच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संबंध में प्रमुख उपलब्धियाँ नीचे दिए अनुसार हैं:

i. सोशल मीडिया का समर्थन:

- एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर नियमित अद्यतन में स्वप्रेरणा से किए गए मामलों, आयोग की घटनाओं और महत्वपूर्ण पहलों पर प्रकाश डाला गया।
- महत्वपूर्ण मामलों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिन पर जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता थी।

ii. टेलीविजन संबद्धता:

- दूरदर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम, "नवचेतना", ने महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित किया और आयोग की पहलों पर प्रकाश डाला।
- स्थापना दिवस समारोह का सीधा प्रसारण डीडी भारती पर किया गया और पंचायत से संसद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर किया गया।

iii. पॉडकास्ट श्रृंखला:

- आयोग ने महिला सशक्तिकरण और संबंधित मुद्दों पर पॉडकास्ट श्रृंखला के 11 एपिसोड तैयार किए। इनमें से सात एपिसोड दूरदर्शन पर दिखाए गए जिससे काफी अधिक संख्या में दर्शक लाभान्वित हुए।

iv. प्रेरक वीडियो:

- प्रतिष्ठित महिलाओं और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को दर्शाने वाले लघु, प्रेरक वीडियो की एक श्रृंखला तैयार की गई तथा उसको महिलाओं में आशा एवं सशक्तिकरण को जागृत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया गया।

v. चिंतन नेतृत्व:

- आयोग की माननीय अध्यक्ष ने प्रमुख समाचार पत्रों के लिए लेख लिखे जिनमें महिलाओं के अधिकारों, कानूनों, नीतियों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई जिससे महिला सशक्तिकरण पर गहन राष्ट्रीय विचार-विमर्श हुआ।
- मीडिया प्रकोष्ठ ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर चर्चा करने के लिए सिंगापुर स्थित मीडिया चैनल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय साक्षात्कार प्रस्तुत किया जिसमें आयोग के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित किया गया।

vi. सहयोग और परामर्श:

आयोग ने डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए “डिजिटल गोपनीयता” पर परामर्श के लिए मेटा के साथ सहयोग किया।

vii. जागरूकता अभियान:

आयोग की प्रमुख पहलों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार की गई जिनमें निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:

- पॉश (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) जागरूकता।

- लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम।
- एनआरआई जागरूकता अभियान।

इन पहलों के माध्यम से, मीडिया प्रकोष्ठ ने यह सुनिश्चित करते हुए आयोग के प्रभाव को बढ़ाया कि इसका संदेश हर व्यक्ति तक पहुँचे तथा यह दर्शकों को आकर्षित करे और महिलाओं के अधिकारों के लिए सशक्तिकरण, जागरूकता तथा समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा मिले।

XIV. जम्मू एवं कश्मीर प्रकोष्ठ और लद्दाख प्रकोष्ठ

8.32 हिंसा मुक्त घर: एक महिला का अधिकार — पुलिस प्रणाली में स्थित प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा महिला पीड़ितों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की पहल के रूप में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में 12 प्रायोगिक विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है जिनको यह स्पष्ट समझ है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक अपराध है। उक्त परियोजना के सफल निष्पादन के बाद आयोग ने जम्मू और कश्मीर के बाकी जिलों में परियोजना को लागू करने का फैसला किया। इस परियोजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के शेष जिलों में वित्त वर्ष 2023–2025 की 24 महीने की अवधि के लिए 10 विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए। उक्त अवधि के दौरान कुल 124 शिकायतें दर्ज की गईं और कुल 96 एटीआर का निपटान किया गया।

XV. मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ

8.33 आयोग ने 6500 प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत, पारगमन और गंतव्य क्षेत्रों को लक्षित करते हुए पूरे देश में “मानव तस्करी विरोधी जागरूकता” विषय पर 19 सेमिनार आयोजित किए। राज्य पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से क्षमता निर्माण

और जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

XVI. नई पहल

8.34 आयोग ने संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस), लोकसभा के सहयोग से 500 चयनित प्रतिभागियों के लिए एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की महिला निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थीं जिन्होंने पहले ही आयोग के “शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम” के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था।

8.35 जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 के दौरान केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

8.36 आयोग ने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जेंडर एवं बाल केंद्र (एनजीसीसी), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के साथ सहयोग किया है।

8.37 आयोग ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के सहयोग से एक योजना “संजीवनी-घरेलू हिंसा पीड़ितों के समग्र पुनर्वास की योजना” का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

8.38 वर्ष के दौरान, अखिल भारतीय स्तर पर भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला अधिकारियों/कर्मचारियों, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और स्वैच्छिक संगठन में कार्यरत महिलाओं के लिए रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के सहयोग से 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

8.39 वर्ष में, सरकारी और निगमित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जन जागरूकता के संबंध में निगमित क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों, दोनों के लिए, विभिन्न राज्यों में 21 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिनमें लगभग 4,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.40 आयोग कृषि में महिलाओं/कृषि उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है जिसका उद्देश्य उनकी क्षमताओं को उन्नत करना है। वर्ष 2024 के दौरान छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा राज्य में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

8.41 2024 के दौरान बीपीआरएंडडी द्वारा विभिन्न अकादमियों के माध्यम से पुलिस कर्मियों के लिए लैंगिक संवेदीकरण और फोरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र राज्यों में पांच (05) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विभिन्न राज्य पुलिस अकादमियों के सहयोग से पुलिस कर्मियों के लिए 6 एक दिवसीय लैंगिक संवेदीकरण कार्यशालाएँ भी आयोजित कीं। इन छह लैंगिक संवेदीकरण कार्यशालाओं के तहत लगभग 1,200 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

8.42 आयोग ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए तैनात बीएसएफ की 16वीं और 17वीं बटालियन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए और उनका संचालन किया है। वर्ष के दौरान, कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए तैनात बीएसएफ की 17वीं बटालियन की टुकड़ी के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण 4-5 मार्च, 2024 को बीएसएफ कैंप, छावला, दिल्ली में आयोजित किया गया।

8.43 आयोग ने जनवरी 2024 में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) गांधीनगर में "व्यवहारात्मक फोरेंसिक: अपराध विज्ञान और आपराधिक विज्ञान की विस्तारित रूपरेखा को फिर से एकीकृत करना" विषय पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन के आयोजन के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के साथ सहयोग किया।



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

9.1 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना 5 मार्च, 2007 को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) में भी निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हो। आयोग के पास बच्चों से संबंधित कानूनों जैसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 109 के तहत); यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 (धारा 44 के तहत) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 (धारा 31 के तहत) के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी भी है।

9.2 आयोग ने सभी प्रकार के उल्लंघनों, वंचनाओं और दुर्यवहार के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के अपने प्रयासों जारी रखा है। आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की अपनी शक्तियों के तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार, बाल श्रम, बाल स्वास्थ्य, विशेष आवश्यकताओं/दिव्यांग बच्चों, बच्चों के यौन शोषण, बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन, बाल दुर्यापार और बचाए गए बच्चों के पुनर्वास इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।

9.3 देश भर में बाल अधिकारों की निगरानी के लिए अपनाई गई विधियों में फील्ड विजिट, सरकार को

पत्र, निर्देश, दिशा-निर्देश और सिफारिशें जारी करना; शिकायत प्रबंधन और समन जारी करना; मंत्रालयों के साथ नीतिगत संवाद; राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श शामिल हैं।

I. कार्यशालाएं/परामर्श/बैठकें

क. कार्यशालाएं/परामर्श

i. एनईपी-2020 कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल में बाल अधिकारों को रखने के लिए संवेदीकरण पर राज्य स्तरीय कार्यशालाएं

9.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं का समाधान करना है। इस नीति में इसके नियम और संचालन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव है ताकि एक नई प्रणाली बनाई जा सके जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों को विकसित करते हुए एसडीजी 4 सहित 21 वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप हो। मौलिक सिद्धांतों में – अकादमिक और गैर-शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, कक्षा 3 तक सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, नैतिकता और मानव तथा संवैधानिक मूल्यों की शक्ति, रचनात्मकता एवं महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देना, वैचारिक समझ

पर बल देना, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग इत्यादि शामिल हैं। सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत एनसीपीसीआर को बच्चों के सर्वोत्तम हित में नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के साथ-साथ सिफारिशें करने की भूमिका सौंपी गई है। इसलिए, विभिन्न राज्यों में एनईपी 2020 कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल में बाल अधिकारों को रखने के लिए संवेदीकरण बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विषय	राज्य	तारीख
1	एनईपी 2020	पंजाब	30.07.2024
2	कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल में बाल अधिकारों को रखने के लिए संवेदीकरण	उत्तर प्रदेश	01.08.2024
3	पर ऑनलाइन कार्यशालाएं	त्रिपुरा	06.08.2024
4		तेलंगाना	06.08.2024
5		राजस्थान	10.08.2024

ii. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 और स्कूलों में शारीरिक दण्ड को समाप्त करने संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की जागरूकता हेतु जिला स्तरीय कार्यशालाएं।

9.5 बच्चों को स्कूलों, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए बनी संस्थाओं जैसे छात्रावासों, अनाथालयों, आश्रमशालाओं और किशोर गृहों और यहां तक कि पारिवारिक परिवेश में भी शारीरिक दंड दिया जाता है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2 (24) के अनुसार, शारीरिक दंड का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे को शारीरिक सजा के अधीन करना, जिसमें किसी अपराध के प्रतिशोध के रूप में या बच्चे को अनुशासित करने या सुधारने के उद्देश्य से जानबूझकर दर्द पहुंचाना

शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 के अनुसार शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न निषिद्ध है। स्कूलों में शारीरिक दंड को कतई बर्दाश्त नहीं करने के संबंध में जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी तथा स्कूलों में शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिए दिशा-निर्देशों के अनुपालन के कारण आयोग ने सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अंतर्गत अपने अधिदेश के अनुसार (सरकारी और निजी) स्कूलों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, डीईओ, डीआईईटी इत्यादि के लिए संवेदनशीलता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं का विवरण अनुलग्नक—XIX में दिया गया है।

iii. साइबर सुरक्षा सहित स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए व्यापक नियमावली के प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए जिला स्तरीय कार्यशालाएं।

9.6 स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने धारा 13 (1) (ए) के तहत विभिन्न दिशानिर्देशों की जांच और संकलन किया और "स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर मैनुअल" नामक एक व्यापक मैनुअल तैयार किया। मैनुअल में विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न घटकों अर्थात्, अवसंरचना; स्वास्थ्य और स्वच्छता; मनोसामाजिक पहलू; शिक्षकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों पर दिशानिर्देश शामिल हैं। इसमें विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी)/अभिभावक-शिक्षक संघों (पीटीए), छात्रों, विद्यालय प्रबंधन, ब्लॉक और जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाला निगरानी तंत्र भी शामिल है। सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 (एच) के तहत आयोग ने जिलों के स्कूलों में साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न हितधारकों

के लिए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर एनसीपीसीआर के मैन्युअल पर विभिन्न संवेदीकरण कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कार्यशालाओं का विवरण **अनुलग्नक-XX** में दिया गया है

iv. स्कूलों में बदमाशी और साइबर बुलिंग की रोकथाम के लिए एनसीपीसीआर के दिशानिर्देशों पर जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशालाएं।

9.7 कोविड-19 महामारी के बाद, प्रौद्योगिकी का उपयोग कई गुना बढ़ गया है क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इस कारण बच्चे इंटरनेट पर अधिक समय बिता रहे हैं। प्रौद्योगिकी बच्चों को मनोरंजक अवसर प्रदान करने का सबसे सुलभ तरीका बन गया है। यह देखा गया है कि कई आयामों वाले बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है—चाहे वह बच्चों के डेटा के दुरुपयोग का डर हो या बच्चों को यौन सामग्री के संपर्क में आने या स्कूलों में धमकाने का डर हो। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और बच्चों की दादागिरी(बदमाशी) के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए, एनसीपीसीआर ने स्कूलों में दादागिरी (बदमाशी) और साइबर धमकी की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसलिए, आयोग ने **अनुलग्नक-XXI** में विस्तृत उक्त दिशानिर्देशों पर अभिविन्यास कार्यशालाओं का आयोजन किया है

v. बीच में पढ़ाई छोड़ने और विद्यालय न जाने वाले बच्चों को पुनः नियोजित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षा और परामर्श।

9.8 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि 8.4 करोड़ बच्चे (5-17 वर्ष के आयु वर्ग) विद्यालय नहीं जाते हैं — जो आरटीई अधिनियम के तहत आने वाले आयु वर्ग का लगभग 20 प्रतिशत है। विद्यालय न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) और उनके पुनः

नियोजन के संदर्भ में आयोग का दृढ़ विचार है कि इस संबंध में निवारक कार्यनीतियों को समझने और मजबूत करने पर जोर दिया जाना चाहिए। सरकार के सभी कार्यक्रम, नीतियां और संबंधित हस्तक्षेप विद्यालय न जाने वाले बच्चों की रोकथाम के अनुरूप होने चाहिए जो बीच में विद्यालय छोड़ने वालों, नामांकन न होने और कम उपस्थिति की समस्या से निपटने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने और विद्यालय न जाने वाले बच्चों को पुनः नियोजित करने के विषय पर क्षेत्रीय स्तर की समीक्षा और परामर्श आयोजित किए हैं। ऐसी समीक्षाओं और परामर्शों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	राज्य/क्षेत्रीय	तारीख
1	पढ़ाई बीच में छोड़ने की घटनाओं को रोकने और विद्यालय न जाने वाले बच्चों को पुनः नियोजित करने के लिए समीक्षा और परामर्श	तमिलनाडु	05.01.2024
2		कर्नाटक	09.01.2024
3		झारखंड	13.01.2024
4		त्रिपुरा	18.01.2024
5		असम	19.01.2024
6		पंजाब (क्षेत्रीय)	31.07.2024
7		मध्य प्रदेश (क्षेत्रीय)	03.08.2024
8		षारखंड (क्षेत्रीय)	20.09.2024
9		पुडुचेरी (क्षेत्रीय)	25.09.2024

vi. आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर कार्यशालाएं

9.9 निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अंतर्गत

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के रक्षोपायों की जांच और समीक्षा करने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इस विश्वास पर आधारित है कि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्य तथा एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज का निर्माण केवल सभी के लिए समावेशी प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए समानता और अवसर की समानता लाने हेतु समाज के पिछड़े और लाभवंचित वर्गों के बच्चों को शामिल करने के लिए निजी स्कूलों की जिम्मेदारी को परिभाषित किया गया है। आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग), जो निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण को अनिवार्य करती है। यह एक सार्वभौमिक वातावरण में एक साथ अध्ययन करने के लिए विविध सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए एक कदम आगे है। अधिनियम के इस महत्वपूर्ण प्रावधान के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	राज्य	तारीख
1	आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर कार्यशालाएं	केरल	20.01.2024
2			
3		गोवा	31.01.2024
		दिल्ली	02.02.2024

vii. आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 32 के तहत राज्यों में विकसित शिकायत निवारण तंत्र पर एक राष्ट्रीय समीक्षा-सह-परामर्श 5 अगस्त 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

9.10 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अनुसार, आयोग अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। उक्त धारा के तहत दिए गए कार्यों में से एक कार्य इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदान किए गए अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना है। इसके अतिरिक्त, शिकायतों के निवारण के संबंध में, अधिनियम की धारा 32 में कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी बालक के अधिकार से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति क्षेत्राधिकार वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित शिकायत कर सकता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिकायत निवारण ढांचे की प्रक्रिया की समीक्षा करने और उन तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए जिनसे तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 32 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र पर एक राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा-सह-परामर्श विकसित किया गया है। 5 अगस्त 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

viii. पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के संबंध में सहायक व्यक्तियों के लिए एनसीपीसीआर के दिशानिर्देशों पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला

9.11 नागालैंड राज्य में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। नागालैंड के माननीय मुख्य सचिव ने राज्य सीपीसीआर और नागालैंड सरकार के अन्य वरिष्ठ

अधिकारियों के साथ उक्त कार्यशाला में भाग लिया। उक्त कार्यशाला में 150 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

ix. 30 जून, 2024 को बच्चों के बीच नशीली दवाओं की रोकथाम और अवैध तस्करी पर संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा—सह—परामर्श।

9.12 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एक महत्वपूर्ण पहल के साथ “नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस” को चिह्नित करने के लिए सेना के साथ मिल गए हैं। साथ में, उन्होंने “बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने और अवैध तस्करी का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा और परामर्श” शीर्षक से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। श्री नित्यानंद राय, माननीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ने अपनी उपस्थिति और मुख्य अतिथि के रूप में बैठक की शोभा बढ़ाई। मंत्री महोदय ने कुछ प्रमुख टिप्पणियों को साझा किया और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य अवैध दवाओं की तस्करी के बारे में जागरूकता फैलाने में आयोग द्वारा की गई पहल की सराहना की।

x. “बाल तस्करी से आज़ादी 2.0” नामक अभियान आयोग ने बाल तस्करी की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए भारत के 100 सीमावर्ती और आसपास के जिलों में “बाल तस्करी से आज़ादी 2.0” नामक अभियान चलाया, जो 30 जुलाई, 2024 को मानव तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संपन्न हुआ। जुलाई—अगस्त 2024 के महीनों में, आयोग ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के तकनीकी सहयोग

से “बाल तस्करी से आज़ादी” अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में भारत के 13 सीमावर्ती और आसपास के जिलों में बाल तस्करी को रोकने और मुकाबला करने पर 13 जिला स्तरीय (संवेदीकरण—सह—अभिविन्यास कार्यशालाएँ) आयोजित कीं। जिलेवार सूची अनुलग्नक XXII में दी गई क्रह—

xi. सितंबर और अक्टूबर 2024 के महीने में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में **कुपोषित और ठिगनेपन से ग्रस्त बच्चों के लिए उपलब्ध योजनाओं** के विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित किया गया था।

xii. सितंबर और अक्टूबर 2024 के महीने में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में बच्चों से परामर्श अनिवार्य और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

xiii. सितंबर और अक्टूबर 2024 के महीने में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में **बाल विवाह रोकथाम विषय** पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

xiv. सितंबर और अक्टूबर 2024 के महीने में मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड में **एचआईवी और एड्स से प्रभावित और संक्रमित बच्चों की रोकथाम** के विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

xv. पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के संबंध में सहायक व्यक्तियों के **विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला** सितंबर और अक्टूबर 2024 के महीने में असम,

- मिजोरम, मेघालय, सिक्किम में आयोजित की गई थी।
- xvi.** बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधान और संशोधित अधिनियम, 2016 और संशोधित नियम 2017 के साथ **विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला** सितंबर और अक्टूबर 2024 के महीने में मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा में आयोजित की गई थी।
- xvii.** किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान और इसके मॉडल संशोधित नियम 2022 के साथ **विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला** सितंबर और अक्टूबर 2024 के महीने में असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम में आयोजित की गई थी।
- xviii.** आयोग कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ-साथ उनके परिवारों की संवेदनशीलता की मैपिंग कर रहा है। इस प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए; जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है और स्रोत, पारगमन और गंतव्य पर संवेदनशील मैपिंग की पहचान और मिलान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए, जिला अधिकारियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के लिए 05 जुलाई, 2024 को **जिला कोडरमा में अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।**
- xix.** एनसीपीसीआर के डिजिटल पोर्टल के **विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय संवेदीकरण, अभिविन्यास-सह-परामर्श कार्यशाला** 18 मार्च, 2024 को गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की गई थी।
- xx.** राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तकनीकी सहयोग से **स्कूलों में बच्चों की साइबर सुरक्षा और सुरक्षा तथा स्कूलों में शारीरिक दंड के उन्मूलन विषय** पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- ख. बैठक**
- i.** महिलाओं और बाल कल्याण पर विशेष ध्यान देने के साथ 8 वां एशियाई ट्रॉमा कॉन्क्लेव और “बीमारी और स्वास्थ्य में संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा: अग्रिम, चुनौतियां और भावी कार्य” पर कांग्रेस—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने एनसीपीसीआर द्वारा समर्थित “बीमारी और स्वास्थ्य में संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) अग्रिम, चुनौतियां और 101 भावी कार्य” विषय के तहत 8 वें एशियाई आघात कॉन्क्लेव का आयोजन महिलाओं और बाल कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए 28 फरवरी से 2 मार्च, 2024 तक किया गया।
- ii.** **दिनांक 21 मार्च, 2024 को आवारा कुत्तों के हमले के कारण नाबालिग की मौत के मामलों को रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए बैठक।** आयोग को विभिन्न मामलों में पता चला जहां कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया और सबसे खराब स्थिति तब पैदा हुई जब इस तरह के हमले मौत और रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण थे। आवारा कुत्तों और उनके द्वारा काटने का समस्या खासकर घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से रहा है। इस मुद्दे को हल करने के लिए और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, जहां किसी भी कदम पर बच्चों और कुत्तों

के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, आयोग ने अध्यक्ष, एनसीपीसीआर के निर्देशों के तहत, अन्य मंत्रालयों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि इस मुद्दे को सर्वोत्तम संभव तरीके से रोकने के तरीके खोजे जा सकें। उक्त बैठक की अध्यक्षता एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने की और इस अवसर पर एनसीपीसीआर के सदस्य सचिव, एनसीपीसीआर के सदस्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

iii. नवजात और शिशु मृत्यु दर को कम करने के मुद्दे पर और इसके समाधान में से एक के रूप में—नव-प्रसव के लिए आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सुविधाएं, भारत में शिशुओं के लिए उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियों से लैस चिकित्सा आपातकालीन परिवहन सुविधाएं या एम्बुलेंस सुनिश्चित करने पर एक सलाहकार बैठक 26 अप्रैल, 2024 को एनसीपीसीआर कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एचओडी, नियोनाटोलॉजी, एम्स, जोधपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) के प्रतिनिधियों और कुछ प्रमुख एम्बुलेंस निर्माण कंपनियों के सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया।

iv. सहारा टेली काउंसलिंग पोर्टल पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ 29 मई, 2024 को एनसीपीसीआर कार्यालय, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा

बल (एसएसबी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के अधिकारी और असम राइफल्स (एआर) के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत सभी बलों के लिए एनसीपीसीआर-सहारा की टेली-काउंसलिंग सुविधा का विस्तार करने और उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए परामर्श सुनिश्चित करने और सहारा वेब-लिंग के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित अन्य संबंधित मुद्दों का निवारण करने पर विचार-विमर्श करना था।

v. दिनांक 20 मई, 2024 को देश में जेजे अधिनियम के तहत शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए आवासीय सुविधा के पंजीकरण के संबंध में विषय पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं के पंजीकरण पर चर्चा करना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), एमडब्ल्यूसीडी, कानून और न्याय मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।

vi. एचआईवी/एड्स से संक्रमित और प्रभावित बच्चों की रोकथाम पर बैठक 06 अगस्त, 2024 को नाको कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए एक साझा मंच बनाना और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग को मजबूत करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एचआईवी से संक्रमित और प्रभावित बच्चों और किशोरों

को सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएं। अध्यक्ष, एनसीपीसीआर ने पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विवरणों को एकत्रित करने पर जोर दिया। पूर्वोत्तर राज्यों से, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), यूएनएड्स के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

vii. प्रयागराज में महाकुंभ मेला, 2025 के दौरान बच्चों के अधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के संबंध में शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने पर सलाहकार बैठक 25 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई। आयोग ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए बच्चों के अनुकूल उपायों के कार्यान्वयन की रणनीति और चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

viii. ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री मार्को टेक्सेरिया के साथ बैठक 09 जुलाई, 2024 को एनसीपीसीआर कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य यूएनओडीसी और भारत सरकार के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की वर्तमान स्थिति को समझना था। भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मामलों के विशिष्ट उदाहरणों पर चर्चा की गई, जिनमें गिरोह और शोषण में शामिल बच्चे शामिल हैं। बैठक में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बेहतर

समर्थन प्रदान करने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

ix. खराब वायु गुणवत्ता के कारण बच्चों में श्वसन संबंधी समस्याओं पर 13 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई थी। एनसीपीसीआर ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली में बच्चों के बीच बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया। प्राथमिक ध्यान पड़ोसी राज्यों में मौसमी पराली जलने (पराली) से बिगड़ती वायु गुणवत्ता से जुड़ी सांस की बीमारियों में हालिया उछाल पर था। उपस्थित लोगों में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), स्वास्थ्य निदेशालय, बाल रोग विशेषज्ञ, पल्मोनोलॉजिस्ट और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

x. एनसीपीसीआर ने 25 से 27 नवंबर, 2024 तक प्रयागराज में आयोजित तीसरे कुंभ सम्मेलन, 2025 में भाग लिया है। एनसीपीसीआर द्वारा बच्चों के अधिकारों और हकदारियों के विभिन्न मुद्दों पर आईईसी सामग्री का वितरण करके बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा की गई थी।

xi. जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) की राज्यवार ऑनलाइन समीक्षा बैठक 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक आयोजित की गई। इस बैठक का फोकस प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और यह आकलन करना था कि इन कार्यक्रमों ने चुनौतियों का सामना करने के लिए कितनी अच्छी तरह से संबोधित किया है। ये समीक्षा बैठकें 1 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक निर्धारित की गई थीं और राज्य-दर-राज्य आधार पर आयोजित की गई थीं।

xii. आयोग कचरा बीनने में शामिल बच्चों और परिवारों के लिए एक आशाजनक भविष्य की सर्वोपरि चिंता पर जोर देता है, अपशिष्ट पदार्थों के बाजार मूल्य के अनुरूप उचित और न्यायपूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की सिफारिश करता है। इस उद्देश्य की खोज में, **आयोग ने (अक्टूबर 2024) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), राज्य और जिला प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी विशेषज्ञों और दिल्ली, मुंबई और ठाणे में पुनर्चक्रण के विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की हैं।** नतीजतन, फरवरी, 2024 में भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल रैग पिकर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई और दूसरी सहकारी संस्था ठाणे रैग पिकर्स

चाइल्ड बहुदेशीय वैतार सहकारी संस्था मर्यादित, अक्टूबर, 2024 में ठाणे, महाराष्ट्र में स्थापित की गई।

xiii. अगस्त 2024 के महीने में **बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)** पर केंद्रित एक बैठक आयोजित की गई थी। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें स्थानीय अधिकारियों को सीएसएएम की रिपोर्टिंग और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), साथ ही केवाईसी (नो योर कस्टमर) तंत्र शामिल हैं।

xiv. अश्लील सामग्री देखने के बाद अपराध करने वाले नाबालिग बच्चों में खतरनाक वृद्धि के संबंध में विषय पर 05 अगस्त, 2024 को एक बैठक आयोजित की गई।



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने 26.05.2025 को अपनी 64वीं वैधानिक बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष सुश्री त्रिप्ति गुरहा ने की। चल रहे प्रयासों को मजबूत करने और भविष्य की पहल को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ग. पोषण माह – 2024

9.13 पोषण माह 2024, इस पोषण-केंद्रित पहल का सातवां वार्षिक संस्करण, सितंबर 2024 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पोषण माह का लक्ष्य व्यापक पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) के साथ संरेखण में विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरों के बीच पोषण जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के अभियान ने बेहतर आहार प्रथाओं, कुपोषण का समाधान करने और समुदायों में बेहतर स्वास्थ्य पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

9.14 इस संबंध में, एनसीपीसीआर ने राष्ट्रीय पोषण माह, 2024 के स्मरणोत्सव के अवसर पर सभी एससीपीसीआर को दिनांक 28 अगस्त, 2024 के एक पत्र के माध्यम से सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से “राष्ट्रीय पोषण माह-2024” मनाने और अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में पोषण पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करके जागरूकता फैलाने के लिए कहा है। एनसीपीसीआर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसका संकलन करेगा।

घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बाल अधिकारों पर अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक सह-परामर्श—

9.15 एनसीपीसीआर सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13(1) के तहत अपने अधिदेश के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न संबंधित विभागों के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाल अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर अंतर-विभागीय समीक्षा सह परामर्श आयोजित करता है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों, अच्छी पद्धतियों आगे बढ़ने पर चर्चा करना है।

9.16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठक आयोजित करने के लिए बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों पर आधारित संकेतकों से संबंधित एक विस्तृत अभ्यास किया गया था। तदनुसार, नोडल अधिकारियों को नामित करने और विभिन्न विभागों के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार डेटा और सूचना की आपूर्ति करने के लिए संकेतकों के विवरण के साथ एक कार्यसूची मद क्रमशः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को सूचित किया गया था। बैठक के दौरान, बच्चों के समक्ष आ रही चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और सिफारिशों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सेट प्रदान किया गया। 2024-25 में आयोजित समीक्षा बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	तारीख	राज्य
1	13.05.2024	उत्तराखंड
2	31.05.2024	मध्य प्रदेश
3	20.06.2024	अरुणाचल प्रदेश
4	21.06.2024	असम
5	22.06.2024	मेघालय

ङ. रिपोर्ट/दिशानिर्देश/एसओपी

9.17 शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, इस विश्वास पर आधारित है कि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को प्राप्त करना सभी के लिए समावेशी शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से ही संभव है। आरटीई अधिनियम, 2009 से धार्मिक संस्थाओं को छूट दिए जाने के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत केवल धार्मिक संस्थाओं में जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा

की; इन स्कूलों के बच्चे आरटीई अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच से वंचित थे। बच्चों को सशक्त बनाने का इरादा अंततः गलत व्याख्या के कारण अभाव और भेदभाव की नई परतों का निर्माण किया। आरटीई अधिनियम, जिसे एक सक्षम उपकरण के रूप में बताया गया था, अभाव और भेदभाव का एक उपकरण बन गया।

9.18 इस संबंध में आयोग ने 'गार्डियंस ऑफ फेथ या ऑप्रेसर्स ऑफ राइट्स: कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन' बनाम मदरसों शीर्षक से रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में 11 अध्याय हैं जो मदरसों के इतिहास के विभिन्न पहलुओं और बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के हनन में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। रिपोर्ट एक व्यापक रोडमैप बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से तैयार की गई है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश भर के सभी बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक वातावरण में बड़े हों। ऐसा करने से, वे अधिक समग्र और प्रभावशाली तरीके से राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया में सार्थक योगदान करने के लिए सशक्त होंगे।

9.19 आयोग ने भारत में बाल विवाहों की रोकथाम के लिए हितधारकों हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है ताकि बाल विवाहों की रिपोर्ट न करने के लिए जवाबदेही तय की जा सके, बाल विवाह के नाबालिग पीड़ितों के पुनर्वास का प्रावधान किया जा सके और बाल विवाह संपन्न करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित अभियोजन शुरू किया जा सके।

च. परीक्षा पर्व 6.0

9.20 माननीय प्रधानमंत्री के "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम से प्रेरित होकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने 29 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक परीक्षा पर्व 6.0 का आयोजन किया। परीक्षा पर्व 6.0

छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों/प्रसिद्ध हस्तियों और प्रेरक वक्ताओं से मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने का एक प्रयास है। ऐसे तनावपूर्ण समय में, असहज और ४मित करने वाले विचारों के बारे में बात करने और साझा करने से छात्रों के तनाव और चिंता को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी, परीक्षा के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण को बदलने और इसे त्योहार की तरह एक आनंदमय गतिविधि बनाने में मदद मिलेगी। इस वर्ष के दौरान, एनसीपीसीआर ने निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के साथ "परीक्षा पर्व 6.0" शुरू किया: —

- (i) परीक्षा के दबाव और तनाव से संबंधित विषयों पर एनसीपीसीआर-फेसबुक/ट्विटर और यूट्यूब, न्यू इंडिया जंक्शन (एनआईजे) और दूरदर्शन के यू-ट्यूब खातों के सोशल मीडिया के माध्यम से 18 लाइवस्ट्रीमिंग सत्र प्रसारित किये गए। मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणादायी प्रवक्ताओं, शिक्षाविद् विशेषज्ञों, योग गुरुओं इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की।
- (ii) माननीय प्रधानमंत्री के "परीक्षा पे चर्चा, 2024" के ऑडियो संदेशों के साथ परीक्षा पर्व 6.0 पर जागरूकता पैदा करने के लिए विविध भारती (राष्ट्रीय), ऑल इंडिया रेडियो पर 12 रेडियो स्पॉट प्रसारित किए गए।
- (iii) जिला और राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण सह संवेदीकरण कार्यक्रम — इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) और माता-पिता शिक्षक संघ (पीटीए) और विद्यालय शिक्षकों के माध्यम से माता-पिता को संवेदनशील बनाना था। विभिन्न जिलों में लगभग 200 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(iv) मेटा ने एनसीपीसीआर के सहयोग से 12 फरवरी, 2024 को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा तनाव से निपटने की साझा समझ और मौजूदा प्रयासों यानी परीक्षा पर्व को पूरा करने के लिए एकजुट करने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया।

छ. हिन्दी पखवाड़ा

9.21 देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा पुणे (दिल्ली) में आयोजित दो दिवसीय (14–15 सितंबर, 2024) हिंदी दिवस कार्यक्रम में आयोग के हिंदी अनुवादकों ने भाग लिया। कर्मचारियों के बीच माननीय गृह मंत्री और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के संदेश पढ़े गए। एनसीपीसीआर में 16 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा (पखवाड़ा) मनाया गया, जिसमें हिंदी निबंध, नोटिंग ड्राफ्टिंग, रील मेकिंग और वाद-विवाद और सुनने के कौशल जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोग में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वाद-विवाद और श्रवण कौशल प्रतियोगिताओं का अलग-अलग आयोजन किया गया।

ज. हिंदी कार्यशाला

9.22 हिंदी भाषा में काम करने के लिए आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष की प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कार्यशाला के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में पत्रों के प्रारूप तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया

गया। कार्यशाला में भाग लेने वालों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में भी जानकारी दी गई।

झ. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

9.23 राजभाषा अधिनियम, 1963 के विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक तिमाही में एनसीपीसीआर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। बैठक के दौरान, राजभाषा के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और राजभाषा के कार्यान्वयन में प्रगति पर सक्षम प्राधिकारी के साथ चर्चा की जाती है।

ञ. बेंच/कैंप

9.24 आयोग का एक कार्य सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(जे) के तहत शिकायतों की जांच करना एवं बाल अधिकारों तथा उनके अधिकारों के उल्लंघन और अधिकारों से वंचित रखने के मामलों का स्वतः संज्ञान लेना है।

9.25 आयोग, सीपीसीआर अधिनियम, 2005 के तहत दिए गए आदेशों के अंतर्गत अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक बच्चे तक पहुँचने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए, एनसीपीसीआर ने आकांक्षी ब्लॉक वाले जिलों में शिकायत निवारण बेंच/शिविर आयोजित किए। एनसीपीसीआर ने बच्चों के अधिकारों एवं हकों के उल्लंघन तथा उनसे वंचित रखने से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपनी शिकायत निवारण बेंच/शिविर लगाए हैं। जून, 2024 से दिसंबर, 2024 तक एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित बेंचों/शिविरों का विवरण **अनुलग्नक-XXIV** में दिया गया है।

ट. शिकायत निवारण

बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन/वंचित करने की शिकायतें और आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई।

9.26 बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत एनसीपीसीआर को बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। रिपोरटाधिन अवधि (अप्रैल 2024 से दिसंबर, 2024 तक) के दौरान; आयोग को एनसीपीसीआर की बेंचों/शिविरों से प्राप्त शिकायतों सहित बच्चों को अधिकारों से वंचित रखने और उनके उल्लंघन से संबंधित 40408 नई शिकायतें प्राप्त हुई। इसके मुकाबले, इस अवधि के दौरान लंबित शिकायतों सहित 35342 शिकायतें बंद कर दी गई। इसका विवरण **अनुलग्नक— XXV** में दिया गया है।

ठ. बचाव अभियान

9.27 आयोग बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन की दिशा में विभिन्न क्रियाकलापों जैसे बचाव अभियान, कार्यक्रम, अनुसंधान एवं तथ्य-अन्वेषण अध्ययन इत्यादि क्रियान्वित कर रहा है। अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, एनसीपीसीआर ने दिनांक 1 जून, 2024 से 30 जून, 2024 तक पूरे देश में एक अखिल भारतीय बचाव अभियान (पेन-इंडिया रेस्क्यू कैम्पन) का आयोजन किया है।

- i. दिनांक 07 जून, 2024 को शकूरपुर, दिल्ली में विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों में बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 21 बच्चों को बचाया गया एवं तदनुसार संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई।
- ii. दिनांक 15 जून, 2024 को रायसेन, भोपाल, मध्य प्रदेश में बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से बचाव अभियान चलाया गया। कुल

36 बच्चों को बचाया गया एवं बाल कल्याण समिति, रायसेन के समक्ष पेश किया गया।

- iii. दिनांक 15 जून, 2024 को सेहतगंज, रायसेन, भोपाल में कुछ मदिरा निर्माणशाला (डिस्टिलर्स) में बचाव अभियान चलाया गया। कुल 57 बच्चों को बचाया गया और उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया तथा तदनुसार इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई।
- iv. दिनांक 12 जून, 2024 को लुधियाना, पंजाब की गारमेंट फैक्ट्रियों में बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 74 बच्चों को बचाया गया।

II. विशेष दौरे/ (स्थानिक)स्पॉट पूछताछ

9.28 एनसीपीसीआर द्वारा की गई तथ्य-जांच जांचों का विवरण नीचे दिया गया है:

- i. जुलाई 2024 के महीने में “श्री युगपुरुष धाम अनाथालय, मल्हारगंज, इंदौर, मध्य प्रदेश में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता के कारण पांच बच्चों की मौत और 38 बच्चों की अस्पताल में भर्ती होने” की घटना के बारे में तथ्यान्वेषी जांच की गई।
- ii. जुलाई 2024 के महीने में “राऊ, इंदौर में दिव्यांग बच्चों को आवासीय क्लस्टर में स्थानांतरित करने और यह देखने के लिए कि वे उनके लिए उपयुक्त हैं” घटना के बारे में तथ्यान्वेषी जांच की गई और इंदौर, मध्य प्रदेश में “चोरल में सरकारी बालिका छात्रावास” का दौरा किया गया।
- iii. अगस्त 2024 में “आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले में धार्मिक संगठन द्वारा संचालित अनाथालय में भोजन विषाक्तता के बाद 3 बच्चों की मौत, 37 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराने” की घटना

की तथ्यान्वेषी जांच की गई।

- iv. अगस्त 2024 में महाराष्ट्र के ठाणे में दो नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में तथ्यान्वेषी जांच की गई।
- v. मई 2024 में "अरुणाचल प्रदेश में देह व्यापार (सेक्स रैकेट) का भंडाफोड़" मामले में तथ्यान्वेषी जांच की गई।
- vi. मई 2024 में "पटना, बिहार के रास्ते सारण जिले में एक मदरसे में बम विस्फोट जिसमें एक नाबालिग बच्चा घायल हो गया था" की घटना के लिए एक तथ्यान्वेषी जांच की गई।
- vii. "सरकारी छात्रावास में एक नाबालिग लड़की के गर्भवती होने और उसके बाद छात्रावास अधीक्षक द्वारा उसके गर्भपात" के मामले में अगस्त 2024 में एक तथ्यान्वेषी जांच की गई।
- viii. अगस्त 2024 में "छात्रावास अधीक्षक द्वारा नाबालिग लड़कियों की अश्लील तस्वीरें लेने" के मामले में तथ्यान्वेषी जांच की गई।
- ix. फरवरी 2024 में "लातूर, महाराष्ट्र में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न" के मामले में तथ्यान्वेषी जांच की गई।"

ख. मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्डलाइन का परिवर्तन

9.29 बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने अब भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने, उनके लिए अवसरों को सुनिश्चित करने, उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने में सक्षम बनाने एवं सभी मामलों में निरंतर रूप से फलने-फूलने में सहायता करने के लिए 2021 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद मिशन वात्सल्य कार्यान्वित किया है। यथाप्रस्तावित मिशन वात्सल्य

राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में जेजे अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित और 2021 में यथासंशोधन के अनुसार बच्चों के लिए 24x7-हेल्पलाइन सेवा देगा।

9.30 इस संबंध में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्डलाइन सेवाओं को सीधे भारत सरकार के दायरे में लाने के लिए माननीय अपर महान्यायिक जी से कानूनी राय प्राप्त करने हेतु एनसीपीसीआर के अध्यक्ष को एक नोट भी भेजा है। माननीय अपर महान्यायिक जी द्वारा दी गई राय के मद्देनजर यह और स्पष्ट किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू योजना अर्थात् मिशन वात्सल्य में उचित प्रावधानों के माध्यम से चाइल्डलाइन के राष्ट्रीय स्तर के संचालन के लिए एनसीपीसीआर जैसे अन्य संगठनों का चयन और नियुक्ति हो सकता है। चूंकि चाइल्ड लाइन-1098 सेवाओं का प्रावधान जेजे अधिनियम, 2015 के तहत किया गया है एवं आयोग को धारा 109 के तहत अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिकार है, इसलिए चाइल्डलाइन सेवा की निगरानी भी एनसीपीसीआर के निगरानी दायरे में आती है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर अपने निगरानी अधिकारों को और बढ़ाने के लिए आयोग ने चाइल्ड लाइन सेवाओं में परिवर्तन के लिए मानक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संचालन प्रक्रिया प्रस्तावित की थी।

ग. मध्यस्थता प्रकोष्ठ

9.31 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने अपने दिनांक 27 जुलाई 2018 के आदेश संख्या 31/59/2016-सीडब्ल्यू-1 के अनुसार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 33(1) के तहत भारत सरकार को प्रदत्त शक्ति के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) में एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह उन बच्चों के मामलों को जिन्हें पति-पत्नी में से कोई एक, दूसरे की अनुमति के

बिना, वैवाहिक कलह या घरेलू हिंसा के कारण विदेश से भारत ले आया था या भारत से विदेश ले गया था, और बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए एक अभिभावक योजना तैयार करने के लिए बनाया गया था। यह प्रकोष्ठ एनआरआई माता-पिता से जुड़े मामलों में सक्रिय रूप से मध्यस्थता कर रहा है।

घ. सिफारिशें

i. बच्चों के अवैध पारगमन को रोकने के लिए सिफारिश

9.32 राष्ट्रीय और राज्य आयोग उन असंख्य बच्चों को बचाने के लिए पहल कर रहे हैं जिन्हें अवैध रूप से राज्य की सीमाओं के पार ले जाया जा रहा था। दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को ऐसी ही एक घटना में, 95 बच्चों को कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाते समय बचाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (यूपीससीपीसीआर) ने अयोध्या में बच्चों को बचाया एवं उन्हें बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश किया गया। परामर्श सत्र के बाद, इन बच्चों को लखनऊ में लड़कों के लिए बने सरकारी बाल गृह में पुनर्वासित करने के आदेश जारी किए गए। ऐसी घटनाएं एक बार फिर इस वास्तविकता को उजागर करती हैं कि भारत में कई बच्चे अभी भी नहीं जा पाते हैं और वे हिंसा का खतरा महसूस करते हैं।

9.33 सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 (1) में उल्लिखित अधिदेश के अनुसार, आयोग ने दिनांक 03 मई, 2024 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को पत्र लिखकर निम्नलिखित कदम उठाने की सिफारिश की—

- i. यह सुनिश्चित किया जाए कि 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे पास-पड़ोस के स्कूलों में नामांकित हों और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त हो;

- ii. यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी मामलों में जहां यह पाया जाता है कि बच्चों के नाम पर पैसा उगाया जा रहा है और बच्चों को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, इस संबंध में संबंधित जांच अधिकारी, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के आलोक में कार्रवाई पर विचार करें;

- iii. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों को अपने संबंधित जिलों में सतर्कता बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें, जिससे स्थानों के बीच बच्चों के अवैध आवा-गमन को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), मानव दुर्व्यापार इकाई (एएचटीयू) एवं विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेपीयू) को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी करने का निर्देश दिया जाए।

9.34 इस पत्र की प्रति सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई थी; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को भेजी गई थी कि वे अध्यक्ष सभी संबंधित अधिकारियों को बाल दुर्व्यापार के किसी भी संकेत के प्रति सतर्क रहने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे; अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को भेजी गई थी कि वे आरपीएफ और जीआरपी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को बाल दुर्व्यापार के किसी भी संकेत के प्रति सतर्क रहने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें; एवं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक को भेजी गई थी कि वे भी बाल दुर्व्यापार के किसी भी संकेत के प्रति सतर्क रहने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

ii. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के कार्यान्वयन पर सिफारिश

9.35 उपर्युक्त विषय पर आयोग द्वारा जारी किए गए दिनांक 09 मई, 2019 और 13 अप्रैल, 2023 के पूर्व के पत्रों के अनुसरण में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों (स्कूल शिक्षा विभाग) को दिनांक 09 अप्रैल, 2024 को एक और पत्र जारी किया गया है।

iii. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) को उनके कार्यों के निष्पादन हेतु निधियों के संबंध में सिफारिश

9.36 सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के कार्य धारा 24 के अनुसार एनसीपीसीआर के समान ही हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 की धारा-32 के अनुसार, एससीपीसीआर स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर फैसला करेगा। इस अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, एससीपीसीआर अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अलावा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत दिए गए कतिपय अन्य कार्यों का निष्पादन भी करेंगी। निगरानी क्रियाकलापों के संचालन के लिए, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार राज्य शिक्षा विभागों के वार्षिक बजट के भाग के रूप में राज्य आयोगों को प्रति स्कूल 50 रुपये आवंटित करेगा। तथापि, एससीपीसीआर के साथ हाल ही में हुई बैठक में आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि सभी एससीपीसीआर राज्य विभागों से यह राशि प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए, एनसीपीसीआर ने दिनांक 16 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से सभी राज्य आयोगों से सिफारिश की है कि वे आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत अधिदेशित अपने कार्यों को पूरा करने के लिए

अपने संबंधित राज्य शिक्षा विभागों से निधि की मांग कर सकते हैं। यदि राज्य शिक्षा विभाग बजट प्रदान करने में असमर्थ है, तो इसकी सूचना स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को दी जा सकती है।

iv. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन तथा चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग

9.37 आयोग ने राजनैतिक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे एक वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें बच्चे एक राजनीतिक दल के एजेंडे का प्रचार करने में शामिल थे और विरोधी दल/उम्मीदवार की आलोचना करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। ट्वीट को अन्य हैंडल से भी पोस्ट एवं साझा किया जा रहा था। यह 5 फरवरी, 2024 को ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था। साथ ही, वीडियो में 1 मिनट 27 सेकंड तथा फिर 1 मिनट 37 सेकंड पर एक बच्चे को कक्षा के बाहर घुटनों के बल बैठे दिखाया गया, जो स्कूल में शारीरिक दंड का एक रूप है। जबकि, देश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 के तहत शारीरिक दंड प्रतिबंधित है और बच्चों को शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न करना जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 75 के अनुसार क्रूरता है। मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिनांक 28 अप्रैल, 2024 के पत्रों के माध्यम से सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग; एवं सीसीओ, ट्विटर को मामले में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

ड. पोर्टल और डिजिटल करना

i. एमएसआई— निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप:

9.38 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(एनसीपीसीआर) ने देश में बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) एवं उनके निरीक्षण तंत्र की तात्कालिक समय (रियल टाईम)की निगरानी के लिए एक एप्लिकेशन— एमएसएसआई — निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप तैयार किया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत प्रदान की गई बाल देखरेख संस्थानों के निरीक्षण के लिए तंत्र की प्रभावी एवं कुशल कार्यप्रणाली और इस प्रणाली की समकालिक निगरानी करना, इस व्यापक एप्लिकेशन को तैयार करने का उद्देश्य है।

ii. बाल स्वराज पोर्टल—कोविड परिचर्य (केयर)

9.39 एनसीपीसीआर ने देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की तात्कालिक समय पर निगरानी के उद्देश्य से बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया था। कोविड महामारी की दूसरी लहर एवं कोविड के कारण अपने माता—पिता को खोकर अनाथ हो चुके बच्चों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, पोर्टल पर एक “कोविड केयर लिंक” तैयार किया गया था।

iii. बाल स्वराज पोर्टल – सीआईएसएस

9.40 माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15 नवंबर, 2021 को एसएमडब्ल्यूपी (सी) संख्या 6/2021 इन री के संबंध में बेघर बच्चों से संबंधित मुद्दे पर संज्ञान लिया था। इस मामले में बेघर बच्चों के बचाव और पुनर्वास से संबंधित समस्याओं को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और राज्य सरकारों को बेघर बच्चों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए उपाय करने तथा कदम उठाने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एनसीपीसीआर द्वारा बेघर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया 2.0 में बेघर बच्चों के संबंध में प्राधिकारियों द्वारा किए जाने

वाले उपायों तथा उनकी भूमिका के व्यापक प्रावधान हैं।

iv. बाल स्वराज – नागरिक लॉगिन (पोर्टल)

9.41 एनसीपीसीआर ने अपने बाल स्वराज पोर्टल— सीआईएसएस पर एक लिंक <https://ncpcr.gov.in@baalswaraj/citizenlogin> तैयार किया है, जिसके माध्यम से बेघर बच्चों जिसे इसके बाद सीआईएसएस कहा गया है के हित में कार्य करने का विविध अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर—सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी संगठनों को सीआईएसएस की पहचान और उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर शामिल किया जा सकता है।

v. पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल

9.42 पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल का उद्घाटन दिनांक 17 जुलाई, 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित द्वारा किया गया था। यह ट्रैकिंग पोर्टल, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसी पीसीआर) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसकी परिकल्पना, धारा 44 में यथाउल्लिखित, पॉक्सो अधिनियम, 2012 को लागू करने की निगरानी के संबंध में आयोग के दायित्व को पूरा करने के लिए की गई थी। पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण के पीड़ितों दी जाने वाली सेवाओं व सुविधाओं की निगरानी के लिए समर्पित मंच की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए, ट्रैकिंग पोर्टल का उद्देश्य बाल यौन शोषण पीड़ितों से जुड़े मामलों की तात्कालिक समय पर ट्रैकिंग प्रदान करना है। यह पीड़ितों के मुआवजे एवं पुनर्वास के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, उनकी देखभाल तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की कल्पना की गई है।

vi. जीएचएआर (घर) पोर्टल

9.43 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 के कार्यान्वयन के संबंध में एनसीपीसीआर की निगरानी भूमिका की सीमा एवं कार्य क्षेत्र में काफी वृद्धि की गई है। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 (बच्चों का स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन) के नियम 81 के अनुसार, आयोग की भूमिका को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। जेजे अधिनियम, 2015 और इसके नियम, 2016 के कार्यान्वयन के बाद से; कई चुनौतियां और कमियाँ देखने में आईं जिनमें अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने विशेष रूप से बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में बाधा का होना था। प्रत्यावर्तन में और अधिकतम संख्या में बच्चों को उनके परिवारों/रिश्तेदारों के पास उनके मूल स्थान पर वापस भेजने के प्रयास में, आयोग ने बच्चों की बहाली एवं प्रत्यावर्तन के लिए प्रोटोकॉल तथा जीएचएआर (घर जाओ और परिवार से जुड़ो) पोर्टल तैयार किया है।

vii. स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए ट्रैकिंग पोर्टल

9.44 माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है जो या तो स्कूल छोड़ चुके हैं या जिनकी स्कूल छोड़ने की संभावना है तथा कोविड महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा जारी रखने के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09 मई, 2022 के अपने पिछले आदेश में बच्चों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए, एनसीपीसीआर ने पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले तथा वर्तमान में स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाने एवं उनकी निगरानी करने के लिए

वेब पोर्टल तैयार किया है ताकि ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके।

viii. पॉक्सो ई-बॉक्स

9.45 पॉक्सो ई-बॉक्स, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक आसान और सीधा माध्यम है। पॉक्सो ई-बॉक्स को आयोग द्वारा अगस्त 2016 में एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में शुरू किया गया था ताकि बच्चे विशेषरूप से यौन शोषण के मामलों में सीधे एनसीपीसीआर को शिकायत दर्ज करा सकें। इसे एनसीपीसीआर वेबसाइट के होम पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है, जहां उपयोगकर्ता को केवल पॉक्सो ई-बॉक्स नामक एक बटन दबाना होता है, जिससे उपयोगकर्ता चित्र विकल्पों को पूछने वाले पृष्ठ पर पहुँच जाएगा। उपयोगकर्ता को बस कम से कम एक तस्वीर विकल्प का चयन करना होगा, एक सरल फॉर्म भरना होगा और शिकायत दर्ज करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद शिकायत नंबर के साथ शिकायत दर्ज होने की पावती मिलती है। यह पहल शिकायतों और सूचनाओं को प्राप्त करने के सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक साबित हुई है।

ix. प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल

9.46 निगरानी प्राधिकरण होने के नाते एनसीपीसीआर को, एनसीपीसीआर द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभिन्न अधिनियमों के तहत आंकड़ों (डेटा) की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में वित्तीय, मानवीय और अन्य संसाधनों को बचाने के लिए, एनसीपीसीआर ने एनसीपीसीआर नियम, 2006 के नियम 17 (जी) के तहत एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के विकास के माध्यम से विभिन्न संकेतकों पर डेटा/सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह एक

ऐसा उपकरण है जो विभिन्न संकेतकों के तहत प्रदर्शन को इंगित करता है जो अन्य स्रोतों से डेटा की तुलना करने में मदद करता है। नियमित आधार पर प्रासंगिक

जानकारी अपलोड करने के लिए 187 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और 2238 जिला स्तर के नोडल अधिकारियों को इस प्रणाली तक पहुंच दी गई है।



एनसीपीसीआर ने अपना 20वां स्थापना दिवस दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में अध्यक्ष सुश्री तृप्ति गुरहा, आयोग के सदस्यों और एनसीपीसीआर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मनाया, जो वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुए।



केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

10.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना जून, 1990 में भारत सरकार द्वारा अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित किए गए बच्चों को गोद लेने को विनियमित करने, निगरानी करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देखभाल और सुरक्षा के लिए जरूरतमंद बच्चों के लिए प्यार करने वाले परिवार को ढूंढना है। 2 जुलाई, 1998 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 18 मार्च, 1999 को कारा को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत करके स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। जेजे अधिनियम, 2000 के तहत गोद लेने से संस्थागत बच्चों को गोद लेने में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसियों और अधिकारियों की भागीदारी के साथ गोद लेने में सक्षम बनाया गया।

10.2 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) 15 जनवरी 2016 से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। जेजे अधिनियम, 2015 को 09 अगस्त, 2021 को सरकारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है। इस संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसमें मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अपर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करना शामिल है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है।

I. कारा की भूमिका और चार्टर

10.3 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68 में परिकल्पना के अनुसार कारा को निम्नानुसार अधिदेश दिया गया है:

- क) देश के भीतर दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय से अंतर-राज्यीय दत्तक-ग्रहण को सरल बनाना;
- ख) अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण को विनियमित करना;
- ग) दत्तक ग्रहण और तत्संबंधी मामलों पर समय-समय पर यथाआवश्यक विनियमन निरूपित करना;
- घ) बालकों के संरक्षण पर हेग सम्मेलन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यों का निष्पादन करना और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में सहयोग करना;
- ङ) यथा नियत कोई अन्य कार्य करना।

II. संगठनात्मक ढांचा

10.4 केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होते हैं और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों सहित संस्वीकृत संख्या 37 है। प्राधिकरण में किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 में यथावर्णित निम्नलिखित सदस्यों की एक संचालन समिति है:—

- क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार पदेन अध्यक्ष;
- ख) संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार — पदेन प्राधिकारी;
- ग) वित्तीय मामलों से संबद्ध संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार — पदेन— प्राधिकारी;
- घ) राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी से एक सदस्य;
- ङ) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेंसी से दो सदस्य;
- च) दत्तक ग्रहण योग्य माता—पिता;
- छ) दत्तक/गोद लिया गया;
- ज) एक वकील या प्रोफेसर जिसके पास परिवार कानून में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो,
- झ) सदस्य—सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

III. कार्यक्रम गतिविधियां

10.5 कारा ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68 (ब) के तहत अधिदेशित दत्तक ग्रहण नियम, 2022 तैयार किया, जो 23 सितंबर, 2022 से प्रभावी है। नए दत्तक ग्रहण विनियम का उद्देश्य दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके देश में गोद लेने

के कार्यक्रम को मजबूत करना है। पारदर्शिता, बच्चों का शीघ्र संस्थागतकरण, माता—पिता के लिए सूचित विकल्प, नैतिक प्रथाएं और गोद लेने की प्रक्रिया में परिभाषित समयसीमा, दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के मुख्य पहलू हैं।

IV. पहचान प्रकोष्ठ की स्थापना

10.6 टेंपल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ खडब्यूपी (सी) संख्या 1003/2021, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 नवंबर, 2023 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कारा में एक पहचान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और इसने जुलाई 2024 से मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ काम करना शुरू कर दिया है:

- क) सीसीआई में 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का पंजीकरण सुनिश्चित करना जो पांच श्रेणियों में आते हैं अर्थात् केयरिंग्स पर अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, नो विजिटेशन, अयोग्य अभिभावक/माता—पिता।
- ख) बच्चों के डेटाबेस की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना।
- ग) समय—सीमा में बच्चों की कानूनी स्थिति निर्धारित करने और विलंब को दूर करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- घ) हितधारकों के साथ—साथ बच्चों की प्रोफाइल के संबंध में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा केयरिंग्स पर डेटा अद्यतन करना सुनिश्चित करना।

10.7 उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के समन्वय में पहचान प्रकोष्ठ द्वारा विस्तृत अभ्यास और कठोर निगरानी की गई है ताकि 5 श्रेणियों में सीसीआई में बच्चों की पहचान

की जा सके। इससे पहले, बच्चों की पहचान 3 श्रेणियों अर्थात् अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित में की गई थी। अब, माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 2 और श्रेणियों यानी नो विजिटेशन और अयोग्य अभिभावक/माता-पिता के बच्चों की भी पहचान की गई है। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को केयरिंग्स पोर्टल पर 5 श्रेणियों में पहचाने गए बच्चों के पंजीकरण और संबंधित बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) द्वारा सभी बच्चों की समीक्षा करने, उनकी वापसी, पुनर्वास और ऐसे मामलों में कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त (एलएफए) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी समन्वय किया गया, जहां कोई दावेदार नहीं हैं।

10.8 प्रत्येक जिले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) की स्थापना और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के गठन का अभियान भी शुरू किया गया है। राज्य और जिला स्तरीय प्राधिकरणों को सभी जिलों

के हितधारकों का केयरिंग्स पर पंजीकरण/अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही, एसएए-सीसीआई लिंकेज के अनुसार 5 श्रेणियों के बच्चों के साथ-साथ हितधारकों की कार्यप्रणाली के संबंध में केयरिंग्स पर विभिन्न प्रावधान, कार्यप्रणालियां और रिपोर्ट तैयार की गई।

10.9 मुख्य सचिवों (01 दिसंबर, 2023, 10 अगस्त, 2024), प्रधानसचिवों/प्रशासनिक सचिवों (27 मार्च, 2024, 19 जुलाई, 2024, 05 सितंबर, 2024) और जिला मजिस्ट्रेटों (29 मई, 2024, 04 नवंबर, 2024) को भेजे गए पत्रों के माध्यम से राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद किया गया। 439 जिलों के हितधारकों के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। केयरिंग्स संचालन के संबंध में आईईसी सामग्री और कार्यालय ज्ञापन (हिंदी-अंग्रेजी में) सभी हितधारकों को भेजे गए।

V. प्रगति एक नजर में:

हितधारक			
	इससे पहले (01.01.2024 तक)	इसके बाद (31.12.2024 तक)	उपलब्धि
❖ विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए)			
एसएए की स्थापना और केयरिंग्स पर उनका पंजीकरण	495	698	(+) 203
एसएए द्वारा कवर किए गए जिलों की संख्या	390	588	(+) 198
❖ केयरिंग्स पोर्टल पर अन्य हितधारक			
बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)	480	665	(+) 185
जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू)	750	756	(+) 6
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)	594	679	(+) 85
बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई)	6150	5192	(-) 958*

* यह पाया गया कि हाल के वर्षों में कई सीसीआई बंद हो गए हैं। इसलिए, नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से हितधारकों को सीसीआई/सीसीआई में रहने वाले बच्चों के विवरण को केयरिंग्स पर अद्यतन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभ्यास से सीसीआई के साथ-साथ कार्रवाई के लिए लंबित बच्चों का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायता मिली।

बच्चे	2024-25
पांच श्रेणियों में पंजीकृत बच्चे (01-01-2024 से 31-12-2024 तक)	11372 (ओ-1489, ए-2682, एस-2390, एनवी-1947, यूजी- 2864)
पांच श्रेणियों में उपलब्ध कुल बच्चे (31.12.2024 तक)	13712 (ओ-2363, ए- 3576, एस-1987, एनवी-2139, यूजी-3647)
कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित बच्चे (एलएफए) (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)	3684 (पुरुष-1637, महिला-2044, अन्य-3) (सामान्य-3211, विशेष आवश्यकता-473)
दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध एलएफए बच्चे (31.12.2024 तक)	2177 (पुरुष-1010, महिला-1165, अन्य-2) (सामान्य-750, विशेष आवश्यकता-1427)
बच्चों संबंधी जानकारी को सही करना [18 वर्ष से अधिक, स्थानांतरण, वापसी, भाग जाना, मृतक, गुप्त रखना (गलत प्रविष्टि या दोहरा/एकाधिक पंजीकरण)] (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)	19495

दत्तक ग्रहण सांख्यिकी 2024–25 (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)				
देश के अंतर्गत		अंतर–देशीय		कुल
ओएएस बच्चे (आरआई)	3074	ओएएस बच्चे (ओसीआई)	93	
ओएएस बच्चे (एनआरआई)	59	ओ,एस बच्चे (विदेशी)	306	
संबंधी दत्तक ग्रहण (आरआई)	425	संबंधी दत्तक ग्रहण (एनआरआई/ओसीआई)	31	
सौतेले दत्तक ग्रहण (आरआई)	215	एचएएमए (एनआरआई/ओसीआई)	34	
पालक दत्तक ग्रहण (आरआई)	29			
कुल	3802	कुल	464	4266

एचएएमए (घरेलू) के अंतर्गत दत्तक ग्रहण*	
वर्ष- 2021-2023	20403

* घरेलू एचएएमए दत्तक ग्रहण को कारा द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। डेटा संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

10.10 बड़े बच्चों का पुनर्वास: बड़े बच्चों को दत्तक ग्रहण विशेष चुनौतियां प्रस्तुत करता है लेकिन उन्हें स्नेह रखने वाले, सहायक परिवारों में रखने के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं। कारा राष्ट्रव्यापी अभियानों, राज्य सहयोग, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नीतिगत संवर्द्धन के माध्यम से बड़े बच्चों को पालन-पोषण देखभाल

में शामिल करने को बढ़ावा दे रहा है। इन उपायों का उद्देश्य परिवारों को अपने घरों में बड़े बच्चों को स्वीकार करने, अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने और बड़े बच्चों के लिए परिवार-आधारित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कारा बच्चों और उनके दत्तक माता-पिता दोनों के लिए गहन परामर्श सहित व्यापक पुनर्वास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य बड़े बच्चों के लिए उनके नए घरों में सहज संक्रमण और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करना है। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (केयरिंग्स) पर पालक देखभाल मॉड्यूल बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त परिवार खोजने में प्रभावी रहा है।

10.11 पालन-पोषण देखभाल: देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बड़े बच्चों के लिए परिवार आधारित देखभाल की सुविधा के लिए, भावी पालक माता-पिता (पीएफपी) के पास पालक देखभाल के माध्यम से उन्हें अस्थायी देखभाल प्रदान करने का विकल्प है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए, मिशन वात्सल्य योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और कारा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इसे बढ़ावा दे रहा है। नोडल एजेंसी के रूप में कारा ने वर्ष 2024 की अंतिम तिमाही में डीसीपीयू द्वारा पालक देखभाल के बाल-पीएफपी प्रोफाइल के ऑनलाइन पंजीकरण और मिलान के लिए केयरिंग्स पोर्टल पर फोस्टर केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

10.12 पालन-पोषण दत्तक ग्रहण: पालन-पोषण देखभाल से पालन-पोषण दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, बशर्ते परिवार के साथ बिताया गया समय, बच्चे की कानूनी स्थिति, माता-पिता और बच्चे की सहमति इत्यादि जैसे कुछ मापदंडों को पूरा किया जाए। पालक गोद दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा जो पहले से ही किसी

परिवार की पालक देखभाल में है उसे पालक देखभाल में 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर स्थायी रूप से उसी परिवार के साथ रहने का अवसर मिलता है। दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुरूप, कारा उन बड़े बच्चों को दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दे रहा है जो पहले से ही पालक देखभाल में हैं। इस वर्ष, कारा ने पहले से ही पारिवारिक पालक देखभाल में बच्चों के लिए स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए 29 पालक दत्तक लेने के पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी किए हैं।

10.13 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास: “विशेष आवश्यकता वाले बच्चे” का अर्थ है ऐसा बच्चा जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में दिए गए किसी विकलांगता से पीड़ित है जैसा कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 खविनियम 2(25), की अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग-ड) में दिया गया है। परिवार के बिना ये बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या विकासात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं जिनके लिए भावनात्मक, चिकित्सा या उपचारात्मक ध्यान की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2024 के दौरान, कुल 364 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को PAP द्वारा आरक्षित किया गया था। ये बच्चे विभिन्न शारीरिक और मानसिक विकारों और विकलांगताओं से पीड़ित थे और पारिवारिक गर्मजोशी, स्नेह और देखभाल के लिए संस्थागत देखभाल की प्रतीक्षा कर रहे थे।

10.14 संबंधी और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए समय-सीमा: सभी हितधारकों के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर/अंतर-देशीय संबंधी और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के संबंध में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए संचालन समिति द्वारा एक व्यवस्थित समय-सीमा को अंतिम रूप दिया गया है।

(अनुलग्नक—XXVI और अनुलग्नक—XXVII)

10.15 आरक्षित बच्चों की मिलान अवधि के लिए

समय विस्तार: दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के दत्तक ग्रहण विनियमन 11(9) (अध्याय पअ— निवासी भारतीयों के लिए दत्तक ग्रहण प्रक्रिया) और विनियमन 16(10) (अध्याय पअ— एनआरआई, ओसीआई और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तक ग्रहण प्रक्रिया) में निर्धारित अनुसार, मिलान और स्वीकृति प्रक्रिया केयरिंग्स पर बच्चे की प्रोफाइल आरक्षित करने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी है। ऐसे मामले में जहां मिलान और स्वीकृति प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, संभावित दत्तक माता-पिता (पीएपी) / विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) / अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एएफएए) या विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन (आईडीएम) से समय विस्तार अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है।

10.16 दत्तक ग्रहण विनियमन के अनुसार दत्तक

ग्रहण शुल्क पर स्पष्टीकरण: दत्तक ग्रहण विनियमन, 2022 की अनुसूची 15 में दिए गए दत्तक ग्रहण शुल्क की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त अनुसूची के भाग 2 में उल्लेख किया गया है कि सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों वाले बच्चे के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में, दत्तक ग्रहण शुल्क अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के समान ही होगा अर्थात् 50,000/- रुपये।

VI. शिकायत प्रबंधन प्रणाली

10.17 ये शिकायतें मुख्य रूप से भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) से प्राप्त होती हैं जिसमें दत्तक प्रक्रिया में अन्य हितधारक भी शामिल हैं। शिकायतों की प्रकृति मुख्य रूप से चिकित्सा आधार, दत्तक प्रक्रिया में विलंब, वरिष्ठता की स्थिति, एसएए की दत्तक ग्रहण समिति द्वारा अस्वीकृति इत्यादि से संबंधित है। इस मुद्दे

को समाधान करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

- **हेल्प डेस्क:** प्रश्नों का त्वरित समाधान करने के लिए 12 घंटे की हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।
- **केंद्रीय शिकायत प्रणाली:** यह विभिन्न स्तरों पर शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसे कार्यशील किया गया है, जहां शिकायतों को विभिन्न स्तरों पर समाधान किया जाता है अर्थात् यदि एसएए/ डीसीपीयू द्वारा समाधान नहीं किया जाता है तो यह एसएआरए के ऑनलाइन पोर्टल और अंत में कारा पर दिखाई देगा।

हेल्पडेस्क द्वारा प्राप्त किए गए कॉलों का विवरण निम्नानुसार है:

समयसीमा	इनबाउंड कॉल	आउटबाउंड कॉल्स	कुल
1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक	61033	3877	64910

1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक केयरिंग्स शिकायत पोर्टल और ई-मेल के माध्यम से कुल 2093 शिकायतें प्राप्त हुईं और 2017 शिकायतों का समाधान किया गया।





मनीला, फिलीपींस में सीईओ कारा के नेतृत्व में 1993 गोद लेने की संधि के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया।

VII. केयरिंग्स

10.18 फरवरी, 2021 में शुरू की गई चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (केयरिंग्स) दत्तक ग्रहण के इच्छुक पीएपी के पंजीकरण के लिए एक वेब आधारित नामित पोर्टल है। सभी हितधारकों की पोर्टल तक पहुँच है और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जाती है। इसका नवीनतम संस्करण 3.2, 10 नवंबर, 2022 को कार्यशील किया गया था, जिसमें दत्तक ग्रहण के नियम 2022 के अनुसार किए गए नए प्रावधान शामिल हैं, जिसमें देश के अंतर्गत संबंधी दत्तक ग्रहण और देश के अंतर्गत पोस्ट एडॉप्शन फॉलो-अप नियमावली भी शामिल हैं।

10.19 केयरिंग्स पोर्टल बच्चों के संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर हेग कन्वेंशन में परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि करता है। यह कानूनी रूप से मुक्त बच्चों से संबंधित दो डेटाबेस को भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के डेटाबेस के साथ एकीकृत करता है, जो उसी प्रणाली के माध्यम से स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करते हैं। स्वचालित प्रणाली दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों

को स्वचालित रूप से पीएपी द्वारा दिए गए विकल्प के साथ मिलाती है और यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से ऑनलाइन रेफरल देती है। साथ ही, पीएपी विशेष आवश्यकता टैब, पालक दत्तक ग्रहण टैब और तत्काल प्लेसमेंट टैब के माध्यम से प्रत्यक्ष बच्चों को देखने और आरक्षित करने में सक्षम हैं।

मॉड्यूल और प्रावधानों का विकास

10.20 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) को 01 सितंबर, 2022 से लागू किया गया और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 को 2022 में संशोधित किया गया है जिसे 23 सितंबर, 2022 से अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, वर्ष 2023 के दौरान निम्नलिखित मॉड्यूल और प्रावधान विकसित किए गए हैं और उन्हें केयरिंग्स पोर्टल पर लाइव किया गया है:—

- i. निवासी भारतीय अभिभावकों के लिए वरिष्ठता प्रतीक्षा स्थिति को लाइव कर दिया गया है।
- ii. देश में और अंतर-देशीय रिश्तेदार दत्तक ग्रहण को लाइव कर दिया गया है।
- iii. श्रेणियों (अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, नो-विजिटेशन, और अयोग्य अभिभावक/संरक्षक) के अद्यतन के बारे में प्रावधान एसएए और डीसीपीयू स्तर पर उपलब्ध कराया गया है।
- iv. “स्थानान्तरण प्रक्रियाधीन बच्चे” और “स्थानान्तरण/मिलन/मृत/भगोड़े बच्चे” के लिए प्रशासनिक कार्यप्रणालियां कारा और एसएआरए में जोड़ी गई।
- v. एसएए-सीसीआई लिंकेज प्रक्रिया चरण 1 (बाल पंजीकरण से कानूनी रूप से मुक्त क्लीयरेंस) और चरण 2 (दत्तक ग्रहण प्रक्रिया) को सफलतापूर्वक लाइव कर दिया गया है।

- vi. पालन-पोषण देखभाल पंजीकरण मॉड्यूल विकसित, ऑडिट किया गया और सर्वर पर लाइव कर दिया गया।
- vii. इन मामलों को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया से बाहर करने के लिए व्यवधान/विघटन पोर्टल तक को अद्यतन किया गया।
- viii. एसएए-सीसीआई प्रक्रिया से जुड़ा पूर्व-दत्तक ग्रहण चरण मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है।
- xi. डीसीपीयू स्तर पर मिलान प्रक्रिया और दो वर्ष पूरे होने के बाद पालक दत्तक ग्रहण के लिए इसके बाद के संक्रमण के साथ-साथ संपूर्ण पालक देखभाल पंजीकरण प्रक्रिया को लाइव कर दिया गया है।
- x. बच्चे के दत्तक ग्रहण के बाद भी बच्चे की स्थिति (अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित) को अद्यतन करने के लिए प्रशासनिक पैनल के माध्यम से केयरिंग्स के लाइव सर्वर पर एक प्रावधान लागू किया गया है।

तंत्र संवर्द्धन

- i. डैशबोर्ड का अद्यतन:
 - क) डीएम, एसएए और डीसीपीयू को एसएए-सीसीआई प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया।
 - ख) कारा वेबसाइट डैशबोर्ड को अंतर-देशीय, पालक और एचएएमए डेटा के विभाजन के लिए अद्यतन
- ii. पीएपी पंजीकरण पृष्ठ को 12 अंकों के जन्म प्रमाण पत्र संख्या का समर्थन करने के लिए उन्नयन किया गया है।
- iii. कार्यालय ज्ञापन और प्रोटोकॉल जोड़ने के लिए प्रशासनिक टैब बनाए गए हैं। कारा,

एसएआरए, डीसीपीयू, और एसएए स्तर।

- iv. टिप्पणियों की दृश्यता और निरस्तीकरण नोटों के साथ एचएसआर पुनर्वैधीकरण प्रक्रिया को बढ़ाया गया।
- v. बाल पंजीकरण और एलएफए प्रक्रिया के लिए टेम्पलेट/पॉप-अप को सभी स्तरों पर लागू किया गया।

क) रिपोर्ट:

- i. “पंजीकृत”, “देश के अंतर्गत बच्चे”, “कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित बच्चे”, और “श्रेणीवार (अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित)” के अंतर्गत अन्य को लाइव किया गया।
- ii. डीसीपीयू, एसएआरए और कारा स्तरों पर एचएसआर पुनर्वैधीकरण लंबितता पर रिपोर्ट।
- iii. “18 वर्ष की आयु वाले बच्चे” और “अवरुद्ध/अनअवरुद्ध बच्चे” रिपोर्ट को लाइव किया गया।
- iv. फ़िल्टर (वित्तीय वर्ष, तिथियां) के साथ “आयु-वार कानूनी रूप से स्वतंत्र बच्चों” को लाइव किया गया।
- v. “मृत बच्चे” और “कई पंजीकरण हटाए गए बच्चे” को लाइव किया गया।
- vi. बच्चों को दूसरे एसएए में स्थानांतरित किया गया
- vii. बच्चों को दूसरे सीसीआई में स्थानांतरित किया गया
- viii. हितधारक रिपोर्ट विकसित की गई

VIII. पिछले तीन वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण डेटा (समेकित) :-

दत्तक — ग्रहण	2022 — 23*	2023 — 24*	2024—25 (01.01.2024 — 31.12.2024)**
देश के अंतर्गत	3010	3580	3888
अंतर-देशीय	431	449	464

*कारा वेबसाइट पर दिए गए दत्तक ग्रहण सांख्यिकी के अनुसार।

**डेटा केयरिंग्स पोर्टल से प्राप्त किया गया

IX. प्रशिक्षण एवं आउटरीचिंग गतिविधियां

10.23 पिछले एक वर्ष में दत्तक ग्रहण के कानूनी ढांचे में बड़े परिवर्तन हुए हैं। फील्ड/जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नवीनतम परिवर्तनों, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से लैस करने के लिए, लगातार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकतम हितधारकों को लाभ मिले, प्रशिक्षण वास्तविक और आभासी दोनों तरह से आयोजित किए गए। जेजे संशोधन अधिनियम, 2021 और जेजे मॉडल नियम, 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन एमडब्ल्यूसीडी द्वारा कारा और निपसिड के सहयोग से विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट और अपर

जिला मजिस्ट्रेट के लिए किया गया था। सीएमओ को प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए नवीनतम संशोधन और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (एमईआर) पर सीएमओ प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत सूची नीचे दी गई है।

क्र. सं.	गतिविधि	(01.01.2024— 31.12.2024) से संचालित
1.	दत्तक ग्रहण विनियमन, 2022 पर राज्य अभिविन्यास तथा एसएआरए, डीएम, डीसीपीयू, एसएए और अन्य हितधारकों को परामर्श।	12
2.	राज्य सरकारों और निपसिड के सहयोग से प्रशिक्षण	37
3.	कानूनी दत्तक ग्रहण पर वर्चुअल अभिविन्यास प्रशिक्षण और हितधारकों को परामर्श।	46
4.	दौरे और निरीक्षण	19
5.	दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के दौरान दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार और संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले परिवारों की बैठक।	15

आभासी अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम



12.01.2024: राजस्थान के एसएआरए, डीएम, डीसीपीयू और एसएए के साथ प्रशिक्षण

X. दत्तक ग्रहण जागरूकता कार्यक्रम

10.22 प्रति वर्ष नवंबर को दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसलिए, सभी राज्यों को दत्तक ग्रहण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस वर्ष बड़े बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या पालन-पोषण देखभाल में बच्चों के दत्तक ग्रहण पर बल दिया गया। इस वर्ष का विषय “पालन-पोषण देखभाल और पालन-पोषण दत्तक ग्रहण के माध्यम से बड़े बच्चों का पुनर्वास” था जिसका उद्देश्य दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और पालन-पोषण देखभाल के माध्यम से बड़े बच्चों के पुनर्वास के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कारा का उद्देश्य संभावित दत्तक माता-पिता सहित हितधारकों के बीच दत्तक ग्रहण लेने के बारे में जागरूकता का प्रसार करना था।

10.23 दत्तक ग्रहण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर **वार्षिक सम्मेलन** 21 नवंबर, 2024 को लखनऊ में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाओं, अधिकारों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, साथ ही देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बड़े बच्चों के लिए अधिक समावेशी, सहायक समाज की पैरवी करना था। श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार इस सम्मेलन की

सम्मानित मुख्य अतिथि थीं। श्रीमती बेबी रानी मौर्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की श्रीमती बबीता चौहान, श्रीमती अपर्णा यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

ऑनलाइन और सोशल मीडिया गतिविधियां:

10.24 बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने माई गव इंडिया के सहयोग से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। माई गव प्लेटफॉर्म पर प्रतिज्ञा गतिविधि, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई।

- ऑनलाइन प्रतिज्ञा: 4,858 भागीदारी
- स्लोगन लेखन: 1032 प्रस्तुतियां
- ऑनलाइन सर्वेक्षण: 866 प्रस्तुतियां
- पोस्टर मेकिंग: 309 प्रस्तुतियां
- दत्तक ग्रहण स्टोरीटेलिंग : 211 प्रस्तुतियां

10.25 इसके अतिरिक्त, कारा ने दत्तक ग्रहण के संबंध में आम जनता के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तीन फेसबुक लाइव सत्र आयोजित किए। फेसबुक लाइव सत्र 27 फरवरी, 17 सितंबर और 29 नवंबर 2024 को आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कारा से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की।



21 नवंबर 2024 को लखनऊ में दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा।



23.11.2024 को हैदराबाद में सीईओ CARA की उपस्थिति में दत्तक परिवार और PAP एकजुट हुए।



अन्य कार्यक्रम एवं गतिविधियां

अन्य कार्यक्रम एवं गतिविधियां

I. सूचना प्रौद्योगिकी

11.1 मंत्रालय कई योजनाओं और पहलों में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है। मंत्रालय की वेबसाइट (wcd.nic.in) एक द्विभाषी वेबसाइट है। इसमें मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की सभी योजनाओं, अधिनियमों/नीतियों आदि की जानकारी के साथ-साथ मंत्रालय की संपर्क निर्देशिका और संगठनात्मक संरचना भी है। पूरे रिपोर्टिंग वर्ष में नागरिकों के लिए शून्य डाउनटाइम बनाए रखा गया है। साइट पर महत्वपूर्ण संबंधित हाइपरलिंक भी प्रदान किए गए हैं।

11.2 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के परिणाम और प्रभाव दर्शाने के लिए एनआईसी की मदद से एक निगरानी डैशबोर्ड (wcd.dashboard.nic.in) तैयार किया गया है। वर्ष 2022 में, यह डैशबोर्ड एनआईसी द्वारा फिर से डिजाइन किया गया है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तीनों मिशनों अर्थात् मिशन पोषण, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के अनुसार कार्यान्वित किया गया है।

11.3 मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान शुरू किए गए कुछ कार्यक्रमों और नवीनतम प्रगति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क. ई-ऑफिस (mwcd.eoffice.gov.in)

11.4 मंत्रालय ने ई-ऑफिस प्रीमियम उत्पादों को पूरी तरह कार्यान्वित किया है और कागज़ रहित (पेपरलेस) कार्यालय अवधारणा को सफलतापूर्वक अपनाया है और इसके लिए मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) द्वारा प्लेटिनम मंत्रालय का दर्जा दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ई-फाइलों की संख्या और ई-फाइलों के प्रतिशत (100%) के मामले में शून्य भौतिक फाइल वाले सभी मंत्रालयों की सूची में सबसे ऊपर है। ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में किए गए सराहनीय कार्य के लिए मंत्रालय को डीएआरपीजी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। मंत्रालय में 90000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फाइलें बनाई गई हैं। हाल ही में मंत्रालय में एक साल से ई-ऑफिस 7.2.5 संस्करण लागू किया गया है। इसके अलावा, इसे प्रयोक्ता के अनुकूल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस में नए अपडेट किए गए हैं।

ख. स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड की मैपिंग और सीडिंग:

11.5 स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) एक मानक स्थान कोड निर्देशिका है जिसमें प्रत्येक राजस्व/भूमि क्षेत्र इकाई जैसे राज्य, जिले, उप-जिला, ब्लॉक और गांव तथा स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका को विशिष्ट कोड प्रदान किया गया है। मंत्रालय ने एलजीडी कोड के साथ विभिन्न योजनाओं

को एकीकृत किया है और प्रशासनिक इकाइयों के स्थान के एलजीडी कोड सहित अपने ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों (एप्लीकेशंस) को एकीकृत कर रहा है।

ग. राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल (<https://services.india.gov.in>) पर सेवाएं अपलोड करना

11.6 मंत्रालय की आईटी सेवाएं खसरकार से नागरिक (जी2सी), सरकार से कर्मचारी (जी2ई) तथा सरकार से व्यवसाय (जी2बी) के अंतर्गत, "राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल (<https://services.india.gov.in>) पर अपलोड की जा रही हैं जिन्हें जी2सी, जी2ई और जी2बी के अंतर्गत सभी केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सूचना और लेनदेन सेवाओं के लिए एकल खिड़की पोर्टल उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।



76वें गणतंत्र दिवस समारोह में माननीय मंत्री एमडब्ल्यूसीडी के साथ माननीय राज्यमंत्री और सचिव एमडब्ल्यूसीडी

घ. शी-बॉक्स (<https://shebox.wcd.gov.in/>)

11.7 लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) इस मुद्दे के समाधान की एक सरकारी पहल है। शी-बॉक्स v2.0 एक उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली है जिसमें पूरी शिकायत प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन संचालित की जाती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम)

द्वारा निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाता है। यह मंच कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए एक त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है और शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई सुधार किए गए हैं।

शी-बॉक्स अ2.0 की मुख्य संवर्द्धन और विशेषताएं:

- i. **पोर्टल का रखरखाव और पहुँच:** शी-बॉक्स पोर्टल का निरंतर रखरखाव नागरिकों को शिकायतों की रिपोर्ट करने और उन्हें प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- ii. **पुनर्गठित और उन्नत इंटरफ़ेस:** अपडेट किए गए शी-बॉक्स अ2.0 को प्रयोक्ता के अधिक अनुकूल बनाने के लिए नई सुविधाओं के साथ एक बेहतर UI/UX जोड़ा गया है।
- iii. **व्यापक प्रयोक्ता सहायता:** सुलभता बढ़ाने के लिए पोर्टल से संबंधित पासवर्ड रीसेट, डिपार्टमेंट सीडिंग और मंत्रालय मैपिंग जैसे प्रश्नों के लिए सहायता प्रदान की गई।
- iv. **प्रयोक्ता खाता सक्रियण:** नोडल अधिकारियों और विभाग-स्तरीय प्रयोक्ताओं को सहज पहुँच और संचालन की सुविधा के लिए सक्रिय प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुए।
- v. **शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल:** केंद्र और राज्य सरकार दोनों के प्रयोक्ताओं के लिए इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया जिससे सुव्यवस्थित केस ट्रैकिंग, समाधान और शिकायत निवारण में बेहतर पारदर्शिता की सुविधा मिली।
- vi. **अग्रेषित शिकायत मॉड्यूल:** समय पर समाधान के लिए उचित प्राधिकारी को कुशल शिकायत पुनर्निर्देशन करने वाली यह एक नई जोड़ी गई सुविधा है।

vii. आंतरिक समिति (आईसी) प्रबंधन संवर्द्धन: सटीक अपडेट और एसएच अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए आईसी विवरण संपादन सुविधा जोड़ी गई।

viii. राज्य और जिला डैशबोर्ड: शिकायत निवारण प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) और जिला नोडल अधिकारियों (डीएनओ) के लिए मामले की स्थिति की दृश्यता और पहुंच बढ़ाना।

ix. सूचीकरण और वार्षिक रिपोर्ट मॉड्यूल: संरचित प्रलेखन, अनुपालन की निगरानी और राज्य स्तर पर आवधिक रिपोर्टिंग में सहयोग करने के लिए शुरू किया गया।

x. कार्यस्थल और आईसी प्रबंधन संपादन: प्रयोक्ताओं को कार्यस्थल का विवरण अपडेट करने और आंतरिक समिति की जानकारी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम बनाए जाने से रिकॉर्ड में सटीकता सुनिश्चित हुई।

xi. निर्बाध प्रयोक्ता प्रबंधन: सुचारु पोर्टल संचालन और बेहतर प्रयोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करते हुए प्रयोक्ता ऑनबोर्डिंग, भूमिका प्रदायगी और तकनीकी समस्या निवारण के लिए निरंतर समर्थन।

ड. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना— (<https://pmmvy-cas.nic.in>)

11.8 कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई—सीएस) पोर्टल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभों का संवितरण करता है।

11.9 पीएमएमवीवाई के तहत, मौद्रिक लाभ सीधे पीएमएमवीवाई—सीएस पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों के लिए सुलभ है। ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में भुगतान करने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों/स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्रों से प्राप्त पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों के डेटा का डिजिटलीकरण / अनुमोदन किया जाता है।

11.10 पीएमएमवीवाई सीएस पोर्टल का नया संस्करण एनआईसी द्वारा तैयार किया जा रहा है। नए एप्लिकेशन में, भविष्य में अन्य प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण और आधार कार्ड—आधारित भुगतान को सक्षम बनाने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। नए नामांकन में नागरिक सीधे पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्वयं का पंजीकरण करा सकेंगे।

च. एकीकृत बाल विकास सेवा— त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली (आईसीडीएस—आरआरएस) (<https://icds-wcd.nic.in/>)

11.11 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) स्तर पर रजिस्ट्रों तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट खमपीआर, और वार्षिक स्थिति रिपोर्ट [एसएसआर] की रिपोर्टिंग के नए प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

छ. ट्रैकचाइल्ड (<https://trackthemissingchild.gov.in>)

11.12 इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के कल्याण में योगदान देने के साथ ही ऐसी परिस्थितियों और कार्यों के जोखिम को कम करना है जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और अलगाव का कारण बनते हैं। वर्ष 2022 में, ट्रैक द मिसिंग चिल्ड्रन पोर्टल को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ एकीकृत किया गया है। इससे न केवल जमीनी स्तर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दोहराव को खत्म किया जा सकेगा बल्कि लापता बच्चों की ट्रैकिंग भी कम समय में संभव हो सकेगी।

11.13 इसके अलावा, इस वर्ष रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर शामिल किया गया है। इससे गुमशुदा और बरामद बच्चों की सूचना सीधे आरपीएफ चौकियों को देने में मदद मिलेगी और बच्चों की बहाली तथा अन्य देखरेख और सुरक्षा सेवाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

ज. खोया-पाया (khoyapaya.gov.in)

11.14 खोया-पाया डिजिटल इंडिया के तहत गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया एक नागरिक केंद्रित मॉड्यूल है। खोया-पाया के साथ पंजीकृत कोई भी नागरिक किसी भी कानूनी औपचारिकता को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बिना, गुमशुदा या देखे गए बच्चे के बारे में जानकारी प्रकाशित कर सकता है। नागरिक द्वारा दी गई जानकारी त्वरित संशोधन के बाद सार्वजनिक रूप से देखने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक खोए या देखे गए बच्चे की पहचान का मिलान करके बच्चों के डेटाबेस की खोज कर सकते हैं।

झ. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) ई-बॉक्स (<http://ncpcr.gov.in/index2.php>)

11.15 पॉक्सो ई-बॉक्स लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक आसान और सीधा माध्यम है। इसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की वेबसाइट के होम पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है जिसमें प्रयोक्ता को केवल पॉक्सो ई-बॉक्स नामक एक बटन दबाना है जो एक पेज पर जाएगा जिसमें एक छोटी एनीमेशन मूवी वाली विंडो होगी। एनसीपीसीआर रिक्तियों का पोर्टल एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के लिए भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु तैयार किया गया है। यह पोर्टल रिक्तियों की पोस्टिंग, आवेदन और चयन प्रक्रियाओं के प्रबंधन की केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी, कुशल और संरचित भर्ती को सुगम बनाता है।

ञ. मिशन शक्ति

11.16 मिशन शक्ति आईटी प्लेटफॉर्म एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो इस पहल के तहत विभिन्न योजनाओं की निगरानी, प्रबंधन और उन्हें सुव्यवस्थित करती है। प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, यह प्लेटफॉर्म सेवा प्रदायगी को बढ़ाता है, तत्काल निगरानी सुनिश्चित करता है, और डेटा-संचालित निर्णय लेने में सहायता करता है।

क. मुख्य विशेषताएं और प्रणाली का उन्नयन

1. डेटा प्रबंधन और तत्काल निगरानी

- वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), शक्ति सदन, सखी निवास और पालना जैसी योजनाओं के लिए संरचित डेटा प्रविष्टि

हेतु मानकीकृत फॉर्म और टेम्पलेट उपलब्ध कराता है।

- तत्काल निगरानी (आरटीएम) तंत्र डेटा संग्रह, प्रसंसाधन और रिपोर्टिंग को स्वचालित करता है जिससे समय पर निर्णय लेना सुनिश्चित होता है।
- ओएससी, पालना केंद्रों और अन्य संस्थानों की जियो-टैगिंग स्थान-आधारित ट्रैकिंग और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करती है।

2. सिस्टम आर्किटेक्चर और एकीकरण

- यह एक सुदृढ़ और स्केलेबल सिस्टम आर्किटेक्चर है जो उच्च उपलब्धता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पीक लोड का प्रबंधन करता है।
- निर्बाध डेटा प्रवाह के लिए विभिन्न योजनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्यकलापों का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है।
- दिशा पोर्टल और पीएम गति शक्ति जैसे बाहरी सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण निगरानी और पहुंच को बढ़ाता है।
- जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) स्तर पर मेकर-चेकर सत्यापन प्रक्रिया डेटा सत्यापन और सटीकता में सुधार करती है।

3. निर्णय सहायता इंजन और सार्वजनिक सेवाएं

- पीएम संकल्प के लिए निर्णय सहायता

इंजन (डीएसई) सभी महिला-संबंधित योजनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है, जो महिलाओं को पात्रता के आधार पर प्रासंगिक सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंचने में सहायता करता है।

- एक अपॉइंटमेंट बुकिंग मॉड्यूल नागरिकों को परामर्श और सहायता सेवाओं के लिए ओएससी में सत्र निर्धारित करने की अनुमति देता है।
- सार्वजनिक लैंडिंग पेज पर "अपना निकटतम ओएससी खोजें" सुविधा महिलाओं को आसानी से सहायता केंद्र खोजने में मदद करती है।

4. डेटा विजुअलाइज़ेशन, रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड

- इंटरैक्टिव डैशबोर्ड योजना के प्रदर्शन, लाभार्थी डेटा और आउटरीच प्रभाव के बारे में तत्काल जानकारी प्रदान करते हैं।
- एपीआई-आधारित डेटा साझाकरण तंत्र व्यापक निगरानी के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) सहित बाहरी प्रणालियों से डेटा प्राप्त करते हैं।
- रिपोर्ट और निगरानी उपकरण, योजना के तहत 100-दिवसीय अभियानों और अन्य विशेष पहलों को ट्रैक करते हैं।

5. मोबाइल एप्लिकेशन और चैटबॉट कार्यान्वयन

- मोबाइल एप्लिकेशन मिशन शक्ति सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है जिससे लाभार्थियों और फील्ड

अधिकारियों को उपयोग में आसानी होती है।

- भाषा पहचान, अनुवाद और भाषण पहचान वाला कृत्रिम बौद्धिकता संचालित **चैटबॉट, हब मॉड्यूल में एकीकृत किया गया है**, जिससे पहुंच और उपयोगकर्ता जुड़ाव में वृद्धि हुई है।
- उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस संवर्द्धन **शक्ति सदन और सखी निवास** से संबंधित मॉड्यूल के लिए प्रयोज्यता और कार्यक्षमता में सुधार करता है।

6. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र, राज्य और जिला अधिकारियों को आईटी प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करते हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रचालन दक्षता बढ़ाने के लिए **ओएससी, पालना और महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** सहित विभिन्न मॉड्यूल को कवर करते हैं।

ख. मिशन शक्ति डैशबोर्ड की विशेषताएं

1. वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी)

- वन-स्टॉप सेंटर मॉड्यूल एक गतिशील डैशबोर्ड प्रदान करता है जिससे सभी उपयोगकर्ता लॉगिन कर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- यह अक्षांश, देशांतर और सुविधा विशिष्टताओं सहित विस्तृत अवसंरचना और भौगोलिक स्थान डेटा को दर्ज करता है, जिससे अंतिम हिस्से तक

सम्पर्कर्ता (कनेक्टिविटी) सुनिश्चित होती है।

- इसमें एक ऑनलाइन केस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सभी मिशन शक्ति मॉड्यूल में मामलों के निर्बाध पंजीकरण, रेफरल और संकट में महिलाओं के लिए सहायता में वृद्धि करने के लिए केस प्रगति की ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।

2. सखी निवास

- सखी निवास मॉड्यूल में डाटा तक तत्काल पहुंच के लिए एक गतिशील डैशबोर्ड शामिल है।
- यह बुनियादी ढांचे और भौगोलिक स्थान अक्षांश, देशांतर, कब्जे की स्थिति और सुविधा के विवरण रिकॉर्ड करता है।
- एक प्रवेश प्रबंधन प्रणाली, संरचित प्रवेश प्रपत्रों के माध्यम से लाभार्थियों के लिए रिकॉर्ड रखने को स्वचालित करती है, जिससे कुशल संचालन सुनिश्चित होता है।

3. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

- बीबीबीपी मॉड्यूल विभागों में क्षेत्रीय कार्यकलापों का प्रबंधन करता है ताकि तालमेल और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- उपयोगकर्ता बेहतर वित्तीय ट्रैकिंग के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) अपलोड कर सकते हैं।
- मॉड्यूल सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रलेखन और उन्हें प्रसारित करने के लिए एक

मंच प्रदान करता है, जिससे हितधारकों को जिलों में सफल पहलों को दोहराने में सहायता मिलती है।

- यह स्थानीय कार्यकलापों के लिए जिला-विशिष्ट कार्य योजनाओं की तैयारी और प्रबंधन की सुविधा भी प्रदान करता है।

4. पालना

- पालना मॉड्यूल में आंगनवाड़ी क्रेच और पालना के लिए बुनियादी ढांचे और भौगोलिक स्थान के विवरण दर्ज करने वाला एक गतिशील डैशबोर्ड है।
- इसमें लाभार्थी की समय-सीमा और उपस्थिति की निगरानी के लिए उपकरण शामिल हैं जिसमें लाभार्थी की तस्वीरें अपलोड करने के विकल्प भी शामिल हैं।
- ये सुविधाएं बाल देखरेख सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करती हैं और संचालन में पारदर्शिता बढ़ाती हैं।

5. शक्ति सदन

- शक्ति सदन मॉड्यूल सभी लॉगिन में प्रचालन आंकड़ों के लिए एक सुव्यवस्थित डैशबोर्ड प्रदान करता है।
- यह बुनियादी ढांचे और भौगोलिक स्थान का विवरण रिकॉर्ड करता है, जिससे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है।
- अधिभोग प्रबंधन उपकरण वास्तविक समय में उपलब्ध और अधिभोगित स्लॉटों की निगरानी करते हैं।

- प्रवेश प्रबंधन प्रणाली लाभार्थियों का सटीक रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करती है, जबकि रेफरल एकीकरण उपकरण देखभाल की निरंतरता के लिए ओएससी से रेफर किए गए मामलों का प्रबंधन करता है।

6. महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)

- महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) राष्ट्रीय (एनएचईडब्ल्यू), राज्य (एसएचईडब्ल्यू) और जिला (डीएचईडब्ल्यू) स्तर पर कार्य करते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक विशेष डैशबोर्ड होता है।
- राष्ट्रीय केंद्र वास्तविक समय आंकड़े अंतर्दृष्टि और विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट प्रदान करता है।
- राज्य केंद्र राज्य-स्तरीय समेकित आंकड़े, संसाधन ट्रेकिंग और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें क्षेत्रीय गतिविधि दस्तावेजीकरण और सर्वोत्तम पद्धति साझा करने के उपकरण शामिल हैं।
- जिला हब लाभार्थी पंजीकरण, क्षेत्र गतिविधि ट्रेकिंग, महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) एकीकरण और केंद्रीकृत हितधारक संपर्क निर्देशिकाओं पर जोर देता है।
- प्रत्येक केंद्र भौगोलिक स्थिति का विवरण एकत्र करता है तथा महिला सशक्तिकरण के लिए समेकित दृष्टिकोण हेतु नवीन पद्धति को साझा करने को बढ़ावा देता है।

ग. प्रभाव एवं परिणाम

मिशन शक्ति आईटी प्रणाली महिला-केंद्रित योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करती है, जिसके परिणामस्वरूप:

- विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 1.29 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को सहायता।
- राज्य और जिला अधिकारियों सहित 10,000 से अधिक हितधारकों के साथ सक्रिय भागीदारी।
- एकीकृत आईटी प्रणालियों के माध्यम से विभागों के बीच सहयोग में वृद्धि, सेवा वितरण में सुधार।
- वास्तविक समय आंकड़े अंतर्दृष्टि और स्वचालित निगरानी के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही।

घ. नारी शक्ति पुरस्कार पोर्टल (naripowerpuraskar.wcd.gov.in)

11.17 वर्ष 2019 से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार (पूर्ववर्ती स्त्री शक्ति पुरस्कार) के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'नारी शक्ति पुरस्कार', "महिला सशक्तीकरण के लिए असाधारण कार्य की मान्यता में राष्ट्रीय पुरस्कार" है, जो भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन लोगों के लिए सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में प्रदान किया जाता है, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अनुकरणीय साहस और शानदार योगदान का प्रदर्शन किया है।

ङ. निर्भया डैशबोर्ड (www.nirbhayadashboard.nic.in)

11.18 निर्भया डैशबोर्ड सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो निर्भया कोष के तहत वित्त पोषित योजनाओं/परियोजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं के व्यय की स्थिति और विवरण को अद्यतन करता है।

11.19 निर्भया पोर्टल (वर्तमान में विकासाधीन) एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे निर्भया कोष के तहत वित्त पोषित सुरक्षा उपायों तथा पहलों की निगरानी और देखरेख के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं की ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

च. एकीकृत निगरानी प्रणाली

11.20 यह इंटरनेट पर है। मंत्रालय में महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों, बजट संबंधी मामलों, न्यायालयीन मामलों, मीडिया संबंधी मामलों, पीएमओ संदर्भों, वीआईपी संदर्भों, संसदीय मामलों और लोक शिकायतों की प्रगति की निगरानी के लिए इस प्रणाली को विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

छ. इंटरनशिप पोर्टल (<https://wcd.intern.nic.in/>)

11.21 इंटरनशिप पोर्टल इंटरनशिप आवेदनों के प्रबंधन और छात्रों और सरकारी संगठनों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। यह आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे प्रशिक्षुओं और मंत्रालय के अधिकारियों दोनों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और पहुँच सुनिश्चित होती है।

- **निरंतर रखरखाव और समर्थन:** निरंतर तकनीकी सहायता और उपयोगकर्ता सहायता प्रदान की गई, जिससे निर्बाध पोर्टल कार्यक्षमता और निर्बाध आवेदन प्रसंस्करण सुनिश्चित हुआ।
- **उपयोगकर्ता प्रबंधन और अभिगम्यता:** उपयोगकर्ता खातों का प्रबंधन किया, प्रश्नों का समाधान किया, तथा प्रशिक्षुओं और मंत्रालय के बीच सहभागिता को बेहतर बनाने के लिए समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाया।
- **अनुपालन और अपडेट:** नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण फॉर्म को अद्यतन करने, सरकारी नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और डेटा की सटीकता बनाए रखने में सहायता की।
- **परिचालन क्षमता:** सिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी की, तकनीकी समस्याओं की पहचान की और पोर्टल संचालन को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक संवर्द्धन लागू किए।

ज. PMCARES for children (<https://pmcaresforchildren.in>)

11.22 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन पोर्टल एक समर्पित आईटी-संचालित मंच है जिसे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना को क्रियान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह योजना उन बच्चों को व्यापक देखभाल, सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। देश भर में इस योजना के तहत 4,543 बच्चों को कवर करने के साथ, यह पोर्टल लाभार्थी प्रबंधन, प्रगति पर निगरानी रखने और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह डिजिटल सेवा प्रदायगी के एक मॉडल के रूप में मौजूद है, जो एक एकीकृत प्रणाली के भीतर बाल कल्याण के कई पहलुओं

को एकीकृत करता है।

क) मुख्य संवर्द्धन और कार्यक्षमताएँ

1. कार्य प्रणाली का डिज़ाइन और विकास

- कार्य-प्रवाह, मॉड्यूल और उप-प्रणाली को परिभाषित करने के लिए अवधारणा दस्तावेज, परियोजना समीक्षा प्रस्तुतियाँ एवं प्रणाली आर्किटेक्चर तैयार किया।
- चाइल्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन किया, जिससे लाभार्थियों को उनके हकदार लाभों तक पहुँच तथा सहायता के लिए नोडल अधिकारियों की एक निर्देशिका प्रदान की गई।
- तात्कालिक समय (रियल टाइम) की निगरानी और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए ड्रिल-डाउन क्षमताओं के साथ परस्पर संवाद योजना डैशबोर्ड क्रियान्वित किया।

2. बच्चों की ट्रैकिंग और प्रगति निगरानी

- प्रत्येक बच्चे के विकास, शैक्षणिक कार्यनिष्पादन और अतिरिक्त क्रियाकलापों की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग तंत्र की अवधारणा बनाई गई, जिससे व्यक्तिगत मार्गदर्शन संभव हो सका।
- तात्कालिक समय (रियल टाइम) लाभार्थी की निगरानी के लिए मंत्रालय स्तर पर बाल ट्रैकिंग रिपोर्ट पेश की गई।
- ऐतिहासिक आंकड़े (डेटा) समेकन के लिए अधिकतम (बल्क) अपलोड सुविधा सहित बालक-वार प्रगति रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए संबंधित मंत्रालयों

के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया।

3. एकीकरण और पहचान सत्यापन

- आधार प्रमाणीकरण के लिए यूआईडीएआई के साथ एकीकरण, जिससे लाभार्थियों की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके।
- आधार से जुड़े बैंक खातों को मान्य करने के लिए एनपीसीआई के माध्यम से आधार लुकअप सक्षम किया गया, जिससे छात्रवृत्ति वितरण सुचारु रूप से सुनिश्चित हो सके।
- लाभार्थियों की प्रामाणिकता तथा पात्रता सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया

4. उपयोगकर्ता के अनुभव और पहुँच क्षमता में सुधार

- पोर्टल की उपयोगिता और पहुँच को बेहतर बनाने के लिए यूआई/एक्स अपडेट लागू किए गए।
- हितधारकों द्वारा समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित अनुस्मारक के लिए अधिसूचना मॉड्यूल तैयार किया गया।
- तकनीकी प्रश्नों के निर्बाध समाधान के लिए ईमेल और फोन के माध्यम से आईटी हेल्पडेस्क सहायता प्रदान की गई।

5. आंकड़ा प्रबंधन और रिपोर्टिंग

- विसंगतियों के सत्यापन एवं सुधार के

लिए जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के साथ काम करके डेटा की सटीकता सुनिश्चित की।

- आंकड़ा-संचालित निर्णय लेने के लिए व्यापक मंत्रालय-स्तरीय रिपोर्ट तैयार की गई।
- लाभार्थी की ज़रूरतों और अतिरिक्त सहायता के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए क्रॉस-डायमेंशनल चाइल्ड प्रोफाइलिंग रिपोर्ट तैयार की गई।
- मंच दक्षता बढ़ाने के लिए लांच के बाद मूल्यांकन किए गए, प्रदर्शन मेट्रिक्स एवं उपयोगकर्ता फीडबैक का विश्लेषण किया गया।

6. हितधारक के सहयोग और वित्तीय सहायता प्रसंस्करण

- निर्बाध छात्रवृत्ति प्रसंस्करण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजीई) के साथ डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान की।
- जिला मजिस्ट्रेट लॉगिन पर पीएमआरबीपी आवेदन पत्र को एकीकृत किया, जिससे आवेदन प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित किया गया।
- पोर्टल के भीतर सभी बालको के डेटा को समेकित किया गया, जिससे सटीक रिकॉर्ड रखने और नीति कार्यान्वयन के लिए सत्य का एक ही स्रोत सुनिश्चित हुआ।

ख. प्रभाव और परिणाम

11.23 इन संवर्द्धनों और प्रक्रिया अनुकूलन के माध्यम से, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल ने सेवा प्रदायगी, परिचालन दक्षता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है कि प्रभावित बच्चों को समय पर वित्तीय सहायता, शिक्षा सहायता और कल्याण सेवाएँ मिलें, जिससे बाल संरक्षण और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

ग. बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (बाल विवाह मुक्त भारत)

11.24 बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल पहल है जो संरचित निगरानी, प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए समर्पित है। पोर्टल एक संरचित और पारदर्शी कार्यप्रवाह सुनिश्चित करता है जिससे विभिन्न स्तरों पर अधिकारी शिकायतों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं, निवारक उपायों को ट्रैक कर सकते हैं और जागरूकता बढ़ा सकते हैं। बहु-स्तरीय वृद्धि तंत्र का लाभ उठाकर प्लेटफॉर्म का उद्देश्य हितधारक सहयोग को बढ़ावा देते हुए बाल विवाह कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना है।

- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, देश भर में बाल विवाह को रोकने में इसके प्रभाव को मजबूत करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (बाल विवाह मुक्त भारत) में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। प्रमुख पहलों में से एक प्रतिज्ञा-आधारित जागरूकता अभियान था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह रोकथाम प्रयासों को सुदृढ़ करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। इस पहल ने डिजिटल आउटरीच का लाभ उठाकर समुदायों को जागरूकता कार्यक्रमों और निवारक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल

होने के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया।

- इस पोर्टल ने भूमिका-आधारित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण लागू किया, जिसने राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों सहित विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपीं। इस भूमिका-आधारित संरचना ने जवाबदेही को बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि उपयुक्त अधिकारियों के पास बाल विवाह के मामलों की निगरानी, समाधान और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक पहुंच और उपकरण हों।
- एक और महत्वपूर्ण सुधार उपयोगकर्ता-अनुकूल शिकायत प्रपत्रों की शुरुआत थी, जिन्हें बाल विवाह की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन शिकायत प्रपत्रों को स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी)-सत्यापित डेटा के साथ एकीकृत किया गया था, जिससे रिपोर्ट किए गए मामलों को ट्रैक करने में सटीकता और वैधता सुनिश्चित हुई। इन प्रपत्रों को अधिक सुलभ और नेविगेट करने में आसान बनाकर, पीड़ित, चिंतित नागरिक और अधिकारी कुशलतापूर्वक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जांच शुरू कर सकते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से मामले की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए, पारदर्शी डैशबोर्ड विकसित किए गए और पूरे प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए। इन डैशबोर्ड ने प्राप्त शिकायतों, एफआईआर पंजीकरण और विभिन्न स्तरों पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। वास्तविक

समय के डेटा विजुअलाइज़ेशन ने अधिकारियों और नीति निर्माताओं को रुझानों को ट्रैक करने, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने और बाल विवाह होने से पहले उन्हें रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने में सक्षम बनाया।

- इस पोर्टल के स्केलेबल और समावेशी डिज़ाइन ने यह सुनिश्चित किया कि इसे मौजूदा सरकारी प्रणालियों के साथ सहजता से एकीकृत करते हुए पूरे देश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। इस पोर्टल की वास्तुकला को भविष्य के विस्तार और संशोधनों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे यह पहल की उभरती आवश्यकताओं के अनुकूल हो सके। इसके अतिरिक्त, सिस्टम को समावेशी बनाने के लिए बनाया गया था, जिससे सरकारी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता सहित विविध उपयोगकर्ताओं को सार्थक तरीके से इसके साथ अंतर्क्रिया करने की अनुमति मिलती है। अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों और डेटाबेस के साथ एकीकरण ने पोर्टल की कार्यक्षमता और पहुंच को और मजबूत किया।
- अंत में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक रिपोर्ट किए गए मामले को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई और समाधान मिले मजबूत अनुवर्ती तंत्र शुरू किया गया। यह तंत्र प्रत्येक शिकायत की प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि मामले अनसुलझे न रह जाएं। संरचित ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम ने अधिकारियों को समाधानों की निगरानी करने, लंबित मामलों का अनुसरण करने और की गई कार्रवाइयों की प्रभावशीलता का आकलन करने में सक्षम बनाया। अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं को मामले की स्थिति के बारे में सूचित रखने

के लिए नियमित अपडेट और अधिसूचनाएं क्रियान्वित की गईं, जिससे समग्र प्रतिक्रिया समय में सुधार हुआ और यह सुनिश्चित हुआ कि कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए समय पर कार्रवाई की गई।

- इन व्यापक संवर्द्धनों के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल बाल विवाह से निपटने में एक अधिक प्रभावी उपकरण बन गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और पूरे भारत में युवा व्यक्तियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला है।

घ. मिशन शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन

11.25 मिशन शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन एक परिवर्तनकारी डिजिटल उपकरण है जिसे सुरक्षा, सहायता और सूचना को प्राथमिकता देने वाली सुविधाओं को एकीकृत करके महिला-केंद्रित कल्याण पहलों तक पहुँच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप सहायता, जागरूकता और सशक्तिकरण चाहने वाली महिलाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, जो मिशन शक्ति और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत आवश्यक सेवाओं तक निर्बाध डिजिटल पहुँच प्रदान करता है।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) पहल के हिस्से के रूप में सेल्फी विद डॉटर अभियान का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और बेटियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेने और साझा करने की अनुमति देती है जिससे बालिकाओं का जश्न मनाने के लिए एक सामाजिक आंदोलन बन गया है।

यह पहल लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूकता प्रसार और माता-पिता को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए सशक्त बनाकर सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है।

- मिशन शक्ति मोबाइल ऐप में स्थान-आधारित ओएससी फाइंडर को एकीकृत किया गया है जिससे उपयोगकर्ता एक क्लिक से निकटतम ओएससी का तुरंत पता लगा सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। ऐप को गूगल मैप्स के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है जो सटीक दिशा-निर्देश और वास्तविक समय स्थान तक पहुंच सुनिश्चित करता है जिससे संकट में महिलाओं को बिना किसी परेशानी के तत्काल सहायता प्राप्त करना आसान हो जाता है।
- इस ऐप में एक समर्पित अपॉइंटमेंट बुक करण मॉड्यूल है जिससे महिलाएं अपने निकटतम ओएससी में परामर्श शेड्यूल कर सकती हैं। उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा ओएससी का चयन कर सकते हैं, सुविधाजनक समय स्लॉट चयन कर सकती हैं और समय पर सहायता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करते हुए सहजता से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिशन शक्ति ऐप में एआई-संचालित चैटबॉट भी शामिल है जो मिशन शक्ति और एमडब्ल्यूसीडी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए वास्तविक समय में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह इंटेलेजेंट वर्चुअल असिस्टेंट सरकारी पहलों, पात्रता मानदंडों और उपलब्ध लाभों पर प्रश्नों के तुरंत जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस ऐप में राज्य-वार गतिशील डैशबोर्ड हैं जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) और डेटा रुझानों में वास्तविक समय की जानकारी

प्रदान करते हैं। ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड महिला कल्याण पहलों से संबंधित राज्य-विशिष्ट आंकड़े प्रदर्शित करते हैं जिससे नीति निर्माताओं और प्रशासकों को प्रगति की प्रभावी रूप से निगरानी करने में सहायता मिलती है। उपयोगकर्ता लाभार्थी डेटा, कार्यान्वयन की स्थिति और आउटरीच प्रभाव सहित मिशन शक्ति योजनाओं को ट्रैक कर सकते हैं जिससे सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

- यह ऐप व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए द्विभाषी कार्यक्षमता का समर्थन करता है जिससे उपयोगकर्ता दो भाषाओं में इंटरफ़ेस को नेविगेट कर सकते हैं। यह बहुभाषी समर्थन सुनिश्चित करता है कि विविध भाषाई पृष्ठभूमि की महिलाएं भाषा की बाधाओं के बिना महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच सकती हैं जिससे ऐप अधिक समावेशी बन जाता है, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए। कई भाषाओं में सामग्री पेश करके, ऐप व्यापक जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देता है जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इसकी भूमिका और मजबूत होती है।



एमडब्ल्यूसीडी के सचिव ने 21 अप्रैल, 2025 को पोषण ट्रैकर के लिए सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता (नवाचार श्रेणी) के लिए पीएम का पुरस्कार प्राप्त किया।

II. डीबीटी

11.26 “लाभों और सेवाओं के सरल और तेज़ प्रवाह के लिए कल्याणकारी योजनाओं में मौजूदा प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करके सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने एवं लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित करने, दोहराव को कम करने और धोखाधड़ी में कमी लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने अपनी योजनाओं में लाभार्थियों की प्राथमिक पहचान के रूप में आधार का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया है। आधार का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि लाभ इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तियों के बैंक खातों में जाए, जिससे निधि प्रवाह में शामिल स्तरों को कम किया जा सके एवं इस तरह भुगतान में देरी को कम किया जा सके, लाभार्थी को सटीक रूप से लक्षित किया जा सके तथा चोरी और दोहराव को रोका जा सके।

11.27 अपनी योजनाओं में डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 15 योजनाओं/स्कीमों के घटकों को प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में आधार का उपयोग करके लाभार्थी को सीधे लाभ और सेवाओं के अंतरण के लिए डीबीटी मोड में कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। इन स्कीमों की सूची नीचे दी गई है। सभी योजनाओं/स्कीमों के घटकों के लिए वेब आधारित सीएस / एमआईएस तैयार किए गए हैं एवं वेब सेवाओं के माध्यम से डीबीटी योजनाओं की प्रगति की मासिक सूचना के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने डीबीटी मिशन के डीबीटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया है। पीएमएमवीवाई योजना को उमंग प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्ड कर दिया गया है। क्षेत्र के अधिकारी इस ऐप का उपयोग करके योजना के लिए लाभार्थी का सीधे नामांकन कर सकते हैं।

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	आंगनवाड़ी सेवाएं – प्रशिक्षण कार्यक्रम
2.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
3.	महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण – महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए समग्र योजना – उज्जवला – लाभार्थियों के लिए सुविधाएं
4.	महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण – महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए समग्र योजना – उज्जवला – वेतन
5.	महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण – स्वाधार गृह – लाभार्थियों के लिए सुविधाएं
6.	महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण – स्वाधार गृह – कर्मचारियों को वेतन
7.	वन स्टॉप सेंटर – लाभार्थियों को सेवाएं
8.	राष्ट्रीय क्रेच योजना – पोषण
9.	राष्ट्रीय क्रेच योजना-कार्यकर्ताओं को मानदेय
10.	किशोरियों के लिए योजना
11.	आंगनवाड़ी सेवाएं – पूरक पोषण
12.	आंगनवाड़ी सेवाएं – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और सहायिका (AWH) को मानदेय
13.	बाल संरक्षण सेवाएं – लाभार्थियों को सुविधाएं (प्रायोजन)
14.	बाल संरक्षण सेवाएं- लाभार्थियों को सुविधाएं
15.	बाल संरक्षण सेवाएं-कर्मचारियों का वेतन

III. सरकारी प्रदर्शन सूचकांक

11.28 सरकारी प्रदर्शन सूचकांक (जीपीआई) पोर्टल एक मूल्यांकन मंच है जिसे सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- परीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनियों के लिए एक लॉगिन सुविधा बनाई गई, जिससे बेहतर इंटरफ़ेस और कार्यक्षमता सुनिश्चित हुई।
- डेटा कैप्चर को बेहतर बनाने और मूल्यांकन मापदंडों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए जीपीआई फॉर्म को अपडेट किया गया।
- अधिक सहज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए पोर्टल के सार्वजनिक और आंतरिक थीम डिज़ाइन को बढ़ाया गया।
- तंत्र एकीकरण की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए परीक्षण चरण में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए लॉगिन कार्यक्षमताओं को विकसित और सक्षम किया गया।

IV. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

11.29 बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल पहल है जो संरचित निगरानी, प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए समर्पित है। पोर्टल एक संरचित और पारदर्शी कार्यप्रवाह सुनिश्चित करता है जिससे विभिन्न स्तरों पर अधिकारी शिकायतों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं, निवारक उपायों को ट्रैक कर सकते हैं और जागरूकता बढ़ा सकते हैं। बहु-स्तरीय वृद्धि तंत्र का लाभ उठाकर प्लेटफॉर्म का उद्देश्य हितधारक सहयोग को बढ़ावा देते हुए बाल विवाह कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना है।

क) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन

11.30 भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज जैसे कैबिनेट नोट, संसदीय प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, विज्ञापन, अधिसूचनाएं, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन इत्यादि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देशों, नियमावलिओं का अनुवाद किया गया। मंत्रालय द्वारा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

11.31 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें अपर सचिव, राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। यह समिति हिंदी के प्रयोग के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करती है तथा उचित सुझाव देती है और यदि कोई कठिनाई हो तो उसका निराकरण करती है। इसके अलावा, अपर सचिव द्वारा तिमाही बैठकों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

ग) हिंदी कार्यशालाएं और राजभाषा निरीक्षण

11.32 राजभाषा प्रभाग विभिन्न मंत्रालय के प्रभागों/अनुभागों के कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। अब तक 2 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

11.33 हिंदी प्रभाग ने मंत्रालय के 4 अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों (कारा, एनसीपीसीआर, निपसिड, एनसीडब्ल्यू) के साथ-साथ निपसिड के तीन क्षेत्रीय केंद्रों (बेंगलुरु, गुवाहाटी और इंदौर) का हिंदी निरीक्षण किया, ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों से निपटने में उनकी सहायता की जा सके।

क) हिंदी पखवाड़ा समारोह

11.34 मंत्रालय में दिनांक 14–29 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, राज्य मंत्री एवं सचिव ने एक अपील जारी करके मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकारी कामकाज में हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान देने तथा कर्मचारियों को अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़े के दौरान नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग, निबंध लेखन

तथा हिंदी भाषा एवं सामान्य ज्ञान तथा हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदीतर भाषी प्रतिभागियों को कुल प्राप्त अंकों में 10% की छूट दी गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगभग 83 प्रतिभागियों ने भाग लिया। माननीय राज्य मंत्री द्वारा 17 जनवरी 2025 को सभी 30 विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने की वार्षिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपना अधिकतम सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले 3 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया।

ख) ई-ऑफिस में हिंदी कार्य

11.35 राजभाषा प्रभाग में सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। सभी परिपत्र, फाइलें, पत्र ई-ऑफिस के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं तथा नोटिस बोर्ड पर लगाए जा रहे हैं।



अनुलग्नक

महिलाओं और बच्चों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

अनुच्छेद-14 – सभी को कानून के समक्ष समता के अलावा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है।

अनुच्छेद-15 – राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा.....इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद-15(1) – किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव निषिद्ध है।

अनुच्छेद-15(3) – राज्य को स्त्रियों के लिए सकारात्मक भेदभाव करने के लिए विशेष प्रावधान

अनुच्छेद-16 – सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता और किसी भी नागरिक के साथ लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, उद्भव, जन्म के स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, की गारंटी प्रदान करता है।

अनुच्छेद-21 (क) – राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों, खदानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य जोखिमयुक्त नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 39 (क) – राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने के समान अधिकार प्राप्त हों।

अनुच्छेद 39 (घ) – पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 39 (ङ) – राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि पुरुष और स्त्री कर्मियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 39 (च) – राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि बालकों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्र व गरिमामय स्थितियों में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं बाल्यावस्था और युवाओं की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 42 – राज्य द्वारा कार्य और मातृत्व राहत की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान।

अनुच्छेद 45 – राज्य सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 46 – राज्य को जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने का निर्देश ।

अनुच्छेद 47 – राज्य को अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए निर्देश ।

अनुच्छेद 51 (क) (ड) – ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ।

अनुच्छेद 243 (छ) – अनुसूची 11 के साथ पठित में – शिक्षा (मद 17) परिवार कल्याण (मद 25), स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (मद 23) के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को पंचायत को सौंपने (अनुसूची 11 की मद 25) तथा बाल कल्याण पर प्रभाव वाली अन्य मदों द्वारा बाल देखरेख के संस्थानीकरण का प्रावधान है ।

अनुच्छेद 243 (घ) (3) और (न) (3) – महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत/नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थानों की (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या सहित) स्त्रियों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है और ऐसे स्थान पंचायत/नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 243 (घ) (4) – प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पदों पर स्त्रियों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है ।

अनुच्छेद 243 (न) (4) – नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित करने की गारंटी देता है जो राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करे ।

महिलाओं और बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून

I. महिलाओं से संबंधित कानून

- विधिक व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923
- कारखाना अधिनियम, 1948 (1986 में संशोधित)
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (पीसीपीएंडपीटी)
- गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत उल्लिखित अपराध
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- स्त्री अश्लील रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

II. बच्चों से संबंधित कानून

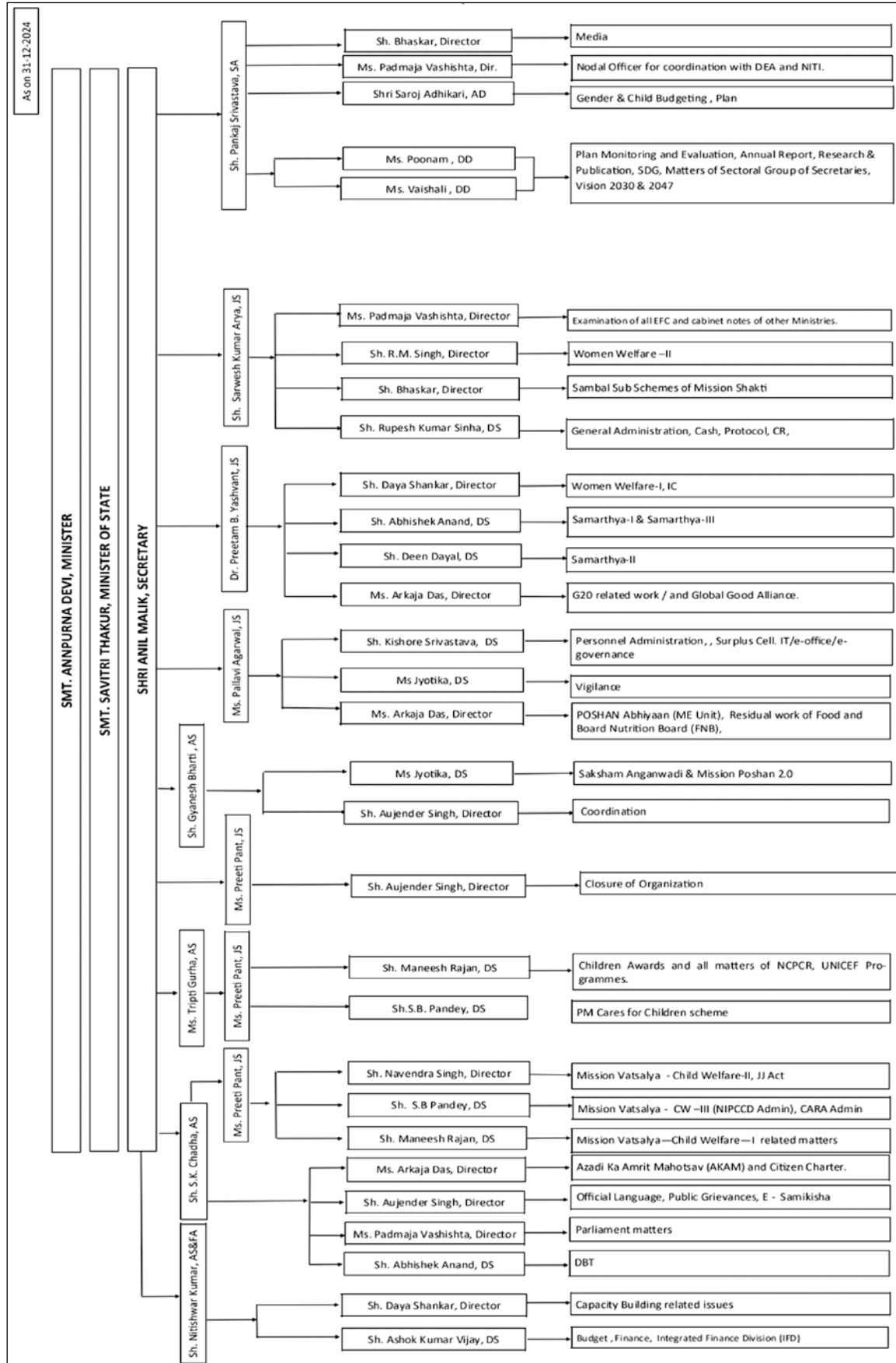
- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल एवं शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 और इसका संशोधन अधिनियम, 2003
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत उल्लिखित अपराध
- बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटित विषय (महिला और बाल विकास मंत्रालय)

1. परिवार कल्याण
2. महिला और बाल कल्याण तथा इस विषय से सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों व संगठनों की कार्यकलापों का समन्वयन
3. महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संगठनों से सन्दर्भ
4. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सहित स्कूल-पूर्व बच्चों की देखरेखों
5. राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन
6. इस मंत्रालय को आवंटित विषयों से सम्बन्धित पुण्यार्थ और धार्मिक न्यास
7. इस मंत्रालय को आवंटित विषयों पर स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन तथा विकास
8. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन :
 - (क) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1986 तक यथा-संशोधित)
 - (ख) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60)
 - (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1986 तक यथा-संशोधित)
 - (घ) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3), इन अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों के सम्बन्ध में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर।
9. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदान और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) का कार्यान्वयन।
10. को-ऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एण्ड रिलीफ एवरीवेयर (केयर) की गतिविधियों और कार्यक्रमों का समन्वयन।
11. लैंगिक संवेदी आंकड़ा-आधार के विकास सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास से सम्बन्धित आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रबोधन, परियोजना निरूपण, सांख्यिकी और प्रशिक्षण।
12. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ)।
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी)।
14. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)।
15. खाद्य एवं पोषण बोर्ड।

16. i. सहायक तथा सुरक्षात्मक खाद्यों का विकास तथा लोकप्रियकरण ।
ii. पोषण विस्तार ।
17. महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानता ।
18. राष्ट्रीय महिला आयोग ।
19. किशोर अपराधिता और आवारागर्दी ।
20. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा ।
21. दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण तथा चाइल्ड हैल्पलाइन (चाइल्डलाइन) ।
22. बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) ।
23. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) ।
24. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19) ।
25. अनाथों सहित जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और विकास हेतु संस्थागत तथा गैर- संस्थागत सेवाएं और अनाथालय ।

Organization Structure of Ministry of Women and Child Development



राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्रियाशील शक्ति सदनों और कुल क्षमता का विवरण

(31.12.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील शक्ति सदनों की संख्या	कुल क्षमता
1	अंडमान और निकोबार	0	0
2	आंध्र प्रदेश	28	1400
3	अरुणाचल प्रदेश	1	30
4	असम	28	1400
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़	1	25
7	छत्तीसगढ़	3	105
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0
9	दिल्ली	2	60
10	गोवा	1	15
11	गुजरात	0	0
12	हरियाणा	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	1	30
14	जम्मू एवं कश्मीर	2	60
15	झारखंड	0	0
16	कर्नाटक	63	2515
17	केरल	8	370
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप द्वीप समूह	0	0
20	मध्य प्रदेश	14	700

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील शक्ति सदनों की संख्या	कुल क्षमता
21	महाराष्ट्र	19	950
22	मणिपुर	40	2000
23	मेघालय	2	100
24	मिजोरम	12	360
25	नागालैंड	3	110
26	ओडिशा	68	2380
27	पुडुचेरी	1	15
28	पंजाब	2	70
29	राजस्थान	8	400
30	सिक्किम	1	50
31	तमिलनाडु	36	1800
32	तेलंगाना	20	1000
33	त्रिपुरा	3	90
34	उत्तराखंड	0	0
35	उत्तर प्रदेश	0	0
36	पश्चिम बंगाल	37	1390
	कुल*	404	17425

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

कार्यशील सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) और कुल क्षमता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (31 दिसंबर, 2024 तक)

(31.12.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील छात्रावासों की संख्या	कुल क्षमता
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	00
2	आंध्र प्रदेश	23	1730
3	अरुणाचल प्रदेश	05	118
4	असम	10	344
5	बिहार	0	00
6	चंडीगढ़	06	406
7	छत्तीसगढ़	06	432
8	दिल्ली	15	2427
9	दादर और नगर हवेली	0	00
10	गोवा	0	00
11	गुजरात	14	1130
12	हरियाणा	07	588
13	हिमाचल प्रदेश	06	147
14	जम्मू एवं कश्मीर	01	50
15	झारखंड	02	210
16	कर्नाटक	62	5936
17	केरल	138	9319
18	लद्दाख	0	00
19	लक्षद्वीप	0	00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील छात्रावासों की संख्या	कुल क्षमता
20	मध्य प्रदेश	02	140
21	महाराष्ट्र	74	6714
22	मणिपुर	18	1140
23	मेघालय	04	201
24	मिजोरम	03	201
25	नागालैंड	11	767
26	ओडिशा	11	767
27	पुडुचेरी	04	334
28	पंजाब	00	00
29	राजस्थान	15	477
30	सिक्किम	01	71
31	तमिलनाडु	60	6946
32	तेलंगाना	17	1160
33	त्रिपुरा	0	00
34	उत्तराखंड	00	0
35	उत्तर प्रदेश	08	475
36	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल*	523	42230

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

वित्त वर्ष 2024–25 पीएमएमवीवाई में 31 दिसंबर, 2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधि

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई कुल राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	33.21
2	आंध्र प्रदेश	4496.25
3	छत्तीसगढ़	5502.8
4	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	83.58
5	गोवा	80.19
6	हिमाचल प्रदेश	1143.29
7	जम्मू और कश्मीर	1828.69
8	कर्नाटक	6443.51
9	लद्दाख	62.38
10	लक्षद्वीप	27.25
11	मध्य प्रदेश	10551.65
12	मिजोरम	70.33
13	नागालैंड	310.01
14	ओडिशा	4348.69
15	पुदुचेरी	175.99
16	पंजाब	3203.45
	कुल	38435.48

01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के दौरान पीएमएमवीवाई के अंतर्गत किए गए क्षमता निर्माण अभ्यासों का विवरण

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
1	वर्चुअल	01.01.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमसीपी कार्ड— पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए
2	वर्चुअल	02.01.2024	बिहार	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
3	वर्चुअल	03.01.2024	झारखंड/महाराष्ट्र/ हरियाणा/उत्तर प्रदेश/ राजस्थान	भुगतान मामलों की लंबितता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण बैठक
4	वर्चुअल	04.01.2024	झारखंड/महाराष्ट्र/ उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश	भुगतान मामलों की लंबितता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण बैठक
5	वर्चुअल	05.01.2024	झारखंड/महाराष्ट्र/ उत्तर प्रदेश/हरियाणा	भुगतान मामलों की लंबितता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण बैठक
6	वर्चुअल	08.01.2024	झारखंड/महाराष्ट्र/ उत्तर प्रदेश/दिल्ली	भुगतान मामलों की लंबितता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण बैठक
7	वर्चुअल	09.01.2024	झारखंड/महाराष्ट्र/ उत्तर प्रदेश/ हरियाणा/बिहार	भुगतान मामलों की लंबितता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
8	वर्चुअल	12.01.2024	उत्तराखंड/बिहार	भुगतान मामलों की लंबितता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण बैठक
9	वास्तविक	15.01.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता निर्माण कार्यशाला और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में नए मॉड्यूल का परिचय
10	वास्तविक	16.01.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता निर्माण कार्यशाला और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में नए मॉड्यूल का परिचय
11	वर्चुअल	19.01.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में नई सुविधाएं शुरू करने के लिए बैठक
12	वर्चुअल	22.01.2024	राजस्थान/छत्तीसगढ़	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
13	वर्चुअल	25.01.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/दिल्ली	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में नए मॉड्यूल पर चर्चा के लिए एनआईसी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठक; दिल्ली फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल का पायलट परीक्षण
14	वर्चुअल	31.01.2024	दिल्ली	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
15	वर्चुअल	01.02.2024	दिल्ली	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
16	वर्चुअल	05.02.2024	झारखंड/दिल्ली/ बिहार	झारखंड में पीएमएमएस मुद्दों के समाधान पर चर्चा और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
17	वर्चुअल	06.02.2024	दिल्ली	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
18	वर्चुअल	07.02.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमयू और निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक की – पीएमएमवीवाई की समीक्षा
19	वर्चुअल	07.02.2024	राजस्थान	आईपीपीबी अधिकारियों के साथ लाभार्थियों के आधार सीरूडग पर चर्चा
20	वर्चुअल	08.02.2024	महाराष्ट्र	आईपीपीबी अधिकारियों के साथ लाभार्थियों के आधार सीरूडग पर चर्चा
21	वर्चुअल	09.02.2024	उत्तर प्रदेश/बिहार	आईपीपीबी अधिकारियों के साथ लाभार्थियों के आधार सीडिंग पर चर्चा

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
22	वर्चुअल	09.02.2024	उत्तर प्रदेश/महाराष्ट्र	पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
23	वर्चुअल	12.02.2024	मध्य प्रदेश	आईपीपीबी अधिकारियों के साथ लाभार्थियों के आधार सीडिंग पर चर्चा
24	वर्चुअल	13.02.2024	हरियाणा	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
25	वर्चुअल	15.02.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
26	वर्चुअल	16.02.2024	मध्य प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
27	वर्चुअल	16.02.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई में भुगतान की मंजूरी पर राज्यों के साथ चर्चा
28	वर्चुअल	16.02.2024	हरियाणा	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
29	वर्चुअल	19.02.2024	उत्तर प्रदेश/गोवा/जम्मू एवं कश्मीर	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
30	वर्चुअल	20.02.2024	झारखंड	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
31	वर्चुअल	20.02.2024	पुडुचेरी/राजस्थान	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक
32	वर्चुअल	21.02.2024	आंध्र प्रदेश	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
33	वर्चुअल	22.02.2024	दिल्ली	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
34	वर्चुअल	23.02.2024	बिहार	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
35	वर्चुअल	23.02.2024	गुजरात	आईपीपीबी अधिकारियों के साथ लाभा थयों के आधार सीडिंग पर चर्चा
36	वर्चुअल	23.02.2024	राजस्थान	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
37	भौतिक	08.03.2024	उत्तर प्रदेश	झांसी में क्षमता निर्माण कार्यशाला
38	भौतिक	09.03.2024	उत्तर प्रदेश	झांसी में क्षमता निर्माण कार्यशाला
39	वर्चुअल	13.03.2024	आंध्र प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
40	वर्चुअल	15.03.2024	बिहार/चंडीगढ़/उत्तराखंड/झारखंड	भुगतान मामलों की लंबितता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
41	वर्चुअल	18.03.2024	झारखंड	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
42	वर्चुअल	18.03.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई की समीक्षा
43	वर्चुअल	19.03.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
44	भौतिक	19.03.2024	बिहार	एनआईपीसीसीडी के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यशाला
45	वर्चुअल	20.03.2024	बिहार	एनआईपीसीसीडी के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यशाला
46	वर्चुअल	20.03.2024	झारखंड	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
47	वर्चुअल	21.03.2024	आंध्र प्रदेश	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
48	वर्चुअल	22.03.2024	दिल्ली	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
49	वर्चुअल	22.03.2024	छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पुडुचेरी, गोवा और अरुणाचल	भुगतान के मामले में कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ पीएमयू और एनआईसी टीम के साथ बैठक
50	वर्चुअल	23.03.2024	बिहार	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
51	वर्चुअल	12.04.2024	झारखंड	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
52	वर्चुअल	15.04.2024	अंडमान और निकोबार/ चंडीगढ़/ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव/लक्षद्वीप/ लद्दाख	विधायिका रहित संघ शासित प्रदेशों को एस्क्रो खाते से स्थानांतरित करने/अपना एसएनए खाता खोलने में सहायता करना
53	वर्चुअल	22.04.2024	उत्तर प्रदेश	महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस के बारे में जानकारी देना
54	वर्चुअल	26.04.2024	राजस्थान	भुगतान मामलों की लंबितता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण बैठक
55	वर्चुअल	6.05.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस की समझ प्रदान करने के लिए एनआईसी के साथ बैठक
56	वर्चुअल	7.05.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा के मानदेय वितरण पर चर्चा के लिए बैठक
57	वर्चुअल	30.04.2024	महाराष्ट्र	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
58	वर्चुअल	22.05.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस की समझ प्रदान करने के लिए एनआईसी के साथ बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
59	वर्चुअल	24.05.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
60	वर्चुअल	30.05.2024	महाराष्ट्र/उत्तराखंड	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
61	वर्चुअल	30.05.2024	गोवा	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/भुगतानों के निपटान पर चर्चा
62	वर्चुअल	31.05.2024	राजस्थान/झारखंड/बिहार/आंध्र प्रदेश	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/भुगतानों के निपटान पर चर्चा
63	वर्चुअल	3.06.2024	दिल्ली/झारखंड/छत्तीसगढ़	पीएमएमवीवाई सीएस भुगतान पर चर्चा के लिए सीडीपीओ के साथ बैठक
64	वर्चुअल	4.06.2024	जम्मू एवं कश्मीर	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/भुगतानों के निपटान पर चर्चा
65	वास्तविक	12.06.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पीएमएमवीवाई सॉफ्टएमआईएस पर तकनीकी अभिविन्यास कार्यशाला
66	वर्चुअल	14.06.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा
67	वर्चुअल	18.06.2024	राजस्थान	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल पर चर्चा

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
68	वर्चुअल	19.06.2024	उत्तर प्रदेश	योजना भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर डीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
69	वास्तविक	20 – 26.06.2024	उत्तर प्रदेश	योजना भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
70	वर्चुअल	1.07.2024	झारखंड/छत्तीसगढ़	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
71	वर्चुअल	2.07.2024	त्रिपुरा	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
72	वर्चुअल	3.07.2024	बिहार	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
73	वर्चुअल	11.07.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में कार्यप्रणाली पर उत्तर प्रदेश के साथ चर्चा
74	वर्चुअल	25.07.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
75	वर्चुअल	29.07.2024	राजस्थान/झारखंड	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
76	वर्चुअल	30.07.2024	बिहार	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
77	वर्चुअल	5.08.2024	उत्तर प्रदेश/बिहार	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
78	वर्चुअल	9.08.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
79	वर्चुअल	13.08.2024	झारखंड/उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
80	वर्चुअल	14.08.2024	मध्य प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
81	वर्चुअल	28.08.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
82	वर्चुअल	2.09.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाई पंजीकरण अभियान की समीक्षा
83	वर्चुअल	3.09.2024	असम	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
84	वर्चुअल	20.09.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस (मास्टर डाटा प्रबंधन) में कार्यात्मकता पर चर्चा

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
85	वर्चुअल	20.09.2024	बिहार	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
86	वर्चुअल	24.09.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई की समीक्षा
87	वर्चुअल	26.09.2024	मध्य प्रदेश/बिहार	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
88	वर्चुअल	30.09.2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में विकसित नई कार्यक्षमताओं पर चर्चा
89	वर्चुअल	17.10.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में कार्यात्मकता पर चर्चा
90	वर्चुअल	29.10.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
91	वर्चुअल	5.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
92	वर्चुअल	7.11.2024	महाराष्ट्र	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
93	वर्चुअल	11.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
94	वर्चुअल	12.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
95	वर्चुअल	13.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
96	वर्चुअल	14.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
97	वर्चुअल	14.11.2024	गुजरात और छत्तीसगढ़	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
98	वर्चुअल	18.11.2024	उत्तर प्रदेश/बिहार/ राजस्थान	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक; राजस्थान— एपीआई पर एनआईसी के साथ चर्चा
99	वर्चुअल	19.11.2024	उत्तराखंड/बिहार/ छत्तीसगढ़	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
100	वर्चुअल	20.11.2024	झारखंड/आंध्र प्रदेश/उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
101	वर्चुअल	20.11.2024	राजस्थान	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में एपीआई एकीकरण पर एनआईसी के साथ चर्चा
102	वर्चुअल	21.11.2024	राजस्थान	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में एपीआई एकीकरण पर एनआईसी के साथ चर्चा

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
103	वर्चुअल	21.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
104	वर्चुअल	21.11.2024	उत्तराखंड	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
105	वर्चुअल	22.11.2024	गुजरात	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
106	वर्चुअल	22.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर 05 जिलों के सीडीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
107	वर्चुअल	22.11.2024	दिल्ली	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
108	वर्चुअल	23.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर 10 जिलों के सीडीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
109	वर्चुअल	25.11.2024	बिहार	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
110	वर्चुअल	25.11.2024	राजस्थान/असम/ त्रिपुरा	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में एसएनओ स्तर पर रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एनआईसी के साथ बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
111	वर्चुअल	25.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर 12 जिलों के सीडीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
112	वर्चुअल	26.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर 11 जिलों के सीडीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
113	वर्चुअल	26.11.2024	झारखंड	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
114	वर्चुअल	27.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर 15 जिलों के सीडीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
115	वर्चुअल	28.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई और पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर 22 जिलों के सीडीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
116	वर्चुअल	28.11.2024	दिल्ली	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
117	वर्चुअल	28.11.2024	नागालैंड/त्रिपुरा	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
118	वर्चुअल	29.11.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
119	वर्चुअल	29.11.2024	बिहार, गुजरात, असम और कर्नाटक	पीएमएमवीवाई के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए डीएस, एमडब्ल्यूसीडी के साथ बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
120	वर्चुअल	2.12.2024	मेघालय	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
121	वर्चुअल	3.12.2024	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
122	वर्चुअल	3.12.2024	महाराष्ट्र	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
123	वर्चुअल	4.12.2024	हरियाणा	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
124	वर्चुअल	6.12.2024	मध्य प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
125	वर्चुअल	10.12.2024	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
126	वर्चुअल	12.12.2024	झारखंड/उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
127	वर्चुअल	13.12.2024	अरुणाचल प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक
128	वर्चुअल	16.12.2024	बिहार/उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक

क्र. सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक / प्रशिक्षण की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
129	वर्चुअल	17.12.2024	मध्य प्रदेश	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
130	वर्चुअल	18.12.2024	अरुणाचल प्रदेश	पीएमएमवीवाई में लंबित मामलों/ भुगतानों के निपटान पर चर्चा
131	वर्चुअल	20.12.2024	महाराष्ट्र/बिहार/उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईसी के साथ बैठक

स्वीकृत/परिचालित परियोजनाओं की राज्यवार संख्या (31 दिसंबर, 2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या (एडब्ल्यूसी)		आंगनवाड़ी परियोजनाओं की संख्या	
		एडब्ल्यूसी को मूल रूप से मंजूरी दी गई	आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन	स्वीकृत परियोजनाएँ	प्रचालित परियोजनाएँ
1	आंध्र प्रदेश	55607	55608	257	257
2	अरुणाचल प्रदेश	6225	6233	149	149
3	असम	62153	61891	98	98
4	बिहार	115009	115017	231	230
5	छत्तीसगढ़	52474	52156	544	544
6	गोवा	1262	1261	220	220
7	गुजरात	53029	53065	11	11
8	हरियाणा	25962	25964	336	336
9	हिमाचल प्रदेश	18925	18925	148	148
10	झारखंड	38432	38515	78	78
11	कर्नाटक	65911	69899	224	224
12	केरल	33318	33120	204	204
13	मध्य प्रदेश	97135	97329	258	258
14	महाराष्ट्र	110486	110584	453	453
15	मणिपुर	11510	11523	553	553
16	मेघालय	5896	6084	43	43
17	मिजोरम	2244	2244	41	41
18	नागालैंड	3980	3980	27	27
19	ओडिशा	74154	74186	60	60
20	पंजाब	27314	27313	338	338

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या (एडब्ल्यूसी)		आंगनवाड़ी परियोजनाओं की संख्या	
		एडब्ल्यूसी को मूल रूप से मंजूरी दी गई	आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन	स्वीकृत परियोजनाएँ	प्रचालित परियोजनाएं
21	राजस्थान	62010	61924	155	155
22	सिक्किम	1308	1308	304	304
23	तमिलनाडु	54439	54449	13	13
24	तेलंगाना	35700	35692	434	434
25	त्रिपुरा	10145	10210	56	57
26	उत्तर प्रदेश	190145	189140	897	897
27	उत्तराखंड	20067	20049	105	105
28	पश्चिम बंगाल	119481	119481	576	576
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	720	720	5	5
30	चंडीगढ़	409	405	3	3
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	11150	10900	95	95
32	दिल्ली	30765	28179	4	4
33	जम्मू एवं कश्मीर	1173	1172	128	128
34	लद्दाख	107	59	13	13
35	लक्षद्वीप	855	855	9	9
36	पुडुचेरी	500	450	5	5
	कुल	14,00,000	13,99,890	7075	7075

पूरक पोषण के अंतर्गत लाभार्थी 31 दिसंबर, 2024 तक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गर्भवती महिलाएं	कुल आधार सत्यापित गर्भवती महिलाएं	कुल आधार सत्यापित गर्भवती महिलाएं	कुल आधार सत्यापित स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल बच्चे 0-6 माह	कुल बच्चे 6 माह - 3 वर्ष	कुल बच्चे आधार सत्यापित 3 वर्ष से 6 वर्ष तक	कुल आधार सत्यापित बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक
1	आंध्र प्रदेश	208805	135320	204933	142907	194097	1325841	914260	1153565
2	छत्तीसगढ़	165921	154521	127068	120513	123109	1024086	959421	1109483
3	दिल्ली	53714	49568	61586	58950	61806	337685	318906	147786
4	बिहार	537406	375766	442019	321174	327866	3847802	2645577	5388031
5	ओडिशा	268563	198307	215724	180638	205278	1441081	1196886	1808008
6	झारखंड	154307	103022	113053	81210	102057	1240609	809641	1501668
7	पुडुचेरी	2588	2465	3125	3042	2876	22748	21008	4667
8	पंजाब	78314	68345	96849	87967	98016	620338	528176	728897
9	उत्तराखंड	55732	34038	56069	38532	52084	362415	234214	245857
10	मिजोरम	4904	3626	3361	2607	3559	40256	27457	61213
11	गोवा	3221	2493	4009	3406	3809	32033	26096	14252
12	गुटी-चंडीगढ़	2879	2860	2812	2793	2855	15630	15531	17595
13	तमिलनाडु	268086	259478	252585	247812	245644	1659162	1418624	1739710
14	मध्य प्रदेश	404295	386828	354931	343272	335500	2642188	2457274	3575856
15	हिमाचल प्रदेश	31301	26699	35344	31552	35502	208586	183333	240559
16	जम्मू एवं कश्मीर	46473	44610	45052	43632	39143	333119	321724	411735
17	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	683	670	637	628	643	6709	6383	3504
18	लक्षद्वीप	367	307	388	338	392	2740	2275	770
									711

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गर्भवती महिलाएं	कुल आधार सत्यापित गर्भवती महिलाएं	कुल आधार सत्यापित गर्भवती महिलाएं	कुल आधार सत्यापित स्तनपान करने वाली माताएं	कुल बच्चे 0-6 माह	कुल बच्चे 6 माह - 3 वर्ष	कुल बच्चे आधार सत्यापित 3 वर्ष तक	कुल बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक	कुल आधार सत्यापित बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक
19	मणिपुर	8242	3907	7482	3853	8278	95362	50113	165080	126295
20	गुजरात	194525	188277	198457	193197	191562	1386574	1327152	1479509	1373310
21	महाराष्ट्र	289638	212110	308441	260965	292686	2420205	2050823	3251094	2568931
22	लद्दाख	820	772	861	813	751	7397	6835	8868	7702
23	कर्नाटक	317237	239412	246300	189304	211107	1768366	836626	1815168	1189481
24	केरल	109918	76450	92170	66719	90367	730204	301791	1041600	330348
25	सिक्किम	1235	572	1363	740	1417	11389	4801	16944	6427
26	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	2820	2546	2331	2166	2311	16042	13322	14236	6505
27	पश्चिम बंगाल	483502	462414	440506	426241	448472	3104308	2910381	4193804	3698404
28	अरुणाचल प्रदेश	1959	1050	1916	1034	2204	31999	12871	49648	23747
29	हरियाणा	105253	84282	109670	86413	93925	687344	484886	944921	339268
30	त्रिपुरा	14269	10174	10512	8083	10742	115231	80853	166923	118205
31	तेलंगाना	102940	92428	79126	70616	75219	802967	617175	882531	411105
32	नागालैंड	746	240	932	308	1088	36873	7281	64425	15689
33	मेघालय	6450	4574	6822	5032	7817	119631	69319	219643	137226
34	उत्तर प्रदेश	1294202	360998	1097049	317851	1051614	9144070	2491466	9337023	3049285
35	असम	138430	94104	104024	74298	114372	1068684	707463	1611327	1228998
36	राजस्थान	282591	146260	256892	142528	223311	1765933	894978	1694756	924929
	कुल	5642336	3829493	4984399	3561134	4661479	38475607	24954922	45110656	28503487

वर्ष 2024-25 के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत जारी गई निधि (31 दिसंबर, 2024 तक) (रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	एसएनपी	एसएजी	पोषण	जनमन	सक्षम	मनरेगा	पेयजल	शौचालय	कुल
1	आंध्र प्रदेश	25240.71	14607.7	35.85							39884.26
2	बिहार	37402.16	93672.06	1428.83	7665.76					4051.73	144220.54
3	छत्तीसगढ़	21767.7	22644.04	0	1524.35						45936.09
4	गोवा	660.75	534.68	0							1195.43
5	गुजरात	7962.07	21820.35	0							29782.42
6	हरियाणा	7735.94	10016.14	0							17752.08
7	हिमाचल प्रदेश	13077.22	8683.12	0							21760.34
8	जम्मू और कश्मीर	31648.11	12795.13	122.44							44565.68
9	झारखंड	11771.24	27455.24	0							39226.48
10	कर्नाटक	29796.48	34656.84	0	5485.62		10485	1122	486.34	310.39	82342.68
11	केरल	15683.28	6391.62	127.39	4564.99						26767.28
12	मध्य प्रदेश	45273.63	65120.69	1527.69	2532.05						114454.06
13	महाराष्ट्र	16712.71	59606.67	781.5		1716	7973.13				86790.01
14	ओडिशा	31727.25	35572.13	1913.43	7954.2						77167.01
15	पंजाब	12425.55	12958.84	0							25384.39
16	राजस्थान	27683.01	37726.79	413.19	5191.22						71014.21
17	तमिलनाडु	14131.6	35115.03	294.96	2942.84						52484.43
18	तेलंगाना	5452.94	6183.95	76.37							11713.26
19	उत्तर प्रदेश	45622.64	130276.3	1587.21		12		4968			182466.13
20	उत्तराखंड	11445.76	0	424.15							11869.91

क्र. सं.	राज्य	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	एसएनपी	एसएजी	पोषण	जनमन	सक्षम	मनरेगा	पेयजल	शौचालय	कुल
21	पश्चिम बंगाल	49049.94	77567.92	0							126617.86
22	कुल	462270.69	713405.2	8733.01	37861	1728	18458.1	6090	486.34	4362.12	1253394.55
23	दिल्ली	9277.17	3924.33	0.00							13201.50
24	पुडुचेरी	157.41	210.7	0.00							368.11
25	कुल	9434.58	4135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13569.61
26	अंडमान और निकोबार	412.5	131.18	0.00			86.00				629.68
27	चंडीगढ़	333.38	791.03	0.00	126.66						1251.07
28	दादर और नागर हवेली एवं दमन व दीव	205.14	378.06	0.00							583.20
29	लद्दाख	994.59	213.85	0.00	134.54		14.00				1356.98
30	लक्षद्वीप	49.52	85	0.00							134.52
31	उप कुल	1995.13	1599.12	0.00	261.20	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3955.45
32	उत्तर-पूर्व राज्यों										0.00
33	अरुणाचल प्रदेश	0	619.13	132.57			65.29				816.99
34	असम	146155.49	32204.65				847.22				179207.36
35	मणिपुर	13620.57	4297.96	509.50		348.00					18776.03
36	मेघालय	1752.48	6242.91	230.95			32.80				8259.14
37	मिजोरम	1803.64	1193.01	131.27							3127.92
38	नागालैंड	9628.4	649.98	3399.43	195.46		17.86				13891.13
39	सिक्किम	0	166.47								166.47
40	त्रिपुरा	2665.22	3392.31	185.50	437.76	312.00					6992.79
	कुल	175625.8	48766.42	4589.22	633.22	660.00	963.17	0.00	0.00	0.00	231237.83
	कुल योग	649326.20	767905.79	13322.23	38755.45	2388.00	19521.31	6090.00	486.34	4362.12	1502157.44

31 दिसंबर, 2024 तक एसएजी के अंतर्गत पोषण ट्रैकर पर रिपोर्ट किए गए राज्यवार लाभार्थी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पोषण ट्रैकर के अनुसार आधार सत्यापित किशोरियां (31.12.2024)
1	आंध्र प्रदेश	53965
2	अरुणाचल प्रदेश	13199
3	असम	393911
4	बिहार	232727
5	छत्तीसगढ़	111093
6	गुजरात	66616
7	हरियाणा	8438
8	हिमाचल प्रदेश	16768
9	जम्मू एवं कश्मीर	25257
10	झारखंड	212285
11	कर्नाटक	72546
12	केरल	18587
13	मध्य प्रदेश	151288
14	महाराष्ट्र	109045
15	मणिपुर	43234
16	मेघालय	32745
17	मिजोरम	19206
18	नागालैंड	17045
19	ओडिशा	269146
20	पंजाब	34344
21	राजस्थान	41810
22	सिक्किम	7189
23	तमिलनाडु	45034
24	तेलंगाना	19639
25	त्रिपुरा	32686
26	उत्तर प्रदेश	206079
27	उत्तराखंड	74680
	कुल	2328562

2024-25 के दौरान एसएजी के तहत खाद्यान्न का आवंटन

क्र. सं.	राज्य	कुल आवंटन (मीट्रिक टन में)			
		गेहूँ	फोर्टिफाइल	बाजरा	ज्वार
1	आंध्र प्रदेश	0	1008.83	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	342.62	0	0
3	असम	1429.4	3267.19	0	0
4	बिहार	0	5168.91	0	0
5	छत्तीसगढ़	1440.18	0	0	0
6	गुजरात	968.86	0	0	108.79
7	हरियाणा	156.33	56.5	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	214.74	133.72	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	0	604.67	0	0
10	झारखंड	3694.88	0	0	0
11	कर्नाटक	0	35.19	0	0
12	केरल	472.6	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	2250.13	1483.12	0	0
14	महाराष्ट्र	1180.63	1695.84	21.06	0
15	मणिपुर	0	1221.68	0	0
16	मेघालय	558.19	355.21	0	52.79
17	मिजोरम	0	566.04	0	0
18	नागालैंड	0	420.57	0	0
19	ओडिशा	8046.19	0	0	0
20	पंजाब	453.99	437.64	0	0
21	राजस्थान	749.95	419.29	0	0
22	तमिलनाडु	997.5	0	0	0
23	तेलंगाना	239.15	0	0	0
24	त्रिपुरा	0	895.65	0	0
25	उत्तर प्रदेश	4115.45	2287.63	0	0
26	उत्तराखंड	829.8	1028.58	99.22	0
	कुल	27797.97	21428.88	120.28	161.58

2024–25 के दौरान डब्ल्यूबीएनपी के तहत खाद्यान्न का आवंटन

(मीट्रिक टन में)

क्र. सं.	राज्य	गेहूँ	फोर्टिफाइड चावल	बाजरा	ज्वार
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	277.26	24.14	0
2	आंध्र प्रदेश	35633.96	43910.55	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1774.75	0	0
4	असम	9699.19	22169.56	0	0
5	बिहार	0	221158.74	0	0
6	चंडीगढ़	463.68	695.7	0	0
7	छत्तीसगढ़	31880.53	10017.34	0	0
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	236	236.41	0	49.93
9	दिल्ली	9298.11	9307.61	0	0
10	गोवा	10.35	1517.16	0	0
11	गुजरात	57340.1	13565.29	0	2857.79
12	हरियाणा	26008.98	8631.98	1686.25	0
13	हिमाचल प्रदेश	4603.22	2730.16	177.71	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	23149.32	0	0
15	झारखंड	25267.12	32767.51	0	0
16	कर्नाटक	58296.71	51427.89	2568.79	0
17	केरल	19264.52	17927.36	0	0
18	लद्दाख	82.9	269.44	0	0
19	लक्षद्वीप	0	133.37	0	0
20	मध्य प्रदेश	92384.1	36807.62	2945.2	1585.88

क्र. सं.	राज्य	गेहूँ	फोर्टिफाइड चावल	बाजरा	ज्वार
21	महाराष्ट्र	74875.21	96162.52	424.73	0
22	मणिपुर	0	7985.91	0	0
23	मेघालय	6093.02	3876.92	0	584.41
24	मिजोरम	1627.73	1627.73	0	0
25	नागालैंड	0	2026.45	0	0
26	ओडिशा	60470.2	43223.28	0	0
27	पुडुचेरी	0	534.47	0	0
28	पंजाब	22769.11	16656.33	536.85	0
29	राजस्थान	99894.13	21919.25	0	0
30	सिक्किम	156.09	0	61.83	0
31	तमिलनाडु	50640.19	27588.55	0	0
32	तेलंगाना	16823.06	24845.84	0	0
33	त्रिपुरा	0	9224.97	0	0
34	उत्तर प्रदेश	370946.24	269987.41	0	0
35	उत्तराखंड	8670.92	10827.13	1086.89	0
36	पश्चिम बंगाल	0	252336.17	0	0
	कुल	1083435.37	1287297.95	9512.39	5078.01

वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जारी निधि
(31 दिसंबर, 2024 तक)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023–24	2024–25
1	आंध्र प्रदेश	2500.76	1,480.65
2	अरुणाचल प्रदेश	2435.38	532.13
3	असम	5966.27	2,606.38
4	बिहार	6518.02	4,695.36
5	छत्तीसगढ़	4465.94	1,774.24
6	गोवा	0.00	513.64
7	गुजरात	4710.23	12.24
8	हरियाणा	1616.98	101.70
9	हिमाचल प्रदेश	2115.30	1,283.37
10	जम्मू एवं कश्मीर	4364.48	715.36
11	झारखंड	3765.91	403.04
12	कर्नाटक	9093.83	3,587.23
13	केरल	2227.19	251.63
14	मध्य प्रदेश	6084.94	7,828.51
15	महाराष्ट्र	9537.68	11,541.81
16	मणिपुर	2923.85	2,295.74
17	मेघालय	3127.99	2,230.27
18	मिजोरम	5309.45	2,119.24
19	नागालैंड	2928.28	1,764.05
20	ओडिशा	6028.17	5,853.43

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023—24	2024—25
21	पंजाब	1543.98	1,475.53
22	राजस्थान	4283.88	4,438.57
23	सिक्किम	579.74	657.72
24	तमिलनाडु	12869.99	5,693.79
25	तेलंगाना	3998.02	571.35
26	त्रिपुरा	3209.03	1,329.60
27	उत्तर प्रदेश	10356.62	7,045.25
28	उत्तराखंड	3263.37	885.69
29	पश्चिम बंगाल	5742.44	3,508.40
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	268.01	0.00
31	चंडीगढ़	582.85	311.38
32	दादरा और उत्तर हवेली और दमन और दीव	319.34	252.53
33	दिल्ली	388.77	113.63
34	लक्षद्वीप	35.66	0.00
35	लद्दाख	438.89	62.25
36	पुडुचेरी	566.87	39.62
37	अन्य व्यय	4912.01	998.74

31 दिसंबर, 2024 तक मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थित सीसीआई की संख्या।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए घर	लाभार्थी* (लड़के/लड़कियां)
1	आंध्र प्रदेश	5	16
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	6	184
4	बिहार	19	164
5	छत्तीसगढ़	12	79
6	दिल्ली	0	0
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	1	50
9	हरियाणा	2	60
10	हिमाचल प्रदेश	2	78
11	जम्मू एवं कश्मीर	5	36
12	झारखंड	5	178
13	कर्नाटक	1	5
14	केरल	4	177
15	मध्य प्रदेश	0	0
16	महाराष्ट्र	9	82
17	मणिपुर	2	14
18	मेघालय	16	274
19	मिजोरम	3	46
20	नागालैंड	0	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए घर	लाभार्थी* (लड़के/लड़कियां)
21	ओडिशा	6	109
22	पुडुचेरी	16	346
23	पंजाब	2	69
24	राजस्थान	10	394
25	सिक्किम	2	50
26	तमिलनाडु	20	374
27	तेलंगाना	8	188
28	त्रिपुरा	40	1341
29	उत्तर प्रदेश	0	0
30	उत्तराखंड	0	0
31	पश्चिम बंगाल	0	0
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
33	चंडीगढ़	0	0
34	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	0	0
35	लद्दाख	0	0
36	लक्षद्वीप	3	50
	कुल	199	4364

* बच्चों की संख्या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा सी.सी.आई. में नए प्रवेश के आधार पर भिन्न हो सकती है।

एनसीडब्ल्यू द्वारा पंजीकृत शिकायतों का राज्यवार वितरण
(01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के दौरान)

क्र. सं.	राज्य	संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4
2	आंध्र प्रदेश	188
3	अरुणाचल प्रदेश	3
4	असम	102
5	बिहार	1233
6	चंडीगढ़	66
7	छत्तीसगढ़	124
8	दादरा और नगर हवेली	1
9	दमन और दीव	4
10	दिल्ली	2245
11	गोवा	18
12	गुजरात	215
13	हरियाणा	1048
14	हिमाचल प्रदेश	85
15	जम्मू और कश्मीर	127
16	झारखंड	325
17	कर्नाटक	481
18	केरल	124
19	लद्दाख	0

क्र. सं.	राज्य	संख्या
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	1070
22	महाराष्ट्र	1317
23	मणिपुर	6
24	मेघालय	3
25	मिजोरम	0
26	नागालैंड	1
27	ओडिशा	138
28	पुडुचेरी	16
29	पंजाब	478
30	राजस्थान	847
31	सिक्किम	3
32	तमिलनाडु	513
33	तेलंगाना	174
34	त्रिपुरा	19
35	उत्तर प्रदेश	13868
36	उत्तराखंड	334
37	पश्चिम बंगाल	563
	कुल	25743

एनसीडब्ल्यू द्वारा पंजीकृत शिकायतों का प्रकृतिवार वितरण
(01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के दौरान)

क्र. सं.	श्रेणी	संख्या
1.	अपहरण	11
2.	एसिड अटैक	12
3.	हमला	88
4.	हत्या का प्रयास	6
5.	बहुविवाह	167
6.	गर्भपात का कारण बनना	1
7.	आपराधिक धमकी	74
8.	महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध	526
9.	महिलाओं का अमानवीयकरण और कलंक	50
10.	महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना	116
11.	घरेलू हिंसा	6348
12.	दहेज हत्या	299
13.	दहेज उत्पीड़न	4452
14.	महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना	1
15.	शिक्षा और काम के समान अधिकार सहित लिंग भेदभाव	5
16.	ट्रांसजेंडर का उत्पीड़न	3
17.	महिलाओं का अशिष्ट रूपण	14
18.	हत्या	2
19.	महिलाओं की शील भंग करना/छेड़छाड़	1565

क्र. सं.	श्रेणी	संख्या
20.	महिलाओं के खिलाफ पुलिस की उदासीनता	920
21.	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	1447
22.	महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का अनुरोध	24
23.	विवाह में पसंद का प्रयोग करने का अधिकार/सम्मान अपराध	396
24.	सम्मान के साथ जीने का अधिकार	7132
25.	लिंग चयनात्मक गर्भपात/कन्या भ्रुण हत्या/एमनियोसैंटेसिस	13
26.	यौन हमला	141
27.	यौन उत्पीड़न	1033
28.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न	215
29.	पीछा करना	19
30.	पीछा करना / वॉयेरिज्म	614
31.	महिलाओं की तस्करी/वेश्यावृत्ति	40
32.	महिलाओं की तस्करी	1
33.	तीन तलाक	1
34.	तलाक की स्थिति में बच्चों की अभिरक्षा का महिलाओं का अधिकार	7
	कुल	25743

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 17 के संबंध में विभिन्न हितधारकों की जागरूकता और स्कूलों में शारीरिक दंड को समाप्त करने के दिशा-निर्देशों पर जिला स्तरीय कार्यशालाएं

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	राज्य	तारीख
1.	आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 17 के संबंध में विभिन्न हितधारकों की जागरूकता और स्कूलों में शारीरिक दंड को समाप्त करने के दिशा-निर्देशों पर जिला स्तरीय कार्यशालाएं	अहमदाबाद	10.07.2024
2.		गांधीनगर	11.07.2024
3.		चंडीगढ़	12.07.2024
4.		हिसार	15.07.2024
5.		गौतमबुद्धनगर	16.07.2024
6.		फरीदाबाद	18.07.2024
7.		गाजियाबाद	19.07.2024
8.		बेंगलुरु शहरी	20.07.2024
9.		चेन्नई	24.07.2024
10.		पश्चिम त्रिपुरा	25.07.2024
11.		तिरुवल्लूर	26.07.2024
12.		नासिक	26.07.2024
13.		पालघर	27.07.2024
14.		हैदराबाद	27.07.2024
15.		शिमला	29.07.2024
16.		भोपाल	29.07.2024

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	राज्य	तारीख
17.		जयपुर	31.07.2024
18.		रतलाम	31.07.2024
19.		चंबा	31.07.2024
20.		जोधपुर	01.08.2024
21.		जैसलमेर	03.08.2024
22.		दुर्ग	03.08.2024
23.		उदयपुर	05.08.2024
24.		बालोद	05.08.2024
25.		विशाखापत्तनम	05.08.2024
26.		रामगढ़	06.08.2024
27.		हरिद्वार	06.08.2024
28.		कोल्लम	06.08.2024
29.		पटना	16.08.2024
30.		तिरुवंतनमपुरम	17.08.2024

साइबर सुरक्षा सहित स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक मैनुअल पर संवेदनशीलता
लाने के लिए जिला स्तरीय कार्यशालाएं

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	राज्य	तारीख
1.	साइबर सुरक्षा सहित स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक मैनुअल पर संवेदनशीलता लाने के लिए जिला स्तरीय कार्यशालाएं।	भरूच	12.07.2024
2.		उत्तरी गोवा	12.07.2024
3.		वडोदरा	13.07.2024
4.		पलवल	15.07.2024
5.		भिवानी	15.07.2024
6.		मथुरा	16.07.2024
7.		पटियाला	18.07.2024
8.		जालंधर	19.07.2024
9.		नयागढ़	20.07.2024
10.		होशियारपुर	20.07.2024
11.		पुरी	22.07.2024
12.		रामानगर	22.07.2024
13.		कूर्ग	23.07.2024
14.		प्रयागराज	24.07.2024
15.		अहमदनगर	24.07.2024
16.		औरंगाबाद	26.07.2024
17.		ग्वालियर	27.07.2024
18.		बूंदी	29.07.2024
19.		मुरैना	30.07.2024
20.		भीलवाड़ा	31.07.2024
21.		चंबा	31.07.2024
22.		चित्तूर	02.08.2024
23.		धमतरी	03.08.2024
24.		अन्नमय	03.08.2024
25.		मारीगांव	05.08.2024

स्कूलों में बदमाशी और साइबर बदमाशी की रोकथाम के लिए एनसीपीसीआर के दिशानिर्देशों पर जिला स्तरीय अभिविन्यास कार्यशालाएं।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	राज्य	तारीख
1.	स्कूलों में बदमाशी और साइबर बदमाशी की रोकथाम के लिए एनसीपीसीआर के दिशानिर्देशों पर जिला स्तरीय अभिविन्यास कार्यशालाएं।	सूरत	11.07.2024
2.		दक्षिण गोवा	15.07.2024
3.		दमन	16.07.2024
4.		पंचकुला	16.07.2024
5.		अम्बाला	17.07.2024
6.		अमृतसर	18.07.2024
7.		खोरदा	18.07.2024
8.		कटक	19.07.2024
9.		लुधियाना	19.07.2024
10.		लेह	20.07.2024
11.		मैसूर	22.07.2024
12.		वाराणसी	23.07.2024
13.		मुंबई शहर	23.07.2024
14.		पुणे	25.07.2024
15.		लखनऊ	25.07.2024
16.		देहरादून	26.07.2024
17.		नैनीताल	29.07.2024
18.		अजमेर	30.07.2024
19.		रांची	01.08.2024
20.		तिरुपति	01.08.2024
21.		कामरूप मेट्रो	02.08.2024
22.		कांगड़ा	06.08.2024
23.		एक प्रकार का हंस	07.07.2024
24.		रायपुर	07.07.2024
25.		बोकारो	10.08.2024

**“बाल तस्करी से आजादी” अभियान 2.0 के तहत भारत के 13 सीमावर्ती और निकटवर्ती जिलों
में बाल तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने पर जिला स्तरीय
(संवेदनशीलता–सह–अभिविन्यास कार्यशालाएं)**

क्र.सं.	राज्य	जिला जोड़ना	प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सीमा	कार्यशाला की तारीख
1.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	नेपाल	01.07.2024
2.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	नेपाल	03.07.2024
3.	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	नेपाल	05.07.2024
4.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	नेपाल	08.07.2024
5.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	नेपाल	10.07.2024
6.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	नेपाल	11.07.2024
7.	उत्तर प्रदेश	बहराईच	नेपाल	12.07.2024
8.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुरखीरी	निकटवर्ती जिला	13.07.2024
9.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	निकटवर्ती जिला	14.07.2024
10.	बिहार	पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)	नेपाल	22.07.2024
11.	बिहार	दरभंगा	निकटवर्ती जिला	05.07.2024
12.	बिहार	कटिहार	निकटवर्ती जिला	15.07.2024
13.	असम	नलबाड़ी	निकटवर्ती जिला	17.07.2024

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तकनीकी सहयोग से पूर्वोत्तर के विभिन्न जिलों के स्कूलों में बच्चों की साइबर सुरक्षा और शारीरिक दंड का उन्मूलन।

क्र.सं.	राज्य	जिला	तारीख
1	असम	नगांव	05.03.2024
2	असम	मोरीगांव	06.03.2024
3	असम	बिश्वनाथ	23.02.2024
4	असम	लखीमपुर	26.02.2024
5	असम	उदलगुड़ी	04.03.2024
6	असम	दरांग	05.03.2024
7	असम	बक्सा	23.02.2024
8	असम	चराइदेव	28.02.2024
9	असम	शिवसागर	27.02.2024
10	असम	नलबाड़ी	22.02.2024
11	असम	बारपेटा	23.02.2024
12	असम	गोलपाड़ा	26.02.2024
13	असम	कामरूप महानगर	26.02.2024
14	असम	चिरांग	06.03.2024
15	असम	डिब्रूगढ़	26.02.2024
16	असम	दीमा हसाओ	02.03.2024
17	असम	होजाई	29.02.2024
18	असम	कार्बी आंगलोंग	04.03.2024
19	असम	सोनितपुर	22.02.2024

क्र.सं.	राज्य	जिला	तारीख
20	असम	कामरूप ग्रामीण	19.02.2024
21	असम	करीमगंज	07.03.2024
22	त्रिपुरा	धलाई	29.02.2024
23	त्रिपुरा	गोमती	05.03.2024
24	त्रिपुरा	खोवाई	04.03.2024
25	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	06.03.2024
26	त्रिपुरा	सिपाहीजहाला	02.03.2024
27	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	06.03.2024
28	त्रिपुरा	उन्नाकोटि	28.02.2024
29	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	01.03.2024
30	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	11.03.2024
31	असम	गुवाहाटी	11.03.2024
32	नागालैंड	कोहिमा	11.03.2024
33	असम	नलबाड़ी	11.03.2024

अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक एनसीपीसीआर बेंच डेटा

क्र.सं.	राज्य	जिला	चाहे जिला स्तर हो या ब्लॉक स्तर	आकांक्षात्मक ब्लॉक	बेंच तिथि (दिन—माह—वर्ष)	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
1.	असम	धेमाजी	ब्लॉक स्तर	मुरकोंगसेलेक	11.06.2024	304
2.	असम	तामुलपुर	जिला स्तर		25.06.2024	830
3.	असम	उदलगुड़ी	ब्लॉक स्तर	भेरगांव	27.06.2024	487
4.	असम	पूर्वी कार्बी आंगलोंग	जिला स्तर	रोंगमोंगवे, निलिप, समेलांगसो	10.07.2024	398
5.	असम	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	जिला स्तर	सोचेंग, चिनथोंग, अमरी	12.07.2024	55
6.	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	ब्लॉक स्तर	देवसर	24.06.2024	177
7.	मध्य प्रदेश	रीवा	जिला स्तर	हनुमाना, जवा, सिरमोर	25.06.2024	275
8.	मध्य प्रदेश	सतना	जिला स्तर	मझगवां, रामपुर बाघेलान	26.06.2024	103
9.	मध्य प्रदेश	गुना	ब्लॉक स्तर	Bamori	27.06.2024	269
10.	हरियाणा	रेवाड़ी	ब्लॉक स्तर	नाहर	11.07.2024	134
11.	हरियाणा	भिवानी	जिला	1. बेहल 2. लोहारू	12.07.2024	210
12.	हरियाणा	चरखी दादरी	ब्लॉक स्तर	बड़हरा	12.08.2024	210
13.	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	ब्लॉक स्तर	त्सहपोरा	01.07.2024	48
14.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	ब्लॉक स्तर	केरन	02.07.2024	105
15.	जम्मू और कश्मीर	बांदीपुरा	ब्लॉक स्तर	तुलैल	03.07.2024	32
16.	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	ब्लॉक स्तर	इचगोजे	04.07.2024	99

क्र.सं.	राज्य	जिला	चाहे जिला स्तर हो या ब्लॉक स्तर	आकांक्षात्मक ब्लॉक	बेंच तिथि (दिन—माह—वर्ष)	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
17.	पंजाब	कपूरथला	जिला स्तर	(i) ढिलवां	22.07.2024	462
				(ii) सुल्तानपुर लोधी		
18.	पंजाब	अमृतसर	जिला स्तर	(i) अजनाला	24.07.2024	233
				(ii) हर्षे छीना		
19.	पंजाब	मोगा	ब्लॉक स्तर	निहाल सिंह वाला	31.07.2024	181
20.	पंजाब	संगरूर	ब्लॉक स्तर	धुरी	01.08.2024	314
21.	पंजाब	गुरदासपुर	जिला स्तर	(i) डेरा बाबा नानक	08.08.2024	140
				(ii) कलानौर		
					Total	5066

एनसीपीसीआर के लिए शिकायत निवारण स्थिति
एनसीपीसीआर – विषयवार सारांश
अप्रैल 2024–दिसंबर, 2024 के दौरान एनसीपीसीआर द्वारा प्राप्त
शिकायतों पर किया गया कार्य
01-01-2025 तक शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	शीर्ष	01-04-2024 तक (बैगलॉग)	अप्रैल 2024– दिसंबर 2024 के दौरान प्राप्त ताज़ा जानकारी	कुल	अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक बंद रहेगा	01-01-2025 तक लंबित
		(1)	(2)	(3)	(5)	(3-4) (5)
1	शिक्षा	5412	2820	8232	3401	4831
2	बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास	14498	4057	18555	10285	8270
3(i)	जे.जे. या उपेक्षित या हाशिए पर पड़े बच्चों या विकलांग बच्चों की देखभाल	25534	14019	39553	18954	20599
3(ii)	सामाजिक अंकुश/ विधिक प्रकोष्ठ	3396	23	3419	603	2816
4	बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों का उन्मूलन	2296	17690	19986	341	19645
5	बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र	149	131	280	68	212
6	पॉक्सो और बच्चों से संबंधित कानून	5235	1622	6857	1645	5212
7	पूर्वोत्तर राज्य (पॉक्सो मामलों के अलावा)	60	0	60	45	15
8	बाल तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ (एसीटीसी)	0	46	46	0	46
	कुल	56580	40408	96988	35342	61646

रिश्तेदार और सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने की समय-सीमा

देश में रिश्तेदार/सौतेला दत्तक ग्रहण:

क्र.सं.	प्रक्रिया	समय-सीमा	जिम्मेदार प्राधिकारी
1.	पंजीकरण के बाद पीएपी द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	पंजीकरण से 30 दिन	पीएपी
2.	पीएपी द्वारा पंजीकरण प्रस्तुत करने के बाद	आवेदन जमा करने से 30 दिन	डीसीपीयू
3.	डीसीपीयू द्वारा सत्यापन/एफबीआर अपलोड करने के बाद	डीसीपीयू सत्यापन की तिथि से 10 दिन	एसएआरए
4.	पूर्व-अनुमोदन पत्र	एसएआरए सत्यापन की तिथि से 10 दिन	कारा
5.	संबंधित डीएम को दत्तक ग्रहण आवेदन दाखिल करना	सीएआरए अनुमोदन की तिथि से 10 दिन	पीएपीएस/डीसीपीयू
6.	डीएम द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश जारी करना	डीसीपीयू से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन	डीएम

अंतर-देशीय रिश्तेदार/सौतेला दत्तक ग्रहण:

क्र.सं.	प्रक्रिया	समय-सीमा	जिम्मेदार प्राधिकारी
1.	पंजीकरण और एचएसआर के बाद एएफएए द्वारा दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे	पंजीकरण से 30 दिन	एएफएए
2.	मामला एसआरए से डीसीपीयू को भेजे जाने के बाद	एसएआरए से मामला प्राप्त होने के 30 दिन बाद	डीसीपीयू
3.	डीसीपीयू द्वारा सत्यापन/एफबीआर अपलोड करने के बाद	डीसीपीयू सत्यापन की तिथि से 10 दिन	एसएआरए
4.	पूर्व-अनुमोदन पत्र	एसएआरए सत्यापन की तिथि से 10 दिन	कारा
5.	अनुच्छेद 5/17	जल्द से जल्द (देश के अनुसार अलग-अलग; अमेरिका में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं)	एएफएए
6.	संबंधित डीएम को गोद लेने का आवेदन दाखिल करना	कारा अनुमोदन की तिथि से 10 दिन	आईपीएपीए/डीसीपीयू
7.	दत्तक ग्रहण आदेश जारी करना	डीसीपीयू से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन	डीएम
8.	एनओसी और सीसी जारी करना	दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने के 10 दिन बाद	कारा

